राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 02] चौदहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का तेरहवां दिवस [संख्या : 10

बुधवार,

23 जुलाई, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: राम-राम सा। प्रश्नकाल। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस पर रोक

145. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा निजी विद्यालयों में फीस निर्धारण हेतु क्या व्यवस्था की गई है? फीस किस आधार पर एवं किनके द्वारा निर्धारित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार की अनदेखी के कारण एवं जिला शिक्षा अधिकारियों के वरदहस्त के कारण निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल की जा रही है तथा फीस में असमानताएं एवं विसंगतियां हैं? यदि हां, तो इसको रोकने के लिए क्या-क्या प्रावधान किये जा रहे हैं? क्या सरकार निजी विद्यालयों की फीस को सम्पूर्ण प्रदेश में एक समान रूप से निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकारी एवं निजी विद्यालयों का समान कक्षा का पाठ्यक्रम अलग-अलग है? यदि हां, तो प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था किस आधार पर संचालित है?

(4) क्या यह भी सही है कि निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों को 3 से 4 पुस्तकें पृथक रूप से विद्यालय द्वारा मोटी फीस वसूल कर जबरदस्ती पढ़ाई जा रही हैं? क्या इन पाठ्यक्रमों में विभिन्नता अथवा बिना औचित्य के किताबें पढ़ाये जाने के सम्बन्ध में 01 जनवरी, 2013 से 30 जून, 2014 तक

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

प्रदेश में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब-कब, कहां-कहां, किस-किस विद्यालय के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार प्रदेश के निजी विद्यालयों की मनमानी पर अंकुश लगाकर अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) राज्य सरकार द्वारा राज्य के विद्यालयों द्वारा फीस के संग्रहण के विनियमन हेतु राजस्थान विद्यालय (फीस का संग्रहण का विनियमन) अधिनियम, 2013 लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा-16 के तहत राजस्थान प्राइवेट विद्यालयों में फीस के संग्रहण का विनियमन नियम, 2013 जारी किये गये हैं। इस अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में फीस अवधारित करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा इस अधिनियम की धारा-6 एवं अधिनियम के अन्तर्गत जारी नियमों के नियम-3 के प्रावधानों के अनुसार निजी विद्यालयों की फीस निर्धारित की जाती है। प्रतिलिपि परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह सही है कि निजी विद्यालयों की फीस में असमानता एवं विसंगतियां हैं जिसको रोकने के लिए राजस्थान विद्यालय (फीस का संग्रहण का विनियमन) अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान प्राइवेट विद्यालयों में फीस के संग्रहण का विनियमन नियम, 2013 लागू किये गये हैं। अधिनियम के तहत गठित समिति द्वारा राज्य के समस्त निजी विद्यालयों की सत्र 2014-15 की फीस के निर्धारण का कार्य धारा-6 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। राज्य में संचालित समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों की प्रारम्भिक कक्षाओं में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर एवं एनसीईआरटी, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पाठयक्रम लागू है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से सम्बद्धता प्राप्त समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों की 9 से 12 कक्षाओं में बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू है। सीबीएसई से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों में सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू है।

(श्री कालीचरण सराफ)

(4) जी नहीं। निजी विद्यालयों द्वारा 3 से 4 पुस्तकें मोटी फीस वसूल कर जबरदस्ती बिना औचित्य के पढ़ाये जाने के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 2013 से 30 जून, 2014 तक कोई भी शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(5) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का संग्रहण का विनियमन) अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान प्राइवेट विद्यालयों में फीस के संग्रहण का विनियमन नियम, 2013 लागू कर दिया गया है। अधिनियम के तहत गठित समिति द्वारा समस्त निजी विद्यालयों की सत्र 2014-15 की फीस के निर्धारण का कार्य धारा-6 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

(प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानकारी लेना चाहता हूं, आपने कमेटी तो बनाई है पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में परन्तु कुल प्राइवेट निजी विद्यालय राजस्थान में कितने हैं और अब तक उनमें से कितने विद्यालयों की फीस निर्धारित हुई है और कितनों को नोटिस दिया गया है? ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनको नोटिस दिया गया है, कितने विद्यालय हैं जिनकी फीस निर्धारण हुई है और कुल निजी विद्यालय कितने हैं?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): राजस्थान में कुल निजी विद्यालयों की संख्या है 37500, धारा 6(2) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय फीस अवधारित कर आदेश जारी किये गये हैं 21524 और धारा 6(4) के अन्तर्गत फीस निर्धारित किये जाने वाले विद्यालयों की संख्या है 230. शेष विद्यालय जिनकी फीस के निर्धारण का कार्य प्रक्रियाधीन है, इनकी संख्या है 15746 लगभग। जिन निजी विद्यालयों ने फीस निर्धारण हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया है उन्हें नोटिस जारी किया जाकर रिकार्ड प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका में छपा है कुल हैं 37500 विद्यालय निजी और अब तक मात्र 264 की फीस तय हुई है और 74 स्कूलों से आपत्ति मांगी गई है। यह छपा है, क्या यह सही है, इसकी जानकारी दें।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): ऐसा है कि 230 की तो फीस निर्धारित कर दी और 21524 की फीस निर्धारित कर दी, पर इसमें 30 दिन का आपत्ति का समय होता है कि निजी विद्यालय जिनकी फीस निर्धारित की है, वो 30 दिन में आपत्तियां कर सकते हैं। आपत्ति यदि कोई नहीं आएगी तो ये फीस निर्धारित हो गई 21524 की। जो बाकी बची हैं 15746, इनमें से लगभग 4-5 हजार स्कूल तो ऐसे हैं कि जो रजिस्टर्ड तो हैं पर बंद हो गये। बाकी सब जिन्होंने इसके अनुरूप जो उनसे मांगा गया था रिकार्ड वो उपलब्ध नहीं कराया, तो ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्यवाही निश्चित रूप से करेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न नहीं। दो कर चुके आप। दो पूरक प्रश्न आप कर चुके हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): खण्ड 3 में, 4 में है।

श्री अध्यक्ष: सारा प्रश्न एक साथ होता है। पूरक प्रश्न अब करेंगे श्री केसाराम चौधरी। दो आप कर चुके हैं, विराजिये ।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि आपने खण्ड 4 में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनके बाद दे दूंगा मैं मौका।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): कहा है कि किसी भी विद्यालय की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप कर लीजिये। कर लीजिये सवाल। पूरक दो ही करने चाहिए लेकिन आप तीसरा कर रहे हो, कर लीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में चलने वाले विद्यालय इस नियम को और इस कमेटी को नहीं मान रहे हैं। ऐसे कई स्कूल हैं पर उनमें से मैं चार विद्यालयों की जानकारी दे रहा हूं- अलवर में दो विद्यालय हैं एवनेजर और सैंड एंसलम और जयपुर में सैंट इयूंस और सैंट जेवियर, ये किसी तरह के फीस निर्धारण को नहीं मान रहे हैं और किताबें भी जरूरत से ज्यादा लगा रहे हैं, तीन-तीन, चार-चार किताबें ज्यादा हैं। यह खण्ड 2 और 3 का आ गया, इसका उत्तर देने का कष्ट करें। क्या ईसाई मिशनरी के स्कूल आपके इस कमेटी के आदेश को मान रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा हो जाए। मैं बोल दूं?

श्री अध्यक्ष: हां, आप प्रश्न कीजिये। दोनों का आप साथ जवाब दे दीजिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं, क्या खण्ड संख्या 4 में किसी विद्यालय के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो आपने कहा जी नहीं। मेरे यहां पर गैलेक्सी विद्यालय है आहुवा में, उसके खिलाफ में पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ है। डीईओ के पास शिकायतें गई हैं। एक बच्चे के एक साल के 80-80 हजार रुपये वसूल कर रहे हैं ये निजी विद्यालय। क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करके ठोस निर्णय लेंगे?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): देखिये मुझे जो सूचना दी गई है उसके हिसाब से 1 जनवरी, 2013 से 30 जून, 2014 तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आपके पास यदि कोई ऐसी सूचना है तो मुझे आप उसकी डिटेल दे देना, निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे और जिसने गलत सूचना दी है उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे।

जो रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा, तो मिशनरी स्कूल भी इसमें कवर्ड होती हैं चाहे वो सेंट जेवियर हो और बाकी चाहे कोई और विद्यालय हो। कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जो इससे कवर नहीं होता। कवर निश्चित रूप से हम करेंगे और यदि कोई नियमों का उल्लंघन करेगा, आदेश का उल्लंघन करेगा तो चाहे कोई भी स्कूल हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत। पूरक प्रश्न।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या पूर्व में कोई ऐसा अध्यादेश जारी किया गया था कि बीपीएल परिवार के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा हेतु प्रतिबंधित किया जाएगा? अगर हां, तो राजस्थान में कितने विद्यालयों में कितने बीपीएल परिवार के बच्चे-बच्चियों को शिक्षा दी जा रही है? अगर हो, तो कब से? और नहीं, तो क्यों नहीं? स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैं समझा नहीं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): प्राइवेट स्कूल्स में बीपीएल परिवार के बच्चों को शिक्षा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): देखिये उसके लिए आरटीई एक्ट के अन्तर्गत पच्चीस परसेंट बच्चों को प्रवेश दिये जाने का आदेश है और उसके अनुरूप पच्चीस परसेंट बच्चों को हमने एडमिशन दिलवाये हैं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): पर कई जगह हमारे क्षेत्र में बच्चों को एडमिशन नहीं दिये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): यदि ऐसे कोई विद्यालय आपके ध्यान में हों तो उसकी सूचना हमें दीजिये, निश्चित रूप से बच्चों को एडमिशन दिलवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, श्री बालूराम चौधरी। नहीं, हो गया, तीन हो गये। श्री बालूराम चौधरी।

श्री अमराराम (पचपदरा): नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह नहीं। आप यह नहीं कहना चाहते। मैंने पूरक प्रश्न के लिये उनको बुलवाया है।

श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा): नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब आ गया है। इसलिये मैं और दुबारा नहीं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट, श्री ओटाराम।

सिरोही जिले में खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना के लाभार्थी

146. श्री ओटाराम (सिरोही): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खाद्य सुरक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत जिला सिरोही में कितने व्यक्तियों को चिह्नित कर लाभान्वित किया गया? ग्राम पंचायतवार एवं वार्डवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में चिह्नित सभी योग्य व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त योजना के तहत दिसम्बर, 2013 तक जिला सिरोही में कितने टन गेहूं का आबंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) खाद्य सुरक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत जिला सिरोही में 57398 अन्त्योदय एवं 762186 अन्य पात्र व्यक्ति, कुल 8,19,584 व्यक्ति चिह्नित हैं। जिले की संकलित सूचना परिशिष्ट-अ पर, शहरी क्षेत्र में वार्डवार संख्या सूची परिशिष्ट-ब पर एवं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतवार सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

(2) जी नहीं। उक्त योजना में चिह्नित पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है।

(3) खाद्य सुरक्षा योजना राज्य में दिनांक 02 अक्टूबर, 2013 से प्रारम्भ की गई है। उक्त योजना के तहत माह अक्टूबर, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक जिला सिरोही को कुल 10110.00 मी. टन (प्रति माह 3370 मी. टन) गेहूं का आबंटन किया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री ओटाराम (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन में आनन-फानन में जो योजनाएं लागू की गईं, उन योजनाओं में आज दिन तक कई परिवार ऐसे थे जिनको वह सुविधा नहीं मिली। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है मंत्री महोदय से कि आज दिन तक कितने लोगों को आपने ब्लैक-लिस्ट किया, कितने लोगों के विरुद्ध जांच चल रही है और कितने लोगों के खिलाफ आपने जांच की? दूसरा, ऐसे कितने लोग हैं जो साधन सम्पन्न, हैं लेकिन बी.पी.एल. में नाम जोड़े गये? उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो साधन सम्पन्न होते हुए भी बी.पी.एल. में हैं, इसकी भी जांच कराएंगे क्या?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो शंका जाहिर की, यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना आनन-फानन में लागू की, जिसको 365 दिन के अन्दर लागू करना चाहिए था। 04 जुलाई, 2013 को जो कानून बना उसको प्रभावी करने का 04 जुलाई, 2014 तक का था। लेकिन इन्होंने चुनावी लाभ को देखते हुए 02 अक्टूबर, 2013 को यह लागू कर दिया। परिणामस्वरूप 446 लाख पात्र व्यक्ति होने चाहिए थे पूरे राजस्थान में, सिरोही के भी आपको आंकड़े भेज दिये गये हैं, उसके विरुद्ध 531 लाख लोगों का चयन हुआ। 85 लाख लोगों का अधिक चयन होने से निश्चित रूप से आनुपातिक रूप से खाद्य सुरक्षा का जो पात्र व्यक्ति था, जितना उसको अपेक्षित मिलना था, उतना नहीं मिल पाया और आनुपातिक रूप से कम हुआ। विगत सप्ताह में भी बताया था और आज भी यही कह रहा हूं कि टास्क फोर्स कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी गठित करके तुरन्त प्रभाव से जल्दी से जल्दी पात्र लोगों को उसमें

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

रखने का काम करेंगे। जो अपात्र व्यक्ति इसमें चयन हो गये, उनको बाहर करने का काम किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री ओटाराम (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, अभी आपने गेहूं की मात्रा बढ़ाई है, 3.6 की है, मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में पात्र लोगों को पांच किलो गेहूं मिलेंगे क्या?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): निश्चित रूप से। जैसे ही टास्क फोर्स कमेटी गठित होकर सही लोगों का चयन हो जाएगा, जल्दी से जल्दी चयन हो जाएगा, चयन होने के बाद हम पांच किलो प्रति पात्र व्यक्ति को और 35 किलो अन्त्योदय को देने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल, पूरक प्रश्न।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, क्या सरकार ने खाद्य सुरक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत योग्य व्यक्तियों को गेहूं या अन्य सामान वितरण हो रहा है, उसका कोई फिजिकल वैरिफिकेशन किया या नहीं? यदि हां, तो क्या इस फिजिकल वैरिफिकेशन में कोई अनियमितता पाई गई या नहीं? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखते हैं, एक? दूसरा है, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने पात्र व्यक्ति हैं और वर्तमान में कुल कितना गेहूं वितरण हो रहा है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): उसी उत्तर को बार-बार दोहराना। 87 प्रतिशत पूरे राजस्थान में चयन हुआ है, जबकि कम प्रतिशत चयन होना चाहिए था। ये तो राजस्थान भर के आंकड़े हुए, 85 लाख लोगों का अधिक चयन हो गया। माननीय सदस्य ने कहा है कि पात्र व्यक्तियों को चयन करने का मापदण्ड है, निश्चित रूप से मापदण्ड है। शहरी क्षेत्र के 26 मापदण्ड हैं जिसके अन्दर आएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के 27 मापदण्ड हैं। माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 06 मापदण्ड ऐसे हैं जिनके द्वारा निष्कासन किया जाएगा शहरी क्षेत्र में और 08 मापदण्ड ऐसे हैं जिन पर ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति का चयन किया जाएगा, अपात्र व्यक्तियों को निकालने के मामले में।

श्री अध्यक्षः बहुत अच्छे। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आज के समय में। खाद्य सुरक्षा गारण्टी जो पूर्ववर्ती सरकार आनन-फानन में लेकर आई, राजनीतिक लाभ लेने के लिये उन्होंने हर व्यक्ति का नाम उसमें जोड़ने का प्रयास किया। यही कारण है कि जब माननीय मंत्रीजी अपना उत्तर दे रहे हैं तो उसमें बता रहे हैं कि जितने होने चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा आये हैं। आपने यह भी फरमाया कि पात्र व्यक्ति को इसमें रखा जाएगा। फिजिकल वैरिफिकेशन का हमारे साथी ने पूछा, मैं, माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी कि फिजिकल वैरिफिकेशन सही मायने में नहीं हो रहा है। फिजिकल वैरिफिकेशन बताया जा रहा है कि मात्र 26 और 27 लोग ही शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर ऐसे पाये गये जहां गड़बड़ियां हुई हैं, जबकि बहुत लार्ज स्केल के ऊपर यह गड़बड़ी हो रही है। डी.एस.ओ. जो वहां पर हैं, वे उस पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। कितनी भी बार हम उनके सामने शिकायत रखते हैं, वह हर बार ऐसे ही टाल दी जाती है। इसलिये मैं यह चाहूंगी कि कोई ऐसा टास्क फोर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बने जिसके माध्यम से खास तौर से खाद्य सुरक्षा के अन्दर जो पात्र व्यक्ति हैं, उन तक तो अनाज पहुंच जाए। जो अपात्र हैं उनको आप करेंगे, उसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बी.पी.एल. में नहीं आते हैं, उनको निकालेंगे बाहर?

श्री अध्यक्षः सवाल कीजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या कोई ऐसी टास्क फोर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ऐसी जो प्राब्लम्स हैं, उनको साल्व करने के लिये बनाएंगे? ऐसा विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): बिलकुल। राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या ने चिंता जाहिर की, वह वाजिब है। इसमें मैंने अभी जैसे कहा, टास्क फोर्स कमेटी का गठन कर दिया गया है। उस कमेटी में हमारे प्रिंसिपल सैक्रेटरी साहब हैं, सी.एस. राजन की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई है। दस और माननीय, जैसे प्रमुख शासन सचिव, फूड हैं, महिला एवं बाल विकास हैं, पंचायती राज हैं, इनको लेकर राज्य स्तर पर जो कमेटी गठित की है, वह कमेटी जिला स्तर पर निर्देश देगी। जिलाधीश महोदय उसके अन्दर अपने अनुसार जिले में कमेटी गठित करेंगे। मैंने यह नहीं बताया

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

है कि 26 लोग शामिल हैं या 27 शामिल हैं। इसमें 26 इनक्लूडिंग के हैं और 08 हैं निष्कासन के। इसी तरह शहरी में और इसी तरह ग्रामीण में अलग-अलग मापदण्ड हैं। जैसे एक व्यक्ति के पास घरेलू नौकर भी है, सर्वेण्ट भी है, बी.पी.एल. में भी है, स्टेट बी.पी.एल. में भी है, तीन-तीन जगह जो आदमी आ रहा है, उसमें छंटनी करके वह पात्र व्यक्ति एक जगह स्टैण्ड करे, ऐसी व्यवस्था टास्क फोर्स कमेटी करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष: आप करेंगे क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक सवाल, आप कब तक इस कार्य को पूर्ण कराएंगे, आप कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा से आने वाले विधायकजी, मैंने प्रहलादजी को बुलवा लिया। इसके बाद आपका सवाल होगा।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा कानून को चुनाव से पहले राज्य सरकार ने जल्दबाजी में लागू किया। उसकी जो पात्रता के मानदण्ड रखे, बी.पी.एल., ए.पी.एल. और राज्य सूची का बी.पी.एल., यहां तक तो बात समझ में आती है। एक नया मापदण्ड रखा राजीव गांधी आवास योजना। राजस्थान की तमाम जो कच्ची बस्तियां थीं, सर्वे करके एक सूची बनाई। उस सूची के साथ, मैं खास तौर से कोटा शहर की बात करना चाहता हूं, शहर की, कच्ची बस्तियों में कांग्रेस पार्टी के सौ प्रतिशत कार्यकर्ताओं के नाम जोड़ दिये। कोई मापदण्ड नहीं, किसी के मकान का भौतिक सत्यापन नहीं। राजीव गांधी आवास योजना, यह पात्रता देकर कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर किये जाएंगे। क्रमबद्ध तरीके से जो रिकोग्नाइज्ड चेहरे हैं, उनको छोड़कर जो कांग्रेस के नीचे स्तर के छोटे कार्यकर्ता थे, तमाम के नाम जोड़ दिये गये। मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या इसका भौतिक सत्यापन करवाएंगे, उनके नाम हटाये जाएंगे? गैर-कानूनी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके जिन लोगों ने अब तक लाभ प्राप्त

(श्री प्रहलाद गुंजल)
कर लिया है, लाभ प्राप्त करने वाले और गैर-कानूनी तरीके से लाभ देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी, यह मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): कोटा से आने वाले माननीय सदस्य की भावना से भी मैं बिलकुल सहमत हूं। निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चुनावी साल होने की वजह से, ऐसा ही नहीं, 110-110 परसेंट तक सूचियां दी गईं, जिनको 69 परसेंट जारी होना चाहिए था उनको 110 और 112 परसेंट तक समावेश किया गया। तीन-तीन जगह पर आये। ऐसे ही इंदिरा आवास और कच्ची बस्तियां, स्टेट बी.पी.एल. जो अभी मैं पूर्व में बता चुका हूं, 85 लाख यूनिट एक्सेस, पूरे राजस्थान का होगा। कोटा शहर का ही नहीं, सभी जगह पर यह बढ़ोतरी हुई है। शहरों को छोड़कर ग्रामीण अंचल में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। टास्क फोर्स कमेटी जिसका अभी मैं निवेदन कर रहा था, वह इसीलिए गठित कर रहे हैं कि वह निश्चित मापदंडों के तहत कच्ची बस्ती वालों का भी समावेश करे, बी.पी.एल. वालों का भी समावेश करे और अपात्र व्यक्ति आये हैं उनको निकालने का काम करे। यह मैंने पहले भी निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले सम्माननीय सदस्य, किसी भी राजनीतिक दल में गरीब आदमी भी कार्यकर्ता हो सकते हैं। किसी में भी, चाहे कांग्रेस हो, बी.जे.पी. हो, बी.एस.पी. हो, गरीब आदमी भी पात्र हो सकता है। राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है। खाली इतना कह देने से कि कांग्रेस के लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं, अगर है, गलत जोड़े हैं तो उन्हें काटिये आप। मैं सिर्फ आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): वहां पर वे निवास ही नहीं करते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं, बीच में नहीं। हां, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि यह आपने टास्क फोर्स बना दी है, जिला स्तर पर तो कोई टास्क फोर्स अभी तक बनी भी नहीं है। तो आप इस सब कार्य को तीन महीने, छह महीने, कब तक पूर्ण कर देंगे, कोई आश्वासन इस सदन के अन्दर दे सकेंगे? लटका ही रहेगा यह मामला। यह मामला तब तक लटका रहेगा। तीन माह में, छह माह में, चार माह में कब तक पूर्ण करा देंगे आप इस कार्य को?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने निश्चित रूप से इसमें कोई गलत बात नहीं कही है कि 85 लाख अधिक लोगों का चयन हो गया। पूर्ववर्ती सरकार थी, 4 जुलाई, 2013 को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट केन्द्र सरकार द्वारा जारी हुआ। वैसे लिखा हुआ है एक्ट में, 365 दिन, यानी एक साल में लागू करने की व्यवस्था दी थी। जब आपकी नीयत में खोट था, आपने चुनावी लाभ लेने के लिए, पूरी सरकार ने, आनन-फानन में, बिना स्क्रूटनी के, बिना पात्र व्यक्तियों का चयन किये 02 अक्टूबर, 2013 को इसे लागू किया। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी मंशा सही नहीं थी। इसलिए अपने प्रभाव से गलत लोगों का चयन हुआ है, यह पूरा सदन मान रहा है और मैं स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हम भी तो यही कह रहे हैं कि यह कार्य आप कब तक पूर्ण करवा देंगे।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): वही आ रहा हूं मैं, आने तो दो, एक मिनट।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपको कोई रोक नहीं रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो गलत लोग हैं, उनके नाम काट दीजिए। कब तक पूर्ण करवा देंगे, यह तो बता दें यहां पर।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं बता रहा हूं, सुनिये तो सही आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बार-बार बोल रहे हैं, मैं उसी चीज पर आ रहा हूं। आपने तो एक साल में होना चाहिए था जो कार्य, वह दो महीने में कर दिया। वह गलत कर दिया। आप जो कुकर्म करके गये उसको झेलना हमें पड़ रहा है। आम-आदमी पूछ रहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का क्या हुआ। कहां पर आवश्यकता थी इस बात को जल्दी

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

लागू करने की? लेकिन, मैं दावे से कह सकता हूं कि जितना जल्दी से जल्दी होगा, इसको तय कराया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह।

जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल में खून की गलत जांच रिपोर्ट

147. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में एस.एम.एस. अस्पताल में खून की जांच में कोई गलती पाई गई है? यदि हां, तो कब व क्या?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जांच के सम्बन्ध में कुछ लोग दोषी पाये गये? यदि हां, तो कौन-कौन व उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) जी नहीं। गत दो वर्षों में एस.एम.एस. अस्पताल में खून की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है।

(2) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.एम.एस. हास्पिटल राजस्थान का सबसे बड़ा हास्पिटल है और गरीबों के लिए एक तरह से लाइफ लाइन है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि मई माह में राजस्थान के एक लीडिंग पेपर ने एक स्टिंग आपरेशन किया था वहां की बायो-कैमिस्ट्री लैब का और उसके अन्दर यह पाया था कि खून की जो जांच की जाती है उसके अन्दर बड़ा टैक्निकल टर्म है पी.पी.टी. टिप, एक ही पी.पी.टी. टिप को बार-बार काम में लिया जा रहा था। जबकि नियम यह है कि हर मरीज के लिए यह टिप अलग होनी चाहिए। क्योंकि इससे खून लेकर उसका सीरम अलग-अलग बायलर्स में डाला जाता है और जब एक ही टिप काम में ली जाती है तो कुछ न कुछ खून का अंश उसके अन्दर रह जाता है और फिर जो रिपोर्टस आती हैं वे फाल्टी ही आती हैं। तो जो बेस होता है किसी भी इलाज का, वह जांच रिपोर्ट ही अगर गलत आएगी तो मरीज की किस तरह से उचित जांच हो पाएगी। निश्चित रूप से गरीब लोगों की ही जांच वहां पर हो पाती है। जो पैसे वाला है वह तो प्राइवेट जो हास्पिटल्स हैं, वहां जाकर भी इलाज करवा सकता है। तो मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी

(श्रीमती अलका सिंह)

कि इस बारे में उन्होंने क्या पुख्ता व्यवस्था की है? गरीबों को उचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो जाए इसकी व्यवस्था करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज का ब्लड बैंक, एक साल में इस ब्लड-बैंक में 56 लाख जांचें हुई हैं अब तक। इसका प्रति दिन का आकड़ा अगर निकालें तो 12330 है। यह सही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि समाचार-पत्रों में एक स्टिंग आपरेशन के नाम से समाचार प्रकाशित हुआ जिसकी जानकारी मिलते ही उसी दिन सुपरिन्टेंडेंट, एस.एम.एस. को मैंने जांच के निर्देश दिये। सुपरिन्टेंडेंट, एस.एम.एस. ने जो मुझे जांच रिपोर्ट भेजी उसके अनुसार इन्होंने लिखा कि इस प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इन्होंने कहा कि माइक्रो-टिप एक बार इस्तेमाल करते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह एक मरीज पर एक बार ही इस्तेमाल की जाती है। मैंने एहतियात के तौर पर उनको फिर से निर्देश दिए हैं कि कोई इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा, हालांकि इतना बड़ा वोल्यूम है, जिस ब्लड-बैंक में प्रति दिन 12330 ब्लड सैम्पल के टैस्ट हों, लेकिन फिर भी यह माइक्रो-टिप्स की बात है, यह मेरे पास जो जांच रिपोर्ट आयी है, समाचार-पत्र में स्टिंग आपरेशन के बाद, उसमें यह लिखा है कि कोई गड़बड़ी नहीं पायी गयी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न पूछेंगी?

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): यस।

श्री अध्यक्ष: पूछिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगी कि एस.एम.एस. हास्पिटल के जो अधीक्षक हैं, उनका 7 मई को उसी लीडिंग पेपर में यह स्टेटमेंट आया था कि मैंने जो सम्बन्धित बायो-कैमिस्ट्री लैब के इंचार्ज हैं उनको बुलाकर निर्देशित कर दिया है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं हो। एक स्टेटमेंट उनका आया था कि इस बायो-कैमिस्ट्री लैब में हम सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाएंगे। अगर कोई गड़बड़ी ही नहीं हुई है इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने अखबारों में क्यों दिया, माननीय मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहूंगी?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है कि एस.एम.एस. के सुपरिन्टेंडेंट ने कोई इस तरह का बयान दिया हो। मैं यह जरूर कह सकता हूं कि ब्लड टैस्ट करने की लेटेस्ट मशीन एस.एम.एस. के ब्लड बैंक में है- युनाइटेड स्टेट फैडरल ड्रग एजेंसी ने जिसको प्रूव किया है यू.एस.पी.एफ.डी.ए. में। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेडिकल जनरल्स हैं वे यह कहते हैं कि इसमें अगर डीविएशन पाइंट फाइव से तीन परसेंट तक आए तो वह कोई डीविएशन नहीं माना जाता। फिर भी मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह सबसे बड़ा हास्पिटल है, सबसे बड़ा ब्लड-बैंक है, बड़ी संख्या में आपरेशन होते हैं, वहां पर इस तरह की कोई लापरवाही नहीं हो। मैं एस.एम.एस. के सुपरिन्टेंडेंट से इस बात को तलब करूंगा कि उन्होंने अगर इस प्रकार का बयान समाचार-पत्रों में दिया तो किस बेसिस पर दिया। उसकी मैं अलग से जांच करके वह आपको निवेदन कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री कंवरलाल, पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी से जानना चाह रहा था कि पूरे प्रदेश में 176 ब्लड स्टोरेज सेंटर खुले हुए हैं उसमें से अभी मात्र 36 ही संचालित हैं। ड्रग कंट्रोल विभाग में एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। 136 में से मात्र 36 ही संचालित हैं। ऐसे में आप इस पर कार्यवाही करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में इस समय 89 ब्लड-बैंक हैं और उसमें सरकारी क्षेत्र में 44 हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक अभियान चलाया है इन सारे ब्लड-बैंक के इंस्पैक्शन का और ये भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी ब्लड-बैंक आने वाले तीन महीने में ऐसा नहीं बचे जिसके पास लाइसेंस नहीं हो। माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है मैं उससे सहमति प्रकट करते हुए आज ही विभाग को निर्देश दूंगा कि जितने भी ब्लड बैंक चल रहे हैं, चाहे सरकारी हो या चाहे निजी क्षेत्र में, जिनके पास लाइसेंस नहीं हैं, वे लाइसेंस लें।

श्री अध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि मंत्रीजी ने सदन को अवगत कराया है, ब्लड-बैंक पर इतना बड़ा भार है कि 12 से 13 हजार पर-डे उनको जांचें करनी पड़ती

(श्री पूरणमल सैनी)

हैं। वास्तव में राजधानी का अस्पताल होने से और दूसरे प्रदेशों के पेशेंट भी यहां पर पधारते हैं, इससे भार तो बढ़ना ही है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस भार को कम करने के लिए क्या एस.एम.एस. हास्पिटल के लिए दूसरी जांच व्यवस्था इसके पैरेलल खड़ी नहीं की जा सकती?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एम.एम.एस. के कांस्टीट्युएंट जितने भी हास्पिटल्स हैं, हमारे सारे हास्पिटल्स में ब्लड-बैंक की सुविधा उन्हीं हास्पिटल्स में हो जाए, इसके लिए एक योजना बनाई है। मैं यह निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जिस तरह के अब इक्विपमेंट आ गये, उनके अन्दर कोई मैनुअल काम तो रहा नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा का सारा एक बड़ी अच्छी मशीन से हो रहा है इसलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी वहां पर मैन पावर भी पूरा है और व्यवस्था भी पूरी है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि ब्लड के लिये जब ग्रुप का ब्लड नहीं मिलता तो काफी दूरी तक लोगों को परेशान होना पड़ता है तो क्या विधान सभावाइज भी ब्लड बैंक खोलने की आपकी प्लानिंग है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी ब्ल्ड बैंक डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल स्तर पर खुले हुए हैं। जहां-जहां, अध्यक्ष महोदय, मांग आती है और जहां आपरेशन ज्यादा होते हैं, जहां आवश्यकता होती है, वहां नाको भी बीच में हैं। हमें कुछेक उनसे इक्विपमेंट भी मिलते हैं, फिर भी आवश्यकता और मांग के अनुसार हम खोलते रहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यहां विधान सभा के अन्दर, माननीय मंत्री महोदय, सेमी-आटो एनलाइजर मशीन, क्या कहलाती है, वह है, आप ऑटोमैटिक ही लगवा दीजिये, आपकी बड़ी कृपा होगी। आप घोषणा कर दीजिये यहां।

श्री अध्यक्ष: आपका सुझाव है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अगर विधान सभा में मशीन की आवश्यकता होगी...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): विशेष तौर पर आपकी हैल्थ को देखते हुए निश्चित तौर पर लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष: वैसे काफी पूरक प्रश्न हो चुके हैं, लेकिन मैं डा. बी.एल. चौधरी को इसलिये अलाउ कर रहा हूं पूरक प्रश्न के लिये कि वह डाक्टर हैं। वह पूरक प्रश्न करेंगे।

श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानकारी चाहता हूं, अभी जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, चढ़ाने से पहले उसमें चार टैस्ट करते हैं। उसमें मलेरिया का भी करते हैं, एच.आई.वी. का भी करते हैं, हैपेटाइटिस बी का भी करते हैं। लेकिन दो गम्भीर बीमारियां और हैं हैपेटाइटिस सी और हैपेटाइटिस ई, जिनका टैस्ट उनमें नहीं किया जाता है। उनका जब इधर से उधर ट्रांसफ्यूजन होता है, गम्भीर बीमारियों का होने का खतरा रहता है। इस तरह का कोई विचार है, इन टैस्टों का भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले जांच का कोई प्रावधान है क्या? ऐसा कोई है, तो जानकारी दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आज की आवश्यकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हैपेटाइटिस बी और सी का टैस्ट हो। अभी इसकी पूरी जानकारी मुझे है नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन से सम्बन्धित नहीं था। पर फिर भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी जांच की आवश्यकता हो, कम से कम मेडिकल कालेज और डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल तक तो सारी जांचें पहुंच जाएं ताकि इनकी आवश्यकतानुसार इसका काम हो।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'।

चित्तौड़गढ़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्थापना

148. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में कौन-कौनसे संकाय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिले में एक मात्र उच्च कन्या महाविद्यालय होने के उपरान्त भी इसमें अभी तक विज्ञान एवं वाणिज्य

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

संकाय प्रारम्भ नहीं किये जाने से छात्राओं को उक्त संकाय में शिक्षण हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है?

(3) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) राजकीय कन्या महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में कला संकाय, वाणिज्य संकाय एवं विज्ञान संकाय संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त महाविद्यालय में कला संकाय के साथ-साथ विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय पूर्व में ही संचालित हैं।

(3) उक्त महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय पूर्व में ही संचालित हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या सरकार भदेसर उप खण्ड में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों नहीं? चित्तौड़गढ़ के महाराणा पी.जी. कालेज में भूगोल, संस्कृत, बांटनी एवं व्यावसायिक प्रबन्धन के स्नातकोत्तर विषय प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? और नहीं, तो क्यों नहीं? कन्या महाविद्यालय को क्रमोन्नत कर पी.जी. कन्या महाविद्यालय करने का मानस सरकार रखती है? कन्या महाविद्यालय जिले का एक मात्र महाविद्यालय है, इसको क्रमोन्नत करने का सरकार विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: बहुत प्रश्न कर लिये आपने, जवाब आने दो।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर आपकी मांग पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, पूरक प्रश्न।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन हास्पिटल्स में, पूरे राजस्थान में जो ब्लड बैंक यूनिट ....(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: हास्पिटल कहां से आ गया इसमें?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): इसके लिये मैंने नहीं

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

दबाया। मैंने उस समय बटन दबाया था, जब चिकित्सा पर प्रश्न चल रहा था। मैंने अभी नहीं दबाया।

श्री अध्यक्ष: आपका नाम आया था मेरे यहां पर। बटन दब गया आपसे, गलती से। विराजिये। हां, अब आप बोलिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मेरे विधान सभा क्षेत्र में बेगूं और रावतभाटा दोनों कालेज हैं, क्या ये दोनों कालेज सरकारी हैं? अगर हैं, आपका उत्तर हां है, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपका उत्तर नहीं है, तो मुझे यह बताएं, वहां दोनों सरकारी प्रिंसिपल क्यों लगा रखे हैं? जिन बच्चों को एडमिशन दे रखा है, सरकारी फीस लेकर उनको एडमिशन क्यों दिया गया है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उन बच्चों से सरकारी फीस ली, अब इसके बाद उनका क्या भविष्य होगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): पिछली सरकार ने चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिये कई विद्यालयों को बिना बजटीय प्रावधान किये सरकार में अधिग्रहित कर लिया था। ये सब जितने भी मामले हैं, मंत्री मण्डलीय उप समिति के पास समीक्षाधीन हैं। समीक्षा करने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। पहले इनका, फिर आपका।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि 2010 और 2011 के अन्दर विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में सोनू स्कूल के अन्दर विज्ञान संकाय खुलवाई गई थी, किसी भामाशाह ने तीन साल तक चलाई, लेकिन आज स्थिति यह है कि वहां कोई व्याख्याता नहीं है, इसलिये मंत्री महोदय वह विज्ञान संकाय कब तक चालू करवाएंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, आपका जवाब दीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैं बोल लूं साथ में।

श्री अध्यक्ष: आप नोट कर लीजिए, दोनों का साथ दे दीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कपासन में ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): इस मांग पर विचार विस्तृत रूप से हो चुका है। यह बात सही है कि कई माननीय सदस्यों की सैक्शन खुलवाने की, विषय खुलवाने की, कालेज खुलवाने की कई प्रकार की मांगें हैं, वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर इन सब पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्षः नैक्स्ट, डा. किरोड़ी लाल। (व्यवधान) नहीं, जवाब आ गया। दोनों ने सवाल पूछ लिया, आपका जवाब आ गया। नहीं-नहीं, आपने पूरक प्रश्न कर लिया। जवाब आ गया। आपने भी कर लिया। डा. किरोड़ी लाल।

प्रदेश में जमाखोरी के कारण महंगाई में वृद्धि

149. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) व **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में महंगाई बढ़ने के कौन-कौन से कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में अन्य कारणों के अतिरिक्त भारी जमाखोरी के कारण भी महंगाई बढ़ रही है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि जमाखोरी रोकने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को एक परिपत्र भिजवाया गया है? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) प्रदेश में जमाखोरी, कालाबाजारी, थोक एवं खुदरा भावों की कीमतों में अधिक अन्तर होना, उत्पादन का अनुपात उपयोग से कम होना एवं बरसात का न होना, इत्यादि कारणों से मंहगाई बढ़ रही है।

(2) जी नहीं। प्रदेश में महंगाई बढ़ने का एकमात्र कारण जमाखोरी नहीं है। मंहगाई पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कीमतों में असामान्य वृद्धि के अध्ययन के लिये चार सचिव स्तरीय अधिकारियों का समूह दिनांक 8.7.2014 को गठित किया गया है (संलग्न परिशिष्ट-1 पर), जिसकी अनुशंसा पर आलू, प्याज एवं दालों पर स्टाक सीमा लगाई जा सकती है।

(3) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएं, स्टाक सीमा और संचालन निर्बन्धन हटाना (संशोधन)

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

आदेश, 2014 जारी किया गया है। उक्त संशोधन आदेश दिनांक 3 जुलाई, 2014 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है, और बिलकुल सही है, कि पिछले सत्र में सरकार माल अधिनियम का एक्ट लेकर आई थी? यदि हां, तो क्या इस एक्ट में उन वस्तुओं को शामिल कर लिया गया है जिनका भाव बेतहाशा बढ़ रहा है और जिसके कारण मंहगाई बढ़ रही है?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 6 फरवरी, 2014 को हमारी सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी की पहल पर ऐसा एक्ट लाया गया था कि किसी भी माल या वस्तु की अगर अप्रत्याशित कीमत बढ़ रही है तो उसे माल घोषित करके उसको नियत्रंण किया जा सकता है। लेकिन आज माननीय सदस्य जो आलू और प्याज की बात कर रहे हैं असेंशियल कमोडिटी एक्ट, 1955 इन वस्तुओं पर 2002 में केन्द्र सरकार द्वारा इंस्पैक्टर राज होने की संभावनाओं को देखते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। लेकिन 2003 में आवश्यकता हुई। दलहन, तिलहन और दालें इनसे मुक्त कर दी गयीं और उनकी स्टाक सीमा निर्धारित करना राजस्थान सरकार में हुआ। केन्द्र में अब भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार बनने के बाद पहली बार ऐसा लगा कि आलू और प्याज के भाव बढ़ सकते हैं, दाम बढ़ सकते हैं तो केन्द्र सरकार ने चिन्ता जाहिर की और चिन्ता जाहिर कर माननीय खाद्य मंत्रीजी ने 3 जुलाई को एक आदेश जारी किया। असेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत आलू और प्याज पर जो पाबन्दी लगी हुई थी, उसको हटा कर हिन्दुस्तान के सभी राज्यों को आदेश दिया कि आलू और प्याज पर स्टाक सीमा आवश्यकतानुसार तय कर सकते हैं। अभी हमने इसे तुरन्त प्रभाव से 7 तारीख से, जैसे ही 3 तारीख को आदेश आया, 8 तारीख को माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसके गुणावगुण, स्टाक प्रवृत्ति को देखते हुए जब भी आवश्यकता होगी, हम उसे शिड्यूल में डालकर उसको प्रभावी तरीके से कंट्रोल करेंगे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): नहीं, मंत्रीजी, आवश्यकता तो अभी है। अध्यक्षजी, महंगाई बढ़ रही है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। वो प्रश्न करेंगे न दूसरा?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हां, कर रहा हूं न।

श्री अध्यक्ष: हां तो कीजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अभी तो कई करूंगा। आपकी कु दृष्टि चल रही है दो दिन से, मेरे को पता है। अभी तो करूंगा।

जिन आवश्यक वस्तुओं की महंगाई बढ़ रही है, मंत्रीजी, क्या उनकी स्टाक सीमा लागू कर दी गयी है? नहीं, तो क्यों?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा, जो माननीय सदस्य ने शंका जाहिर की है, अभी ऐसी असामान्य परिस्थिति नहीं आ रही। पांच मिनट, मैं आपको एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2009 से 2014 तक- 15.07.2009 को चना दाल थी 32 रुपये 50 पैसे किलो, 15.07.2010 को 27.50 रुपये, 15.07.2011 को 34.50 रुपये, 15.07.2012 को 60 रुपये और 15.07.2013 को 41 रुपये और आज 15.07.2014 को 36 रुपये किलो है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह है हमारी सरकार।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): टमाटर, टमाटर। (व्यवधान) अभी तो कुछ खास भाव बढ़े नहीं?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): तो ऐसी असामान्य परिस्थितियां नहीं हैं।

और भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर आलू का भाव 15.07.2013 को 13 रुपये किलो था, 10 में हुआ 9, 11 में हुआ 7 और फिर 15.07.2013 को 13 रुपये। इसी तरह प्याज भी पिछली बार 15.07.2013 को 24 रुपये 50 पैसे किलो थी लेकिन आज 22 रुपये किलो है। इसलिए ऐसी आवश्यकता नहीं है, जब भी आवश्यकता होगी हमारे पास हथियार है, उसको काम में ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरे प्रश्नकर्ता, श्री हनुमान बेनीवाल।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अभी महंगाई ...

श्री अध्यक्ष: नहीं, दो प्रश्न हो गये, आप। वो आपके साथ हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): एक क्वेश्चन और है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, माननीय किरोड़ी लालजी, तीसरा प्रश्न तो कर चुके आप।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): एक और।

श्री अध्यक्ष: अब नहीं। आप कर चुके।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): स्टाक पर अपने स्तर पर दरें निर्धारित कर देते हैं और उसके कारण महंगाई बढ़ जाती है।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमानजी बेनीवाल का दूसरा नाम है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ऐसे स्टाक होल्डर्स के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का अभियान चलाया आपने?

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल। उनके बाद आपका है। उनका दूसरा नाम है प्रश्न में। उनका अधिकार है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): एक साथ बता दूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए मुख्य मंत्रियों की एक कमेटी बनायी थी जिसके चेयरमैन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्रजी मोदी थे, क्या मोदी कमेटी की सिफारिशों को राजस्थान सरकार लागू करने का विचार रखती है?

साहब, एक साथ ही पूछ लूं?

दूसरा, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सी.एम.ओ. ने ए.सी.एस., अशोक सम्पतराम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, यदि हां, तो इस समिति ने महंगाई को नियंत्रित करने के क्या-क्या उपाय बताये?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): पहला इन्होंने पूछा है कि मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कौनसी कमेटी गठित हुई थी। इसकी हमको जानकारी नहीं है। (व्यवधान) मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं बिलकुल। जैसा आप पूछ रहे हो, वैसा-वैसा जवाब दे दूंगा।

माननीय नरेन्द्र मोदीजी की पहल पर ही तो माननीय खाद्य मंत्री ने 4

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

जुलाई, 2014 को वित्त मंत्री, अरुण जेटलीजी की मौजूदगी में पूरे हिन्दुस्तान के फूड एण्ड सप्लाई मिनिस्टर्स की मीटिंग बुला कर यह कहा था कि जिन वस्तुओं पर आशंका है, जो कि इस असेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत थीं ...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, यह मेरा जवाब नहीं है, यह तो और ही बता रहे हैं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): पूछो, पूछो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक कमेटी बनायी थी जब नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्य मंत्री थे, वो उसके अध्यक्ष थे, उनकी सिफारिशों को आप लागू करोगे क्या, यह बताओ आप?

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मोंटी कमेटी की सिफारिशें भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी थीं, भारत सरकार को ही लागू करना है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): जमाखोरी पर लागू नहीं करोगे?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस भी वस्तु को असेंशियल कमोडिटी एक्ट में लेंगे, उसके बाद स्टाक सीमा निर्धारित करेंगे। स्टाक सीमा निर्धारित करने के बाद अगर कहीं स्टाक में अधिक पाया जाता है, अनियमितता पायी जाती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: लूणकरणसर से आने वाले माननीय विधायक।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, दो थे, दो।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब बैठिये आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो जवाब थे।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, वो दे दिया उन्होंने जवाब।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक का ही जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने जवाब दे दिया है। बैठिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिन वस्तुओं पर

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आपने स्टाक सीमा नहीं लगा रखी है वो वस्तुएं अनेक हैं। आपने स्टाक सीमा मुश्किल से तीन-चार वस्तुओं पर लगा रखी है। जब आपने बहुत सीमित वस्तुओं पर स्टाक सीमा लगा रखी है तो बाकी वस्तुओं में जो शब्द जमाखोर आपने कांग्रेस और वामपंथी भाषाओं से सीखा है, वो चलने वाला नहीं है। जिनकी वस्तुओं की कोई स्टाक लिमिट नहीं है, वो जमाखोर कैसे हो गये, मुझे यह बताइये? जब वस्तुओं पर कोई स्टाक लिमिट नहीं है तो वो जमाखोर कैसे हो गये?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के वरिष्ठ लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं, यह जमाखोर हमारा शब्द नहीं है, लालसोट से आने वाले सम्माननीय विधायक ने तो प्रश्न में जमाखोरी बताया है, मेरा सवाल नहीं है यह।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एक सैकिण्ड। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे यह भी निवेदन किया कि कितनी वस्तुओं पर आपने स्टाक सीमा लगा रखी है, वह बताइये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अभी तक हमने दालों पर स्टाक सीमा निर्धारित की हुई थी वो भी 30 सितम्बर, 2013 तक थी, आज की तारीख में दालों पर भी स्टाक सीमा नहीं है। पिछली बार चने की दाल पर 20 क्विंटल खुदरा और ढाई हजार क्विंटल थोक डीलर पर और अन्य दालों पर तीन हजार थोक डीलर पर और 30 क्विंटल खुदरा पर लगायी गयी थी।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): तो कौन जमाखोर हो गया, जब स्टाक सीमा नहीं है तो?

श्री अध्यक्ष: आपने सवाल किया उसका जवाब आ गया। श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, महंगाई और जमाखोरी पर यह चर्चा चल रही है, अभी परसों ही व्यापारी हड़ताल पर बैठे थे, कृषि मण्डी वाले हड़ताल पर बैठे थे कि मसाले हैं उन पर इन्होंने वैट लगा दिया और गरीब, आम आदमी पर उसका भार पड़ा, क्या इसको कम करने जा रहे हैं?

(श्री मेवाराम जैन)

इसके लिए आन्दोलन हुआ, परसों हड़ताल भी हुई, कृषि मण्डी बंद रही, व्यापारियों के व्यापार स्थल बंद रहे, तो क्या इस पर भी विचार करेंगे? महंगाई आम आदमी के लिए है, मसाला आवश्यक है, सरकार इस पर सोचेगी क्या?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि महंगाई पर चर्चा हो रही है, महंगाई पर स्टाक किस चीज का निर्धारित किया जाए, उस पर हो रही है, आप जाने कौन से वैट की कहां की बात कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

जोधपुर के एम.डी.एम. अस्पताल में गलत इंजेक्शन की जांच

150. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 2014 से जून, 2014 की अवधि में जोधपुर के एम.डी.एम. अस्पताल में जानवरों के लगाये जाने वाले इंजेक्शन मरीजों को भी लगाये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब एवं कितनी मात्रा में व कितने मरीजों को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गम्भीर प्रकरण में अब तक किन-किन कार्मिकों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दोषी उच्च अधिकारियों/चिकित्सकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) जी हां। जोधपुर में एम.डी.एम. अस्पताल में इंजेक्शन की शीशी (Vail) पर छपा हुआ था 'केवल जानवरों के लिए', इंजेक्शन जिन मरीजों के लगाया गया, दिनांकवार विवरण परिशिष्ट-एक पर संलग्न है।

(2) इस प्रकरण में अब तक निम्न कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है:-

1. फार्मासिस्ट श्री हमीद हासन, चंदन दान देथा नर्स ग्रेड प्रथम एवं गणपत लाल परिहार फार्मासिस्ट को निलम्बित किया गया है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2. श्री जितेन्द्र राठौड़, नर्स ग्रेड 2 का स्थानान्तरण किया गया है।

3. डीडीसी के चार काउंटर जिनसे इंजेक्शन जारी किये गये थे, के फार्मासिस्ट को स्थानान्तरित किया गया है।

4. जिन वार्डों में इंजेक्शन का उपयोग किया गया, उन वार्डों के नर्सिंग प्रभारियों को नोटिस जारी किया गया, स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(3) जी हां। जांच में दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह मिस ब्रांडिंग का मामला था या जो दवा थी वो पशुओं के लिए थी? इसमें निर्माता कम्पनी से लेकर हास्पिटल में आपूर्ति होने तक की जो प्रक्रिया है, उसमें जो अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की, पहला क्वेश्चन?

दूसरा मेरा क्वेश्चन है...

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ जाने दीजिए। आपने जो पहला पूरक प्रश्न किया है,, इसका जवाब दे दीजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रकरण की जांच राजस्थान सरकार ने 23.06.2014 को प्रोफेसर सुचित्रा आर्य की अध्यक्षता में तीन विशेषज्ञ चिकित्सकों से करवायी। इस जांच के जो नतीजे हैं उसमें कुल मिलाकर कहा गया कि मुख्य निर्माता कम्पनी पुष्कर फार्मा को इंजेक्शन वाइल पर सही सूचना डोमेस्टिक एनिमल के हैड के साथ ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट, 1940 के रूल 97(2) के अनुसार लगाना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जानना चाहा है कि इसके अन्दर जो इंजेक्शन आया और इंजेक्शन का उपयोग हुआ, यह इंजेक्शन 21.06.2014 को एक डाक्टर झंवर हैं जो रेजिडेंट हैं, उन्होंने देखा कि एक इंजेक्शन ऐसा है जिस पर लिख रखा है कि यूज़ फार एनिमल ओनली, नोट फार यूज़ फार हयूमन। उसके तत्काल बाद में उन्होंने सुपरिन्टेन्डेंट को सूचित किया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सुपरिन्टेन्डेंट ने उसी समय ड्रग डिस्बर्स सेंटर से जितने इंजेक्शन थे, उनको विद्ड्रा किया और बाकी मेडिकल कालेजों को सूचित किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पूरी जांच में यह भी पाया गया कि यह जो इंजेक्शन हैं, इस इंजेक्शन में पेपेनम का फार्मालोजिकल कंटेंट का साइड इफैक्ट ज्यादा नहीं है। सीडीएल कलकत्ता की एक फर्म इसकी कंटेन्ट एवं क्वालिटी की जांच के लिए अधिकृत है। जांच के लिए हमने भेज दिया है। इसमें 155 डोज 26 मरीजों को लगायी गयी थीं, उन सबको लिस्ट किया गया। उन सब पर किसी भी प्रकार के साइड इफैक्ट नहीं हो जाएं, इसकी पूरी जांच की गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जो निर्माता कंपनी है उसकी तरफ से इसी 15 जुलाई को हमें सूचना मिली है, ड्रग कंट्रोलर हिमाचल द्वारा क्योंकि यह हिमाचल की फर्म थी, उनके द्वारा हमें अवगत कराया गया है कि यह जो इंजेक्शन निर्माता कम्पनी है यह मानवीय उपयोग के लिए ही इंजेक्शन बनाती है, पशुओं के उपयोग के लिए कोई इंजेक्शन नहीं बनाती है। यह मिस ब्रांडिंग का मामला है। अखबारों में जिस प्रकार से आया उससे ऐसा लगा कि पशुओं की दवाई हमने उनको दे दी। लेकिन इसमें गलती जरूर है। इस प्रकार की दवाई खरीदी गयी, उसके बाद वह मेन स्टोर से डीडीसी में चली गयी और डीडीसी से वार्ड में चली गयी। इस पूरे मामले की हमने जांच कमेटी बना दी और हमने हिदायत भी दे दी कि दुबारा इस प्रकार की गलती नहीं हो। उसके लिए भी आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला आपसे निवेदन है कि मैंने जो बात पूछी उसका मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: और पूछ लो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने यह पूछा था कि निर्माता कंपनी से लेकर इस हास्पिटल तक मिसब्रांडिंग के जो इंजेक्शन आ गये, उस प्रक्रिया में जितने लोग शामिल थे, उनके खिलाफ आपने क्या-क्या कार्यवाही की? इस बात का जवाब दिला दीजिये फिर मैं दूसरा पूछ लूंगा, एक।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो वह चाहेंगे, दे देंगे। हो गये आपके दो। हो गये दो पूरक।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो थोड़े ही, एक ही बात पूछी है।

श्री अध्यक्षः एक पहले और एक यह दूसरा है, विराजिये। गिनती मैं भी जानता हूं। एक पहले कर लिया, यह दूसरा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे उत्तर के खण्ड 2 के अन्दर मैंने बताया, मैंने वे नाम भी दिये कि हमने किन-किन को निलम्बित कर दिया। मैंने वे नाम भी दिये कि किन-किनकी सुपरवाइजरी नैग्लिजेंस मानकर ट्रांसफर कर दिया। मैंने वे नाम भी दिये कि जो बचे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही लम्बित है। जांच अभी पूरी हुई नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लापरवाही का मामला है। यह मामला ऐसा नहीं है कि जिसके अन्दर पशुओं की दवाई मनुष्यों को लगा दी हो। लेकिन फिर भी चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वालों को सजग रहना चाहिए और इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृति नहीं हो।

श्री अध्यक्षः विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई मतलब ही नहीं है बात का। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बात का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्षः एक मिनट। माननीय राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जिस कम्पनी ने मैन्यूफैक्चर किया, आपने उसको ब्लैक लिस्ट किया या नहीं? सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि वहां से किस प्रकार उसके ऊपर ब्रांड लग गया कि यह पशु इस्तेमाल के लिए है, फार एनिमल यूज ओनली। मान्यवर, सवाल यह है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जिस फर्म ने सप्लाई किया है....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने क्या कार्यवाही की जो दवा निर्माता कम्पनी थी उसके खिलाफ, सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह है, श्रीमान। वहां से निकलता ही नहीं वह माल तो यहां अस्पताल में आता कहां से?

श्री अध्यक्षः आप निवेदन कर रहे हैं। श्री नरपत सिंह जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो दवा निर्माता कम्पनी है यह है पुष्कर फार्मा।

श्री अध्यक्षः एक मिनट। नरपत सिंह जी भी कर रहे हैं, आप साथ ही जवाब दे देना।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, यह हिन्दुस्तान में पहला उदाहरण है, लाइटली लेने की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे के अन्दर इनक्वायरी तो हो गयी, लेकिन इनक्वायरी होने में सिर्फ एएनएम या मेल नर्स को एपीओ कर दिया या ट्रांसफर कर दिया। आप तो खुद मिनिस्टर रहे हैं, माइन्स में भी रहे हैं और होम में भी रहे हैं, ट्रांसफर पनिशमेंट है क्या?

श्री अध्यक्षः चिकित्सा में नहीं रहा मैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): चिकित्सा में रहने के बाद आप यह कहते क्या? ऐसे व्यक्तियों को वास्तव में, क्योंकि यह सेन्ट्रलाइज परचेज सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर किसी ने चैक नहीं किया है कि दवाई किस बात की है तो आगे भी बहुत गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। इसमें तो हर दवाई को स्टोर में जाने से पहले चैक करते हैं। चैक करते हैं कि एक्सपायरी डेट कितनी है, उस आधार पर कितनी क्वांटिटी मंगायी है। इस सेन्ट्रलाइज परचेज सिस्टम को देखने और हैल्थ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पहली बार कंपनी ने यह गलती की है। सिर्फ लेबलिंग की गलती मानकर इतिश्री कर देंगे। वेटरिनरि में लगने वाले इंजेक्शन यहां पर लगना शुरू हो जाएंगे। वैदर वह वेटरिनरि की दवाइयों का प्रोड्यूसर है कि नहीं है। इन चीजों की कोई जानकारी ही नहीं है। वह दवाई जिसमें मेडिसिन सिमिलर है, लेकिन पोटेंसी का अंतर आता है, उस अंतर के कारण से जान-माल का नुकसान हो सकता है। सेन्ट्रलाइज परचेज सिस्टम में जो लिंक है ऊपर से लेकर नीचे तक, उन सबके बारे में किसने क्या किया है, चाहे स्टोर कीपर हो चाहे उसको आगे देने वाला हो, किसी ने देखा नहीं। यह तो एक गम्भीर मामला है, इस पर एक्शन होना चाहिए और कंपनी भी ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बस, एक ही क्वेश्चन है मेरा।

श्री अध्यक्षः आप दो पूछ चुके हैं ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं दूसरा क्वेश्चन निवेदन करूं।

श्री अध्यक्षः आप सचेतक हैं इसलिए आपका लिहाज किया कि आप तीसरी बार प्रश्न करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एएनएम और नर्स ग्रेड टू इनको इंजेक्शन लगाने का अधिकार नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिस डाक्टर के द्वारा यह इंजेक्शन इन वार्डों में लगाये गये या जिसके निर्देशन में लगवाये गये, उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की और जिस फर्म ने सप्लाई किया उस हास्पिटल को, उस फर्म के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैसर्स अग्रवाल ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इसके यहां से यह दवाई आयी थी। मैं विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह लोकल परचेज थी, यह सेन्ट्रल परचेज नहीं थी। उसी मेडिकल कालेज में जो 10 प्रतिशत दवाइयां लोकल परचेज के लिए हमने अनुमति दे रखी है, यह उसके तहत की थी। इसके अन्दर जिसने सप्लाई की उसका लाइसेंस हमने निरस्त कर दिया और जो निर्माता कम्पनी है पुष्कर फार्मा वह हिमाचल की है, हमने हिमाचल के ड्रग कंट्रोलर को लिखा कि इस निर्माता कम्पनी ने जो दवाई सप्लाई की है, इस दवाई पर जो प्रिंट लिखा हुआ है वह प्रिंट ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट, 1940 के रूल 97 बी के अनुसार नहीं है इसलिए इसके खिलाफ कार्यवाही करो। उन्होंने अभी कल ही सूचना दी है कि यह ह्यूमन कंजम्प्शन के लिए बनाते हैं लेकिन फिर भी नियमों में जो है, उसके अनुसार उसमें कार्यवाही करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह जांच रिपोर्ट बता रहे हैं कि 24 घंटे में जांच आ गयी, ऐसी बात नहीं है। हमने जो जांच की, उसके 6-7 दिन बाद जांच रिपोर्ट आयी है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह सही है कि इसको प्रैस्क्राइब किया है डाक्टर ने, डाक्टर ने प्रैस्क्राइब किया है तो यह जो इंजेक्शन है पेनिमम मेरोपेनम, यह लगाया जा सकता है। यह लगता है। यह लगभग-लगभग आपरेशन के बाद लगता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, लगाता कौन है? मैंने पूछा, लगाता कौन है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वार्ड के अन्दर इंजेक्शन डाक्टर लिखता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां।

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा न कि सवाल में से सवाल मत निकालिये। आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां का जो पैरा मेडिकल स्टाफ है वही लगाता है। ड्रग डिस्बर्स सेंटर पर जो फार्मासिस्ट थे, जिनके हाथ से गुजर कर यह दवाई वार्ड तक पहुंची, उनको हमने निलम्बित कर दिया। अब सवाल यह है कि डाक्टर की नैग्लिजेंस क्या है, उसके लिए अभी जांच कमेटी बैठी है। यह पकड़ा भी तो डाक्टर्स ने ही है। एक रेजीडेंट डाक्टर ने देखा कि इस पर यह लिखा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सिर्फ ब्रांडिंग की बात है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी जांच कमेटी प्रो. सुचित्रा आर्य की अध्यक्षता में जो काम कर रही है, उनको हम और निर्देश देंगे कि इसमें जिन चिकित्सकों ने लिखा, मेरे हिसाब से तो उनकी कोई गलती नहीं लेकिन फिर भी मैं दिखवा लूंगा। अगर गलती होगी तो बख्शा नहीं जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गोलमाल कर रहे हैं। मंत्री महोदय जवाब नहीं दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इतने उदारमना हैं, इतना संवेदनशील मामला है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका जवाब आ गया ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब दिया ही नहीं इन्होंने।

श्री अध्यक्ष: विराजो। दे दिया जवाब।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसी चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही नहीं, निर्माता कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही नहीं, आपूर्ति वाली कंपनी के खिलाफ कार्यवाही नहीं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप चौथी बार पूछ रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एएनएम और जीएनएम नहीं लगाती हैं इंजेक्शन ...(व्यवधान)... इनको अधिकार ही नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपूर्ति वाली कम्पनी का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पांचवीं बार सवाल कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अग्रवाल डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी है उसके खिलाफ कार्यवाही करके उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यह जैसा जवाब चाहते हैं वैसा आ सकता है क्या? (व्यवधान) आप भी मंत्री रहे हैं ...(व्यवधान) बार-बार कहना मानते ही नहीं आसन का। (व्यवधान) रूलिंग मान नहीं रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सुना दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा निवेदन यह था कि मैंने और विद्याधर नगर वालों ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः वह तो आपका सवाल था ...(व्यवधान) उसका वह जवाब दे रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरी बात सुन लें, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्षः बिलकुल सुनेंगे। आपकी ही सुननी पड़ेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने माननीय मंत्री महोदय से पूछा था लोकल परचेज, मान ली आपकी बात कि लोकल परचेज आपने अलाउ कर रखी है हास्पिटल्स में। लोकल परचेज हो गयी। लेकिन सवाल यह है कि उस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के वहां से लिखा हुआ आया होगा, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ नहीं लिखा होगा उसके ऊपर। उस कम्पनी के खिलाफ आपने हिमाचल के ड्रग कंट्रोलर को लिख दिया है। कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि राजस्थान में उस कम्पनी की दवाइयों को बैन तो कर सकते हैं कि भविष्य में राजस्थान में उस कम्पनी की दवाइयां नहीं आएंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि पुष्कर फार्मा जिस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी ने हमारे यहां दवाई भेजी और जिसने ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट, 1940 के रूल 97 बी का उल्लंघन किया, उसकी दवाइयों को मैं राजस्थान के मेडिकल सैक्टर के अन्दर बैन करता हूं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्षः आपके लिए 15 सैकण्ड रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 15 सैकण्ड, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्यों को स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा एक प्रश्न है कि

(श्री जोगाराम)

परिशिष्ट-एक में वर्णित जिन 26 व्यक्तियों को मोरपेन इंजेक्शन लगाया गया उसके कंटेन्ट के अनुसार वास्तव में वह...(व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से आरएसईबी के कार्यालयों में पड़ी करोड़ों सीएफएल लाइटों को वंचित उपभोक्ताओं में वितरित करने के सम्बन्ध में।
2. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से जयपुर जेडीए रिंग रोड हेतु 47 किलोमीटर (बीओटी) में 360 मीटर भूमि के स्थान पर 90 मीटर अवाप्त करने तथा प्रभावितों को मुआवजा नये कानून 2013 के तहत देने के सम्बन्ध में।
3. श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पेयजल की समस्या, हैण्ड पम्प और ट्यूबवैल खराब होने के सम्बन्ध में।
4. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से कृषि विभाग द्वारा नहरी क्षेत्र में स्वीकृत डिग्गियों की अनुदान की राशि किसानों के खाते में जमा नहीं होने व सोलर स्प्रिंकलर सिस्टम की अनुदान राशि नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्रीमती सोना देवी, सदस्य की ओर से रायसिंहनगर के पुलिस थाना समेजा में 3 अप्रैल, 2014 को पुलिस द्वारा किए लाठी चार्ज में स्थानीय विधायक सहित अन्य लोगों को गम्भीर चोट आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्रीमती गीता वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिकराय में विद्युत विभाग में कार्यरत अधिकारी जेईएन व एईएन द्वारा अपनी मनमर्जी से कार्य करने, कृषि कनेक्शन लेने में किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

7. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से जिला अलवर के बानसूर क्षेत्र में पहाड़ी पानी के ठहराव की जगहों पर तालाब, बांध व एनिकट बनाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री धीरज गुर्जर, श्री सुखराम विश्नोई, श्री घनश्याम, श्री भंवरसिंह, श्रीमती सोना देवी, श्रीमती गीता देवी एवं श्रीमती शकुन्तला रावत को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के इंजीनियरिंग संकाय की प्रतिष्ठा पुनः बहाल करने के सम्बन्ध में।
2. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से रावली टोडगढ वन्य जीव अभयारण्य में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 458 के 234.452 से 242.794 किलोमीटर तक अपग्रेडेशन के सम्बन्ध में।
3. श्री भीमा भाई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की सड़कों की खराब स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्री श्रीराम भींचर, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मकराना में स्वीकृत 75 बैड की व्यवस्था तथा चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ के पद भरने के सम्बन्ध में।
5. श्रीमती संजना आगरी, सदस्य की ओर से सोजत शहर की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।
6. राजकुमारी दिया कुमारी, सदस्य की ओर से चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना का कार्य धीमा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
7. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से कोटा स्थित मेडिकल कालेज के तीनों प्रमुख चिकित्सालयों के कतिपय चिकित्सकों द्वारा

(श्री अध्यक्ष)

बरती गई घोर लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच करवाने के सम्बन्ध में।

8. श्री देवेन्द्र कटारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के मेवाड़ा बांध की ऊंचाई दो मीटर बढ़ाई जाकर लिफ्ट परियोजना द्वारा सूखे क्षेत्र में पानी उपलब्ध करवाने आदि के सम्बन्ध में।

9. श्री कन्हैयालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह शहर को पर्यटक स्थल घोषित करने के सम्बन्ध में।

10. श्री शैतान सिंह, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर की विश्व प्रसिद्ध रामदेवरा तीर्थ स्थली के तालाब को पोकरण लिफ्ट परियोजना से जोड़ने के सम्बन्ध में।

11. श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन के मातृ कुण्डिया बांध का पानी राशमी तहसील क्षेत्र को उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

12. श्रीमती शिमला बावरी, सदस्य की ओर से अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र की अनूपगढ़ शाखा से निकलने वाली एमडी, एचडीडी, जेएम, केडी माइनरों के बैड लेवल को सही कराने के सम्बन्ध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

माननीय सदस्यों से मैं सहमति चाहता हूं कि आज समय कम है, कार्यक्रम लम्बा है इसलिए इनको पढ़ा हुआ मानकर टेबल पर रखने की इजाजत दी जाए। (व्यवधान) 295, केवल 295 चले जाएंगे, पढ़े हुए मानकर रिकार्ड पर चले जाएंगे, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की पढ़ी हुई मानी गयी सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

1. श्री भवानी सिंह राजावत, कोटा सम्भाग में कृषकों को सोयाबीन का बीज नहीं मिलने के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री विद्याशंकर नन्दवाना। दोनों का एक ही विषय है, दोनों दो-दो मिनट बोल लेंगे।

3. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, जालौर जिले में फर्जी रसीदों के माध्यम से हो रहे घोटाले की जांच के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

4. श्री रामलाल शर्मा, नगर परिषदों को पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री धीरज गुर्जर।

सूचना

कोटा राजकीय कालेज में प्रथम श्रेणी पास छात्र भी प्रवेश से वंचित

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइण्ट आफ आर्डर। ...(व्यवधान)... गवर्नमेंट कालेज, कोटा में ...(व्यवधान) 6670 स्वीकृत सीटों के विरुद्ध 15800 विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है और 9130 विद्यार्थी जिनमें प्रथम श्रेणी प्राप्त विद्यार्थी भी हैं, कट आफ लिस्ट जारी होने के बाद भी प्रवेश की पात्रता से वंचित हैं। विद्यार्थी सड़कों पर हैं। सरकार यह कहकर कि संसाधन जब अवेलेबल होंगे, प्रवेश दे दिये जाएंगे, इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। जब विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेना चाहता है, सरकार घोषणा करे कि निश्चित रूप से उनको प्रवेश दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, वह रेस्पोंड कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने मेरे भाषण में कहा है, 25 परसेंट सीटें, जहां 80 से ज्यादा आवेदन लम्बित हैं वहां 25 परसेंट सीटें बढ़ाने की मैंने घोषणा की थी, उसके अनुसार एडमिशन 25 परसेंट का हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, विराजिये। आपने सूचना दे दी, उन्होंने ले ली। श्री धीरज गुर्जर। (व्यवधान) बैठो, बैठो। (व्यवधान) आप। आपका नम्बर नहीं है, धीरज गुर्जर को पुकारा है। (व्यवधान) धीरज गुर्जर को पुकारा है। (व्यवधान) धीरज गुर्जर को पुकारा है। (व्यवधान) नहीं आप बैठिये। (व्यवधान) नहीं आप मेरी अनुमति के बिना खड़े नहीं हो सकते। (व्यवधान) सीट से खड़े नहीं हो सकते ...(व्यवधान) आप विराजिये। (व्यवधान) स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) मैंने धीरज गुर्जर को पुकारा है, आप बैठिये। (व्यवधान) विराजिये, दुराग्रह मत कीजिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

आरएसईबी के कार्यालयों में पड़ी सीएफएल लाइटों का वंचित उपभोक्ताओं में वितरण

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन की और बिजली बोर्ड के मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि विगत सरकार ने 27 जून, 2013 को राज्य के अन्दर उपभोक्ताओं पर बिजली का भार कम पड़े और राज्य के अन्दर ऊर्जा का संरक्षण हो सके, इस उद्देश्य से नि:शुल्क सीएफएल बांटने की मुख्य मंत्री बिजली बचत योजना का संचालन प्रारम्भ किया था जिसके तहत प्रावधान किया 100 करोड़ रुपये का और उसके माध्यम से राजस्थान के अन्दर पहले प्रत्येक बीपीएल उपभोक्ता को दो-दो सीएफएल देने का निर्णय किया था। बाद में इसकी उपयोगिता और महत्व को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि राजस्थान राज्य के अन्दर जितने भी बिजली के उपभोक्ता हैं, उन सभी उपभोक्ताओं को उनके बिल के आधार पर, जो समय पर बिल चुकाते हैं, उनको, दो-दो सीएफएल वितरित की जाएं। इसी के तहत क्योंकि इस योजना के अन्दर राज्य के ऊपर 100 करोड़ रुपये का भार आना था, राज्य में सीएफएल क्रय कर लीं और राजस्थान में बांटने का कार्यक्रम चालू किया। 93 करोड़ रुपये की बिजली प्रदेश में बचायें जाने की योजना थी और इससे जो उपभोक्ताओं पर भार आता है, 278 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं के भार के अन्दर कमी आनी थी सीएफएल खरीदने के बाद। जब राज्य में सीएफएल बंट रही थीं, सीएफएल के बंटते-बंटते आचार संहिता लगने के कारण लगभग 60 से 65 प्रतिशत ही सीएफएल बंट पायीं और इसके बाद इस योजना को चुनाव आचार संहिता के कारण रोक दिया गया। चुनाव आचार संहिता के पश्चात् राज्य में नई सरकार का गठन हो गया और एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई कि बिजली की जो सीएफएल थी, उनके ऊपर पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत और बिजली मंत्री का फोटो लगा हुआ था। इसलिए उन सीएफएल को इकट्ठा करके राजस्थान के बिजली विभागों के गोदामों के अन्दर, बिजली विभाग के अन्दर स्टाक करके रख दिया गया। उन सीएफएल को राजस्थान के अन्दर नहीं बांटा जा रहा है। एक तो उपभोक्ताओं को सीएफएल नहीं मिली और दूसरा राज्य के अन्दर इससे बिजली की जो बचत होनी थी वह बचत नहीं हो पा रही है और जो उपभोक्ता हैं उनको बिजली बिल के भार में कमी

(श्री धीरज गुर्जर)

का फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्रीजी से मांग करना चाहता हूं कि भले ही सीएफएल से हमारे पूर्व मुख्य मंत्री का फोटो हटा दिया जाए या नया डिब्बा छपवा लिया जाए लेकिन राज्य के उपभोक्ताओं को अगर सीएफएल बंटेगी तो राज्य के अन्दर बिजली भी बचेगी और उपभोक्ताओं के जेब पर भार भी कम आएगा।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। श्री सुखराम विश्नोई।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: वह देना नहीं चाह रहे हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): देना चाह रहे थे, खड़े हो गये थे।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये ।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन के तहत मैं सूचना देना चाह रहा हूं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): वह जवाब देना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपके कहने से नहीं, उन्होंने मेरे से परमिशन नहीं मांगी है, इसलिए सुखराम विश्नोई।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मांगी है, आपने मना किया है। (व्यवधान)

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन के तहत मैं सूचना दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपके कहने से नहीं। उन्होंने मुझसे परमिशन नहीं मांगी है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मांगी है, हाथ खड़ा किया है उन्होंने। (व्यवधान) दिला दो, साहब, महत्वपूर्ण बात है।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): पाइंट आफ इंफार्मेशन के तहत मैं सूचना देना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: यह बाद में ले लेंगे। पाइंट आफ इंफार्मेशन नियमों में है नहीं, फिर भी मैं बाद में आपसे इंफार्मेशन ले लूंगा और सदन को भी दिला दूंगा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वे नहीं देना चाहते। मैं कम्पैल नहीं कर सकता।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मंत्रीजी, आप दे सकते हैं क्या जवाब?

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत उतावले हो रहे हैं कि मैं जवाब दूं। जो सीएफएल बांटी गयी थीं, यह पिछली सरकार का बचत का इरादा तो कम था और खुद माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी और ऊर्जा मंत्रीजी की फोटो लगाकर विज्ञापन का ज्यादा था। जैसा अपन ने देखा, बसों में सब जगह होता है, जो पैसा सरकार का खर्च किया 500 करोड़, यह भी उसी मार्फत इन्होंने किया।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बिजली की बचत की बात की। हमारी जब सरकार आयी तो करीबन 10 लाख बल्ब पड़े हुए थे। सीएफएल टैक्नोलोजी आउटडेटेड हो गयी है और अब एलईडी टैक्नोलोजी आ गयी है जो सीएफएल से भी आधी बिजली कंजूम करती है। जब हमारा डिपार्टमेंट तय करेगा, अगर हमें ये बल्ब बांटने हैं तो हम एलईडी के बांटें। इन आउटडेटेड सीएफएल को क्यों करें? माननीय सदस्य को आपकी मार्फत यह बताना चाहता हूं कि बल्ब से ज्यादा आपकी सरकार ने बिजली की छीजत 25 परसेंट से लेकर आज आंकड़े जब मैं देख रहा हूं, T&D losses are 50 percent. यह खाली सीएफएल से नहीं होता है। यह तो विज्ञापन करना था जो इन्होंने कर दिया।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): बल्ब स्टोर में पड़े हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप डिस्टर्ब मत कीजिए, जवाब आ रहा है। (व्यवधान) सुखराम विश्नोई। (व्यवधान) आप विराजिए। बार-बार जवाब देने की जरूरत नहीं। (व्यवधान)

जयपुर रिंग रोड का मुआवजा

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर सांगानेर होते हुए 47 किलोमीटर रिंग रोड निकाली जा रही है। यह रिंग रोड निकालने के लिए 360 मीटर जमीन पुराने कानून के तहत एक्वायर की गयी। बड़ी कीमती जमीन थी, कीमती जमीन होने के नाते बी.टी.ओ. के तहत, बनाओ और आपरेट करो योजना के तहत यह रिंग रोड बनने जा रही थी। 360 मीटर बहुत लम्बा एरिया होता है। उसके साथ में कोरीडोर बनाना, वह बनाते भी 25

(श्री सुखराम विश्नोई)

फीट जमीन बचती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर से निवेदन है कि यह जो कीमती जमीन है यह कीमती जमीन किसानों की पुश्तैनी है, उनकी पीढ़ियां खेतों पर पली हैं। मेरा निवेदन है कि 360 की बनिस्बत 90 मीटर रिंग रोड के लिए जमीन अवाप्त की जाए और 90 मीटर के अलावा बाकी जमीन छोड़ी जाए। पिछली 8 तारीख से किसान धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दो छोटी-छोटी बच्चियां भूख हड़ताल पर बैठी थीं, उनकी भूख हड़ताल तुड़वायी गयी, माननीय अध्यक्षजी, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। साथ ही मेरा निवेदन है कि पुराने कानून के तहत यह जमीन एक्वायर की गयी थी, अब भारत सरकार ने नया एक्ट बनाया है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 । इस अधिनियम की धारा 24 के सब क्लाज 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि पुराने कानून के सैक्शन 11 के तहत कोई भी जमीन अवाप्त की गयी है, उसका कब्जा नहीं लिया गया है, उसका मुआवजा नहीं दिया गया है तो वापस नये एक्ट के तहत सुनवाई की जाकर नये एक्ट के तहत मुआवजा दिया जाए। स्पष्ट किया गया है। अर्जन भूमि की कार्यवाहियों के किसी भी मामले में जहां तक उक्त धारा 11 के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से 5 वर्ष या उससे अधिक पूर्व अधिनिर्णीत किया है, किन्तु भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया है, प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया है वहां उक्त कार्रवाइयों के बारे में यह समझा जाएगा कि यह व्यपगत हो गई है और समुचित सरकार यदि ऐसा चुनाव करे, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि अर्जन की कार्रवाइयां नये सिरे से प्रारम्भ की जाएंगी। माननीय अध्यक्षजी, बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है, रिंग रोड अटकी पड़ी है, किसान 90 मीटर जमीन देने के लिए तैयार हैं। जान-बूझकर अव्यवस्था पैदा की जा रही है। किसान का कीमती समय है उसको खेतों में होना चाहिए। वे परिवार सहित हाइवे पर, डिग्गी रोड जाती है उस पर धरने पर बैठे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से इसका जवाब दिलाया जाए। आज अख़बार के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि इस कानून को रिव्यू करेंगे, इस पर विचार करेंगे। इनकी मैं राय जानना चाहूंगा, माननीय अध्यक्षजी, आप आदेश दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है उसके बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। जयपुर में रिंग रोड परियोजना हेतु 360 मीटर की चौड़ाई में जमीन इसलिए अवाप्त की जा रही है ताकि न केवल निर्धारित मापदण्डों के तहत रिंग रोड बनायी जा सके, बल्कि जिन काश्तकारों की जमीन इस परियोजना हेतु अवाप्त की जा रही है, उनको विकसित भूमि भी रिंग रोड के साथ दी जा सके। ऐसी विकसित भूमि में सड़कों के निर्माण इत्यादि को भी ठीक ढंग से प्लान किया गया है तथा मुख्य रोड के दोनों तरफ 3-3 सड़कें स्थानीय काश्तकारों की मांग के अनुरूप ही रखी गयी हैं। बड़ी संख्या में काश्तकारों की विकसित भूमि के आरक्षण एवं आबंटन-पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा कई प्रकरण में लीज डीड भी जारी हो चुकी हैं। जारी की गयी लीज डीडों में साइट प्लान भी संलग्न किया गया है जिसमें प्लाट के पास की सड़कों को भी दर्शाया गया है।

यहां यह भी नोट किया जाना उचित होगा कि रोड के दोनों ओर सड़कों का निर्माण भी प्रारम्भ हो चुका है। उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर अब किसी भी स्थिति में रिंग रोड हेतु अवाप्त की जाने वाली जगह की चौड़ाई कम करना सम्भव नहीं है। भूमि के बदले काश्तकारों को 25 प्रतिशत निश्चित उपयोग की भूमि या मुआवजे की राशि अवार्ड के रूप में दी गयी है। लगभग 80 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों में आबंटन पत्र जारी किये जा चुके हैं या मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही अधिकांश भूमि का कब्जा भी लिया जा चुका है। वर्ष 2013 के कानून के तहत मुआवजे का भुगतान तभी देय है जब अधिकांश प्रकरणों में भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया हो या कब्जा नहीं लिया गया हो। अत: इस परियोजना हेतु 2013 के कानून के तहत ही नियमानुसार मुआवजा देय नहीं है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरा एक सवाल है। माननीय मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें, एक बीघे जमीन पर भी काम चालू ठेकेदार ने नहीं किया, कौनसा कब्जा लिया है? म्यूटेशन भरा नहीं गया, उनको मुआवजा दिया नहीं, कब्जा लिया नहीं। कहां है कब्जा? कागजों में कब्जा बोल रहा है। पूरा कब्जा कागजों में बोल रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह जो मुझे उत्तर दिया है इसमें इन्होंने लिखा है, 80 प्रतिशत कब्जा ले लिया गया या मुआवजा दे दिया गया।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं सोचता हूं, अगर इस उत्तर में कोई कमी रही है तो जरूर उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, लेकिन जो उत्तर उन्होंने मुझे दिया है मैंने वही पढ़ा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं। जिनका स्थगन प्रस्ताव है उन्हीं को बोलने का इसमें है। श्री घनश्याम।

टोडाभीम के माड क्षेत्र में पेयजल की समस्या

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान की पेयजल की जो शोचनीय स्थिति हो गई है, इस मुद्दे पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कल मेरा एक प्रश्न था। माननीय मंत्रीजी जब से सांसद बने हैं, उसके बाद उनका इस डिपार्टमेंट पर कोई अंकुश नहीं रहा। अधिकारी, कर्मचारी अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं। उसके साथ-साथ वे गलत सूचना भी सदन को दे रहे हैं। मैंने प्रश्न में कहा कि मेरे टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको माड क्षेत्र बोलते हैं, वहां पीने के पानी की बहुत भयंकर समस्या है। वहां के लोगों को गंदा और खारा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। मंत्रीजी ने लिखित में जवाब दिया, जी नहीं। मेरा आपसे निवेदन है, एक कमेटी गठित की जाय और उस कमेटी को हमारे साथ भेजा जाए तब पता लगेगा कि किस तरह के हालात वहां पैदा हो गये हैं। लोग पीने के पानी की वजह से वहां त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और वहां से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह के जो कर्मचारी असत्य सूचना भेज रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि वहां इस तरह की कोई कार्य योजना तैयार की जाए जिससे जल्दी से जल्दी लोगों की पेयजल की समस्या दूर हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर सिंह।

नहरी क्षेत्र में डिग्गियों की अनुदान राशि का बकाया भुगतान

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। हालांकि मंत्री महोदय सदन में विराजमान नहीं हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर जिले के इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कृषि विभाग के द्वारा नहरी क्षेत्र के किसानों को खेत में फव्वारे से, स्प्रिंकलर से पानी इकट्ठा करके सिंचाई करने के लिए डिग्गी बनाने पर अनुदान दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष 2013-14 में करीब 800 किसानों ने कृषि विभाग के माध्यम से अपने खेतों में डिग्गियों का निर्माण करवाया। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि एक डिग्गी की लागत करीब 6 लाख रुपये तक आती है और उसमें 3 लाख रुपये कृषि विभाग के द्वारा अनुदान के रूप में किसान को दिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, 800 किसानों ने मार्च, 2013 से भी तीन महीने पहले अपने खेतों में डिग्गियों का निर्माण करवा लिया। इन किसानों ने 2013-14 में डिग्गी का निर्माण किया, मैंने जैसा निवेदन किया, डिग्गी की लागत 6 लाख रुपये तक आती है, उसमें 3 लाख रुपये सरकार से अनुदान मिलेगा इस उम्मीद से स्वीकृति मिलने के बाद बाजार से कर्जा लेकर उधार की सीमेंट, बजरी, ईंट आदि लेकर डिग्गियों का निर्माण कर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 महीने का समय बीत जाने के बावजूद अभी तक इन किसानों को कृषि मंत्रालय के द्वारा 3-3 लाख रुपये प्रति किसान जो अनुदान दिया जाता है, वह नहीं दिया गया है।

सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान हमने और सभी किसानों ने माननीय कृषि मंत्रीजी से और हमारे कोलायत के प्रभारी मंत्री माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से भी निवेदन किया था कि इन किसानों के करीब 21 करोड़ रुपये का अनुदान है, वह उनके खातों में स्थानांतरित किया जाए। लेकिन आज तक इन किसानों को यह राशि स्थानांतरित नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले 10-15 दिन के समय में इन किसानों को डिग्गियों का अनुदान दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा पिछले वर्ष बजट में किसानों को डिग्गियों पर 3 लाख रुपये अनुदान देने की घोषणा की गई थी। मेरा निवेदन रहेगा कि महंगाई को देखते हुए इन डिग्गियों की लागत 7-8 लाख

(श्री भंवरसिंह)

रुपये तक हो गई है इसलिए इस नहरी क्षेत्र की डिग्गियों पर अनुदान की राशि इस वर्ष 4 लाख रुपये की जाए।

दूसरा मैं सोलर स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय इन डिग्गियों का निर्माण करने के बाद में किसान सोलर स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से, फव्वारा पद्धति के माध्यम से खेतों में सिंचाई करना चाहते हैं। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के द्वारा सोलर स्प्रिंकलर सिस्टम पर अनुदान देय है। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक किसान को अपने खेत में सोलर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए पांच लाख रुपये तक की लागत आती है और 86 प्रतिशत का अनुदान राज्य सरकार के उद्यानिकी विभाग के द्वारा दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2013-14 में 1362 किसानों को कार्यादेश जारी किये गये थे अपने खेत में स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए, पर बहुत ही दु:ख की बात है कि मात्र 200 किसानों को अपने खेत में स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए अनुदान राशि दी गई। 1000 से भी ज्यादा किसानों अपने हिस्से की 14 प्रतिशत हिस्सा राशि उद्यानिकी विभाग में जमा करा दी लेकिन आज तक स्प्रिंकलर सिस्टम उनके खेतों में नहीं लगाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी बरसात का समय है, इस समय यदि किसान के खेत में स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिया जाता है तो निश्चित रूप से किसान जिसने अपने खेत में डिग्गी बना ली है, उस डिग्गी के माध्यम से, सोलर फव्वारा सिस्टम के माध्यम से स्प्रिंकलर सिस्टम लगाकर अपने खेत में खेती कर सकेगा और अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकेगा। महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सोलर स्प्रिंकलर सिस्टम इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में बहुत ही कामयाब सिस्टम है। इसमें 86 प्रतिशत का अनुदान राज्य सरकार के द्वारा कृषि और हार्टिकल्चर विभाग के माध्यम से दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पूरे बजट वर्ष 2014-15 का अध्ययन किया है, इसमें 86 प्रतिशत अनुदान की कोई बात मेरे ध्यान में नहीं आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बूंद-बूंद सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 86 प्रतिशत का राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के द्वारा जो अनुदान देय है, उस अनुदान को यथावत रखा जाए।

श्री अध्यक्ष: बहुत लम्बा हो गया, स्थान ग्रहण कीजिए। एक मिनट में खतम कीजिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मैं एक मिनट में निवेदन करना चाहूंगा कि बजट में 60 प्रतिशत अनुदान फव्वारा सिस्टम पर देने की बात की गई है। यदि करीब 30 प्रतिशत अनुदान इस बजट में किसानों का कम किया जाता है तो किसानों के साथ यह धोखा होगा, किसानों के साथ यह अन्याय होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, फव्वारा सिस्टम और डिग्गी सिस्टम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र का किसान जुड़ा हुआ है, इसलिए इन दोनों योजनाओं को लागू करके किसानों के हित में कदम उठाया जाए।

श्री अध्यक्ष: अब विराजिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सोनादेवी, आप बैठिये। हमारे यहां के जो नियम हैं उन नियमों के अन्तर्गत स्वयं से सम्बन्धित कोई भी प्रकरण विधान सभा में नहीं उठाया जा सकता। आपने मुझे भी इस बारे में सूचित किया था और हमारे विधान सभा सचिवालय के द्वारा जो इस बारे में कार्यवाही की गई है वह मैं आपको, मेरे चैम्बर में आइये, उससे मैं अवगत करा दूंगा। अन्यथा बोलने की इजाजत नहीं दे सकता। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण जोधपुर हाई कोर्ट में विचाराधीन है। यह जो प्रकरण माननीय विधायक ने उठाया है, यह प्रकरण जोधपुर हाई कोर्ट में विचाराधीन है और जो प्रकरण कोर्ट की परिधि में होता है उसका डिस्कशन यहां नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती गीता वर्मा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप। आप मेरे चैम्बर में आ जाइये, मैं आपको सारी कार्यवाही बता दूंगा। विधान सभा सचिवालय ने भी इस पर कार्यवाही की है आपके कहने पर, बाकी बोलने की इजाजत मैं नहीं दूंगा। नियमों के खिलाफ मैं नहीं जा सकता। विराजिये माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि इसमें न्याय करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये, मैं आपको बता दूंगा जो मैंने कार्यवाही करवायी है। बैठिये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने सरकार के द्वारा डिग्गियों का भुगतान जो पैण्डिंग चल रहा है, उसको करने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने कृषि योजना आपके द्वार कार्यक्रम में आनन-फानन में टार्गेट से अधिक लोगों के आवेदन भरवा दिये। न उनकी प्रशासनिक स्वीकृतियां हुईं और न उनकी कोई वितीय स्वीकृतियां हुईं। यदि हम डिग्गी की बात करते हैं तो 2013-14 में लगभग 127 करोड़ की लाइबिलिटी थी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, आप विराजिये। कृपया आप विराजिये। कृपा करके विराजिये। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप विराजिये। मैं नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता। आप पढ़ लेना नियम की पोथी आपके पास है। (व्यवधान) आप। आप। आप मेरे चैम्बर में आइये, मैं आपको सब स्थिति से अवगत करा दूंगा। आप विराजिये आप विराजिये। (व्यवधान) मेरे चैम्बर में आइये, मैं सारी स्थिति से आपको अवगत करा दूंगा कि हमने भी कार्यवाही की है। लेकिन आप विराजिये । मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। (व्यवधान)

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): मीडिया की सी.डी. का प्रूफ हमारे पास है। (व्यवधान)

(माननीय सदस्या श्रीमती सोनादेवी द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान) हां, माननीय कृषि मंत्रीजी। आप चालू कीजिये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया, 127.41 करोड़ रुपये की डिग्गियों की बकाया चल रही थी दिसम्बर, 2013 तक। जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने 43.27 करोड़ का ही मात्र भुगतान किया। एक जनवरी, 2014 के उपरान्त राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने सभी किसानों को जिनके डिग्गियां खुदी हैं, उनके भुगतान के निर्देश दिये। 564.21 करोड़ रुपये जो अभी तक बकाया चल रहा था, जिसमें ड्रिप फव्वारा, सोलर पम्प और पाइप लाइन सहित डिग्गियां भी हैं, अध्यक्ष

(श्री प्रभू लाल सैनी)

महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अब तक हम लोगों द्वारा 257.49 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो बकाया 306 करोड़ रुपये चल रहे हैं, वे शीघ्र ही हम किसानों को भुगतान करने की कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती गीता वर्मा। (व्यवधान) नहीं, अब नहीं। हो गया, जवाब आ गया। श्रीमती गीता वर्मा।

सिकराय में विद्युत कर्मियों की मनमानी

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार का लक्ष्य राज्य के सभी निवासियों को सिटी लाइट 24 घंटे व ग्रामीण लाइट 7 घंटे उपलब्ध कराना है। साथ ही यह भी कि कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए कोई वेटिंग लिस्ट न हो और किसानों को उनके आवेदन करते ही नियमानुसार कृषि कनेक्शन मिले। यह किसानों के लिए सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि विभाग में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी हैं, वे अपनी मनमर्जी करते हैं और सरकार की बनाई हुई जो भी योजना होती है, उसको क्रियान्वित करने में, उसको जनता तक पहुंचाने में बिलकुल ध्यान नहीं देते हैं। जनता को परेशान करते हैं। जनता बार-बार कार्यालय आकर चक्कर लगाती है कभी कृषि कनेक्शन के लिए, कभी घरेलू कनेक्शन के लिए। कहते हैं कि आपकी फाइल जमा नहीं हुई है, अभी आपकी फोर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई हैं। कभी ट्रांसफार्मर नहीं आया हुआ है। अगर उन्हें कृषि कनेक्शन मिल भी जाता है तो करीब-करीब उनको 6 महीने लग जाते हैं ट्रांसफार्मर लेने के लिए। अधिकारी और कर्मचारियों ने तो इतनी मनमानी कर रखी है कि ग्रामीण लोग इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि शायद डिपार्टमेंट से ही उनका विश्वास उठ जाता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदयजी, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि कर्मचारी और अधिकारियों पर अपना अंकुश रखें। जो भी उनको टाइम लगता है डीपी मिलने में या कृषि कनेक्शन देने में या घरेलू कनेक्शन देने में, टाइम के भीतर उन्हें वे कनेक्शन मिलने चाहिए ताकि जनता में रोष और आक्रोश न हो। वे हम लोगों के पास आते हैं तो परेशान हो जाते हैं। मैंने खुद भी देखा है, हमारे वहां के एईएन

(श्रीमती गीता वर्मा)

और जेईएन के तो ये हालात हैं कि अपने मोबाइल को स्विच-आफ रखते हैं। उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि मैडम, मैं फील्ड में था, वहां पर नैटवर्क काम नहीं कर रहा था। ये हालात हो जाते हैं।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि इस तरीके की व्यवस्था न हो, अधिकारियों और कर्मचारियों पर अंकुश रखें। ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराएं कि जनता के काम आराम से हो सकें। जनता को आपकी सरकार में विश्वास है, आप 163 माननीय सदस्य चुनकर आये हैं, आपको सरकार बनाने का मौका मिला है, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरह के हालात गांवों में पैदा न हों। खास तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय के लिए मैं तो यही कहूंगी कि अगर जनता ने आपको विश्वास करके यहां तक पहुंचाया है तो आप उनकी आशाओं पर खरा उतरें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर क्षेत्र में पहाड़ी पानी के ठहराव की व्यवस्था

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन। वर्तमान में वर्षा ऋतु का मौसम है और राजस्थान की एक गम्भीर समस्या पानी की समस्या, जल का संकट राजस्थान के ऊपर मंडरा रहा है। कई जगह तो ऐसी नौबत है कि 600-700 फीट पर भी पानी नसीब नहीं हो रहा है। पीने के पानी की व्यवस्था भी कई जगह दूरियों से की जा रही है। इन हालात को देखते हुए अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि कोई नीति बनाएं, क्योंकि बारिश का पानी इतना आता है कि राजस्थान में तो कमी आनी ही नहीं चाहिए। राजस्थान पर्वतमालाओं से घिरा हुआ राज्य है। जहां दो पर्वतमालाओं का मेल होता है, जहां से झरने बहते हैं, ऐसी प्रत्येक जगह पर एनीकट और बड़े बांध बनाये जाने चाहिए जिससे कि पानी का ठहराव वहां हो सके, पानी रुक सके। उससे जल स्तर भी ऊंचा होगा। बहुत लम्बाई में नदियां हैं, जिनका पूरे राजस्थान में फैलाव है। नदियों के लिए अपने बजट में भी योजना का प्रावधान रखा गया है लेकिन उनको जोड़ने का है।

उसी के साथ-साथ अगर नदियों को गहरा भी करवाया जाए, चाहे

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

नरेगा से कराएं या किसी और जल प्रबन्धन योजना से कराएं, जिससे नदियों में पानी ठहर सके कुछ दिन के लिए, तो भूमि में वाटर लेवल बढ़ सकता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी का ठहराव है, जैसे रामपुर, लेकड़ी, छिंद, धामला का बास, हाजीपुर, नाथूसर लोद, बड़ा गांव, बासना, खोरी, मुंडावरा, भडाना की बाल, लोज, डोईवाली, तुलसीवाला, मोरोडी। तालवृक्ष जहां गरम और ठंडे पानी के दो कुंड भी हैं, वहां हमेशा झरना बहता है चाहे कोई भी ऋतु हो। ऐसी जगह बड़े बांध और एनीकट बनवाये जाने चाहिए और तालाबों को भी गहरा करवाया जाना चाहिए। बड़े बांधों में पानी भराव होता है लेकिन सिंचाई विभाग उनकी ओर ध्यान नहीं देता। किसलिए ध्यान नहीं देता? उनकी मोरी और गेट खुले रह जाते हैं और पूरा पानी भरकर उसमें से बह जाता है। तो सिंचाई विभाग को इसकी जांच करनी चाहिए कि अब वर्षा ऋतु है, कौन-कौन से बड़े बांधों के मोरियां और गेट खुले हुए हैं। जांच कर उनको बंद करवाना चाहिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है क्योंकि जल के बिना जीवन और यह जहां सम्भव नहीं है। राम राम-सा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री भवानी सिंह राजावत।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि माननीय सदस्य राजावतजी हमेशा बन-ठनकर, तैयार होकर आते हैं। इनको प्रोत्साहित किया जाए, इनाम दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: आप भी सीखिये उनसे और बन-ठनकर आप भी आइये। हम आपको भी प्रोत्साहित करेंगे। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपको यह भी सहन नहीं है क्या? नहीं, आपको यह भी सहन नहीं है क्या?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे विद्यालयों में स्वच्छता का पुरस्कार होता है, वैसे सजने-धजने का भी पुरस्कार रखो आप यहां सदन में। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अजी इनसे कुछ तो सीखो आप।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

हाड़ौती सम्भाग में सोयाबीन के बीज की किल्लत

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हाड़ौती सम्भाग में सोयाबीन के बीज की किल्लत और कालाबाजारी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सोयाबीन की फसल कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और इनसे लगे हुए जिले चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में होती है। यह कमर्शियल क्रोप वर्षों से किसानों को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा सम्बल देती आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले एक-दो वर्षों से कहीं अतिवृष्टि या कभी इल्ली लगने के कारण सोयाबीन की फसल चौपट होती जा रही है। पिछली बार हाड़ौती में 2.19 लाख हैक्टेयर में सोयाबीन की फसल बोई गई, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि के कारण, भारी बारिश के कारण 90 प्रतिशत सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई और किसान के अरमान खेतों में बिखरकर चकनाचूर हो गये। अभी इस साल जो संकट खड़ा हुआ है, यह सरकार को देखना चाहिए था। जब सोयाबीन की फसल खतम हो गई, किसान के पास बीज नहीं रहे तो सरकार, को जहां से बीज की आवक होती है मध्य प्रदेश और आंध्रप्रदेश और दूसरे प्रदेशों से, वहां मार्च में ही आर्डर देना चाहिए था। जो सहकारी एजेंसीज हैं, सरकारी एजेंसीज हैं। सरकार के अधिकारी तो सोते रहे, सरकार उन्हें समय पर जगा नहीं पायी। आज कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में आवश्यकता है सोयाबीन के बीज की। लगभग 2.73 लाख क्विंटल सोयाबीन के बीज की आवश्यकता तो पिछली बार थी। इस बार सोयाबीन की बुवाई 1.86 लाख हैक्टेयर में हुई और बीज की आवश्यकता थी 2,32,500 क्विंटल।

लेकिन सरकार केवल 50 हजार क्विंटल बीज ही उपलब्ध करा पायी। मानसून आ गया, बरसात हो गई और किसान तबाह होने के कगार पर खड़ा है। किसानों के पास बीज नहीं है। यह बात सच है, माननीय अध्यक्ष महोदय कि किसान प्रमाणित बीज खरीदना चाहता है। सहकारी एजेंसियों से, सरकार के जितने बीच केन्द्र हैं वहां से प्रमाणित बीज खरीदना चाहता है। लेकिन प्रमाणित बीज अभी तक सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई है। 2 लाख क्विंटल बीज किसानों को बाजार से खरीदना पड़ रहा है। और वह कालाबाज़ारी में खरीदना पड़ रहा है। जो बीज किसान खरीद रहा है, दुकान पर जा रहा है, जो वितरक हैं उनके पास जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि बीज तो ले जाओ

(श्री भवानी सिंह राजावत)

लेकिन उगने की कोई गारंटी नहीं है। और यह हो गया। कोटा के पास बिजौलिया में 80 लाख का फटका लगा। यह बीज तो हमारे सरकार के बिक्री केन्द्र जो हैं वहां से किसान ने खरीदा। लेकिन तीन हजार बीघा में वह बीज उगा ही नहीं। तो किसान के साथ धोखा हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज की कालाबाज़ारी हो रही है, बीज की किल्लत हो रही है, बीज की मारामारी हो रही है। लाखों हैक्टेयर में अभी किसान बीज नहीं बो पाया है।

मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन अधिकारियों की क्लास ली जाए, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए जिन्होंने बीज समय पर बुक नहीं कराया, आंध्रप्रदेश या दूसरे प्रदेशों में और बीज समय पर आ नहीं पाया। यहां तक, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि बीज मध्य प्रदेश से हमने मंगाया 102 रुपये किलो में और यहां आकर ट्रांसपोर्टेशन के बाद 90 रुपये में बिक्री केन्द्र पर किसान को पचास हजार क्विंटल बीज मिला। जबकि किसान, क्योंकि हाड़ौती सम्भाग से मध्य प्रदेश लगा हुआ है, 700 रुपये क्विंटल में बीज वहां लेकर आ रहा है। 300 रुपये का फर्क सरकारी बीज केन्द्र में, मध्य प्रदेश से जो किसान लेकर आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 15 करोड़ रुपये की इन अधिकारियों ने किसानों की जेब काट ली। यह बीज जो खरीदना पड़ा, यह महंगा बीज 900 रुपये सरकारी केन्द्रों पर और दूसरी जगह जाकर 700 रुपये में। यह जो अंतर है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी चौंकाने वाला है। मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि इसकी भी जांच कराएं और समय पर बीज नहीं पहुंचाने वाली जो एजेंसियां हैं, जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही करें।

अंत में मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि आखिर होगा क्या? किसान को बीज नहीं मिलेगा, उसकी जमीन बंजर रह जाएगी, उसके अरमान चकनाचूर हो जाएंगे। आपके पास क्या विकल्प है? आप कौनसा प्रमाणित बीज देंगे, कैसा बीज देंगे ताकि किसान तबाह होने से बच जाए और मानसून में अपने खेतों में कहीं न कहीं हरियाली देखकर चेहरे पर खुशहाली लाने का प्रयास कर ले? मैं यही निवेदन करता हुआ कृषि मंत्रीजी महोदय से अपेक्षा करुंगा कि वो किसान को तबाह होने से बचाएं।

श्री अध्यक्षः यही विषय विद्याशंकरजी नंदवाना ने भी उठाया है पर्ची से, तो मैं उनको भी अवसर देता हूं। फिर आप रेस्पोंड करना।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्षजी, मैं भी निवेदन करना चाहूंगी, एक मिनट में।

श्री अध्यक्षः नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं। विद्याशंकर नंदवाना। बैठिए आप। आप विराजिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ओनली एक मिनट, किसानों से सम्बन्धित मामला है। मैंने एमडी साहब को 15 दिन पहले फोन करके यह अवगत करवाया था कि आपका बीज रामगंजमण्डी उग नहीं पा रहा। जितने भी सैंपल फेल हुए उनको रोका जाए। लेकिन एमडी साहब ने बिलकुल नहीं सुना। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करती हूं, पूरे रामगंजमण्डी की जनता सड़कों पर है, उनका बीज उग नहीं पाया, अंकुरित नहीं हो पाया। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि एमडी साहब को तुरन्त बर्खास्त किया जाए, यह मैं मांग करना चाहती हूं, उन्होंने घटिया बीज उपलब्ध करवाया है।

श्री अध्यक्षः माननीय विधायक, आप उसी क्षेत्र से आती हैं, आपने भी इनको जाइन कर लिया, जो आपकी मंशा थी वह हो गयी। विद्याशंकरजी नंदवाना।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, भवानी सिंहजी साथी रहे हैं इनके इसलिए वह ध्यान में रहता है।

श्री अध्यक्षः सारी-सारी। विद्याशंकरजी नंदवाना।

कोटा सम्भाग में सोयाबीन के बीज-वितरण में अनियमितता

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, लाडपुरा से आने वाले माननीय विधायक ने कोटा सम्भाग में बीज की कालाबाज़ारी पर चिंता व्यक्त की, यह बात सही है। गत वर्ष जहां दो जून से लेकर के दस जून तक हाड़ौती के किसानों ने सोयाबीन की बुआई कर ली थी, लगातार अतिवृष्टि के कारण किसान अपने घर में जो बीज रखता है वह बीज नहीं बचा पाया और इस बार किसान को 15 जुलाई से 20 जुलाई तक सोयाबीन फसल की बुआई करनी पड़ रही है। मैं यह मानकर के चलता हूं कि तीस प्रतिशत उत्पादन में तो अपने आप में कमी आ गई। हाड़ौती के किसानों को पचास दिन के अंतर के बाद जो नुकसान हो रहा है, वह बहुत बड़ा नुकसान हो रहा

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी सही बात है कि सरकार ने किसानों के हित की चिंता की और बीज गांव योजना के तहत प्रत्येक किसान को जेएस-335, 27 रुपये प्रति किलोग्राम में और 9560, 40 रुपये प्रति किलोग्राम में तीन किलो का एक बैग देना निश्चित किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार सीधे व्यापारियों से बीज नहीं खरीद सकती। राज्य सरकार के द्वारा एनसीसीएफ के माध्यम से 9560 का सोयाबीन लगभग 87 रुपये किलो भाव से खरीदा गया और उस पर 60 प्रतिशत सब्सिडी देकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम में किसानों को उपलब्ध कराया गया। मेरी जानकारी में आया है कि एनसीसीएफ द्वारा रबी सीड 9560 की आलोद, मध्य प्रदेश जैसी अन्य कम्पनियों से 9560 के बीज की खरीद की गयी और हाड़ौती क्षेत्र में लगभग 2000 क्विंटल कोटा जिले को, 2700 क्विंटल झालावाड़ जिले को और 2700 क्विंटल बारां ज़िले को उपलब्ध कराया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सोयाबीन खरीद राजस्थान सरकार द्वारा की गई, खरीद से पूर्व उसकी गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया। कोटा ज़िले में इसके 40 सैंपल लिये गये। और उन सैंपलों की रिपोर्ट आना शुरू हुई तो 20 में से 20 सैंपल फेल हो गये। बारां जिले में 60 सैंपल लिये गये उनमें से 32 सैंपलों की रिपोर्ट आई और 24 सैंपल फेल हो गये। ऐसी स्थिति के बाद भी गुणवत्ता की रिपोर्ट आने के बाद भी लगातार किसानों को यह बीज वितरित किया जाता रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन महीने पूर्व ही मैंने माननीय कृषि मंत्री महोदय को कोटा संभाग के सोयाबीन की उपलब्धता के लिए पत्र लिखा था। उसमें मैंने माननीय मंत्री महोदय से आग्रह किया था कि अन्य प्रदेशों से घटिया स्तर का बीज सम्भाग में बिकने के लिए आएगा, किसान ठगा हुआ महसूस करेगा। आप संभाग में आने वाले सभी सोयाबीन के बीजों की गुणवत्ता जांच के लिए आवश्यक व्यवस्था करावें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में मात्र खैराबाद कस्बे में ही 156 किसानों ने इस बीज का उपयोग किया और उसका दस से पन्द्रह प्रतिशत ही जर्मीनेशन हो पाया। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन किसानों ने इस बीज का उपयोग किया वह अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 9560 की जर्मीनेशन रिपोर्ट निम्न श्रेणी की आई। इसके बाद बारां जिले से एक हजार क्विंटल सीड बीज निगम द्वारा आलोद के उस व्यापारी को संभला दिया और आलोद के उस व्यापारी ने उस बीज को बिना बिलिंग किए कोटा के बीज

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

व्यापारियों को दे दिया गया। कोटा के बीज व्यापारी उस बीज को लगातार किसानों को बेच रहे हैं और किसानों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अब विराजिए, कृपया बहुत ध्यान आकर्षित कर लिया आपने। कृपया विराजिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो बीज 87 रुपये के लगभग खरीदा, वो ही बीज आज कोटा की मंडी में बीज व्यापारियों द्वारा साठ रुपये किलो में आराम से बेचा जा रहा है। मैं यहां माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि बीज निगम के जिन व्यक्तियों द्वारा यह घोर लापरवाही की गई है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। किसानों को बीज का पैसा उपलब्ध करवाया जाए और उनके साथ जो इतना बड़ा धोखा हुआ है, आज किसान पुन: सोयाबीन के बीज को बुआई करने से वंचित हो रहे हैं, उनकी भरपाई की जाए। यही बात कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है उसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह वास्तविकता है कि पिछले दो वर्षों से राजस्थान, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में अतिवृष्टि हुई और अतिवृष्टि होने के कारण से जो हमारा सीड प्रोडक्शन था, वह राजस्थान में पूरी तरह से चौपट हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में हम लोग पांच-छह महीने से प्रयास कर रहे हैं, सोयाबीन की कोटा सम्भाग में निश्चित ही आठ से दस हैक्टेयर में बुआई होती है और सरकार के द्वारा 2 लाख 24 हजार क्विंटल बीज की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गयी है, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, सोयाबीन के दो वैरायटी के बीज यहां पर अधिक प्रचलित हैं- जेएस 9560 और जेएस 335 । कोटा और बारां क्षेत्र के अधिकांश लोग जेएस 9560 की मांग करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पकने की ड्यूरेशन सौ दिन से एक सौ दिन होती है और जेएस-335 की जो पकने की अवधि है वो 115 से 120 दिन की होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि 1 लाख 71 हजार 730 क्विंटल

(श्री प्रभू लाल सैनी)

बीज की व्यवस्था कोटा सम्भाग के लिए राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन, नेशनल सीड्स कारपोरेशन, राजफैड और तिलम संघ के माध्यम से की गई है और निजी संस्थाओं को भी इसके लिए अधिकृत किया हुआ है। जहां तक कोटा जिले की बात है वहां पर 88675 क्विंटल बीज की उपलब्धता, वितरण 71666 क्विंटल का और अंतर 12009 क्विंटल का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, वो सही बात है कि उनकी डिमाण्ड 9560 वैरायटी की है। लेकिन 9560 वैरायटी न मध्य प्रदेश में मिली, न आन्ध्र प्रदेश में मिली। लगभग नौ लाख क्विंटल बीज की आवश्यकता तो अकेले आन्ध्र प्रदेश में थी हम लोगों ने वहां भी सम्पर्क किया। भारत सरकार में जो इसकी मीटिंग्स हुई उनमें इस बात की बहुत चिन्ता की गई। उसी बात को ध्यान में रखते हुए, एक बीज ग्राम योजना चला कर दस हजार क्विंटल बीज एनसीसीएफ के द्वारा जो भारत सरकार का एक सरकारी उपक्रम है, उसके माध्यम से आरएसएससी ने खरीदा। खरीदने के बाद जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे थे, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया 9560 वैरायटी का- बारां में 2750 क्विंटल, कोटा में 2000 क्विंटल, झालवाड़ में 2750, भीलवाड़ा में 500, बांसवाड़ा में 1000, चित्तौड़ में 500 और उदयपुर में 500 । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच कराई गयी। जांच में देरी होने का कारण यह रहा कि यह बीज आया था एनसीसीएफ जो भारत सरकार का उपक्रम था और मध्य प्रदेश सरकार का एक प्रमाण पत्र बीज को खरीदते वक्त दिया गया था, मध्य प्रदेश सरकार की संस्था के द्वारा इसका प्रमाणीकरण किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जब इस प्रकार की हमको शिकायत मिली तो हम लोगों ने लगभग 210 नमूने लिये और उनकी जांच करायी। वास्तव में जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह सही बात है कि 210 में 43 की जांच हुई और 25 नमूने अमानक पाये गये। ज्यों ही वो अमानक पाये गये, माननीय अध्यक्ष महोदय, एनसीसीएफ का सारा भुगतान भी रोक दिया गया, उसके खिलाफ कार्यवाही भी हम लोगों ने प्रस्तावित कर दी। उसको ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही हम लोग करेंगे। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जिन किसानों के सोयाबीन के बीज का जर्मीनेशन कम हुआ, कारण अतिवृष्टि रहा हो या अनावृष्टि रहा हो, मैंने कल ही एक मीटिंग करके अधिकारियों को डाइरेक्शन दिये थे कि सारे क्षेत्रों में चाहे वो बांसवाड़ा हो, चाहे

(श्री प्रभू लाल सैनी)

भीलवाड़ा हो, चाहे कोटा हो, चाहे बारां हो, चाहे झालावाड़ हो, तीन दिवस में उसकी जांच करके बताएं कि कितना प्रतिशत किसानों के बीज का सोइंग हुआ है और कितना उसमें जर्मीनेशन नहीं हुआ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा सदन के माध्यम से कि निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, उसको ब्लैकलिस्ट भी करेंगे, उसका भुगतान भी नहीं करेंगे। जो दस हजार क्विंटल सीड लिया हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी दूंगा माननीय सदस्य को कि उसमें साठ प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था हम लोगों ने इसलिए की थी क्योंकि उसका जर्मीनेशन टैस्ट आया था वो साठ से पैंसठ प्रतिशत आया था। उसके साथ में यह व्यवस्था भी सरकार ने की थी कि साथ में दस प्रतिशत बीज और अधिक उसको दिया जाए ताकि जर्मीनेशन यदि साठ आता है तो पांच से दस प्रतिशत जर्मीनेशन और बढ़ जाएगा। मैं सदन के माध्यम से माननीय दोनों सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसमें जो भी कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी, तीन दिन में कमेटी जांच करके लाएगी, जांच करने के बाद समुचित कार्यवाही कराऊंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक बात पूछूंगा केवल एक बात।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आ गया जवाब। आप बिराज जाइये। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

जालौर में बजरी खनन में फर्जी रसीदों से घोटाला

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर ले रहा हूं कि पूर्व में पूरे राजस्थान में जैसे एक माफियाओं का अड्डा चले, वैसे छोटे-छोटे स्थानों पर मजदूरों के लेवल पर काम हो रहा था। बजरी खनन के मामले में पूर्व की सरकार ने जाते-जाते जिस फर्म के साथ एग्रीमेंट किया, उसमें दुर्गन्ध यह आयी कि करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार पूर्व की सरकार ने उसमें किया और उसका भुगतान आज राजस्थान की गरीब जनता कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजरी खनन में पर्यावरण विभाग का साफ नियम है मान लो, इसको

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

खनन के पट्टे मान लीज दे दी आपने, रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, लेकिन उसमें फर्जी रसीदों का जो मापतौल है वो विभाग से कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका कोई अता-पता नहीं है।

दूसरी बात, पर्यावरण विभाग ने यह कहा कि तीन मीटर से नीचे बजरी का खनन करना नदी का नाश करना है, नदी को बिगाड़ना है। आज माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जेसीबी के माध्यम से ये माफिया लोग बजरी का खनन करते हैं। ट्रैक्टर और मजदूरों के माध्यम से गांवों से बजरी ली जा रही थी, उसमें लोगों को रोजगार मिलता था। उसकी जगह पर माफिया लोगों ने जेसीबी का माध्यम करके पूरी नदी को उजाड़ दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर लाना चाहूंगा कि पर्यावरण को एक तरफ रख कर बजरी का खनन हो रहा है और अवैध वसूली हो रही है। हमने जालौर कलक्टर के साथ तीन बार मीटिंग कर लीं, उसके बाद भी पचास-पचास गुंडों की टीम लेकर वहां के किसानों के साथ, वहां के मजदूरों के साथ मारपीट करना, इस प्रकार के केसेज हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की तो खोजबीन मंत्री महोदय करें और इससे जो छोटे-छोटे जिले हैं, उनको निजात दिलाएं। वहां के मजदूरों को निजात दिलाएं। वहां के ग्रामवासियों को निजात दिलाएं।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, बजरी खनन में जालौर जिले में एंटी करेप्शन ब्यूरो ने और दूसरी रायल्टी में भी, माफिया के द्वारा जो अवैध खनन हो रहा है, 1 करोड़ 26 लाख की फर्जी रसीदें पकड़ीं। उन्होंने विभाग से पूछा कि क्या ये रसीदें फर्जी हैं। मैं उन रसीदों को साथ में लाया हूं। विभाग से एसीडी ने पूछा कि ये रसीदें फर्जी हैं, तो विभाग ने कहा कि रसीद-बुक उन मालिकों के पास डबल पायी गयीं इसीलिए ये रसीदें फर्जी हैं। इसलिए 1 करोड़ 26 लाख रुपये का राजस्व का घाटा सरकार को हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तक कार्यवाही हुई उसके बाद में वो विषय कहां दब गया, भगवान जाने। सरकार को चूना लगा। सबसे बड़ी बात, उसी फर्म को जिले

(13.00 बजे)

के अधिकारियों के द्वारा, सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा, और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा वापस खनन करने की अनुमति दी जाती है। इसका मतलब क्या है? साफ जाहिर हो गया था कि यह खनन हो रहा है। माननीय

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

अध्यक्ष महोदय, रूल 370-ए, इसमें लिखा है, "The Contractor shall issue printed receipt daily and issued by the concerned Mining Assistant Engineer." साफ लिखा है जबकि माइनिंग इंजीनियर का वहां पर कोई हवाला नहीं था। माइनिंग इंजीनियर ने कहा कि रसीदों पर ठप्पे थे, वे फर्जी थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इस फर्म की तो इंक्वायरी हो, वह आप करिये। साथ ही, बजरी के खनन के अन्दर भी जो माफिया डवलप हो रहा है, उस पर भी इंक्वायरी हो। जालौर जिले में एक करोड़ 26 लाख का घोटाला अवैध खनन के माध्यम से हो रहा है तो राजस्थान में जहां-जहां भी अवैध खनन हो रहा है, वहां कितनी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा होगा। राजस्थान को भ्रष्टाचार की तरफ ले जाने वाली नीति पूर्ववर्ती सरकार ने बनाई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि कहीं न कहीं यह पारदर्शिता लाकर और गरीब जनता का ध्यान रखते हुए जहां खनन हो रहा है, वहां की गरीब जनता और वहां के ग्रामवासियों का ध्यान रखें। बजरी खनन के अन्दर जे.सी.बी. का यूज नहीं हो, यह पर्यावरण विभाग ने कहा है। इसे बंद करने के लिये सम्बन्धित कलक्टर को आप आदेश करें, निर्देश करें। माइनिंग इंजीनियर को निर्देश करें। यह खनन का माफिया डवलप हो रहा है, यह इतना बड़ा घोटाला है। ए.सी.डी. की जांच के बाद विभाग ने लिख दिया कि यह फर्जी है उसके बाद भी वहां के अधिकारियों ने वापस उसको अनुमति दी। इस घोटाले की जांच माननीय मंत्री महोदय करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री रामलाल शर्मा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्षः आप रेस्पांड कर रहे हैं क्या? यस, यस, करिये, करिये। खनिज मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आहौर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में दो मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करवाया है। एक तो आपने कहा कि बजरी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो खनन पट्टे जारी किये गये थे, उसमें तीन मीटर की पाबंदी थी। अध्यक्ष महोदय, आपसे ज्यादा इस विषय को कोई नहीं जानता। क्योंकि श्रीमान के निर्देश पर ही राजस्थान सरकार माल अधिनियम, 2014 यहां लेकर आई थी, इसी बात को लेकर। बजरी लोगों ने खनन करके इकट्ठी कर ली थी,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बजरी के दाम बढ़ रहे थे। ग्रीन ट्रिब्यूनल के मामले में जो फैसला आया, अध्यक्ष महोदय, उसमें कुछ पाबंदियां लगाईं। उसके कारण से यह नीति का परिवर्तन हुआ। पिछली सरकार ने जाते-जाते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस काम को आगे बढ़ाया।

दूसरा विषय आपने ए.सी.डी. का उठाया। यह सही है, अध्यक्ष महोदय कि 13.02.2014 को जालौर के अन्दर रानीवाड़ा क्षेत्र के अन्दर ए.सी.डी. ने छापा मारा। रायल्टी की फर्जी रसीद बुकपकड़ी गई। 24 रसीद बुकें थीं, अध्यक्ष महोदय। उन 24 रसीद बुकों के बारे में जब खनिज अभियंता, जालौर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारी रसीदें नहीं हैं। उस पर सम्बन्धित संवेदक पर 10 गुना ज्यादा, 4 लाख 56 हजार 613 की रसीद बुकें थीं, 45 लाख 66 हजार 130 रुपये का उसको नोटिस दिया। उसमें और भी, कुल मिलाकर 50 लाख 22 हजार 745 रुपये का नोटिस दिया। ठेकेदार को कहा कि यह आप पर पैनल्टी है, राशि जमा कराओ। ठेकेदार ने जब राशि जमा नहीं कराई तो 28.04.2014 को उसका ठेका कैंसिल किया गया। उसके विरुद्ध ठेकेदार अतिरिक्त निदेशक, खान, जोधपुर के यहां न्यायालय, अतिरिक्त निदेशक, खान में गया। 15.05.2014 को उसको स्थगन मिला, स्टे मिल गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो भी लिप्त पाये गये थे उसमें एक खनिज अभियंता थे, एक सहायक खनिज अभियंता थे, एक सीनियर ड्राफ्टमैन थे। उन सबके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसके बारे में और भी जो तथ्यात्मक जानकारी आपके पास हो, वह दे दें। इस सरकार का इरादा न तो खनिज माफिया को पनपाने का है और न ही खनिज माफियाओं के द्वारा इस प्रकार की फर्जी रसीद बुक छपवा कर और सरकार के धन पर चूना लगाएं, उन लोगों को प्रश्रय देने का है। निश्चित तौर पर कठोर कार्यवाही की जाएगी, यह मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल।

नगर परिषदों को पेयजल आपूर्ति का जिम्मा दिये जाने का पूर्ववर्ती सरकार का निर्णय

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने जितने भी निर्णय जाते-जाते किये, वे सारे के सारे निर्णय जनता के विरुद्ध

(श्री रामलाल शर्मा)

रहे, जनता की भावनाओं के खिलाफ रहे, चाहे वह खाद्य का निर्णय हो और चाहे खनन का निर्णय हो। अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने एक निर्णय ऐसा किया जिस निर्णय की वजह से आज शहरी क्षेत्रों की नगर पालिकाओं के अन्दर पेयजल की भयानक स्थिति पैदा हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार करौली, नागौर, जैसलमेर, नोखा, बूंदी, नाथद्वारा और चौमूं, इन सात नगरपालिकाओं को बिना बजट के पेयजल आपूर्ति करने की व्यवस्था सुपुर्द करके गई। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने न तो बजट की व्यवस्था की, न वहां पर मैन पावर की व्यवस्था की न तकनीकी रूप से कोई कर्मचारी काम करें, उसकी व्यवस्था की। आज नगरपालिकाओं की स्थिति, अध्यक्ष महोदय, ऐसी है कि वे अपने कर्मचारियों को तनख्वाह ही नहीं दे पातीं। लाखों रुपये की बिजली का इन पेयजल की व्यवस्थाओं के अन्दर बिल आता है, उसका भुगतान वे कहां से करेंगी? वर्तमान में स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, कि आज न तो पी.एच.ई.डी. इन पेयजल की व्यवस्थाओं को अपने जिम्मे लेने का काम करता है और न ही डी.एल.बी. इनको अपने जिम्मे लेने का काम करता है। डी.एल.बी. से पूछें तो वह कहता है कि हमारे पास बजट की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये इन स्कीमों की व्यवस्था हम नहीं करेंगे। पी.एच.ई.डी. से कहते हैं तो कहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार इन योजनाओं को डी.एल.बी. को सुपुर्द करके गयी थी, अब वही इसकी व्यवस्था देखने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चौमूं के अन्दर लगभग सौ ट्यूबवैल हैं जो पेयजल की आपूर्ति करने का काम करते हैं। तीन टंकियां हैं जिन टंकियों से पेयजल की आपूर्ति करने का काम करते हैं। पूर्ववर्ती सरकार का यह निर्णय बहुत गलत है, जनता के विरुद्ध है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पुन: पी.एच.ई.डी. के माध्यम से इनकी पेयजल आपूर्ति कराई जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। आपने जो समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: रेस्पांड करेंगे? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री मोहनलाल गुप्ता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सोलर स्ट्रीट लाइटों की खरीद में ग्राम पंचायतों द्वारा कारित कथित अनियमितताएं

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): राजस्थान विधान सभा के

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 131 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई सोलर लाइटों के सन्दर्भ में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि निर्बन्ध राशि एवं राज्य वित्त आयोग और ग्रामीण विकास विभाग की अन्य योजनाओं में क्रमश: मगरा, डांग, मेवात आदि की जारी मार्गदर्शिका अनुसार सोलर लाइट की स्थापना हेतु क्रय की कार्यवाही पंचायती राज संस्थान, विशेषकर ग्राम पंचायतों द्वारा की गई है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1996 के नियम 175 व 176 के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात नियम 183 के प्रावधान के अनुसार निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए क्रय करने के दिशा -निर्देश प्रदत्त थे। क्रय न्यूनतम कीमत पर किया जाएगा। अच्छी गुणवत्ता का क्रय किया जाएगा। सामग्री मानक मद से या आई.एस.आई. मार्क की होनी चाहिए। सामग्री सीधे ही विनिर्माता या थोक प्रदायकर्ता से क्रय होगी। दो लाख से अधिक के क्रय के लिये खुली निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी एवं छोटे भागों में क्रय नहीं किया जाएगा।

जिला परिषद-पाली, राजसमन्द, सिरोही से प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सोलर लाइटों की खरीद में अनियमितता के प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। अन्य जिलों के अंकेक्षण प्रतिवेदन भी प्राप्त हुए। माननीय सदस्य ने एक प्रश्न इसके पहले पूछा था। उस दिन आया था, उसमें जयपुर का भी था, जिसका अंकेक्षण हुआ और उसमें ये कमियां पाई गईं।

इस सम्बन्ध में विभाग ने पत्र दिनांक, इनके इसके आने के पहले ही विभाग ने 28.02.2014 द्वारा सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सोलर लाइट राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार या डी.जी.एस. एण्ड डी. रेट काण्ट्रेक्ट की दर पर ही क्रय करने के निर्देश दिये।। साथ ही अब तक क्रय की गई सोलर लाइटों की सूचना विभाग को भिजवाने के निर्देश दिये गये। हमने फरवरी में ही दे दिया। हमें लगा कि सोलर लाइटों की खरीद में कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला है तो हमने एडवांस में उनको सूचना दी।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विभाग ने फिर दूसरा आदेश दिया। विभागीय आदेश 21.04.14 द्वारा सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पुन: स्मरण पत्र जारी करते हुए उक्त सोलर लाइटें क्रय की सूचना भिजवाने हेतु निर्देश दिया गया। उसके बाद राज्य के 19 जिलों, अभी इस प्रश्न के बाद जब माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, हाउस में तो नहीं आया लेकिन फिर भी, 19 जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर 1182 ग्राम पंचायतों में डी.जी.एस. एण्ड डी. दर, 21800 रुपये से अधिक दर पर सोलर लाइटें क्रय की गईं। इन ग्राम-पंचायतों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया 11 करोड़ 29 लाख की राशि का अधिक व्यय होना आकलित किया गया है। शेष जिलों की ग्राम पंचायतों से सूचना प्राप्त की जा रही है। भविष्य में अनियमितता न हो, इसके लिए विभागीय आदेश 2887, दिनांक, यह हमने पहले ही, यह प्रश्न नहीं आया, उसके पहले ही जब हमको इस बारे में कुछ शंका हुई तो हमने 17.6.2014 को ही, जून के महीने में ही नवीन दिशा-निर्देश प्रसारित होने तक सोलर लाइटों के क्रय में प्रतिबंध कर दिया था। ऐसा नहीं है कि हमने प्रश्न आने के बाद किया, हमने प्रश्न आने के पहले ही, जून के महीने में ही, हमें लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जिन पंचायतों द्वारा उपरोक्त दर से अधिक दर से सोलर लाइट की स्थापना की गई है उनकी जांच हेतु कार्यालय के दिनांक, हमने एक आदेश जारी किया 22.7 को, कल ही, उसके अनुसार सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, लेखा-विज्ञ और तकनीकी अधिकारी से जांच करवा कर जांच प्रतिवेदन तीन माह में भिजवाने एवं सम्बन्धित के विरुद्ध अधिक व्यय की वसूली एवं दोषियों के विरुद्ध वांछित कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न स्पष्टीकरण के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस विषय में जांच करवायी गई और 1182 ग्राम पंचायतों में कांग्रेस सरकार का केवल मात्र 11.29 करोड़ रुपये का घोटाला पकड़ा गया है। केवल मात्र। केवल मात्र 11.29 करोड़ रुपए का सोलर लाइटों का श्रीमान, हां, वह केवल मात्र। अब यदि पूरे 33 जिलों की 9 हजार पंचायतों की जांच करवाई जाएगी और उनका अंकेक्षण किया जाएगा तो यह घोटाला 2जी, 3जी और यह जो है न स्पोर्टस वाला, जीजाजी, उससे भी बड़ा घोटाला निकलेगा। 9 हजार पंचायतों का अभी बाकी है। एक मात्र झोटवाड़ा पंचायत

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

समिति में 61 लाख 78 हजार का घोटाला है। कामन वैल्थ घोटाला, 2जी, 3जी, जीजाजी, ये सब घोटाले हुए हैं।

घोटाला क्या है- सोलर लाइटें गांवों में लगाई जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जो सोलर लाइटें रील के द्वारा 21 हजार रुपए में मिल रही हैं, 21,900 रुपये में मिल रही हैं उन सोलर लाइटों को 33 हजार रुपये में, 35 हजार रुपये में खरीदा गया है। कहीं पर 38 हजार रुपये में खरीदा गया है सोलर लाइटों को। उसके अलावा सोलर लाइटों की जो मेंटिनेंस की बात थी पांच साल की, वह आता ही नहीं है। बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सोलर लाइटें बंद पड़ी हैं। उसकी जांच नहीं है। उसके साथ-साथ एक दो पंचायतों की अंकेक्षण रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनमें तो स्थान ही नहीं हैं। किस स्थान पर लगाई गई हैं, उस स्थान का पता ही नहीं है। वह स्थान ही नहीं है, गांव ही नहीं है और वहां पर लग गई, पैसा उठ गया और घोटाला हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और बात जांच में सामने आयी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोटाला जारी है कि रुक गया, यह भी बता दो। आपने बंद कर दिया क्या? आपने बंद कर दिया क्या?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वह तो आपके राज में हो गया। वह तो आपके राज में हो गया। माननीय मंत्रीजी ने यह पहले ही कह दिया कि हमने इन सोलर लाइटों की जांच का आदेश देकर इनके भविष्य में क्रय को रुकवा दिया। रोक दिया, श्रीमान। आपकी संवेदनशील, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जवाबदेही सरकार जवाब दे और मैं तो यह कहता हूं कि तत्कालीन पंचायती राज मंत्रीजी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: इंक्वायरी में आ जाएगा। आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सर, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: इंक्वायरी में आ जाएगा। जांच चालू है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): तत्कालीन पंचायती राज मिनिस्टर, उनको रेस्पांसिबल ठहराया जाए। कांगेस सरकार के तत्कालीन पंचायती राज मिनिस्टर, उनकी आंखों तले ये घोटाले हो रहे थे, उन्होंने क्या किया?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक मिनट में आप कह दें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): 12 वाट की सोलर लाइट और मौके पर पाई गई 9 वाट की। दिया 33 हजार 12 वाट के लिए और 9 वाट की पाई गई। स्थान नहीं पाये गये। मेंटिनेंस नहीं की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायती राज मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो -जो विकास अधिकारी हैं, इस क्षेत्र में काम करने वाले, इन पंचायतों में काम करने वाले, क्या आप उनको सस्पैंड करेंगे? क्या सचिव और कनिष्ठ अभियंता को सस्पैंड करेंगे? और क्या इस महा-घोटाले की जांच ए.सी.बी. या सी.बी.आई. को देने का आपका इरादा है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के इस प्रश्न के माध्यम से मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि राजस्थान की 9177 ही ग्राम-पंचायतों की पूरी जांच होगी। जितना भी पैसा अतिरिक्त जिसने भी उपयोग किया, उस पैसे की वसूली होगी और यह भी तीन महीने के अन्दर होगी और उनके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज कराना पड़ा तो मुकदमा दर्ज कराऊंगा। इसमें ऊपर से लेकर, अगर अधिकारियों की शह के कारण से नीचे वालों को मजबूरी में खरीदना पडा, कई बार आदेश होता है ऊपर से कि यह सोलर लाइट खरीदनी है क्योंकि ढूंढते तो ये लोग हैं, केवल छोटे आदमी को मारने से तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, इसमें बाकी लोग भी जो शरीक होंगे, जिनके कारण से यह स्कैंडल हुआ है, निश्चित रूप से उनको दंड दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): एक और, एक और। सर, एक और। एक और पूरक प्रश्न। (व्यवधान) अच्छा, बोल लिए क्या? ठीक है।

श्री अध्यक्ष: नहीं। संतोषप्रद जवाब आ गया। श्रीमती अलका सिंह, आप परिवहन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कीजिए।

बांदीकुई में पी.पी.पी. माडल पर संचालित ग्रामीण बस सेवा के बंद होने से उत्पन्न स्थिति

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बांदीकई में पी.पी.पी. माडल पर संचालित ग्रामीण बस सेवा के बंद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय परिवहन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, सकुशल, उत्कृष्ट, विश्वसनीय एवं संतोषप्रद परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से दौसा जिले के बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में मैसर्स स्टोर रूरल लिंक द्वारा दौसा आगार से पी.पी.पी. मोड पर ग्रामीण बस सेवा संचालन हेतु दिनांक 29.11.2012 को अनुबंध किया गया। क्लस्टर संचालक द्वारा नियमानुसार परिवहन विभाग से अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर गत वर्ष वाहन संचालन प्रारम्भ कर दिया गया जो पूरे वर्ष सुचारू रूप से संचालित रहा। नियमित वाहन संचालन का दायित्व वाहन संचालक का था। क्लस्टर संचालक द्वारा वाहन संचालन बंद करने से पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई एवं संचालन बंद कर दिया गया जिसके लिए उसे दिनांक 30.5.2014 एवं 01 जुलाई, 2014 को नोटिस दिये गये। (प्रति संलग्न है) तथा प्रश्नगत अवधि के लिए अनुबंधानुसार पैनल्टी लगायी जाएगी। निगम द्वारा प्रयास कर क्लस्टर संचालक से वाहन संचालन पुनः प्रारम्भ करवा दिया गया है जिससे अब यातायात व्यवस्था सामान्य हो गयी है। वर्तमान में आठ बसों का संचालन पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है व शेष बची 4 बसों का संचालन शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो मैंने 4 दिया है, उत्तर के समय 4 थीं लेकिन 2 और चालू हो गईं अब इसमें। इस प्रकार निगम द्वारा प्रयास कर बंद वाहनों का पुनः संचालन करवा दिया गया है ताकि ग्रामीणों को परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके एवं वाहनों पर कार्यरत चालक, परिचालकों को यथावत रोजगार मिल सके।

श्री अध्यक्ष: स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगी कि जब 19 को बस बंद हो गयी थी तत्पश्चात् मैंने डिपो मैनेजर से सम्पर्क किया। उन्होंने यहां के लिए बोला, परिवहन आयुक्त से सम्पर्क किया क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर बिलकुल गरीब और बेरोजगार लोग

(श्रीमती अलका सिंह)

थे। मेरे कहने के बाद 30 तारीख को उन्होंने इस कम्पनी से दुबारा सम्पर्क किया। उसके बाद फिर मैंने टेलीफोन पर दो-तीन बार सम्पर्क किया लेकिन कोई रेस्पांस नहीं दिया गया। जब मैंने यह कहा कि मैं इस बारे में विधान सभा में मामला उठाऊंगी तो उसके बाद 30 तारीख को डिपो मैनेजर द्वारा दुबारा उस कम्पनी से सम्पर्क किया गया। एक मिनट, मंत्रीजी, एक बात और कहना चाहूंगी। उसके बाद 11 तारीख को मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां विधान सभा में लगाया। 16 तारीख को इसका मेरे पास जवाब आया और 15 तारीख को यह बताया गया कि इनमें से 8 बसें चालू हो गई हैं। इसका मतलब डिपो मैनेजर की कहीं न कहीं मिलीभगत है या कोई गलती है। एक बात मैं और पूछना चाहूंगी आपके माध्यम से मंत्रीजी से कि क्लस्टर पर जो बसें चलाई जाती हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र की यह स्थिति है कि चार रूट्स पर 12 बसें चल रही हैं और बाकी रूट्स बिलकुल खाली पड़े हुए हैं। इस बारे में जब विभाग से सम्पर्क किया जाता है तो यह बताया जाता है कि जो बस संचालक है, उसकी मर्जी के अनुसार होता है। तो हम बस संचालक को रिलीफ दे रहे हैं या जनता की रिलीफ के लिए यह माडल हमने तैयार किया है, यह मैं आपसे पूछना चाहूंगी?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या ने जो विषय उठाया, वास्तव में सही है कि 2011-12 के बजट में जो 5022 ग्राम पंचायतें अनकनैक्टेड थीं वाहनों से, उनको जोड़ने के लिये यह योजना लाई गई थी। इस योजना को बड़ी धूमधाम से शुरू किया गया, दौसा जिले में भी इसको शुरू किया गया। माननीय सदस्या ने जैसा कहा कि बांदीकुई में चार क्लस्टर में 12 बसें थीं और जिस प्राइवेट प्लेयर को ये बसें चलाने के लिये दीं, उसने साल भर तो ये बसें चलाईं, उसके बाद धीरे-धीरे बंद करना शुरू कर दिया। जबकि उसको लगभग वायबल गैप फण्ड के रूप में भी राज्य सरकार ने एक करोड़ से अधिक की राशि दी कि ये बसें चलती रहें। बी.जी.एफ. योजना के अन्दर पी.पी.पी. में चलाई गई थीं और उसने बंद कर दीं। माननीय सदस्या ने स्वयं प्रयास करके डिपो मैनेजर से बात की, डिपो मैनेजर ने उस प्राइवेट प्लेयर से बात की। उसके बाद जब उस पर 52 लाख रुपये की शास्ति लगा दी गई तो दबाव में आकर उसने धीरे-धीरे वापस बसें शुरू कर दीं।

(श्री युनुस खान)

जहां तक कंडक्टर और ड्राइवर का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी निजी वाहन इस पी पी पी माडल में लगाता है, यह उसी का दायित्व है, राज्य सरकार का नहीं है। लेकिन मैं इतना आज सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, यह योजना शुरू की गई थी उस समय सरकार का जो उद्देश्य था, वह उद्देश्य वास्तव में आज की तारीख में पूरा नहीं हो रहा। 5,022 ग्राम पंचायतों में से मात्र 1400 ग्राम पंचायतें ही जुड़ी थीं, बाकी रह गयीं। इसलिये सरकार इसकी समीक्षा कर रही है। जहां-जहां, बांदीकुई के अलावा भी पी.पी.पी. माडल में जो वाहन चल रहे हैं और नियमित सेवाएं नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे। इस योजना की समीक्षा भी करेंगे और जनता को असुविधा नहीं हो, उसका भी पूरा खयाल रखेंगे।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): एक चीज और पूछना चाहूंगी। सर, एक मिनट, एक चीज और पूछना चाहूंगी। रूट्स के निर्धारण के बारे में मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि रूट्स का निर्धारण कौन करता है? अगर, जिनके पास ये बसें हैं वे ही निर्धारित करते हैं तो फिर इस योजना की कोई उपयोगिता नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वह है जनता को राहत पहुंचाना, जनता को साधन उपलब्ध कराना।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या ने जो इश्यू उठाया है, पी.पी.पी. माडल वाली बसों के रूट्स की जहां तक बात आपने कही है, इसकी नोडल एजेन्सी के रूप में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को लगाया गया है। परिवहन विभाग इसके परमिट जारी करता है। पूरे राजस्थान में लगभग 244 क्लस्टर तय कर दिये गये, 5,022 ग्राम पंचायतों में जोड़ने की बात कर दी गई। लेकिन यह योजना 244 क्लस्टर तक पहुंच ही नहीं पाई और यह अपना दम तोड़ने लगी। जहां तक आपने बात कही तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि जो रूट यहां पर तय हुए, वे थोड़े से ओवर-लैपिंग भी हो गये, क्योंकि वहां पर स्टेज कैरिज के पहले से ही परमिट थे। जिन लोगों के प्राइवेट स्टेज कैरिज के परमिट थे, उन लोगों ने भी आपत्तियां जगह-जगह दर्ज कराई हैं, कोर्ट में भी केसेज गये हैं। इसलिये इन सबको देखकर मैंने घोषणा की है कि इसकी हम समीक्षा करेंगे। परमिट परिवहन विभाग देता है।

श्री अध्यक्षः श्री बनवारी लाल सिंघल।

समिति प्रतिवेदन

प्रश्न एवं संदर्भ समिति (क्र. सं. 1 व 2)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) (सभापति प्रश्न एवं संदर्भ समिति) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2014-15 के निम्न दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

(1) वित्त, कार्मिक, स्वायत्त शासन, खेल, खनिज, गृह, वन, सार्वजनिक निर्माण, श्रम एवं नियोजन, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कला एवं संस्कृति, जल संसाधन, पंचायती राज, पर्यटन, महिला एवं बाल, परिवहन, ग्रामीण विकास, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, ग्रामीण विकास रोजगार गारंटी एवं ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित समिति का प्रथम प्रतिवेदन, तथा

(2) आयुर्वेद, कार्मिक, कृषि, गृह, चिकित्सा शिक्षा, देवस्थान, पंचायती राज, पर्यटन, पशुपालन, नागरिक उड्डयन, श्रम एवं रोजगार, भू-संरक्षण, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व, ऊर्जा, अल्पसंख्यक मामलात, आबकारी एवं उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित समिति का द्वितीय प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती अलका सिंह।

याचिका

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न तीन याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं:-

बांदीकुई पंचायत समिति के ग्राम द्वारापुरा से अरनिया रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण

(1) पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा के ग्राम द्वारापुरा से अरनिया रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण बाबत।

बांदीकुई के ग्राम नूरपुर से पंचायत रलावता तक सड़क निर्माण

(2) बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नूरपुर से पंचायत रलावता तक सड़क निर्माण बाबत।

(श्रीमती अलका सिंह)

बांदीकुई के ग्राम विजयपुरा से नयागांव तक सम्पर्क सड़क का निर्माण

(3) पंचायत समिति बांदीकुई की पंचायत कोलवा में ग्राम विजयपुरा से नयागांव तक सम्पर्क सड़क निर्माण बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न तीन याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं:-

सोजत के कतिपय गांवों में डामरीकृत सड़क

(1) सोजत विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों को सड़क डामरीकरण से जोड़ने बाबत।

रायपुर क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना

(2) रायपुर क्षेत्र में छात्र-छात्राओं के लिये महाविद्यालय खोलने बाबत।

रायपुर को रायपुर (दिपावास) बांध पेयजल परियोजना से आपूर्ति

(3) रायपुर को रायपुर (दिपावास) बांध पेयजल परियोजना से जोड़ने बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनीता।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न दो याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं :-

सीकरी कस्बे के मध्य स्थित नहर की सफाई

(1) कस्बा सीकरी के मध्य में स्थित नहर की सफाई कराये जाने बाबत।

नगर के वार्ड सं. 20 में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था

(2) नगरपालिका, नगर के वार्ड नं. 20 में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न दो याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं :-

अजमेर के वार्ड सं. 13, खानपुरा में ईदगाह के सामने सड़क व नाली का निर्माण

(1) वार्ड नं. 13, खानपुरा में ईदगाह के सामने रोड एवं नाली निर्माण बाबत।

अजमेर के वार्ड सं. 44 में नाली निर्माण

(2) अजमेर के वार्ड सं. 44, तिलक नगर, धौलाभाटा में नाली निर्माण बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कमसा।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न दो याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं:-

भोपालगढ़ के लवेराकलां में पुल का निर्माण

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के लवेराकलां में पुल निर्माण बाबत।

भोपालगढ़ के ग्राम जाजीवाल गहलोता में नाले का निर्माण

(2) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम जाजीवाल गहलोता में नाला बनाने बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबू सिंह।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

शेरगढ़ में नवीन सब-स्टेशंस की स्वीकृति

(1) बजट भाषण 2014-2015 के पैरा नं. 31 में की गई घोषणा के अनुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में 220 केवी, 132 केवी ग्रिड स्टेशन व 33 केवी नवीन सब-स्टेशन स्वीकृत करने बाबत।

(श्री बाबू सिंह)

शेरगढ़ की ग्राम पंचायत नाथडाऊ में अनुसूचित जनजाति छात्रावास की स्थापना

(2) बजट भाषण 2014-2015 में की गई घोषणा के अनुसार शेरगढ़ की ग्राम पंचायत नाथडाऊ में अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं का छात्रावास खोलने बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह।

भीनमाल के राजकीय महाविद्यालय में एम.ए. (हिन्दी साहित्य) की सीटों में बढ़ोत्तरी

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल (जालौर) में एम.ए. के हिन्दी साहित्य विषय में 40 सीटों को बढ़ाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रतनलाल जलधारी।

सीकर में सड़क निर्माण

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र सीकर में कतिपय स्थानों पर सड़क निर्माण कराये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर, दीपाजी।

नदबई में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कस्बा-नदबई (भरतपुर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल (निवाई)।

निवाई में ग्राम डूडिया से देवरी तक सड़क का निर्माण

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निवाई के उपखण्ड पीपलू (टोंक) के ग्राम डूडिया (पीपलू) से देवरी (पीपलू) तक सड़क निर्माण बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंहजी।

जैसलमेर में NH 15 पर ग्राम चान्दण के पास गुगरी नदी पर पुल का निर्माण

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जैसलमेर जिले में एन.एच. 15 हाइवे पर ग्राम चान्दण के पास गुगरी नदी पर पुल बनवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न दो याचिकाओं का स्थापन करती हूं:-

सूरसागर में होम्योपैथिक राजकीय चिकित्सालय की स्थापना

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के राजकीय चिकित्सालय खोलने बाबत।

सूरसागर के विद्यालयों में खेल मैदान व प्रशिक्षक की व्यवस्था

(2) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के विद्यालयों में खेल मैदान बनाने एवं प्रशिक्षक नियुक्त करने बाबत।

व्यवस्था का प्रश्न

संसदीय प्रणाली में Petitions हेतु याचिका शब्द के स्थान पर अन्य उपयुक्त शब्द का प्रयोग

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह करूंगा कि अभी याचिकाओं का उपस्थापन किया गया है। यह याचिका शब्द है, याचिका शब्द बना याचक से और इस लोकतंत्र में याचक किसी भी मतदाता को बनाना उचित नहीं है। इसलिये मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि पिटीशन शब्द का उचित शब्द जिसमें याचना या याचकता नहीं हो, नियम समिति में आप इसको ले जाकर देखें। कोई भी प्रजातंत्र में मतदाता अपने विधायक को कहता है कि हम याचना नहीं करते किसी के पास। याचिका शब्द पिटीशन का सही रूपान्तरण भी नहीं है। मैं समझता हूं कि अपन ने कई नियम बदले हैं, तो आप नियम समिति में इस याचिका शब्द के बारे में, आज कोई निर्णय की जरूरत नहीं है, आप विचार करिये, इसके बारे में विचार करके कोई उपयुक्त शब्द देखें ताकि याचक के रूप में विधान सभा के सामने और सरकार के सामने कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, अपने जो सुझाव दिया है, मैं चाहता हूं कि आप जरा विस्तार से इस बारे में लिखकर नियम समिति में भिजवा दें। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाएगा।

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री राजेन्द्र राठौड़।

अनुदान की मांग

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

मांग संख्या-26 की प्रस्तुति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 65,97,94,03,000/- (अक्षरे पैंसठ अरब सतानवे करोड़ चौरानवे लाख तीन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री हेमसिंह भड़ाना।

नागरिक आपूर्ति मांग संख्या 32 की प्रस्तुति

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,34,89,89,000/- (अक्षरे पांच अरब चौंतीस करोड़ नवासी लाख नवासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 32 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री अध्यक्ष: आज की बहस का शुभारम्भ श्री ज्ञानचन्द पारख करेंगे।

मांग संख्या 26 व 32 पर विचार

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है, जिसकी जरूरत हर व्यक्ति को अपने

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जीवन में पड़ती ही है। चाहे किसी पार्टी की सरकार रही हो, हर सरकार ने अपनी ओर से प्रयास किये कि हमारे प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ हो, बेहतर हो। लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, उसमें आज भी काफी कमियां हैं।

(13.29 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

आज मुझे ऐसी सरकार और ऐसे मंत्री के समक्ष अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है जो इस बात के लिए सक्षम हैं कि मात्र हमारी चिकित्सा व्यवस्था ठीक-ठाक ही नहीं करें बल्कि उसको बेहतर कर दें।

श्री सभापति: यह आपने सरकार और मंत्री, दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया है?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सरकार मुख्य मंत्रीजी के लिए और मंत्रीजी के लिए। दोनों सक्षम हैं।

श्री सभापति: वैसे मंत्री ही सरकार होता है अपने विभाग का।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मुझे अच्छी तरह पता है कि हमारे मंत्रीजी इतने सक्षम हैं, इनके जिम्मे जो भी काम आया, मात्र ठीक ही नहीं किया उन्होंने बेहतर किया। अच्छे अच्छों को इन्होंने अब तक ठीक भी किया है।

श्री सभापति: अब किस की बारी है?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अभी किसी की भी बारी नहीं, अभी तो चिकित्सा व्यवस्था ठीक हो जाए, उसकी बारी चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, आज के जो हालात हैं अगर उन पर नजर डालें तो हमने अब तक जितने प्रयास किये उसके बाद भी बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं चिकित्सा की व्यवस्था में। सरकारी अस्पतालों में आने की मरीजों की जितनी संख्या है और हमारे जितने संसाधन हैं, दोनों की तरफ दृष्टि डालेंगे तो बहुत बड़ा अन्तर नजर आएगा और हमको महसूस हो जाएगा कि वाकई में जितने संसाधन हमने दिये वो कम हैं, और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता इस विभाग में है।

माननीय सभापति महोदय, अब जो चिकित्सा व्यवस्था है, इसके कई सारे पहलू हैं और सबसे महत्वपूर्ण है चिकित्सकों की उपलब्धता जिसकी कमी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आज हम महसूस कर रहे हैं। सरकारें प्रयास कर रही हैं कि चिकित्सकों के जितने पद रिक्त हैं वो किसी भी प्रकार भर दिये जाएं। पर हालत क्या है?

श्री सभापति: किसी भी प्रकार भरेंगे तो चार-पांच अपने माननीय सदस्य बन कर आये हुए हैं जो डाक्टर हैं, इनका क्या होगा? डाक्टर राम प्रतापजी हैं, विश्वनाथजी हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): वो यहां भी सेवा देंगे, वहां भी सेवा देंगे। वो दोनों जगह सेवा देंगे।

सरकार के प्रयास के बावजूद भी पद भरने में हम अपने आपको थोड़ा लाचार महसूस कर रहे हैं। भर्ती निकालते हैं, जितने पदों की निकालते हैं उससे आधे डाक्टर भी आना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में डाक्टर्स की कमी है। हर साल हजारों की संख्या में नये डाक्टर आ रहे हैं। हमें इस बात पर गौर करना होगा कि ऐसे कौन-कौन से कारण हैं कि जो नया डाक्टर है वो सरकार में अपना काम नहीं करना चाहता। उन कारणों को हम ढूंढें और यह कि उन कारणों को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर कारणों को ढूंढ कर ठीक करने का प्रयास किया तो हो सकता है कुछ पद और भर जाएं। हालत क्या है? ज्यों ही डाक्टर बनेगा वो निजी अस्पताल में जाना पसंद करेगा। और वजह भी है। सरकारी अस्पताल में काम का बोझ इतना ज्यादा है। कि वो चाहे तो भी इतना काम का बोझ उठा नहीं सकता। इसके बाद में सरकार के द्वारा उसकी सेवाओं के बदले जो पैसा उसको दिया जा रहा है, वो भी निजी अस्पताल की तुलना में बहुत कम है। असुरक्षा की भावना भी सरकारी अस्पताल में है। साल में ऐसी कई सारी घटनाएं हो जाती हैं कि मरीज के परिजन डाक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, चाहे डाक्टर की गलती नहीं है। उसके पास काम का इतना बोझ है कि कहीं न कहीं कोई कमी रह ही जाती है। ये जितने सारे कारण हैं उन कारणों को दुरुस्त करने की आज आवश्यकता हो गयी। वर्ना हुआ क्या है? हमने अस्पताल खूब खोल दिये, यूनिटें खूब खोल दीं, संसाधन भी हमने खूब दिये, एक से एक आलीशान अस्पताल के भवन बन गये, पहले भवनों की कमी थी, अब भवन की कमी कहीं भी नहीं है, अधिकांश जगह नहीं है, अच्छे भवन हैं। उपकरणों की कोई कमी नहीं है। इतने उपकरण आ गये कि उनको संचालित करने वाला डाक्टर नहीं है और डाक्टरों की कमी से वो बेकार पड़े हैं। माननीय मंत्री महोदय से यही आग्रह रहेगा कि किसी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

प्रकार, कोई प्रयास करके ये पद भर जाएं ताकि उन भवनों का, उन उपकरणों का और हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उन सब का लाभ इस प्रदेश के मरीज को मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो माननीय मंत्री महोदय से यह भी आग्रह करूंगा कि डाक्टर जहां अपना काम करना चाहता है वहां काम करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिना इच्छा किसी डाक्टर को कहीं स्थानान्तरित कर देंगे, तो कागजों में भले ही स्थानान्तरण हो गया हो लेकिन वो वहां अपनी जोइनिंग नहीं देगा। ऐसे एक नहीं सैकड़ों डाक्टर होंगे। आपने किसी और अस्पताल की व्यवस्था को ठीक करने के लिए या जनता की किसी मांग को पूरा करने के लिए वहां डाक्टर तो लगा दिया, पर आप पता लगाएंगे कि वो डाक्टर वहां गया कि नहीं गया, तो आपको पता लगेगा कि अधिकांश समय वो छुट्टी लेकर बैठा है। पहले जहां काम कर रहा था वहां भी काम रुक गया और जहां आप रुका हुआ काम चालू करना चाहते थे वो आपका मकसद भी पूरा नहीं हुआ। जब तक पर्याप्त डाक्टर नहीं आ जाएं, डाक्टर जहां रहना चाहता है, जहां काम करना चाहता है, उसको आप वहां काम करने दो, तो हो सकता है आपके कुछ पद और बढ़ जाएं वर्ना डाक्टर इधर-उधर घूमते रहेंगे और आपके पद रिक्त रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अब डाक्टर की नियुक्ति के साथ-साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि जो डाक्टर हमारे अस्पतालों में सेवाएं देते हैं, मरीज का इलाज करते हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए। क्योंकि कमी हमारी ही है कि हमने पर्याप्त डाक्टर नहीं दिये और हमारी कमी के कारण डाक्टर जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी कई बार अस्पतालों में पिट जाना पड़ता है या दुर्व्यवहार झेलना पड़ता है। वैसे हमने कड़े कानून बनाये हैं लेकिन उन कानूनों के बावजूद भी मारपीट की घटनाओं में कोई ज्यादा कमी नहीं आयी। हमें कोई और प्रावधान करने होंगे कि डाक्टरों के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं हो। डाक्टर कोई गलती करता है तो सरकार के अपने नियम-कानून बने हुए हैं, उसके तहत आप कार्यवाही करो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई आदमी सीधा कानून हाथ में ले ले, उसको तो आपको सख्ती से निपटना होगा।

श्री सभापतिः इसके लिए एक नियम-कानून बना हुआ है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, अब पूरे प्रदेश को पता है कि नि:शुल्क दवा योजना के बाद सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। नि:शुल्क जांच योजना के कारण भी बहुत सारे मरीज सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं। हमें मरीज सरकारी अस्पतालों में आने से रोकने के लिए भी कुछ उपाय करने होंगे क्योंकि हमारे यहां इतने संसाधन नहीं हैं कि हम जितने मरीज आ रहे हैं उनका पूरा इलाज कर सकें। ऐसे में यदि हमें निजी चिकित्सालयों की मदद लेनी पड़े, सहयोग लेना पड़े तो निजी अस्पतालों का चयन करके, उनको चिह्नित करें, वहां भी नि:शुल्क दवा या जांच योजना का लाभ मरीज को मिल जाए ताकि सरकारी अस्पतालों की भीड़ कम हो । यह करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, हमने बहुत सारे अस्पतालों को चिह्नित किया है लेकिन उनमें जो लाभ मिलता है वह नाम मात्र का है। यदि हम उस लाभ का दायरा बढ़ा देंगे तो हमारी अस्पतालों की जो भीड़ है उस पर कुछ अंकुश लग जाएगा। कई सारे निजी चिकित्सालय हैं जो कम पैसे में भी मरीज का इलाज कर देते हैं, हमें उनकी सेवाएं भी लेनी चाहिए।

अब जननी सुरक्षा योजना में आपने इतने सारे प्रावधान कर दिये कि सरकारी संस्था में कोई भी प्रसव होगा तो इतनी राशि इतने-इतने अंतराल के बाद में उसको मिलेगी। आने लगी भीड़ अस्पतालों में। वार्ड आपके छोटे, बैड की संख्या आपकी कम। एक बैड पर 2-2 प्रसूताएं, यह दृश्य लगभग हर अस्पताल में दिखता है। उसके बाद में डाक्टरों की संख्या देखो आप।

माननीय सभापति महोदय, मेरा डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल साढ़े तीन सौ बैड का, मात्र एक डाक्टर के भरोसे पूरा मैटरनिटी डिपार्टमेंट चल रहा है। पूरा स्त्री रोग डिपार्टमेंट चल रहा है। लम्बे समय से एक है। वह बेचारा सुबह से लेकर रात तक यही काम करता है। कब सोता है पता ही नहीं, क्योंकि इसमें रात में काल भी बहुत आती हैं। कोई भरोसा भी नहीं कि कब कौनसी काल आ जाए। कितने दिन काम कर पाएगा वह? माननीय मंत्री महोदय, ज्यादा लम्बा काम वह कर नहीं पाएगा। यदि आपने और कोई व्यवस्था नहीं की तो वह भी कुछ दिनों बाद नौकरी छोड़कर चला जाएगा या छुट्टी लेकर चला जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम हैं जहां प्रसव होता है, वहां भी यदि हम जननी सुरक्षा से मिलने वाले लाभों को दे देंगे, कि

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

वहां प्रसव कराओ, आपको वहां भी राशि मिल जाएगी, वहां भी आपका प्रसव नि:शुल्क होगा, सरकार पैसा देगी या सरकार एक राशि निर्धारित कर दे उसके बाद जो शेष अमाउंट है भले वह दे दे, तो आपके यहां निश्चित रुप से भीड़ कम पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, अब नि:शुल्क जांच जो है, यह अच्छा कार्यक्रम है भले ही किसी भी सरकार ने चालू किया हो। कोई दिक्कत नहीं है। काम अच्छा है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसको कम पैसे में चिकित्सा मिले और जिसके पास पैसा नहीं है उसको फ्री मिल जाए। लेकिन सरकारी जांच में, नि:शुल्क जांच में मेडिकल अस्पताल और जिला अस्पतालों में आपने अंतर कर दिया। वहां कई सारी जांचें नि:शुल्क होती हैं, जिला अस्पतालों में वे जांचें पैसे से होती हैं। वह प्रदेश का नागरिक है चाहे जिला अस्पताल में इलाज कराये, चाहे सामुदायिक अस्पताल में इलाज कराए, चाहे पीएचसी में इलाज कराए और चाहे मेडिकल कालेज में इलाज कराए। अगर आपने नि:शुल्क जांच योजना लागू की है तो हर अस्पताल में वह जांच नि:शुल्क होनी चाहिए। कम से कम जिला अस्पताल में तो वह जांच नि:शुल्क होनी ही चाहिए, ऐसा मंत्री महोदय से आग्रह है।

माननीय सभापति महोदय, अब डायलिसिस है, मेडिकल कालेज में कोई भी गुर्दे का मरीज डायलिसिस कराए तो जांच का कोई पैसा नहीं है और मेरे पाली के डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में कोई मरीज अगर डायलिसिस कराए तो जांच का पैसा लोगे। यह दोहरी नीति क्यों? डायलिसिस हमने हमारे विधायक कोष से या एम.पी. कोष से लगा दी वहां पर, तो वहां भी डायलिसिस नि:शुल्क होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हास्पिटलों में अगर डायलिसिस नि:शुल्क होगी तो मेडिकल कालेजों में भीड़ कम होगी। वह फिर वहां नहीं जाएगा। अपने आप आपके यहां मेडिकल कालेजों में आने वाली जो संख्या है मरीजों की, उस पर कुछ अंकुश लग जाएगा।

ऐसा ही एक्सरे में है। साधारण एक्सरे करो तब तो वह नि:शुल्क और डिजिटल एक्सरे कर दो तो उसकी राशि चुकाओ। आजकल ज्यादातर डाक्टर डिजिटल एक्सरे ही लिखते हैं। एक्सरे चाहे कोई भी हो, साधारण हो चाहे डिजिटल हो, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह भी रहेगा कि जब आपने एक्सरे को फ्री कर दिया तो चाहे वह साधारण एक्सरे हो, चाहे डिजीटल हो, आप सभी को नि:शुल्क करें।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय सभापति महोदय, अभी जो ट्रोमा सेंटर चल रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान के अधिकांश ट्रोमा सेंटर आज लगभग बंद की स्थिति में हैं। मेरे पाली में जब अपनी पार्टी की पिछली सरकार थी, माननीय चिकित्सा मंत्री थे राजवी साहब, उन्होंने ट्रोमा सेंटर स्वीकृत किया था। पैसा भी बहुत दिया बिल्डिंग के लिये। वह बनकर तैयार भी हो गयी। हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी उसका उद्‌घाटन करने आये थे। अपनी सरकार के नहीं पिछली कांग्रेस की सरकार के। चूंकि मुख्य मंत्रीजी उद्‌घाटन करने आ रहे हैं इसलिए पद भरे होने जरूरी हैं वर्ना अख़बार वाले खिंचाई कर देते हैं। उद्‌घाटन के पहले ही जितने भी पद थे सारे के सारे भर दिये। कहीं से भी लाकर भर दिये, लेकिन भर दिये उन्होंने। उद्‌घाटन भी हो गया। मुख्य मंत्रीजी फीता काटकर चले गये। जिस दिन मुख्य मंत्रीजी फीता काटकर गये उस दिन डाक्टर भी चले गये। आज तक डाक्टर वापस नहीं आये। ट्रोमा सेंटर के मेन गेट पर ताला पड़ा है क्योकि कोई मरीज आता है वहां डाक्टर, स्टाफ को नहीं देखता तो वहां कोई न कोई अप्रिय घटना हो जाती है। इसलिए मजबूरी में उसको ताला लगाना पड़ा। ट्रोमा सेंटर अपनी पार्टी की सरकार ने स्वीकृत किया था, बजट अपनी पार्टी ने दिया तो डाक्टर देने की जिम्मेदारी भी अपनी ही पार्टी की सरकार की बनती है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह रहेगा क्योंकि मेरा अस्पताल से बहुत काम पड़ता है, सब मुझको सुनना पड़ता है।

श्री सभापति: धीरे बोलिये, माननीय सचेतक महोदय। आपकी आवाज यहां रिकार्ड हो रही है। ध्यान से सुनिये, ज्ञानचन्दजी बोल रहे हैं। यह सेवा बहुत करते हैं हास्पिटलों में, इनसे सीख लोगे तो आप इनके जैसे हो जाओगे, ऐसे नहीं रहोगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि ऐसे सभी माननीय सदस्य करने लग जाएं तो हमारी सेवाएं...

श्री सभापति: मैं आपसे आग्रह करुंगा कि आप उचित समझें तो पद्मश्री के लिए इनका नाम भेजें। चिकित्सा सेवा में जिन्होंने काम किया, बहुत अद्‌भुत है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह नि:शुल्क दवा योजना बहुत अच्छी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

योजना है। लेकिन इसमें हम लकीर के फकीर बन जाएं, कि नहीं, सरकार जैसा चाहेगी वैसी ही मरीज को दवाई लेनी पड़ेगी या डाक्टर को वही दवाई लिखनी पड़ेगी, यह ठीक नहीं है। मरीज का अधिकार है वह कैसी दवाई ले। अगर सरकारी अस्पताल में कोई मरीज आता है और डाक्टर को कहता है कि मुझे आप बाहर की अच्छी कम्पनी की दवाई लिख दो तो डाक्टर को इस बात की छूट मिलनी चाहिए मरीज की इच्छा पर। मरीज चाहे कि नहीं मुझे फोकट में मिलनी चाहिए, तो जो चाहे दवाई दो, मनाही नहीं है। लेकिन मरीज चाहे कि मुझे बेहतर कम्पनी की दवाई मिलनी चाहिए। उसमें आपने डाक्टरों के हाथ बांध दिये कि आप बाहर की दवाई नहीं लिख सकते। माननीय मंत्री महोदय, इसको आप ठीक करो अगर कोई मरीज सक्षम है और बाहर की दवाई ले सकता है। वर्ना उसको करना क्या पड़ता है? अस्पताल में वह दवाई नहीं लिखी जाती तो घर पर जाकर, फीस देकर वह दवाई लिखवानी पड़ती है। उलटा उसको नुकसान हो रहा है। आप सरकारी अस्पताल के डाक्टरों को इस बात की छूट दे दो कि मरीज कैसी दवाई या कैसा उपचार चाहता है वह ले ले। यह अधिकार आप डाक्टरों को भी दो। आपने डाक्टरों को बांध दिया कि अस्पताल में जो दवाइयां उपलब्ध हैं, उसी सूची में से आपको दवाई लिखनी पड़ेगी। या तो आप ऐसी माकूल व्यवस्था करो कि हर प्रकार की दवाई हर समय उपलब्ध रहे। वह करना सम्भव नहीं है क्योंकि इतनी सारी दवाइयां हैं। तो डाक्टरों को भी इस बात की छूट मिलनी चाहिए कि मरीज के हित में कौनसी दवाई लिखना ठीक रहेगा, डाक्टर अपने विवेक से वह दवाई लिखे। डाक्टर ओथ लेता है, शपथ लेता है वह मरीज के हित में शपथ लेता है। आपने डाक्टरों को बांध दिया और डाक्टर यदि कोई बाहर की दवाई लिख दे तो उसको नोटिस पकड़ा दिया। वह जवाब देता फिरे। मुझे यह उम्मीद है कि आप इसको दुरुस्त करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अब जो 108 एम्बुलेंस है, अपनी सरकार के कार्यकाल की योजना है। जिस समय चालू हुई प्रदेश की जनता को बहुत बेहतरीन सेवा मिली। उस समय की सेवाएं भी अगर देखें हम, तो काल किया, कुछ ही मिनटों में मरीज को लेकर अस्पताल पहुंच गयी, मरीज की जान बच गयी। अब इतनी गिरावट आ गई, उसमें देखा आपने? बीमारों को लाने वाली 108 एम्बुलेंस आज खुद बीमार हो गयी। मैं तो इतना कह दूं कि मेरे क्षेत्र में तो लगभग मृत प्राय: हो गई। आप रिकार्ड उठा कर देखेंगे, आंकड़े उठाकर

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

देखेंगे, कि पिछले दो सालों में कितने मरीज लेकर आई, तो आपको अपनी इस व्यवस्था पर अफसोस होगा। तो इसको भी माननीय मंत्रीजी ठीक करें। 108 एम्बुलेंस की जो सेवाएं हैं, यह राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का या मरीज का अधिकार है, वह सुचारू रूप से चले। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट उस समय मिला था और हजारों जानें बची थीं और आज लगभग मृत प्राय: है वह और इसको आप ठीक करें।

श्री सभापति: आज बोलने वाले बहुत हैं, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, आपने कह दिया तो मैं दस मिनट बोल लूंगा।

श्री सभापति: आप थोड़ा संक्षिप्त कर लें, आपने बहुत लोगों के इलाज कराये हैं। एक कोई दवाई भी देख लें जिससे आपके ज्ञान की गंगा जल्दी-जल्दी प्रवाहित हो जाए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं जल्दी-जल्दी अपनी बात करूंगा। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, नि:शुल्क दवा योजना में बजट भी बहुत है, इस बजट का पूरा का पूरा लाभ, इस राशि का पूरा का पूरा लाभ मरीज को मिल रहा है, इस बात के ऊपर निगरानी रखनी बहुत जरूरी है। जो दवाई की खरीद होती है वह अस्पतालों की आवश्यकता के अनुरूप खरीद होती है या ऊपर से जबरन भेजी जाती है, इसको आप चैक करें। नीचे वाले डिमाण्ड नहीं करते कि दवाई चाहिये और ऊपर वाले उस दवाई को जबरन भेज देते हैं कि इस दवाई को उपयोग में लो। इस पर पाबन्दी लगाओ। डिमाण्ड आनी जरूरी है। अगर आपने पाबन्दी लगा दी तो इस पैसे का पूरा उपयोग मरीज को मिलेगा, वर्ना यह पैसा बीच में कहीं चला जाएगा। इसमें चाहे लोकल स्तर पर भी किसी प्रकार की कोई पर्चेजिंग हो तो उसकी भी एक प्रक्रिया या दवाई की दर तय करनी पड़ेगी आपको। वर्ना तीन कोटेशन मंगवाये, एक ही पार्टी तीन कोटेशन देती है, उसमें जो सबसे लोएस्ट है उसको दिया और उसमें लाखों का वारा न्यारा हो जाता है। माननीय मंत्री महोदय, मैंने आपको यह पर्ची में भी लिख कर दिया था क्योंकि मेरे पाली में ऐसा 47 लाख की दवाइयों में हुआ। मुझे हर दवाई की बाजार की रेट पता है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन दवाइयों में काफी भारी घोटाला हुआ, आप जांच करवा लो। जांच आ रही है, जांच का परिणाम जो भी है। जो पैसा हम गरीब के इलाज

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पर खर्च करना चाहते हैं वह गरीब के इलाज में कैसे खर्च हो, इसमें बिचौलिये हाथ नहीं मार दें, इसके लिए भी हमको पुख्ता व्यवस्था करनी होगी।

माननीय सभापति महोदय, यह जो आपका राष्ट्रीय क्षय निवारण कार्यक्रम है, टीबी का, मैंने पहले भी उठाया था विधान सभा में, डाट्स। हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम टीबी के मरीजों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं, कभी जानने का प्रयास किया क्या कि उससे कितने मरीज ठीक हो रहे हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं सदन में कि डाट्स कार्यक्रम में जो दवाइयां दी जा रही हैं, वे आधी अधूरी हैं, वे मरीज को ठीक नहीं करतीं। अगर वे मरीज को ठीक करतीं तो मेरे पास हर वक्त कम से कम एक हजार मरीज रहते हैं जो दवाई ले जाते हैं हर महीने। उनको डाट्स एमडीआर की ओर ले जा रहा है। आपने दी दवाई, वह ड्रग रेसिस्टेंस होता है, एमडीआर में जाता है, और उसके बाद महंगा इलाज उसको लेना पड़ता है। एक बार आप जांच जरूर कराएं कि इन दवाइयों से फायदा है या नहीं। यदि यह कारगर है तो मैं मेरा खर्चा बंद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं यूं ही पैसा बर्बाद कर रहा हूं। अगर आपको यह लगे कि कारगर नहीं है तो डाक्टरों को छूट दो आप कि मरीज के हित में जो भी दवाई लिखनी पड़े, वह लिखे। वर्ना आपने डाट्स के बाद डाक्टरों को बांध दिया कि कोई भी अन्य डाक्टर टीबी का इलाज सरकारी अस्पताल में बैठकर नहीं लिखेगा, आपने बांध दिया उसको। जो मुख्य अस्पताल है उसमें टीबी के अस्पताल को भर्ती करेगा। पाली में यह हो गया कि पिछले दो साल से टीबी रोगी के ताला लग गया, क्योंकि जितने भी मरीज भर्ती हुए एक भी मरीज नहीं बचा, एक भी। यह सरकारी अस्पताल का रिकार्ड है। अस्पताल में आता है मरीज अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन ऐसा इलाज मिलता है कि मौत मिलती है। तो इसको भी आप ठीक करो।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम है आपका, यह अधिकांश जो समाजसेवी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से है। सरकार अनुदान देती है उनको प्रति केस हजार रुपये। अगर ये एनजीओ या समाजसेवी संगठन नहीं हों तो आपका यह कार्यक्रम लगभग फेल है, क्योंकि अधिकांश आपरेशन कोई न कोई समाजसेवी संगठन करा रहा होता है। उनको जो अनुदान की राशि मिल रही है उसका पता लगा लो आप, तीन-तीन साल हो गये, पैसा नहीं मिलता उनको। मैंने आपको पहले भी आग्रह किया था और आपने टेलीफोन पर जोइंट डाइरेक्टर को डांट भी पिलाई थी, लेकिन उनका

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पैसा अभी तक नहीं आया। तीन साल हो गये, संस्थाओं ने आपरेशन कर दिये लेकिन उन संस्थाओं के पैसे बाकी हैं। आप जैसा मंत्री टेलीफोन पर डांट पिला दे और पैसा नहीं आए, यह तो, माननीय सभापति महोदय, पता नहीं कैसी गड़बड़ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप यह तो बताओ कि डांट को पीते कैसे हैं?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): टेलीफोन पर आपने मेरे सामने कहा लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): डांटने के कई तरीके है, कौनसे तरीके से डांटा? (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अगर वे समाजसेवी संस्था वाले कलक्टर से इस बात का आग्रह करने जाते हैं कि हमको यह बकाया पैसा दिलवा दो तो आपका सीएमएचओ उनको धमकाता है कि आपने मेरी शिकायत की है, अब पैसा लेकर देख लेना। यह हालत है पाली की।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य अब आप।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मेरे कुछ दो-चार बिन्दु और हैं।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, अब आप समाप्त करें, और माननीय सदस्य भी बोलेंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैं जो काम करता हूं यहां पर बहुत ज्यादा, ओपन हार्ट सर्जरी का, उसका लास्ट बिन्दु ले लूं।

श्री सभापति: उसके लिए आप बोलिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, लगातार सदन के माध्यम से इस बात को सुन रहे हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी में जो वेटिंग है वह बहुत लम्बी है। इस वेटिंग को कैसे आप शार्ट करेंगे, यह आप कारनामा करो। वर्ना जो हार्ट का मरीज है, 6 महीने भी अपना इलाज नहीं करवा पाता। डाक्टर्स की कोई लापरवाही नहीं है, कोई कमी नहीं, वे पूरी मेहनत भी करते हैं। 1997 में यह यूनिट चालू हुई थी उसमें सरकार ने जो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

संसाधन दिये थे, उनसे मात्र 250 आपरेशन प्रति वर्ष हो सकते थे। उन्हीं संसाधनों में हमारे यहां के डाक्टर्स लगभग 1000 आपरेशन कर रहे हैं। सरकार ने संसाधन नहीं बढ़ाये। (व्यवधान) सामने जो बंगला नम्बर दो-तीन है, उसमें ट्रोमा वार्ड चालू किया है। मेरा आग्रह रहेगा कि वहां आप कार्डियक सेंटर बनवा दें पूरा का पूरा। तत्काल तो आप पोलीट्रोमा वार्ड में भी इसको शिफ्ट कर सकते हो लेकिन आपका पोलीट्रोमा वार्ड जाएगा।

(14.00 बजे)

श्री सभापति: कुछ तो आप लिखित में दीजिए। आदरणीय श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री रामचन्द्र (डग): सभापति महोदय, इधर सामने से मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: किस विषय में?

श्री रामचन्द्र (डग): इसी विषय पर।

श्री सभापति: ऐसे खड़े होकर नहीं कर सकते।

श्री रामचन्द्र (डग): समय नहीं दिया इसलिए एक छोटी-सी बात बोलकर बैठ रहा हूं। राजस्थान के अन्दर प्राइवेट अस्पतालों का जो स्वरूप है वह कत्लखाने का रूप ले चुका है।

श्री सभापति: विराजिए अभी।

श्री रामचन्द्र (डग): केन्द्र सरकार ने क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किया है उसकी भी राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रदेश में लागू करने की अनुशंसा की जाए तो राजस्थान के जो प्राइवेट हास्पिटल हैं उन पर अंकुश लगेगा और आम आदमी को वहां सुविधा मिलेगी।

श्री सभापति: विराजिए। आदरणीय श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, आपने बोलने का अवसर दिया, मांग संख्या 26 और मांग संख्या 32 पर मैं अपने विचार रखना चाहती हूं। माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत बधाई देना चाहती हूं कि सरकार बनते ही, मुख्य मंत्री का पद लेते ही उन्होंने श्री कंसैप्ट दिया है, जिसमें कहा है- एस फार सेनिटेशन, एच फार हैल्थ, आर फार रूरल डवलपमेंट, ई फार एजुकेशन व ई फोर एनर्जी। यह बात कही है कि हमारा ध्यान उस श्री पर होगा जहां पर हम सेनिटेशन का

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ध्यान रखेंगे, हैल्थ का ध्यान रखेंगे, रूरल डवलपमेंट का ध्यान रखेंगे, एजुकेशन व एनर्जी का ध्यान रखेंगे, ऐसा कंसैप्ट लेकर चलें। राजस्थान को आगे लाना है तो इन सब बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

(14.01 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

कल एजुकेशन पर कटौती प्रस्ताव था, डिमाण्ड आयी, बहुत अच्छे सजेशंस आये और आज हम हैल्थ के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हर व्यक्ति चाहे वह गांव में रहने वाला हो, चाहे शहरी क्षेत्र में रहने वाला हो, उसके स्वास्थ्य के संदर्भ में जो सरकार की अपनी प्रतिबद्धता है, सरकार को उसे चिकित्सा की जो सुविधा देनी चाहिए, उन सब पर मैं आज आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। क्योंकि मुझे पता है काफी लोग बोलने वाले हैं, तो मैं बहुत संक्षेप में विषय को लेना चाहती हूं।

हमारे यहां पर चिकित्सकों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वह 60 इयर्स है। अन्य प्रदेशों में अगर देखा जाए तो वह आयु 62 भी है, कहीं 65 भी है। एक डिटेल आपके सामने रखना चाहूंगी- रिटायरमेंट की आयु पंजाब में 62 ईयर्स है, वैस्ट बंगाल में 65 है, मध्य प्रदेश में 65 है, झारखण्ड में 65 है, हरियाणा में 65, बिहार में 65, महाराष्ट्र में 62, हिमाचल प्रदेश में 62, गुजरात में 62, उत्तर प्रदेश में 62, छत्तीसगढ़ में 62, एम्स में 65, उड़ीसा में 65, जम्मू-कश्मीर में 62, गोवा में 62, असम में 62 है। राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, यहां पर हम लोग डाक्टर्स की बहुत किल्लत महसूस करते हैं। हर जगह, चाहे वह गांव के अन्दर पीएचसी, सीएचसी हों, चाहे हमारे सैटेलाइट हास्पिटल्स हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हास्पिटल्स हों, सब तरफ अगर देखा जाए तो करीब 40 परसेंट वेकेंसी चल रही है। कहीं-कहीं तो 50 परसेंट, 60 परसेंट वेकेंसी डाक्टर्स की है। एक तरफ तो डाक्टर्स मिल नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ हम डाक्टर्स को 60 ईयर्स के ऊपर रिटायर कर रहे हैं। दूसरे सारे प्रदेशों में 65 ईयर्स रिटायरमेंट एज है। क्यों न सरकार इस रिटायरमेंट एज को बढ़ाए? जो हमारे डाक्टर्स जैसे ही रिटायर होते हैं 60 ईयर्स पर, उन्हें प्राइवेट हास्पिटल वाले तुरन्त ले लेते हैं। हमारे यहां हास्पिटल खाली हो जाते हैं और प्राइवेट हास्पिटल्स में उन लोगों की सेवाएं शुरू हो जाती हैं। डाक्टर्स अपने आपमें

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

रिटायर होने लायक नहीं हैं, काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे यहां पर कमी भी है।

मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। उदयपुर का आरएनटी मेडिकल कालेज है। इस कालेज में छात्र संख्या में वृद्धि के लिए एमसीआई ने कहा कि 50 परसेंट बढाएंगे। 100 हैं उसमें 50 परसेंट बढ़ाने की बात उन्होंने कही। यह बढ़ाने का मापदण्ड है, 50 परसेंट बढ़ाते हैं तो 150 सीटें मेडिकल कालेज के अन्दर हो जातीं। लेकिन 150 सीट नहीं हो पायीं, एमसीआई ने कैंसिल कर दिया। इसलिए कैंसिल कर दिया कि सीनियर फैकल्टी की बहुत कमी थी। अब स्थिति यह है कि वर्ष 2014 के अन्दर करीब 100 डाक्टर रिटायर होने जा रहे हैं। अगर आपने 60 ईयर्स की एज रखी तो 100 डाक्टर आरएनटी मेडिकल कालेज, उदयपुर से रिटायर हो जाएंगे। एक जनजाति क्षेत्र के अन्दर, उदयपुर क्षेत्र में अस्पताल के अन्दर डाक्टर्स की सुविधा अगर नहीं दे पाए तो अस्पताल चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे उसमें कितनी ही मशीनें क्यों न लगी हों, चाहे उसमें सारी सुख-सुविधाएं क्यों न हों, लेकिन डाक्टर्स नहीं हैं तो वे सारी सुविधाएं सब कुछ बेकार होंगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

दूसरा, जो फीस है, डाक्टर्स से हम बाण्ड लेते हैं। जब वह डाक्टर बन जाता है, एमबीबीएस हो जाता है तो उससे किसी प्रकार का बाण्ड नहीं लेते। मैं धन्यवाद दूंगी माननीय मंत्रीजी को कि उन्होंने शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हम डाक्टर्स से बाण्ड भरवाएंगे, डाक्टर की पढ़ाई में जो बच्चा आ जाएगा, at the time of admission, कि आपको कम से कम दो साल रूरल सेवाएं देनी हैं जैसे ही आप एमबीबीएस बन जाओगे। दो साल का जो बाण्ड भराया जाएगा, वह डाक्टर जब बनकर निकलेगा तब उसकी क्रियान्विति होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहती हूं कि क्यों न जब डाक्टर एमबीबीएस की डिग्री लेकर आता है, उन डाक्टर्स के ऊपर भी यह पाबंदी हो जाए कि उन्हें दो साल की सेवाएं तो देनी ही देनी हैं? यह अभी कंडीशन है जब वह पीजी करता है। लेकिन सिर्फ पीजी करे उसके लिए नहीं, उसकी डिग्री ही एमबीबीएस की तब दी जाए जब वह दो साल की सेवाएं रूरल एरियाज के अन्दर दे। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर डाक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी हम लोग महसूस करते हैं इसलिए इस तरीके का बाण्ड भराना बहुत जरूरी है। सरकारी मेडिकल कालेज के अन्दर बहुत ही नोमिनल फीस है, फ्री के माफिक

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ही उनकी फीस होती है जो डाक्टर बनकर निकलते हैं। गवर्नमेंट कालेज के अन्दर पढ़ाई करते हैं और बाद में प्राइवेट के अन्दर अपनी सेवाएं देते हैं। उनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, समाज के प्रति उन्हें यह नहीं लगता कि आज उनकी फीस सब्सिडाइज हुई है। कि यह समाज का ही पैसा है जिस पैसे से उनकी फीस सब्सिडाइज हुई है। वे समाज के पैसों से डाक्टर बने हैं, लेकिन समाज के प्रति वे कोई कर्तव्य महसूस नहीं करते हैं। एमबीबीएस बनने के बाद अगर उन्हें कहा जाय कि सरकारी अस्पताल में उन्हें सेवाएं देनी हैं, वे बिलकुल तैयार नहीं होते। वे तुरन्त प्राइवेट हास्पिटल्स में जाते हैं और पैकेजेज को देखते हैं। इसके ऊपर कहीं न कहीं कठोर कदम उठाना बहुत जरूरी है। हम अपने अस्पतालों के अन्दर जब डाक्टर्स की कमी महसूस करते हैं तो यह महसूस होता है कि सरकार इन बच्चों को डाक्टर्स बनाती है, ये डाक्टर बनने के बाद शपथ लेते हैं कि हम समाज की सेवा करेंगे, लेकिन वे समाज की सेवा में आगे नहीं आकर प्राइवेट में अपने पैकेजेज को देखते हैं कि कौन से प्राइवेट हास्पिटल में मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा, मैं वहां जाऊं।

दूसरी तरफ प्राइवेट मेडिकल कालेजेज हैं उनकी क्या स्थिति है? जरूरी है प्राइवेट में मेडिकल कालेजेज होने चाहिए, इसलिए होने चाहिए, कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट की लिमिटेशंस हैं इसलिए हम सोचते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कालेजेज भी आने चाहिए। प्राइवेट मेडिकल कालेजेज को हम लाते हैं तो उनको जमीनें दी जाती हैं। फ्री के रूप में, नोमिनल चार्जेज पर, बहुत कम पैसों में उन्हें जमीन दे दी जाती है। वह जमीन उनको मिलने के बाद प्राइवेट कालेजेज का समाज के प्रति दायित्व हो। देखते हैं कि जो सीट आती हैं वे मैरिट के ऊपर आती हैं, उसके बाद में वे मैनेजमेंट सीट होती है। उन मैनेजमेंट सीट पर 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपये डोनेशन लेकर बच्चों के एडमिशन होते हैं। ये सारी स्थितियां बनी हैं, इन स्थितियों के अन्दर बहुत सोचने वाला विषय हो गया है कि अगर पिता पैसे वाला है तो उसका बच्चा डाक्टर बन जाए, वह बड़े से बड़ा इंजीनियर बन जाए, अच्छे कालेजेज में उसको एडमिशन मिल जाए, लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कालेजेज हैं उसके अन्दर कहीं न कहीं प्रतिबंध होना चाहिए, डोनेशन की कोई एक लिमिट हो। जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसका गवर्नमेंट मेडिकल कालेज में नहीं भी हुआ तो कहीं न कहीं उसमें भी कोई स्कोप होना चाहिए कि उसका एडमिशन वहां पर हो जाए।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इसी तरीके से हम प्राइवेट हास्पिटल्स की बात करें। आज ही सुबह प्रश्नकाल के अन्दर जवाब में माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने यह कहा कि 25 परसेंट बच्चों को प्राइवेट स्कूल के अन्दर फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान है। इसी तरीके से प्राइवेट हास्पिटल्स के अन्दर भी 10 प्रतिशत बीपीएल को फ्री इलाज पाने का अधिकार है। लेकिन कितने ऐसे प्राइवेट हास्पिटल हैं, कभी इनका आडिट होना जरूरी है कि कितने ऐसे प्राइवेट हास्पिटल्स हैं जिन प्राइवेट हास्पिटल्स के अन्दर बीपीएल परिवार के लोगों का फ्री उन्होंने इलाज किया। केवल खानापूर्ति की जाती है। यह कहा जाता है कि हम तो 10 प्रतिशत बीपीएल का फ्री इलाज करते हैं। लेकिन मैंने देखा है, प्रैक्टिकली वहां 10 प्रतिशत का अगर हिसाब इनका निकाला जाए, लास्ट फाइव ईयर्स का अगर ले लिया जाए तो उसमें सामने आ जाएगा कि कितने उन्होंने फ्री किये। अगर केवल उन्होंने कागजों में किया है तो फिजिकल वैरिफिकेशन भी उनका करवा लीजिये तो पता चल जाएगा कि वास्तव में बीपीएल फैमिलीज का इन्होंने फ्री इलाज किया भी है या नहीं। पैसा लेते हैं, जमीन लेते हैं, हम देते हैं, परमिशन हम लोग यहां पर विधान सभा में देते हैं, उसके बाद में वो वहां पर लूटने का काम करते हैं। वो प्राइवेट हास्पिटल्स बन जाते हैं और बीपीएल परिवारों का फ्री में इलाज करने की बात केवल कागजों तक सीमित रहती है। फिजिकल वैरिफिकेशन हो जाएगा उस दिन पता चल जाएगा कि वो कितने लोगों का फ्री में इलाज करते हैं। आज यह मैं इसलिए कह रही हूं कि यह आज आ गया कि इलाज बीपीएल परिवार का ही होगा लेकिन कौन बीपीएल है? एक कार्टून आया है आज के न्यूज पेपर में और उस कार्टून में दिया है कि एक गरीब जिसके वस्त्र नहीं है शरीर के ऊपर, वो इलाज कराने के लिए अस्पताल में गया, उसको कहा जाता है कि क्योंकि तुम्हारे पास बीपीएल कार्ड नहीं हैं इसलिए तुम्हारा इलाज यहां पर फ्री में नहीं हो सकता। उसी लाइन में, बीपीएल की लाइन में उसके पीछे दूसरा आदमी खड़ा है जिसकी जेब में नोट हैं, बढ़िया कपड़े पहने हुए है और वो बीपीएल का कार्ड लेकर मुस्करा रहा है कि मेरे पास बीपीएल का कार्ड है इसलिए मेरा फ्री में इलाज होगा। यानि बीपीएल की सूचियों में त्रुटियां हैं। माननीय मंत्रीजी ने, सभी ने कहा है कि हम इसमें सुधार करेंगे। सुधार होगा लेकिन इलाज का जहां तक सवाल आता है तो उस इलाज के लिए कोई वेट नहीं कर सकता है कि मेरा नाम जब बीपीएल की सूची में आएगा तभी मैं फ्री में इलाज पा सकूंगा। अगर वास्तव में कोई गरीब

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है तो उसका इलाज फ्री में होना चाहिए। उसकी क्या व्यवस्था की जा सकती है? हम केवल बीपीएल कार्ड तक स्ट्रिक्ट होकर नहीं बैठ सकते। बहुत सारे पैसे वाले हैं जिनके बीपीएल कार्ड बन गये और जो वास्तव में गरीब हैं उनका बीपीएल का कार्ड नहीं है। इसलिए हम सिर्फ एक ही मापदण्ड पर चलें और आंखों पर पट्टी बांधकर चलें कि जो कार्ड दिखाएगा उसी का इलाज फ्री में होगा, ऐसा न होकर कुछ उसके अन्दर रिलैक्सेशन होना चाहिए। जैसे अगर कोई विधवा बहन है, कोई निःसहाय है, कोई विशेष जन है, कोई वृद्धजन है, ऐसे लोगों का फ्री में इलाज प्राइवेट हास्पिटल्स में हो सके, उसके बारे में भी हम लोगों को कोई न कोई इंस्ट्रक्शन, कोई न कोई आदेश यहां से निकालने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।

फ्री मेडिसिंस का जो कंसैप्ट पिछली सरकार लेकर आई थी, कंसैप्ट बहुत अच्छा था, योजना बहुत अच्छी थी कि हम मुफ्त में दवाइयां वितरित करेंगे। लेकिन मुफ्त में दवाइयां वितरित करने के पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र दिखा वह दिखा भ्रष्टाचार का। माननीय सभापतिजी, ऐसी दवाइयां ली जा रही हैं जिन दवाइयों का असर नहीं होता है पेशेंट्स के ऊपर। वो कहते हैं कि हमें फ्री में दवाई नहीं चाहिए। मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा है जो कहते हैं कि, डाक्टर साहब, आप दवाई लिख दो, मुझे अस्पताल की दवाई नहीं चाहिए क्योंकि अस्पताल की दवाई कोई असर नहीं करती, मुझे बाहर से ही दवाई लिख दो। यह अविश्वास क्यों हुआ उस पेशेंट को? इसलिए कि कहीं न कहीं दवाइयां ऐसी घटिया क्वालिटी की आ रही हैं जिन दवाइयों के ऊपर से जनता का विश्वास उठ चुका है। आप चाहे फ्री में मेडिसिंस दो, हम अपने आप में खुश हों कि हम दवाइयां फ्री में वितरित कर रहे हैं लेकिन वो फ्री की दवाई अगर पेशेंट पर असर नहीं करती तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए उन दवाइयों की क्वालिटी के ऊपर निश्चित रूप से चैक होना चाहिए। अस्पतालों में ऐसी दवाइयां खरीदी जाती हैं, क्योंकि फ्री में देनी है। लाट में दवाइयां आती हैं। उस अस्पताल में कौनसी दवाई की जरूरत है, वहां किस टाइप के पेशेंट ज्यादा आते हैं, उन की डिमांड्स के ऊपर दवाइयां वहां आएं। क्योंकि हमारे यहां पर बहुत सारी दवाइयां खरीद ली गई हैं इसलिए आपको तो यह दवाई अस्पताल में देनी ही देनी है, इसलिए इकट्ठी दवाइयां यहां से भेज दी जाती हैं उन हास्पिटल्स के अन्दर। हास्पिटल्स में उन दवाइयों की कोई जरूरत ही नहीं, उस टाइप के वहां कोई पेशेंट ही नहीं आ रहे हैं जिनको उन दवाइयों की जरूरत है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

फिर उन दवाइयों को एंड आफ द ईयर ऐसे की ऐसे पूरा बस्ता बांधकर, बोरी में बंद कर बाहर फिंकवा दिया जाता है। करोड़ों रुपये का घोटाला खरीदने में होता है और करोड़ों रुपये का नुकसान इस तरीके से जब दवाइयों को बाहर फेंक देते हैं तब होता है। यानि इस पर किसी तरीके का कोई अंकुश ही नहीं है। दवाइयां कौनसी चाहिए, उन दवाइयों को भेजें तो बात समझ में आए। पर चाहिए ही नहीं वो दवाइयां वहां जाती हैं, ऐसी सारी स्थितियां बनी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को यही कहना चाहूंगी।

एक और विषय है, गवर्नमेंट हास्पिटल के अन्दर डायलिसिस होता है। डायलिसिस के अन्दर 750 रुपये का एक किट आता है। सरकार ने कहा कि डायलिसिस फ्री है, पर 750 रुपये का जो किट आता है वह किट उस पेशेंट को खरीदना होता है। उसका रिएम्बर्समेंट होता है। जो पेंशनर्स हैं उनकी तरफ से मेरे पास बहुत-सी शिकायतें आई हैं। मैंने राजसमन्द के हास्पिटल के अन्दर तो उसमें कुछ व्यवस्था बिठाई है लेकिन यह सामान्य बात है इसलिए आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि ऐसे लोग जो पेंशन लेते हैं, जो वृद्धजन हैं, गवर्नमेंट पेंशन वाले लोगों को 750 रुपये का किट खरीदना पड़ता है। बाद में जाकर रिएम्बर्स होता है पर रिएम्बर्स होने में कम से कम 4 से 6 महीने लग जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डाक्टर ने रिकमंड किया है कि वीक में तुम्हें डायलिसिस होगा या 15 दिन में एक बार डायलिसिस होगा तो ऐसा व्यक्ति कब तक अपनी जेब से पैसे खर्च करता रहे और छह महीने के बाद उसको रिएम्बर्समेंट मिले। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के पास इतना पैसा हो कि 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार रुपये लगाता रहे और बाद में जब आएगा तब पैसा आएगा, यह सोचता रहे। मैं सोचती हूं कि कहीं न कहीं इसकी व्यवस्था की जाए। चाहे वो आरएमआरएस के माध्यम से करें या किसी अन्य के माध्यम से करें लेकिन यहां से इंस्ट्रक्शन जाएं, मंत्रीजी के यहां से निर्देश होने चाहिए। जो पेंशनर्स हैं उनको अगर डायलिसिस की सुविधा फ्री दी है तो उस फ्री डायलिसिस की सुविधा में उस किट के पैसे जो उन्हें वहां से खरीदकर भरने पड़ते हैं, उसमें भी उन लोगों को किसी तरीके से छूट दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी को आपके माध्यम से,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु आपके माध्यम से देना चाहती हूं। राजसमन्द शहरी क्षेत्र है, राजसमन्द नगरपालिका क्षेत्र है, उसमें दो अस्पताल हैं। एक अस्पताल है जो हमारा पुराना हास्पिटल हुआ करता था राजनगर क्षेत्र के अन्दर। अब जिला अस्पताल में थोड़ा शहर से बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ है। जो राजनगर क्षेत्र है वह घनी आबादी का क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अन्दर जो पुराने अस्पताल की बिल्डिंग बनी हुई है उस बिल्डिंग के अन्दर अस्पताल चलाने के लिए परमिशन अगर दें तो यहां पर एक सैटेलाइट हास्पिटल चल सकता है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह मांग करती हूं कि एक सैटेलाइट हास्पिटल राजनगर क्षेत्र के अन्दर देने की कृपा करें।

मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मंत्री बनने के बाद में राजसमन्द में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और कमला नेहरू चिकित्सालय को भी उप नगरीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया। लेकिन जो डाक्टर्स की कमी है वो डाक्टर्स की कमी को निश्चित रूप से पूरा करेंगे, यह मेरा मानना है। वो कैसे करें, यह उनकी प्राब्लम है। हम भी समझते हैं कि उनके सामने डाक्टर्स की बहुत कमी है, पर फिर भी किसी तरीके से कुछ डाक्टर्स लगाएं। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को डाक्टर नहीं मिलते। इसी तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गिलूण्ड को सामुदायिक केन्द्र के अन्दर क्रमोन्नत करने का मैं निवेदन करती हूं। ग्राम सथाना भाटोली पंचायत के अन्दर है, जोधपुरा जो है वो फियावड़ी पंचायत में है उस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रारम्भ करने के बारे में भी मैं उनसे निवेदन करती हूं।

मेरी कुछ और जो डिमांड हैं वो मैं लिखित में इनको दे दूंगी लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगी, एक मेरा सुझाव है। वाक-इन इंटरव्यू, जैसे आप डाक्टर्स के इंटरव्यू लेते हैं तो इस पैटर्न को क्यों न हम शुरू करें कि जो भी एमबीबीएस डाक्टर हमारे यहां पर सेवा देना चाहता है वह सीधा आए और उसे सीधी सरकारी नियुक्ति मिल जाए। इंटरव्यू की प्रक्रिया इतनी लम्बी है कि डाक्टर आता नहीं और उसी में निकल जाता है और प्राइवेट के अन्दर ही चला जाता है। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धनसिंह रावत।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 और मांग संख्या 32 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं मेरी ओर से और मेरे क्षेत्र की जनता की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा की ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधिकतर ग्रामीण, गरीब और आदिवासी लोग रहते हैं। विधान सभा हैडक्वार्टर पर ए श्रेणी का एक महात्मा गांधी हास्पिटल है जहां पर पूरे जिले के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। सभापति महोदय, समय को ध्यान रखते हुए बिना भूमिका बांधे मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित कराना चाहता हूं कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में डाक्टर्स की कमी की वजह से हमारे क्षेत्र की जनता को गुजरात में इलाज के लिए जाना पड़ता है, उदयपुर जाना पड़ता है। कई लोग पैसों के अभाव में अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं और उनको जीवन से हाथ धोना पड़ता है।

बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में लम्बे समय से डाक्टर्स के पद खाली हैं। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में वरिष्ठ विशेषज्ञ के सात पद स्वीकृत हैं जिनमें से तीन पद रिक्त हैं। कनिष्ठ विशेषज्ञ के 18 पद स्वीकृत हैं जिनमें से पांच रिक्त हैं। वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के तीन पद स्वीकृत हैं, तीनों ही खाली हैं। चिकित्सा अधिकारी के 39 पद स्वीकृत हैं, 26 पद रिक्त हैं। लैब टैक्नीशियन के 16 पद स्वीकृत हैं, 13 पद रिक्त हैं। सहायक रेडियोग्राफर के 13 पद स्वीकृत हैं, सभी पद खाली हैं।

इसी प्रकार बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विशेषज्ञों के 69 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 61 पद खाली हैं। चिकित्सा अधिकारियों के 127 पद स्वीकृत हैं, 55 पद रिक्त हैं। नर्सिंग ग्रेड-2 के 271 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 64 पद रिक्त हैं। एएनएम के 898 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 440 पद रिक्त हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बांसवाड़ा की गरीब जनता की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय का कि बांसवाड़ा से नजदीक अहमदाबाद और गुजरात पड़ता है, लोगों को इलाज के लिए जाना पड़ता है वह बहुत महंगा पड़ता है। वे उदयपुर भी नहीं आ सकते हैं। तो मेरी रिक्वैस्ट है,

(श्री धनसिंह रावत)

कि जो पद खाली हैं उनको भरा जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा, विशेषकर आर्थोपेडिक का पद लम्बे समय से खाली है, उसको भरा जाना बहुत ही जरूरी है। लम्बे समय से हमारे यहां की जनता की मांग है कि आर्थोपेडिक का पद भरा जाए। पूरे बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी महिला चिकित्सक का एक भी पद भरा नहीं गया है तो मेरी प्रार्थना है, और प्रार्थना करने से पहले मैं आपको और माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए हमारे पड़ौसी जिले डूंगरपुर में चिकित्सा महाविद्यालय खोला है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं मांग करता हूं कि मेरे बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में महात्मा गांधी चिकित्सालय में डाक्टर्स की कमी पूरी की जाए। लोग बड़ी उम्मीद के साथ अस्पताल में आते हैं और चैक-अप के लिए लाइन लगती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सोनोग्राफी के अन्दर डाक्टर चिट्ठी लिखता है, वहां जाता है तो बताया जाता है कि तेरा सात दिन बाद में नम्बर आएगा। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही विकट स्थिति है, इसलिए मेरा आग्रह है कि मैंने जो रिक्वैस्ट की है माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से, उन पदों को भरा जाए।

दूसरा, मैं मांग संख्या-32 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में राशन और पोषाहार के गेहूं की सप्लाई की जाती है, उसकी परिवहन व्यवस्था में मैं सुधार चाहता हूं। बीएसआर से कम पर जो ठेकेदार टेण्डर डालते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। वे इतने नीचे गिर जाते हैं कि बीएसआर से 40-46 प्रतिशत नीचे तक वे अपनी रेट डालते हैं। डीजल के खर्चे से भी कम रेट डालते हैं। वहीं से ब्लैकमेलिंग शुरु होती है। गांव में गरीब डीलरों के, वहां आदिवासी डीलर हैं, वे रात को जाते हैं माल लेकर और उन बोरों में से गेहूं रास्ते में कम करते जाते हैं और डीलर के वहां पर्याप्त मात्रा में गेहूं नहीं पहुंचता है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस व्यवस्था पर अंकुश लगाया जाए। 40-30 प्रतिशत जो बिलो लेते हैं, वे ठेकेदार सीधा-सीधा ब्लैकमेलिंग करने का काम करते हैं।

विद्यालयों में पोषाहार का गेहूं सप्लाई होता है, वहां भी ठेकेदार की यही हालत होती है क्योंकि अध्यापक बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त रहता है और

(श्री धनसिंह रावत)

इस कारण वह गेहूं को ठीक से तौल नहीं सकता, ध्यान नहीं रख पाता। जो कट्टा 50 किलो का होता है, उस एक कट्टे में 42 किलो गेहूं पहुंच पाता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि बच्चों के गेहूं में भी कालाबाजारी हो रही है, उनको भी लूटने का प्रयास किया जा रहा है, उसको इस परिवहन व्यवस्था के माध्यम से रोका जाए और सरकार खुद व्यवस्था करे। सरकार के पास अपनी जो एजेंसी है, उसके माध्यम से सप्लाई का काम करना चाहिए। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि गेहूं की जो व्यवस्था है, राशन की व्यवस्था है, पोषाहार की व्यवस्था है, उसमें वितरण प्रणाली में सुधार किया जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज स्वास्थ्य, लोक सफाई और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की अनुदानों मांगों पर बहस की आपने इजाजत दी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य हम सबके लिए बहुत जरूरी है। (व्यवधान) आप कहो तो बैठ जाऊं। आपकी व्यवस्था भी माननी पड़ेगी, हम कम हैं न। धन्यवाद।

निश्चित रूप से स्वास्थ्य की सबको चिंता रहती है। जो मृत्यु दर बढ़ रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने सबके लिए 2 अक्टूबर, 2011 को नि:शुल्क दवा योजना चालू की और इसके तहत 30 जून, 2014 तक 17,54,53,486 लोगों को हमने लाभान्वित किया। नि:शुल्क जांच योजना भी चालू की 7 अप्रैल, 2013 को बड़े अस्पतालों में, एक जुलाई, 2013 को सीएचसी में और 15 अगस्त, 2013 को पीएचसी और डिस्पेंसरीज में और उप स्वास्थ्य केन्द्रों में। इसका मायना यही था कि हमारी सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत यह चाहते थे कि सब लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जितना हमारी सरकार कर सकती है, वह ज्यादा से ज्यादा हम करने का काम करें। इसका फायदा भी हुआ सभापति महोदय। फायदा इस प्रकार से हुआ कि जयपुर शहर में चार बड़े अस्पतालों में मरीज भर्ती होते थे उनकी मृत्यु दर में कमी आई है। तीन वर्षों में 0.30 फीसदी कमी आई है और चार सालों में 0.22 फीसदी की गिरावट आई है, जो हमारे प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। गुजरात में मृत्यु दर 6.6 है जिस गुजरात की बात करते हैं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

2010 में जयपुर के चार बड़े अस्पतालों में 0.56 रही मृत्यु दर, वह 2011 में 0.53, 2012 में 0.43 और 2013 में 0.34 फीसदी रह गई जो मेडिकल कालेज से जुड़े हुए अस्पताल हैं उनमें। कहने का मतलब इसका यह है कि इतना बड़ा फायदा हुआ कि जनता को लाभ मिलने लगा। लेकिन, सभापति महोदय, आज स्वास्थ्य विभाग में डाक्टर्स की कमी, पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है। हमारे सदन की माननीय नेता स्वयं मानती हैं। उन्होंने 18 तारीख को जब अपना यहां से वक्तव्य पढ़ा तो कहा, मैं मानती हूं कि 9,000 चिकित्सकों की कमी है। हम सात-सात मेडिकल कालेज और खोलने जा रहे हैं तो इसमें क्या स्थिति होगी, किस प्रकार से बनेगी।

आज 50,000 से अधिक पैरा मेडिकल स्टाफ को भर्ती करने के लिए बोनस अंक का, जो लोग काफी समय से कार्य कर रहे थे इस क्षेत्र में, उनको 30 प्रतिशत दिये, हाई कोर्ट ने 15 प्रतिशत का कहा, हम एस.एल.पी. में गए और कहा कि नहीं, छह-छह, आठ-आठ साल काम करते जिनको हो गये बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर में, उनको 30 परसेंट लाभ मिलना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने, माननीय सभापति महोदय, कोई एक्शन नहीं लिया। न डाक्टर भरने का काम कर रहे हैं न पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती करने का काम कर रहे हैं और आज चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है, यह मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ...(व्यवधान) हमने तो जांच कर दी, लेकिन आपने क्या किया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 2018 में आप इधर होंगे और हम उधर होंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): छोड़ो इस बात को तो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अब तो सपना देखो, सपना देखो इधर आने का।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर-उधर की बात न करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने जो योजनाएं चालू की थीं, उन पर आज यह सरकार कैंची चलाने का काम कर रही है। कल हमने पढ़ा था कि जनता के हितों पर कुठाराघात करने वाला फैसला यह सरकार

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

करने जा रही है। मुफ्त दवा जांच योजना और नि:शुल्क दवा योजना में से तीन करोड़ लोगों को बाहर करने जा रही है यह सरकार। तीन करोड़, माननीय सभापति महोदय। क्या है यह? ये अपनी जो योजना लाना चाहते हैं उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करें। बार-बार इस सदन में मंत्री महोदय और इस सदन के नेता द्वारा भी यह कहा गया था कि हम नि:शुल्क दवा योजना को बंद नहीं कर रहे हैं, उसका सबको लाभ मिलेगा। आज कह रहे हैं कि नहीं, हम तो 33 प्रतिशत लोगों को बाहर करेंगे। निश्चित रूप से यह जनता के हितों पर कुठाराघात पहुंचाने वाला है।

आरपीएमटी की परीक्षा हुई, 45 हजार लोगों ने कोचिंग के माध्यम से करीब 400 करोड़ रुपये खर्च करके आरपीएमटी का एग्जाम दिया। सफल भी हुए, लेकिन इस सरकार की नाकामी के कारण सुप्रीम कोर्ट के दखल से दुबारा आरपीएमटी का एग्जाम कराना पड़ रहा है। बच्चों की मेहनत, उनके मां-बाप का पैसा बरबाद हो रहा है। दुबारा आरपीएमटी आज तक नहीं हुई है। 64 हजार हमारे प्रदेश में एच.आई.वी. एड्स के जो पीड़ित हैं, उनके लिए भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो सरकारी डेंटल कालेज हैं उनमें नि:शुल्क दवाई और जांच के लिए कोई बजट नहीं दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की केवल मात्र एक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला है, मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कि 2780 नमूने आज भी पैंडिंग हैं। यह हम सब के लिए बड़ा दुखद विषय है, आज हम किस चौराहे पर खड़े हैं? आज इंजेक्शन खरीद में घोटाले हो रहे हैं, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। 13-13 करोड़ का घोटाला हो जाए, 410 रुपये का इंजेक्शन 662 रुपये में खरीदा जा रहा है, क्रय समिति व सलाहकार बोर्ड को भी दरकिनार किया जा रहा है। आज हम क्या कर रहे हैं?

बड़े-बड़े जो प्राइवेट हास्पिटल हैं, उन्होंने कुछ शर्तों के साथ में एमओयू करके हमसे सस्ते में सरकारी जमीन ली थी। वे प्राइवेट हास्पिटल जनता को लाभ नहीं दे रहे हैं और जो एमओयू किया था उसकी वो पालना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अगर आज उन पर कार्यवाही हो जाए, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि ऐसे हास्पिटल हैं जिन्हें 2600 करोड़ रुपए की जमीन का आबंटन हुआ है वह सब निरस्त हो सकता है। आपने किया, हमने किया, मैं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन उन पर कार्यवाही होनी चाहिए, गरीब को लाभ मिलना चाहिए। सरकार की जमीन पर उसका हक है, खजाने के एक-एक पैसे पर उसका अधिकार है, उसको भी वह लाभ मिलना चाहिए। आज हम फोर्टिस में या इनमें जाते हैं तो हमारी क्या हालत होती है? जैसे एक समाज के लोग बकरे को काटते हैं उस तरीके से ग्रामीण परिवेश के लोगों को काटने का काम इस प्राइवेट हास्पिटलों द्वारा किया जाता है। उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है।

आज नि:शुल्क दवा योजना के लिए 12 हजार इनहेलर खरीदे गये, दुगने दाम पर खरीद लिए। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, कोई जांच नहीं। बहुत बड़ी शर्म की बात, माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के लिए कि जानवरों के इंजेक्शन आदमियों को लगा रहे हैं। निर्माता कम्पनी के खिलाफ कि हम उसका माल नहीं खरीदेंगे, कोई व्यवस्था नहीं हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस फ़र्म पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। जिस सप्लायर ने आपको सप्लाई किया, आपके हास्पिटल को सप्लाई किया, उस पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। जिस स्टोर में रहा और जिसने सप्लाई दी, उस पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। मोटी बात है कि जो आईएम इंजेक्शन लगता है मस्क्यूलर में, वह तो नर्स-2 कम्पाउंडर लगा सकता है। (व्यवधान) बैठ जाओ, आप तो बड़ा भाई हो हमारा।

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लेकिन जो आई.वी. इंजेक्शन है सभापति महोदय, वह आईवी इंजेक्शन नर्स को, एएनएम को या कम्पाउंडर को लगाने का अधिकार नहीं है, वह चिकित्सक ही लगाता है। मांग करते हैं बार-बार कि हमें अधिकार दो। किसी भी हास्पिटल में चले जाइए, अगर आई.वी. इंजेक्शन एक भी डाक्टर लगाता पाया जाए तो कहो सो मैं कान पकड़ कर माफी मांगने को तैयार हूं। कम्पाउंडर और ए.एन.एम. ही लगाते हैं, उन्हीं से हम काम करवाते हैं लेकिन उनको अधिकार देने की बात हम करते नहीं हैं। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसमें भी पहल करके काम कराने का काम करेंगे।

तीसरा, सभापति महोदय, मेडिकल कालेज खोले, वाहवाही लूट रही है सरकार कि हमने सात मेडिकल कालेज खोले। ये मेडिकल कालेज आपने नहीं खोले हैं। आपके मोदीजी को बने हुए तो तीस दिन हुए हैं, केन्द्र की यूपीए

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सरकार ने ये मेडिकल कालेज दिए हैं, आपका इसमें कोई कुछ भी नहीं है। आपने एक काम किया है, एक जगह केन्द्र की यूपीए सरकार ने छोड़ी थी कि राज्य सरकार तय करके बता दे। माननीय सदन की नेता ने माननीय राजेन्द्रजी राठौड़, जो चिकित्सा मंत्री हैं उनके कहने से चूरू में मेडिकल कालेज की स्थापना का निर्णय लिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं चूरू में फिजिबल है क्या मेडिकल कालेज? केवल अपने अहम की संतुष्टि के लिए यह सात-आठ जिलों की जनता से जुड़ा हुआ अहम सवाल है। आज किसी को भी आप ले लो, झालावाड़ के मेडिकल कालेज की क्या स्थिति है? चला लो न उसको ढंग से। उससे भी बुरा हाल आपके चूरू के मेडिकल कालेज का होगा। आज ईमानदारी से छाती पर हाथ रखकर सोचो कि क्या सीकर मेडिकल कालेज का हक नहीं था? आप उस हक को मत मारो। चूरू और सीकर तो पड़ोसी हैं, एकदम सीमा जोड़ है, आप हमारा हक मारकर ले जाओगे तो कहीं यह दिक्कत नहीं आ जाए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर मेडिकल कालेज जो हमारी सरकार ने...

श्री सभापति: सीमाएं मिलती हैं क्या चूरू और सीकर की?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): साहब, सब कुछ मिलता है, केवल...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, इनसे मिलती है लक्ष्मणगढ़ और चूरू की, पास-पास में हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सब कुछ मिलता है, लेकिन क्या है कि सरकार में जो आदमी होता है तो फिर सरकार, सरकार ही होती है।

श्री सभापति: जहां ज्यादा बीमार होते हैं शायद वहां मेडिकल कालेज की ज्यादा आवश्यकता होती है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह स्थिति भी मैं निवेदन कर दूं कि आज जो आउटडोर सीकर का है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, जोरावर को डंका डांग न फाड़ है, यह बात है। शेखावाटी में कहावत है कि जोरावर को डंका डांग न फाड़। डांग कहते हैं लाठी को और जोरावर के हाथ में अगर छोटी-सी चीज हो तो लाठी को फाड़ देती है। तो चिकित्सा मंत्री जोरावर हैं साहब।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बात यही है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: यह प्रामाणिकता से आप फरमा रहे हैं क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल प्रामाणिकता ही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, अब आप इस पर मोहर लगा दें क्योंकि सारे मामलों के हमारे तो शेखावाटी के प्रमुख आप ही हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): निश्चित रूप से यह गलत काम नहीं करें। आज अगर किसी प्रोफेसर को आप लगाएंगे, जयपुर से ट्रांसफर करोगे तो वह सीकर तो चला जाएगा लेकिन चूरू नहीं जाएगा। नागौर के आदमियों को लाभ देने की माननीय सदन की नेता ने जो केन्द्र को चिट्ठी लिखी उसमें कहा, नागौर जिले को भी लाभ मिलेगा।

मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, चूरू से सीधा नागौर कोई कहां जाता है सीकर होकर ही जाना पड़ेगा आपको तो। इसलिए पहले तो अगला सीकर जाएगा, फिर चूरू जाएगा, फिर आपके मेडिकल कालेज में जाएगा। वहां कुछ मिलेगा नहीं, इतने में तो उसका काम तमाम हो जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके सीकर का जो हक है मेडिकल कालेज का, उसको दिलाने की चेष्टा करें। उसकी पूरी मैं मांग करता हूं कि सीकर जिले का हक है सरकारी मेडिकल कालेज। सांवली का पूरा का पूरा ट्रस्ट, जितनी जमीन आपको चाहिए सरकारी मेडिकल कालेज के लिए जितने भवन की आवश्यकता हो, उतना बड़ा भवन है, कम से कम तीन-साढ़े तीन सौ करोड़ का सांवली का भवन है, वो पड़ा है उसको ले जाएं।

एक तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, दो मिनट और दें आप। एक ये जो रेडियोलोजिस्ट हैं, आजकल हर आदमी सोनोग्राफी कराना चाहता है और रेडियोलोजिस्ट की बहुत भूमिका है। आज हमारे एसएमएस में तीस में से केवल नौ पोस्ट हैं, 21 खाली हैं। ये आ नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं आ रहे हैं, सभापति महोदय, कि इनको जो एनपीए मिलता है, यह वैकल्पिक कर देना चाहिए एनपीए वाला मामला कि कोई एनपीए ले ले या कोई व्यक्ति चाहे तो वो प्रैक्टिस कर सकता है। डाक्टर भी तो करते हैं तो फिर इनको क्यों न कर दिया जाए? एक पीसीपीएनडीपी में इनके रजिस्ट्रेशन की अनुमति प्रदान कर दी जाए जिससे वो भी अपनी सोनोग्राफी मशीन रख सकें, अपना इंस्ट्रूमेंट रख सकें और वो करें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

दूसरा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का है उसमें माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं हर प्रश्न में कि आपने पता नहीं किन-किन को गलत दे दिया और हम सबकी जांच करा लेंगे। आप कराओ तो सही, सात महीने से भाषण ही भाषण ठोक रहे हो। हर बात को गोलमोल घुमा रहे हो। आप में दम है तो कीजिये न, कौन मना कर रहा है? जो सही है उसको दीजिये और जो अपात्र है उसको हटाइये। लेकिन हटा कर देखिये तो सही। आपने विद्यार्थी मित्रों को हटाया तो देखा कल दुबारा मंत्रीजी का जवाब। परसों तो जोश से कह रहे थे कि हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे और कल सदन की नेता ने कहा कि हम जल्दी ही इस पर कार्यवाही कर देंगे। एक जो नशीली दवाएं लेने का खिलाड़ियों में प्रचलन बढ़ रहा है, उसमें भी देखने की जरूरत है।

आज लोक सफाई का भी है। जयपुर नगर निगम में एक सफाई के ठेकेदार हैं जिनको ठेका हुआ 264 रुपये सफाई कार्य के लिए और सीवर सफाई के लिए 292 रुपये। संवेदक को 12.36 प्रतिशत सर्विस टैक्स, 12 प्रतिशत पीएफ, 4.75 प्रतिशत ईएसआई और 5 प्रतिशत कंटिंजेंसी चार्ज की पूरी राशि का ठेका दिया गया था। आज, सभापति महोदय, वो ठेकेदार एक रुपया जमा नहीं करा रहा है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा घपला हो रहा है। इसकी भी जांच कराने की आवश्यकता है। लाखों रुपये पीएफ और ईएसआई के डकारे जा रहे हैं, जांच करा कर काम कराने की चेष्टा करें।

एक मेरे लक्ष्मणगढ़ में सीवरेज का प्रोजैक्ट था, पूर्व सरकार ने 2013-14 में बजट स्वीकृत किया था। उस सीवरेज के प्रोजैक्ट को इन्होंने राजनीतिक दुर्भावना से बंद करने का काम किया है। मैं, सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि सफाई पूरे शहर की हो और उसमें तो एम.पी. में आपको वोट ज्यादा मिले हैं, फिर आप जो वोट दे रहे हैं उनको भी नहीं दे रहे हो, जो वोट कम दे रहे हैं उनको भी सुविधा नहीं दे रहे हो। 90 करोड़ का प्रोजैक्ट था, पूरे प्रदेश में 2 हजार करोड़ के सीवरेज के जो प्रोजैक्ट थे, उनको वापस चालू किया जाए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर में मेरे साथी हैं इनके यहां एक पीएचसी है उसमें तो एक भी डाक्टर नहीं है। एक सीएचसी में एक भी डाक्टर नहीं है, दूसरी में हैं तो मात्र चार-पांच परसेंट हैं। एक लाडनूं में पूनमचंद डारा नाम का व्यक्ति बीस दिन से हड़ताल पर है। मंत्री महोदय, अनशन पर बैठा है, धरने पर बैठा है, उसकी एक मांग है। एसडीएम ने समझौता किया था आकर कि डाक्टर लगा देंगे, एएनएम लगा देंगे, कम्पाउंडर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लगा देंगे। आज बीस दिन से कोई उसको पूछने वाला नहीं है। न डाक्टर है, न एएनएम है, न कम्पाउंडर है।

राशन वितरण का हमारे खाद्य मंत्रीजी बार-बार कह रहे हैं कि चार जिलों में बंट गये, बाकी में बंटाने का काम करेंगे। सात महीने हो गये। बंटाना कुछ नहीं है। सरकार के सारे मंत्री गोलमाल जवाब देते हैं। एक भी जवाब सही देते नहीं हैं। इनकी काम करने की नीयत नहीं है, जनता को लाभ देने की नीयत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि सीकर का सरकारी मेडिकल कालेज माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी जबरदस्ती डांग के जोर पर चूरू नहीं ले जाएं, यह सीकर का हक है इस सीकर के हक को दिलाने का काम करें। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री गोपाल कृष्ण।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): आदरणीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। कहा गया है, "Wealth is lost nothing is lost, health is lost something is lost but character is lost everything is lost."

आज यह समय है, मैं जानता हूं। एक समय था बीकानेर का, पीबीएम हास्पिटल जब खुला था, महाराजा गंगासिंहजी ने उस समय कहा था, असैम्बली में घोषणा की, उन्होंने कि एक एमबीबीएस डाक्टर भी हमारे यहां पर पीबीएम हास्पिटल में आ गया है। एमबीबीएस डाक्टर का आना भी एक बहुत बड़ी बात थी, एक समय था। आज सुपर स्पेशलिटी के लिए हम लोग झगड़ते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में सम्भाग के अस्पताल बड़ा विशिष्ट योगदान रखते हैं लेकिन बीकानेर के खास तौर से देखिये, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के नजदीक लोग भी वहां आकर इलाज करवाते हैं। खास तौर से कैंसर का इलाज कराने के लिए वहां पर आते हैं। रेडियोलोजी का इलाज तो गंगासिंहजी के जमाने में भी हो रहा था। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात यह है कि अत्याधुनिक चिकित्सालय उपकरणों की तकनीकी होने के बावजूद भी शोध के लिए यहां कार्य नहीं हो रहा है। बायो टैक्नोलोजिस्ट का पद रिक्त है। सारी चीजें कायम हैं उन सब के लिए, लेकिन वो नहीं है। दानदाताओं ने डायबिटिक रिसर्च सेन्टर, ट्रोमा सेन्टर, कार्डियक सेन्टर की उच्चतम स्तर की इमारतों का निर्माण भी करवाया है परन्तु पांच सालों में, अब ये कहेंगे, कांग्रेस का नाम लेवें चाहे नहीं लेवें, रामेश्वरजी, आप कहो तो ले लेता हूं मैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ले लो।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): पांच साल में कांग्रेस सरकार की नाकामियों व इच्छा शक्ति के न होने से डाक्टर, एएनएम और स्टाफ की नियुक्तियां नहीं हुईं। हम इतने वर्षों से कह रहे हैं लेकिन इसकी पूर्ति अभी भी नहीं हुई। अभी एक श्रीमानजी कह रहे थे कि जानवरों के इंजेक्शन लगा दिये, तो जोधपुर में ग्लूकोस के जो इंजेक्शन लगे थे उससे कितने आदमी मर गये थे, यह याद नहीं है क्या? जोधपुर में उस समय किसका राज था? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, उस समय इंजेक्शन लग गये वो कोई अच्छी बात नहीं थी।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): गलत ग्लूकोस चढ़ाने से लोगों की मृत्यु हुई है, हुई है न?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अब मैं बताऊं, एक मिनट, गोपालजी। एक मिनट, माननीय सभापति महोदय।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): कोई बात नहीं, अब आप अपनी बात कहिये, मैंने अपनी बात कह दी।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापतिजी, कि बेटी बचाओ अभियान बहुत बड़ा अभियान है, हम आपकी सराहना करते हैं, पर इस बेटी बचाओ अभियान में जिनको ब्रांड एम्बेसेडर बनाया है, उनके बेटी है? एक भी बेटी नहीं है उनके।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): अब मेरा समय क्यों खराब कर रहे हो? बीकानेर वालों का, मेरा, समय क्यों खराब कर रहे हो? रामेश्वरजी, हाथ जोड़ कर कह रहा हूं मैं आपसे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कम से कम जिसके बेटी है उसको तो ब्रांड एम्बेसेडर बनाओ। ऐसे निर्णय लिये जा रहे हैं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, इनसे पुष्टि करा लो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): राजा-महाराजाओं के सामंतशाही राज से बाहर निकलो। मानसिकता चेंज करो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) आपकी बेटी है न? (व्यवधान) आपको बना दें?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं-नहीं, यहां विधायक बहुत बैठी हैं, सुन्दर बैठी हैं, उनको आप बनाओ।

श्री सभापति: मेरे खयाल से दोनों को ही जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में, प्रतिपक्ष के नेता, आपको जानकारी की आवश्यकता हो तो इसकी मैं प्राथमिकता से आपको जानकारी प्रदान कर सकता हूं।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): सभापति महोदय, मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि गांव के अन्दर डाक्टर क्यों नहीं जाते हैं। यदि उनको कुछ पैकेज अच्छा दिया जाए, डाक्टर जितना दूर जाए उतने उसको कुछ अधिक पैसे दिये जाएं तो हो सकता है वह उस लोभ में बाहर ज्यादा दूर तक चला भी जाए।

(14.50 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

एक तो समस्या यह है कि यहां पर मरीजों को ज्यादा देखना पड़ता है। आस्ट्रेलिया में मैंने किसी से पूछा था, एक गायनाकोलोजिस्ट ने मेरे से कहा कि हम दिन भर में पांच-सात लोगों को देखते हैं लेकिन यहां पर हमको कम से कम सौ लोगों को देखना पड़ता है। तो उस क्वालिटी से हम लोगों को नहीं देख सकते।

जहां तक मुफ्त दवाइयों का सवाल है, जो मुफ्त दवाइयां आप लोगों ने हास्पिटल के अन्दर सप्लाई कीं, वे अच्छी क्वालिटी की नहीं थीं, यह बात सही है और इसीलिये लोग बाहर से दवाइयां लेकर अपना इलाज कराते हैं। यह बात तो सही है। सभी लोग कह रहे हैं कि बाहर से दवाई लिखते हैं। मेरे को भी कई डाक्टरों ने बाहर की दवाइयां लिखीं, वहां की दवाइयां नहीं दीं। मुझे दे सकते थे लेकिन नहीं दीं। तो मैं यह समझता हूं कि जब मुझे भी दवाइयां बाहर की लिख कर देते हैं तो दूसरों को भी दी होंगी। इसका मतलब यह है कि अपनी जो दवाइयां आप लोग हास्पिटल के अन्दर लोगों को वितरित करते हैं, उन पर भरोसा नहीं है आपके डाक्टरों को, जिन डाक्टरों को आपने वहां पर रखा है। स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन उनको भरोसा नहीं है।

इसलिये यह बात मान लीजिए कि आपने मुफ्त दवाइयों की और मुफ्त जांच की बात कही है, वह भी अच्छे स्तर की नहीं है। लोग बाहर जाकर जांच करवाते हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर आपने डवलप नहीं किया उससे पहले यह काम शुरू कर दिया। इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा होना, आदमी भी इकट्ठा कर लेते, जांच की

(श्री गोपाल कृष्ण)

व्यवस्था पूरी कर लेते तो निश्चित रूप से उसमें कुछ अच्छा काम किया जा सकता था। लेकिन नहीं किया। फार्मासिस्ट आपके पूरे नहीं थे, कम्प्यूटर आपरेटर की भी नियुक्तियां वगैरह आपने टाइम से नहीं की थीं। इस तरह से कैसे काम किया जा सकता है। आप इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं करो, जांच की जितनी फार्मेलिटीज हैं वे पूरी नहीं करो और उसके बाद में भी आप कहो।

अब जहां तक सवाल है चिकित्सा का तो Hippocrates, the Father of the Medicines. उनका कहना है कि "It is an art of healing.." आर्ट आफ हीलिंग है यह। हील करता है। मरीज के सिर्फ घावों को हील नहीं करता। उसके दिमाग को, उसको साइकोलोजी, उसकी पूरी मानसिकता को भी ठीक करता है। यह एक कम्प्लीट चीज है कि मनुष्य को किस तरह से ठीक करके हास्पिटल से बाहर भेजा जाए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अभी तो इनको हीलिंग की आवश्यकता है।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): लेकिन फिर भी मैं यह कहता हूं कि हमारे जो सिस्टम है, इतने वर्षों से जो लगातार चल रहा है, बेहतर चिकित्सा से एवरेज ऐज तो बढ़ी है। अपने यहां एवरेज ऐज बढ़ी है निश्चित रूप से। और पोलियो मुक्त देश हुआ है, यह भी मानना पड़ेगा। चेचक मुक्त भी हुआ है। लेकिन यहां की गति बहुत धीमी है। वह इसलिये कि पापुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम इसको धीमी गति से कर रहे हैं। धीमी गति होने के कारण से इसके अन्दर हम उतना डवलपमेंट नहीं कर सकते जितना हमको करना चाहिए। फिर भी हमको जो आवश्यकता है, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, जिला अस्पताल में मूलभूत व्यवस्थाओं का अभाव है, उसको आप पूरा कीजिये बीकानेर के अन्दर। अभी मैं देखकर आया हूं, आपने मुझे खास तौर से भेजा था कि आप जाकर देख कर आओ। गंगासिंह हास्पिटल को सैटेलाइट हास्पिटल बनाने के लिये आपसे हम वर्षों से निवेदन कर रहे हैं। उसको अगर आप सैटेलाइट हास्पिटल करो तो वहां के बहुत से लोगों की बरसों की उम्मीद है, उसकी पूर्ति हो सकती है। पी.बी.एम. हास्पिटल के रेडियोलोजी विभाग के अन्तर्गत एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, व्याख्याता की नई नियुक्तियों की जरुरत है, वह नहीं हो रही है। अगर उसका विभागाध्यक्ष रिटायर हो जाएगा तो यह डिपार्टमेंट खाली हो जाएगा। वहां एक भी आदमी आपको नहीं

(श्री गोपाल कृष्ण)

मिलेगा। नाक, कान व गला रोग विभाग के अन्दर विशेष स्थान बीकानेर रखता है। लेकिन वहां पर भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। आडियोमीटरी नहीं हो रही है, ओडियोलोजिस्ट वहां पर नहीं है। डी.डी.सी. चलाना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति वहां पर नहीं है। ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करूंगा कि सर्जरी विभाग के अन्दर 17 लाख की एक हार्मोस स्कल्पचर नामक मशीन आपरेशन थिएटर से चोरी हो गई। आज चार साल हो गये उसका कुछ पता नहीं चला। चोरी हो गई आपरेशन थिएटर से। आपरेशन थिएटर में इतने लोग रहते हैं उसके बावजूद चोरी हो गई, आज उसका कोई अता-पता नहीं है। इसका पता नहीं चल सका है। उसका सुराग तक नहीं मिला है कि किस तरह से कैसे गई है, कौन ले गया है। आज तक चार साल में कोई सुराग उसका नहीं मिला है। कार्डियक सेण्टर है हमारे यहां पर, उपकरण भी हैं लेकिन बाई-पास के लिये सर्जन नहीं है। जितनी आवश्यकता है वे सब उपकरण हैं लेकिन सर्जन के अभाव के कारण से बाई-पास सर्जरी नहीं हो रही है। एक आदमी के कारण से, करोड़ों-करोड़ों के उपकरण होते हुए भी, लेटेस्ट उपकरण हैं वहां पर, लेकिन बाई-पास सर्जरी नहीं हो रही है। उसके लिये आप कोई सर्जन जल्दी से जल्दी भेज दें तो बहुत मेहरबानी होगी।

जनाना विभाग के अन्दर जो आपकी गायनाकोलोजिस्ट है एच.ओ.डी., उससे किसी की भी नहीं बनती है। किसी की भी नहीं बनती है। मरीजों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उनके जितने भी एसोसिएट्स हैं उनसे उनका सम्बन्ध ठीक नहीं है। तो उसको भी थोड़ा-सा देखिये। उसका वातावरण ठीक बनाइये। चाहे उसको ठीक कीजिए, चाहे उसको बदलिये, या और जो कुछ आप ठीक समझते हैं, उसको कीजिये।

अभी सम्भाग के अन्दर जब हमारी कैबिनेट गई थी, आप तो अच्छा नहीं समझते हैं, अपोजिशन वाले, कांग्रेस वाले यह कहते हैं कि सिर्फ घोषणाएं कीं। घोषणाएं नहीं कीं, जितनी भी घोषणाएं की थीं, वहां राजेन्द्रजी ने प्रेस कांफ्रेंस कीं, कांफ्रेंस में घोषणाएं कीं और उन सारी घोषणाओं को बजट के अन्दर ले लिया। एक-एक घोषणा को बजट के अन्दर लिया गया है। इस बात को मानिये आप। आप कहते हैं सिर्फ घोषणा की। अब यह तो आपकी और अभी माननीय गोविन्दजी साहब चले, वह बड़े जोरों से बोलते हैं...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पी.बी.एम. हास्पिटल ठीक करवा लीजिये आप।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): अभी मेरे को तो बोल रहे हैं। एक बात सुनिये, आप बोलते हैं तो मैं कभी बोलता हूं क्या? एक दफे बोला था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप थोड़ा सम-अप करें।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): आप मेरे को बोलने दीजिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें इसको, थोड़ा-सा जल्दी।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): अभी दो मिनट में कर देता हूं।

श्री सभापति: टाइम हो गया है काफी।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): जी। अभी राठौड़ साहब ने पी.बी.एम. हास्पिटल में कोई निरीक्षण किया। आप बड़ा ताज्जुब करेंगे कि दो सौ ट्रक कचरे के वहां से निकाले गये, निरीक्षण के बाद में। अगर यह निरीक्षण नहीं करते तो वह कचरा नहीं निकलता। वहां पर सब कुछ ठीक किया गया है, अभी एक-एक डिपार्टमेंट के अन्दर घूमने के दौरान।

मैं यही कहना चाहता हूं कि कैबिनेट जब सम्भाग में गई थी तो हर एक मंत्री ने गर्मी के दिनों के अन्दर, भयंकर गर्मी के अन्दर, गांव-गांव में जाकर धूप में बैठकर काम किया। और आप कहते हो, कुछ नहीं किया। कमाल की बात है। परन्तु चलो, कोई बात नहीं। हमारे यहां डाक्टर की कमी है। उसकी पूर्ति करें। ए.एन.एम. और जी.एन.एम. की कमी है, उनकी पूर्ति करें। यही आपसे निवेदन है, ज्यादा कोई बात करने की नहीं। वैसे इन्होंने एक आदेश भी दिया है और एक करोड़ रुपया दिया है वहां पर, कि फोर्टनाइटली जयपुर से कोई न कोई अधिकारी जाकर वहां निरीक्षण करेगा। यह बड़ी खुशी की बात है। मैं यह समझता हूं कि जितनी भी चीजें मैंने अभी कही हैं, उनमें से स्टाफ, ए.एन.एम., डाक्टर्स, बाई-पास सर्जरी के लिये डाक्टर, इन सबकी पूर्ति कर दें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री धर्मपालजी चौधरी।

(15.00 बजे)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26-चिकित्सा और स्वास्थ्य और मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति पर

(श्री धर्मपाल चौधरी)

मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा और स्वास्थ्य ऐसा महकमा है जो आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है।

आज के इस जमाने में जिस तरह से खान-पान में मिलावट हो गयी उसकी वजह से इतनी बीमारियां फैलने लग गईं और इसलिए आज इस डिपार्टमेंट की महत्ता बढ़ गयी है। माननीय सभापति महोदय, पहले डाक्टर्स को भगवान का रूप मानते थे और उसी तरह एक डाक्टर गांव में रहकर या शहर में रहकर गरीब जनता की सेवा करते थे। लेकिन आज आर्थिक धन का लोभ जमाने में फैल गया उसकी वजह से चाहे प्राइवेट हास्पिटल ले लो, चाहे सरकारी हास्पिटल ले लो, डाक्टर्स ने प्रैक्टिस का काम चालू कर दिया। माननीय अशोक गहलोतजी ने भी पहले कहा था कि प्राइवेट हास्पिटल जितने भी हैं ये उस आदमी को जब तक उनको नया ग्राहक नहीं मिल जाता, जब तक नया मरीज नहीं मिल जाता तब तक वेंटिलेटर पर रखने का काम भी करते हैं। बहुत-सी ऐसी शिकायतें भी मिली हैं। इस तरह का युग आ गया। एक मंत्री पहले थे कांग्रेस के राज में जो हमारे अलवर जिले के ही रहने वाले थे। कांग्रेस के भाई कहते हैं कि हमने मेडिकल कालेज खोलने का काम पहले ही कर दिया था। पांच साल में हमारे मंत्रीजी पूरे अलवर जिले में डाक्टर्स की पूर्ति ही नहीं कर पाये, पैरा-मेडिकल स्टाफ नहीं लगा पाये, सिवाय घोषणा के। ऐसी जगह जहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं था वहां पर डाइरेक्ट सी.एच.सी. खोल दी। जहां पर न कोई भवन है, न कहीं बैठने की जगह है, ऐसी जगह पर पी.एच.सी. खोल कर चले गये। हमारे मंत्रीजी आते ही, पूरा विभाग माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इनको दिया है, उसको ठीक करने में लग रहे हैं, लेकिन समय लगेगा। मंत्रीजी इतनी क्षमता रखते हैं, इतने सक्षम हैं कि इस विभाग के द्वारा आगे जनता की सेवा करने में कोई कोर-कसर छोड़ेंगे नहीं।

दूसरा, बड़ा सवाल कि आज रेजीडेंट डाक्टर्स आये दिन हड़ताल पर चले जाते हैं। सवाई मानसिंह हास्पिटल जो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा अच्छा हास्पिटल माना जाता है, लेकिन जब मरीज वह यहां पर आता है, डाक्टर आये दिन हड़ताल पर चले जाते हैं तो उस गरीब आदमी को बड़ी दिक्कत होती है। वे सड़कों पर पड़े रहते हैं, उनकी कोई देख भाल करने वाला नहीं है। मंत्रीजी, आप सक्षम हैं, एक ऐसे कानून को रूप देना चाहिए कि डाक्टर्स आये दिन हड़ताल पर नहीं जाएं, जनता की सेवा करें।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज डाइग्नोसिस सेंटर जितने भी बने हुए हैं, जांच के सेंटर बने हुए हैं, सरकारी डाक्टर्स जितने भी प्रैक्टिस करते हैं, वे जांच के लिए ऐसे सेंटर पर लिखते हैं जहां से 50-50, 60-60 परसेंट उन डाक्टर्स को कमीशन मिलता है। आम गरीब आदमी को लूटने का काम हो रहा है। आज सवाई मानसिंह हास्पिटल में जांच होती है, फ्री जांच होती है, सरकार ने फ्री जांच करने के आदेश कर रखे हैं लेकिन डाक्टर घर पर लाइन लगाकर देखते रहते हैं, समय पर हास्पिटल पहुंचते नहीं हैं। गरीब जनता का पैसा लूटने के लिए डाइग्नोसिस सेंटर पर उनकी इतनी जांच लिख देते हैं कि चार, पांच, सात, दस हजार रुपए देकर रोगी को वहां पर जांच करवानी पड़ती है। ऐसे डाक्टर्स जो प्राइवेट हास्पिटल में जाकर प्रैक्टिस करते हैं, घर पर प्रैक्टिस करते हैं और जांचों के लिए ऐसे डाइग्नोसिस सेंटर को लिखते हैं जहां कमीशनबाजी होती है, उसको भी बंद करने का माननीय मंत्रीजी ध्यान रखेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी का ध्यान नि:शुल्क दवा योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं। चुनाव में हम पूरे राजस्थान में माननीया मुख्य मंत्रीजी के साथ 'सुराज संकल्प यात्रा' में गये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने भी हास्पिटल हैं, वहां पर कहते हैं कांग्रेस के भाई कि हमने नि:शुल्क दवा योजना गांव-गांव तक पहुंचा दी। गांवों के अन्दर पांच रुपए और दस रुपए की पर्ची कटाकर गरीब आदमी दवाई लेने जाता था लेकिन पैरासिटामोल के अलावा उसे दवाई नहीं मिलती थी। और दवाई मिले नहीं और पैरासिटामोल का हरा-सा दवाई का पता होता है। गांव के लोग कहते थे कि साहब, जाते हैं तो यह पकड़ा देते हैं। जो एक-डेढ़ रुपये का पता है उसको सिर में दर्द है तो ले जा, पेट में दर्द है तो ले जा। उस दवाई के अलावा इन्होंने देने का काम नहीं किया। और वह दवाई भी इन्होंने घटिया परचेज की। जब हास्पिटल्स को चैक किया तो एक्सपायरी डेट की दवाइयां, इनके राज में फालतू की दवाइयां खरीद कर आम गरीब आदमी तक पहुंचाने का काम भी किया है। इसीलिए ये कहते हैं कि हमारे राज में हमने इतनी घोषणाएं कर दी थीं। हमारे ही मेडिकल कालेज हमारे टाइम में ही बन गये थे। सीकर में बन गया था। चूरू में क्यों बन गया? पूरे राजस्थान में माननीय अशोकजी गहलोत थे तो कितनी बार जोधपुर के अन्दर किया? जितने भी चाहे कालेज है या चाहे कुछ भी है, सारा काम जोधपुर में किया। जनता ने बड़ी आशा और उम्मीद के

(श्री धर्मपाल चौधरी)

साथ में इनको बनाया है और माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इनको स्वास्थ्य विभाग दिया है, इन्होंने भी अपने क्षेत्र में अगर एक मेडिकल कालेज खोल दिया तो आप भी डिमांड करो कि सीकर में भी हमारे खुले। यह बात रख दो लेकिन चूरू में क्यों खुला, ऐसा मत कहें। (व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अंधता निवारण का जो यह प्रोग्राम चलता है, इसमें पेमेंट तीन-तीन साल तक नहीं मिलता है। सी.एम.एच.ओ. जब तक इसमें पैसा नहीं वसूलते तब तक यह पेमेंट नहीं होता। आप इस पर भी ध्यान दें। डाक्टर्स की उम्र को अब आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि डाक्टर्स की उम्र बढ़े बगैर, जो सक्षम हैं, गांवों के अन्दर डाक्टर्स की बहुत ही ज्यादा कमी है, उसको भी पूरा करने का काम आप करें। आपसे निवेदन है कि राजस्थान की गरीब जनता का अच्छा इलाज हो, उनको मुफ्त में दवाई मिले, उनकी मुफ्त में जांच हो, इसका काम भी आप करेंगे। अब आपका ध्यान घंटी पर है, हम शुरू में बोल रहे हैं, दो-पांच मिनट अगर आप और दे दें तो दो-चार बातें रखनी है।

श्री सभापति: आप लिखित में दे दीजिएगा माननीय मंत्रीजी को क्योंकि समय की अपनी सीमा है। बहुत सारे माननीय सदस्यों को बोलना है। कल भी जिस तरीके से अपन ने देखा कि लास्ट में बोलने वालों को फिर समय नहीं मिला। इसलिए बाकी चीजों के लिए लिखकर दे दीजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मैं लिख कर दे दूं तो, साहब, इसमें तो यहां टेबल कर दूं लिखकर?

श्री सभापति: हां, रख दीजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. विश्वनाथ।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदया, आज मांग संख्या-26- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदया, स्वस्थ नागरिक राष्ट्र एवं समाज का मान

(श्री विश्वनाथ)

व सम्पत्ति है। व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर उसकी कार्य क्षमता में कमी आती है, जिसका प्रभाव राष्ट्रीय और राज्य के पूरे समाज पर पड़ता है। राज्य के नागरिकों को स्वस्थ रखने का जिम्मा राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पर है। पिछले पांच साल से हम देख रहे हैं कि चिकित्सा व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं, प्रदेश बीमारू की श्रेणी में आ गया है। माननीया मुख्य मंत्रीजी की, हमारे चिकित्सा मंत्रीजी की यह मंशा है कि हमारा प्रदेश स्वस्थ रहे।

माननीय सभापति महोदय, जो स्वास्थ्य सूचकांक है उस पर स्वास्थ्य विभाग निर्भर करता है। इंफेंट मोर्टलिटी रेट का हमारा लक्ष्य है 40, वर्तमान में 49 है। मदर मोर्टलिटी रेट का लक्ष्य 200 है, अभी वर्तमान में 255 है। कुल प्रजनन दर 2.5 होनी चाहिए, वह 2.9 है। लक्ष्य के अनुसार जितना होना चाहिए उतना आज नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, डाक्टर को ईश्वर का दूसरा रूप माना गया है। आज के वक्त हम जो देख रहे है, मैं भी चिकित्सा व्यवसाय से आता हूं, मैं भी एक डाक्टर हूं, लेकिन डाक्टर को जिस भावना से मानव सेवा करनी चाहिये, उस भावना से आज कार्य नहीं कर रहा है। डाक्टर ने अपना व्यवसाय बना रखा है। हर डाक्टर चाहता है कि मैं प्राइवेट हास्पिटल में जाऊं। राजकीय चिकित्सालय में कोई डाक्टर सेवा नहीं देना चाहता। मैं चाहूंगा कि इस पर अंकुश लगे। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें।

सभापति महोदय, अभी माननीय गोपालजी बोल रहे थे, माननीय मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी 'सरकार आपके द्वार के तहत' बीकानेर गये। पी.बी.एम हास्पिटल उत्तर-पश्चिम राजस्थान का बहुत बड़ा हास्पिटल है, एस.पी. मेडिकल कालेज के अधीन आता है। इसकी व्यवस्था पिछले पांच साल मैं विधायक था, मैंने देखी। हमने भरपूर कोशिश की, बावजूद इसके इसकी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार के जाने पर ही कुछ नहीं करना पडा। सरकार की तरफ से जब मंत्री महोदय वहां गये, दो बार गये, तो इतनी अच्छी व्यवस्था हुई, व्यवस्था में सुधार हुआ जो मैंने आज तक नहीं देखा। जरूर इसका असर पड़ा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मंत्रीजी गये, मेरी पी.एच.सी., सी.एच.सी. को भी इन्होंने देखा। पी.एच.सी., सी.एच.सी. भी

(श्री विश्वनाथ)

पांच साल में जिस तरह से मैंने देखा, और अब मैं देख रहा हूं, बहुत अच्छा उसमें सुधार हुआ है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की है कि 7 नये मेडिकल कालेज खोले जाएंगे जिनमें 700 सीटें होंगी। हर मेडिकल कालेज पर 189 करोड़ रुपये का भार आएगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे प्रदेश में जो चिकित्सकों की कमी चल रही है, इसको देखते हुए इन्होंने पूरे प्रदेश में 7 नये मेडिकल कालेज की जो घोषणा की है, वह सराहनीय घोषणा है।

सभापति महोदय, कैंसर इंस्टीट्यूट के बारे में हम बात करते हैं। बीकानेर मेडिकल कालेज, पी.बी.एम. हास्पिटल का जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, वह बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। राजस्थान में सबसे पहले महाराजा गंगासिंहजी और अब जो इन्होंने कैंसर केयर सेंटर की घोषणा की है 45 करोड़ रुपये देकर, मैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी को इसके लिये धन्यवाद देना चाहूंगा। राज्य स्तरीय कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना पर 120 करोड़ रुपये की घोषणा की है, यह बहुत सराहनीय घोषणा है। मेडिकल कालेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना किया जाना भी प्रस्तावित है। बीकानेर के लिये भी 150 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, बहुत ही सराहनीय है।

मैं नि:शुल्क दवा योजना की बात करना चाहूंगा, पूर्ववर्ती सरकार ने बिना किसी योजना के, बिना किसी पूर्व प्लानिंग के यह योजना लागू की, इसका पूरा लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। मैं कहना चाहूंगा, हमारे कर्मचारी हों, चाहे उच्च आय वर्ग के लोग हों, इनको इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। अभी माननीय वसुन्धराजी ने जो कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिये, मैं इसको सही मानता हूं, इसकी वास्तव में समीक्षा होनी चाहिये। यह आवश्यक भी है। इन्होंने कहा है कि इंश्योरेंस के माध्यम से राज्य के गरीब और वंचित लोगों को निजी अस्पतालों में भी उपचार मिलेगा, बहुत अच्छा कदम माननीय वसुन्धराजी ले रही हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र सभी परिवारों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी, बहुत अच्छी बात है। इसके तहत सामान्य और गम्भीर बीमारी के लिए 30 हजार लेकर 3 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज होगा। मैं कहना चाहूंगा, Prevention is better than cure. अगर प्रिवेंशन को हम

(श्री विश्वनाथ)

स्ट्रेंथन करेंगे तो जरूर हमारे राज्य की दशा सुधरेगी। इम्युनाइजेशन और वैक्सीनेशन पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है कि हास्पिटल मैनेजर की नियुक्ति होनी चाहिये। चिकित्सालयों में आये दिन सफाई व्यवस्था हो चाहे झगड़े हों, बायो-मेडिकल वेस्ट हो, चाहे पानी-बिजली सामग्री, दवाइयां, स्टाफ व्यवस्था हो, हास्पिटल मैनेजर द्वारा इनका प्रबन्धन किया जा सकता है। इसके लिये जो स्पेशलिस्ट है, एम.बी.ए. हो चाहे पी.जी. डिप्लोमा हैल्थ एण्ड हास्पिटल मैनेजमेंट में हो, उनको इसमें मौका दिया जाना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे डाक्टरों की कार्य में रूचि बढ़ेगी और आमजन का सरकारी चिकित्सालयों में विश्वास बढ़ेगा।

सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव और भी है कि जितनी भी हमारी पोस्ट हैं, जाइण्ट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, सी.एम.एच.ओ. है, एडिशनल सी.एम.एच.ओ., डिप्टी सी.एम.एच.ओ. जितनी भी पोस्ट हैं, इन पोस्टों में एम.बी.बी.एस. के साथ-साथ जिनका मैनेजमेंट में कोर्स किया हुआ है, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। चिकित्सा सेवा में आजकल प्रबन्ध कौशल की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, इससे चिकित्सा व्यवस्था और भी अच्छी चलेगी, यह मेरा सुझाव है।

सभापति महोदय, एक सुझाव और देना चाहूंगा, शहरी क्षेत्र में चिकित्सा परामर्श केन्द्र भी अगर खोल दिया जाए तो जितना लोड सामान्य बीमारी के लिये एक स्पेशलिस्ट डाक्टर पर पड़ता है, वह नहीं पड़ेगा और गम्भीर रोगियों को तुरन्त इलाज मिलेगा।

मेरा एक और सुझाव है, चिकित्सक शहर में अधिक रहना चाहते हैं, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनको एक अतिरिक्त इंसेंटिव दे दिया जाए। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनको अगर आप एक्स्ट्रा बैनिफिट देंगे तो जरूर चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र की तरफ अग्रसर होंगे। मैं सुझाव दूंगा कि चिकित्सकों के रिक्त पदों को रोगी भार के आधार पर भरा जाना चाहिये। रोगी भार जिस चिकित्सालय में ज्यादा है, प्राथमिकता देते हुए उस चिकित्सालय में अगर वेकेंसी है तो उसको जल्दी भरा जाना चाहिये।

मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अगर

(श्री विश्वनाथ)

राष्ट्रीय राजमार्ग पर आप खोलेंगे तो मैं समझता हूं कि वहां पर स्टाफ अधिक रहेगा। वहां पर स्टाफ जाने के लिये इच्छुक भी रहेगा और आये दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनसे भी आमजन को मदद मिलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक-दो चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स है, हमारे जो रूरल के डाक्टर हैं, उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स आप चालू करें एक साल का, जिससे कि ग्रामवासियों को अच्छे डाक्टर मिल सकें।

दूसरा 350 असिस्टेंट प्रोफेसर की आपने नियुक्ति की है, उसमें आपने प्रोबेशन पीरियड हटाया है। मैं आपसे मांग करता हूं कि ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों के डाक्टरों के लिये यह प्रोबेशन पीरियड हटाएं, सीधी भर्ती लें और जिला लेवल पर ही यह भर्ती करें।

मैं मेरी एक-दो मांग कहकर समाप्त करना चाहूंगा। सभापति महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी हमारे क्षेत्र में गये थे, मेरा क्षेत्र 150 किलोमीटर में फैला हुआ है। काफी लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है। पाकिस्तान बार्डर पर है और वहां पर तीन लाख की पापुलेशन है। तीन लाख की पापुलेशन में कम से कम तीन सी.एच.सी. होनी चाहिये और 10 पी.एच.सी. होनी चाहिये, जबकि वर्तमान में एक सी.एच.सी. है और 4 पी.एच.सी. हैं। माननीय मंत्री महोदय ने वहां पर घोषणा की है कि पूगल में पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और दंतोर में एक नई पी.एच.सी. खोल दी जाएगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज डिमाण्ड पर आप इसकी घोषणा करें, आपका मैं आभार प्रकट करूंगा। दूसरा, खाजूवाला में जो पैरा-मेडिकल स्टाफ है, स्पेशलिस्ट डाक्टर की व्यवस्था आप करें। लेडी डाक्टर की व्यवस्था भी करें, गायनाकोलोजिस्ट की। आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री नन्दकिशोरजी महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): सभापति महोदय, राजस्थान के इतिहास में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जो चिन्ता इस बजट में दर्शायी गयी है, जिस तरह का पैसा अलाट किया गया है स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिये, और एक साथ 7 मेडिकल कालेज दिये गये हैं, उसके लिये जितना धन्यवाद दिया जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, कम है।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

मैं फतेहपुर क्षेत्र से आता हूं, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी हमारे पड़ोस के क्षेत्र से ही हैं, तो इनका साप्ताहिक आना-जाना रहता है। फतेहपुर क्षेत्र में आज के दिन जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, जितने डाक्टर उपलब्ध हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और साफ-सफाई हास्पिटल की है, वह वाकई प्रशंसनीय है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हर 15-20 दिन से एक बार रामगढ़ या फतेहपुर क्षेत्र में रुककर जाते हैं। शायद वही वजह है कि बढ़िया चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था चल रही है। फिर भी आजादी के 67 साल बाद भी आज कई गांव चिकित्सा व्यवस्था की कमी की वजह से जूझ रहे हैं। करीब 37 गांवों में उप-स्वास्थ्य केन्द्र भी नहीं हैं, उनके यहां एक ए.एन.एम. भी नहीं है और जो आशा सहयोगिनी थोड़ा बहुत काम करती हैं, उनका मानदेय मात्र 1000-1200 रुपये है। या तो वहां ए.एन.एम. और नर्सिंग स्टाफ लगाया जाए या उनका मानदेय बढ़ाया जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हो सकती है।

सात कालेज खुलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है फिर भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर जिले के सांवली ग्राम में पहले से पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है- जमीन मौजूद है, बिल्डिंग बनी हुई है, अगर वहां भी एक मेडिकल कालेज का विचार किया जाए तो सीकर ही नहीं बल्कि झुन्झुनूं, नागौर और आसपास के हरियाणा तक के क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा और साथ में जयपुर में चिकित्सकों पर जो लोड बना हुआ है, वो भी कम होगा।

हमारा रामगढ़ का चिकित्सालय वहां के सेठ-साहूकारों के डोनेशन से बना हुआ है। आज के जो चिकित्सा मंत्री हैं, जब ये पहले चिकित्सा मंत्री हुआ करते थे उस समय इन्हीं के द्वारा उद् घाटन किया हुआ है, वहां महिला चिकित्सकों की बड़ी कमी है, अगर एक-दो महिला चिकित्सक, गाइनी चिकित्सक वहां दे दी जाएं तो आसपास के क्षेत्र को बड़ी सुविधा मिलेगी और शहर भी करीब 30-35 हजार की पापुलेशन का है, उसको भी फायदा मिलेगा।

एक मात्र शिशु कल्याण केन्द्र वहां पहले से चल रहा था जो पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया, मैं निवेदन करूंगा कि उसको वापस शुरू किया जाता है तो क्षेत्र के हित में होगा।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र के गांव हैं सदीनसर, हिरणा, बीबीखुर्द छोटा,

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

रिडमल की ढाणी, नारी, बागास, सवाई लक्ष्मणपुरा, पदमपुरा, रामपुरा, गंगापुरा, बावला और भी काफी हैं, इन गांवों में जनसंख्या को देखते हुए तुरन्त एक सब-सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता है। कुछ बहुत बड़े गांव हैं जैसे बड़ौद छोटी, नबीपुरा, रोसा और रूकणसर, रूकणसर में तो माननीय मंत्रीजी ने घोषणा भी की थी, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन अभी वहां शुरू नहीं हुई है तो वहां तुरन्त प्रभाव से पी.एच.सी. शुरू की जाए।

पिछली सरकार में कुछ सब-सेन्टर जो क्रमोन्नत हुए थे और पी.एच.सी. बने थे, वो सब-सेन्टर दूसरे गांव में जहां सब-सेन्टर नहीं हैं, वहां शिफ्ट किये जाएं। फतेहपुर में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में अगर यह काम किया जाए तो बजट पर भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा और सबको लाभ भी मिलेगा।

डाक्टरों की, उपकरणों की व्यवस्था के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने बोला है। इन कारणों पर भी जाना चाहिए कि डाक्टर लोग सरकारी सेवा में क्यों नहीं आ रहे हैं। अपने को उनकी सैलेरी बढ़ानी पड़े चाहे उनको नान प्रैक्टिस अलाउंस देना पड़े, निश्चित रूप से स्वास्थ्य के बारे में बताने की जरूरत नहीं कि वो कितना जरूरी है, लेकिन इन सेवाओं में जितनी सरकारी पोस्टें खाली हैं उनको भरा जाना बहुत आवश्यक है।

एन.आर.एच.एम. के जो कर्मी हैं, जो पिछली वसुन्धराजी की सरकार में लगे थे और काम शुरू किया था, पूर्ववर्ती सरकार ने उनमें से भी ज्यादातर की तनख्वाह कम कर दी। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि या तो उनकी तनख्वाह बढ़ायी जाए या फिर उनको सरकारी कर्मचारी बना लिया जाए तो उनके बड़े हित में होगा और स्वास्थ्य के हिसाब से पूरे क्षेत्र के हित में भी होगा।

कैंसर के इलाज की सोच रखना आने वाले समय में बहुत ही लाभप्रद रहेगा। प्रदेश में कैंसर के रोगियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। खास तौर से जिस क्षेत्र में रासायनिक खादों का, पेस्टिसाइड का उपयोग ज्यादा हो रहा है- गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब साइड, इन क्षेत्रों में यह समस्या ज्यादा बढ़ी है। कैंसर के इलाज के प्रति सरकार चिंतित तो है ही है, इसके साथ ही अगर यह भी देखा जाए कि यह रोग बढ़ क्यों रहा है और शुरूआती तौर पर पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों की गुणवत्ता चैक की जाए तो हो सकता है कि अपन को रोकथाम में लाभ मिले।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

राजस्थान में लगभग डेढ़ करोड़ लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं, इनमें से करीब 50 लाख लोगों की अकाल मृत्यु तम्बाकू से होने वाली गम्भीर बीमारियों जैसे दिल का दौरा, फेफड़े के कैंसर आदि के कारण होती है। यह विशाल स्वास्थ्य समस्या हमारे बच्चों को भी प्रभावित कर रही है। इसको रोकने के लिए जोरदार प्रबन्ध किया जाए जिससे कि आने वाली पीढ़ियां स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक रहें।

जो निजी मेडिकल कालेज हैं उनमें कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है कि वे किस तरह से बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, उस पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए तो अच्छे स्टूडेंट्स का एडमिशन ज्यादा हो पाएगा।

इसके अलावा आर.पी.एम.टी. 2014 में जो अनियमितताएं हुईं, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्यवाही हो ताकि आगे से कोई इस तरह की हिमाकत न करे। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री सभापति: माननीय श्री ओटारामजी।

श्री ओटाराम (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 और मांग संख्या-32 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य और सफाई व नागरिक आपूर्ति पर चर्चा हो रही है।

सभापति महोदय, 14 जुलाई को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया, उसमें चिकित्सा और नागरिक आपूर्ति के लिए जिस तरह से सरकार ने जनता के सामने अपना विजन रखा उस विजन से आज पूरे राजस्थान में जनता की डाक्टरों के प्रति आस्था, विश्वास होता है, जिस तरह से भगवान में आस्था होती है उसी तरह से डाक्टर के साथ में विश्वास होता है, इस विश्वास को ध्यान में रखकर पूरे राजस्थान में चिकित्सा के बारे में जो एक विजन पेश हुआ है उससे आने वाले समय के लिए राजस्थान की जनता में बहुत बड़ी उमंग है, जनता में एक बहुत बड़ा विश्वास है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी थीं, उस समय 2005 और 2006 में सिरोही की जनता के लिए एक ट्रोमा सेन्टर दिया गया था। ट्रोमा सेन्टर 21.10.2010 को बन कर तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही अपनी सरकार चैंज हुई, कांग्रेस की सरकार आयी, पांच साल के

(श्री ओटाराम)

कार्यकाल में इसी विधान सभा में मैंने कई बार क्वेश्चन लगाये, कई बार जनता की आवाज को यहां उठाया परन्तु एक ही आवाज आयी कि हमारे पास में बजट नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा 25.04.2012 को उपकरण, मैन पावर हेतु राशि भी आबंटित की गयी परन्तु आज दिन तक उस ट्रोमा सेन्टर का उद् घाटन नहीं हो सका।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही जिला मुख्यालय पर नेशनल हाई-वे आया हुआ है और खूब आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं, उनके इलाज के लिए लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिलतीं। क्योंकि पांच साल के कार्यकाल में मैं विपक्ष का एम.एल.ए. होने के नाते कांग्रेस की जो मंशा थी, राजनीतिक द्वेषता के कारण मेरा ट्रोमा सेन्टर चालू नहीं किया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज कोई भी दुर्घटना होती है तो हमें इलाज के लिए हमेशा गुजरात या उदयपुर जाना पड़ता है। मंत्री महोदय विराजें हैं, जल्दी से मेरे सिरोही का ट्रोमा सेंटर चालू हो, मंत्री महोदय आज ही इसकी घोषणा करें ताकि पंचायती राज चुनाव से पहले-पहले इसका उद् घाटन हो और जनता में एक अच्छा मैसेज जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे सिरोही विधान सभा क्षेत्र में सीएचसी, पीएचसी, मेरा सिरोही जिला हैडक्वार्टर और शिवगज में जितने भी डाक्टर्स के पद रिक्त पड़े हैं, वे जल्दी से भरे जाएं। सिरोही सार्वजनिक अस्पताल में वरिष्ठ विशेषज्ञों के 6 में से 2 पद भरे हुए हैं। कनिष्ठ विशेषज्ञ में 17 में से 12 हैं। वरिष्ठ दंत चिकित्सक 1 है। चिकित्साधिकारी 12 में से 8 पद खाली हैं। शिवगंज ब्लाक में भी यही की यही स्थिति है। ग्रामीण बैल्ट में भी यही की यही स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही की जनता को 100 से 150 गाड़ियां भरकर इलाज के लिए पालनपुर, महसाना या अहमदाबाद जाना पड़ता है। मेरे सिरोही की जनता को पालनपुर इलाज के लिए जाना पड़ता है। आने वाले समय में मेरे सिरोही की जनता को भी वहीं सिरोही में इलाज मिले, यह मेरी भावना है।

माननीय सभापति महोदय, आज घायलों और बीमारों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा है। कभी-कभी जब सीएमएचओ से फोन पर बात करते हैं

(श्री ओटाराम)

तो वे कहते हैं कि हमारे यहां से एम्बुलेंस बाहर नहीं जा सकती है। वह कंडीशन ऐसी होती है कि उदयपुर रैफर कर दिया तो वहां जाना पड़ता है या गुजरात के लिए लेकर जाना पड़ता है। इसमें मेरा निवेदन है कि स्टेट तो जरूर चेंज होते हैं लेकिन पालनपुर मेरे वहां से 70 किलोमीटर पड़ता है, मंत्री महोदय, कम से कम ऐसा मरीज जो सीरियस कंडीशन में हो, उसके लिए एम्बुलेंस पालनपुर तक जा सके, ऐसी व्यवस्था कराएं।

माननीय सभापति महोदय, सिरोही जिला मुख्यालय पर नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र है वहां पर वार्डन के लिए महिला का पद है। वहां महिला वार्डन की नियुक्ति करावें। इसके अलावा सिरोही के हास्पिटल की जो सफाई व्यवस्था है वह दुरुस्त हुई है लेकिन उसको भी एक बार दिखाएं। मैं उस हास्पिटल की सफाई व्यवस्था को सुधारे जाने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 32 पर मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो राशन कार्ड बने हैं उनमें हर पंचायत से शिकायतें आ रही हैं कि कई नाम गलत हैं। गुजरात की कोई एजेंसी है उसको आप पाबंद करें, उसकी मानिटरिंग करें ताकि ग्रामवासी वहां के ग्राम सेवकों से मिलकर राशन कार्ड जमा करा सकें। रोज उनको चलकर सिरोही के डीएसओ आफिस आना पड़ता है। बार-बार यह समस्या रहती है। इस राशन कार्ड की समस्या का भी समाधान हो। आपके जितने भी सब सेंटर्स हैं, उन पर भी मानिटरिंग रखें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि पूर्ववर्ती सरकार ने योजनाएं तो काफी तरह की चालू कर दीं, निःशुल्क दवा योजना में पूर्ववर्ती सरकार में जब डाक्टर के पास में मरीज जाता था तो डाक्टर को ऊपर से इतना पाबंद किया गया था कि आप ऐसा नहीं कहें कि बाजार से जाकर गोली लाएं। लेकिन वह कान में कहता था, 'भाजी अणु बुखार नहीं उतरेला, बाजार री दवाई लावनी पड़ेला'। यह बहुत बड़ी तकलीफ थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही का जो ब्लड बैंक है उसमें बहुत तकलीफ रहती है, वहां डाक्टर की व्यवस्था हो। सीटी स्कैन मशीन हास्पिटल में है। वहां जो डाक्टर है वह एक महीने के बाद में तो रिटायर होने जा रहा है फिर भी उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा है। उसका फायदा क्या वह उसके घर वालों को देगा? अगर ट्रेनिंग में जाने वाले डाक्टर से जनता को सुविधा मिलती हो तो ठीक है।

(श्री ओटाराम)

माननीय सभापति महोदय, मेरे कैलाश नगर, पालड़ी है, पालड़ी के डाक्टर को अमरनाथ यात्रा में लगा दिया। वह नेशनल हाइवे पर आया हुआ हास्पिटल है, वहां आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। अब तो अमरनाथ यात्रा शायद पूरी भी होने वाली है, लेकिन 3 महीनों के लिए उसको भेजा है। वहां डाक्टरों की बहुत दिक्कत है। इसके अलावा शिवगंज और सिरोही दोनों जगहों पर डाक्टरों की व्यवस्था कराएं। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत माता की।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई तथा मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति की चर्चा में सम्मिलित होते हुए आम जन तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी व स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्रजी राठौड़ का हार्दिक स्वागत करती हूं। आप जब से चिकित्सा मंत्री बने हैं तब से ही काफी कुछ सुधार आने की सम्भावनाएं बनी हैं।

माननीय सभापति महोदय, बजट में 700 सीटों के साथ में मेडिकल कालेज खोलने, कैंसर केयर सेंटर एवं राज्य स्तरीय 3 नये स्पेशलिस्ट अस्पताल सहित अनेक कदम आपने उठाये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि जयपुर के बाद दूसरे नम्बर का जोधपुर शहर है, आज जोधपुर शहर के अन्दर 3 हास्पिटल हैं। सबसे पहला है महात्मा गांधी अस्पताल। एक जमाने में उसको विनडम हास्पिटल कहते थे। दूसरा हास्पिटल है उम्मेद अस्पताल। उम्मेद अस्पताल बाद में बना। जोधपुर महाराजा स्वर्गीय उम्मेद सिंहजी को महारानी साहिबा ने कहा कि जब आपने यह अस्पताल बनाया तो महिला होना क्या गुनाह है? महिलाओं के लिए भी अलग से एक हास्पिटल बनना चाहिए। उस उम्मेद हास्पिटल की वह सुविधा थी और वह अच्छा हास्पिटल था, मेरे खयाल से पूरे राजस्थान में उसकी मिसाल लगती थी कि जोधपुर का उम्मेद हास्पिटल कितना बढ़िया है। मक्खी तो दूर रही, मच्छर भी वहां दिखने को नहीं मिलता था। मगर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान के अन्दर अधिकांशत: राज कांग्रेस ने किया और जोधपुर के कम से कम तीन-चार मुख्य मंत्री रहे, मगर जोधपुर के अस्पतालों की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण रही है।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय सभापति महोदय, यह मान कर चल रही हूं कि अब राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी और चिकित्सा मंत्रीजी यह सोचकर चलेंगे कि जोधपुर के हास्पिटल्स को कैसे सुधारा जाए। माननीय सभापति महोदय, उम्मेद हास्पिटल में यह स्थिति है कि लेबर रूम में यदि कोई चला जाए तो दो-दो महिलाएं एक पलंग पर सोयी हुई मिलती हैं। उसको देखते हुए आरएसएमएम ने पिछली सरकार में काफी धनराशि दी थी। एमडीएम हास्पिटल के अन्दर एक बहुत ही जोरदार भवन बन गया, वहां सारी मशीनरी भी लग गई, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि उस हास्पिटल को तुरन्त चालू किया जाए। 100 बैड का अलग से हास्पिटल बना है उसी परिसर में उसको अगर चालू किया जाए तो मैं समझती हूं उम्मेद हास्पिटल के अन्दर काफी कुछ समस्या का समाधान होगा। पश्चिमी राजस्थान के सारे लोग उम्मेद हास्पिटल के अन्दर आते हैं और फिर जननी सुरक्षा योजना को देखकर सारे ग्रामीण क्षेत्र के, सब जगह के लोग ज्यादा से ज्यादा आ जाते हैं, उसको देखते हुए मैं चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी उसको शुरू कराया जाए।

और भी माननीय सदस्य कह रहे हैं और मैं भी यही बात कह रही हूं कि डाक्टरों की काफी कमी है। मैं चाहूंगी कि इस कमी को माननीय मंत्री महोदय जल्दी से जल्दी पूरा करें। मेरा हास्पिटल से काम पड़ता रहता है। मैं जब जाती हूं तो देखती हूं कि मरीज क्या बोलता है, बाईजी, बाईजी। डाक्टर साहब का नाम तो बाद में लेते हैं, बाईजी का नाम पहले ले लेते हैं। मैं चाहूंगी, नर्सेज वगैरह जो कुछ भी डिपार्टमेंट में हैं उनको आप जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा करें। आपके नार्म्स बने हुए हैं कि दस पलंग पर दो होनी चाहिए, लेकिन एक मिलती है, इस तरीके से आप थोड़ा ज्यादा लें तो मैं समझती हूं, काफी कुछ होगा।

माननीय सभापति महोदय, आप घण्टी तो मत बजाना, मैं दो-चार बात कहकर अपनी बात को खतम कर दूंगी। मैं काफी कुछ लाई हूं मगर वह राइटिंग में इनको दे दूंगी। (व्यवधान) मेरा सौभाग्य है कि मैं जब बोलूं सभापति किरणजी रहती हैं तो मेरे को थोड़ा ज्यादा सुविधा मिल जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि प्रदेश में संस्थागत प्रसव में दूर-दराज के गांवों, ढाणियों और विशेषकर ट्राइबल एरिया

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

में प्रसूताओं की मौत एक गम्भीर चिंता का विषय है। इसके साथ ही बालकों के कुपोषण का आंकड़ा भी चिंताजनक है। मेरा सुझाव है कि इस हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग संयुक्त कार्य योजना बनाकर कार्य करें।

आंगनबाड़ी केन्द्रों में संस्थागत प्रसव पूर्व प्रेरक एवं संस्थागत प्रसव के लिए जच्चाओं के अस्पताल तक पहुंचाने, प्रसव पश्चात् बच्चों के उचित पोषण का सतत कार्य करावें। महिला-बाल विकास को जोड़ने से मैं समझती हूं, काफी कुछ फायदा होगा। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विभिन्न उत्सवों अर्थात् गोद भराई आदि का सामयिक रूप से आयोजन किया जाए। केन्द्रों पर सामयिक आधार पर चिकित्सकों की विजिट कराई जाए। इन केन्द्रों से कालेज एजुकेशन की बालिकाओं को सामाजिक शिक्षा शिविरों के माध्यम से एवं सेवानिवृत्त चिकित्सकों, चिकित्साकर्मियों और विभिन्न महिला स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं को समाज सेवा के रूप में जोड़ा जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं हास्पिटल की सफाई के बारे में कुछ कहना चाहूंगी, अगर सफाई हास्पिटल के अन्दर करनी है तो खाली हास्पिटल के भरोसे ही नहीं रहना पड़ेगा, काफी कुछ ऐसे संगठन है जिनकी भागीदारी ले सकते हैं। इन अस्पतालों को भामाशाहों के रूप में योगदान देने वाले दानदाताओं को समुचित सम्मान दिया जाए। इसके साथ ही सफाई और रखरखाव के लिए वार्ड गोद देने की परम्परा आरम्भ की जाए। इसके लिए नागरिकों और सामाजिक संगठनों से प्रस्ताव मांगे जाएं और उन्हें अस्पताल की ओर से उपलब्ध करवाये जाने वाले संसाधनों की स्थिति से अवगत कराया जाए। शेष साधन स्वयं के स्तर पर भी उपलब्ध करवाने के लिए राज़ी किया जाए। फिर इन संस्थाओं को वार्ड की सफाई और रख-रखाव का जिम्मा दिया जाए। वार्ड के बाहर स्पष्ट, बड़े अक्षरों में गोद लिये जाने वाले का नाम लिखा जाए ताकि उनको प्रोत्साहन मिले।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा बजट का लगभग 90 परसेंट हिस्सा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर व्यय किया जाता है परन्तु बहुत ही हैरानी का तथ्य है कि डाइबिटीज, ब्लड प्रैशर आदि अनेक रोग इस पद्धति से ठीक नहीं होते हैं। आजीवन इन रोगियों को नियमित दवा लेनी होती है। नियमित दवा सेवन के उपरान्त भी गम्भीर रोग हो जाते हैं। इसका एकमात्र

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कारण है एलोपैथिक चिकित्सा पद्वति, इन रोगों के कारण मानसिक तनाव। इलाज करने के स्थान पर बंद कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर के एम्स, मथुरादास माथुर अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल, उम्मेद अस्पताल के रोगी-परिजनों के ठहरने के लिए धर्मशाला नहीं है, मेरी सरकार से मांग है कि इन स्थानों पर धर्मशाला का निर्माण करवाया जाए। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में सीटी स्कैन, एमआरआई की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव क्रियान्विति की प्रक्रिया में अटका हुआ है, इस कारण गम्भीर रोगियों को भारी असुविधा होती है, मेरा आपसे निवेदन है कि इस क्रियान्विति को जल्द पूरा किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे निवार्चन क्षेत्र सूरसागर में चांदपोल से लेकर सूरसागर खनन क्षेत्र तक कोई भी सैटेलाइट अस्पताल नहीं है, अतः मेरी मांग है कि मास्टर खींवराज कछवाह राजकीय चिकित्सालय, चांदपोल और सूरसागर सिटी डिस्पेंसरी को सैटेलाइट स्तर पर क्रमोन्नत किया जाए। यहां पर पूर्व में चलने वाली मातृ एवं शिशु सेवाओं को पुनः चालू किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, प्रतापनगर सैटेलाइट अस्पतालों में सैटेलाइट स्तर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, मेरा निवेदन है कि उक्त अस्पतालों में भी सैटेलाइट स्तर की सुविधा उपब्ध कराई जाए। मेरे सूरसागर में दो सैटेलाइट अस्पताल हैं, एक तो है प्रताप नगर के अन्दर और दूसरा है हाउसिंग बोर्ड के अन्दर, उनमें सुविधा पूरी उपलब्ध कराई जाए।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही खेद का विषय है कि सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में एक भी होम्योपैथिक हास्पिटल नहीं है मेरी मांग है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में चार होम्योपैथिक हास्पिटल खुलें। अगर चार नहीं खोल सकते तो आप एक-दो भी खोलें, मगर कुछ खोलें तो, आज घोषणा तो करें, ताकि यह रहे कि सूरसागर के अन्दर कुछ हुआ है। एक तो आप कर ही देना, इस पर ज्यादा खर्चा भी नहीं है, इलाज भी बहुत कम समय में होता है और पैसा भी ज्यादा नहीं लगता।

मेडिकल कालेज जोधपुर में भारी संख्या में पद रिक्त हैं, मेरी मांग है कि सरकार इन पदों को शीघ्र भरे और स्थायी व्यवस्था होने तक सेवानिवृत्त लोगों को लगाया जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। मैं, माननीय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह चाहूंगी कि मेरी मांगों में कम से कम एक दो बातों पर तो आप जरूर से विचार करें। जोधपुर के अन्दर राजा-महाराजाओं ने हास्पिटल बनाये थे, और आप भी राठौड़ हैं, मैं चाहूंगी कि इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर जोधपुर के लिए कुछ करें। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: इसलिए माननीय मंत्रीजी कुछ तो पूरा कर ही देंगे। माननीय सदस्य श्री मेवारामजी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26 व 32 पर चर्चा हो रही है। मांग संख्या 26-चिकित्सा एक ऐसा विषय है जिसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों को ही राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। कहा है कि सबसे पहले निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ ही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए बहुत कुछ करना आवश्यक है। माननीय सदस्य भी काफी बोले। जो योजनाएं हैं, पिछले 5 साल में जो नि:शुल्क दवा योजना प्रारम्भ की गयी उस योजना के बारे में भी काफी चर्चा हुई। उसके साथ नि:शुल्क जांच योजना। दोनों योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं कि गरीब जिसके पास खाने-पीने के लिए पैसे नहीं हैं, वह बीमार पड़ जाए तो उसके लिए यह नि:शुल्क दवा योजना और नि:शुल्क जांच योजना भगवान से बढ़कर है। इसका रिजल्ट आया कि किस तरह से शहरों में अस्पतालों में भीड़ लगी। पहले जरूर तकलीफ आयी, डाक्टर्स सहयोग नहीं दे रहे थे, मेडिकल की दुकानों वाले सहयोग नहीं कर रहे थे कि दवाइयां हल्की हैं। अभी यही बात हो रही थी, कि यह दवा लिखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इससे लाखों आदमियों को फायदा हुआ है जिसके लिए हम सब मिलकर सोचें कि इसको कैसे बढ़िया बनाएं। ठीक है कुछ कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन इन कमियों को कैसे ठीक करें, इसके बारे में विचार करना चाहिए। दवाइयां सभी लोगों को मिल रही थीं। मंत्रीजी विराजमान हैं, 3 करोड़ लोगों को उस योजना से वंचित कर दिया। वैसे ही 10-20 परसेंट लोग अस्पताल में नहीं जाते और प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज करते हैं, उनको इससे अलग करना बहुत ही सोचने का विषय है कि हम उनको वंचित नहीं करें।

(श्री मेवाराम जैन)

डाक्टरों की कमी है, डाक्टर कैसे लगें? इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि रिटायरमेंट की एज 60 वर्ष है इसको बढ़ाएं, 65 करें, नहीं तो अस्पताल खाली हो जाएंगे। आने वाले समय में डाक्टर्स प्राइवेट क्षेत्र में जा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में नहीं लग रहे हैं इसलिए उनकी एज बढ़ावें ताकि डाक्टरों की कमी नहीं रहे। जो पीएचसी, सीएचसी और सब सेंटर पिछली सरकार के समय हमने खोले थे, उनके लिए एनआरएचएम में पैसे भी सैंक्शन हो चुके थे, टेण्डर भी हो चुके थे। उनके लिए भवन बनें, उसमें स्टाफ लगे। निःशुल्क दवा योजना शुरू की थी कि पूरा भार जिले के अस्पताल पर नहीं पड़े, अलग-अलग पीएचसी, सीएचसी हो जाएं और वहां मरीजों को नजदीक ही फायदा मिले। इसके लिए वे सैंक्शन किये थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां स्टाफ लगे। पीएचसी में एक कम्पाउंडर लगा रखा है, वहां डाक्टर भेजें। कई सब सेंटर ऐसे हैं जो सैंक्शन हो चुके हैं, अभी उनमें एएनएम नहीं लगी हैं। कई जगह तो दो-दो, तीन-तीन एएनएम बैठी हैं। आप सब सेंटर में कम से कम एक एएनएम लगा दें, बाकी सरप्लस हो तो भले दो-दो लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। बाड़मेर जिले की बात मैं करना चाहूंगा, जितने सब सेंटर हैं उससे भी ज्यादा एएनएम हैं, लेकिन खाली हैं क्योंकि कई जगह दो-दो, तीन-तीन बैठी हैं। आप प्रत्येक सब सेंटर पर लगाएं तो पूरी भर सकती हैं।

दूसरी जितनी भी योजनाएं हैं चाहे जननी सुरक्षा है, शुभलक्ष्मी योजना है, इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि उन योजनाओं से मां व बच्चे को इससे फायदा होता है। घर बैठे महिला को गाड़ी जाकर लाए, अस्पताल में भर्ती करे, सारा फायदा दें, फिर शुभलक्ष्मी में बच्ची के खाते में पैसे जमा कराएं। ये अच्छी-अच्छी योजनाएं हैं, ये लागू रहें। इनमें कमियां क्या हैं, हमें उसके बारे में ढूंढना चाहिए कि हम किस तरह से ठीक करें। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि बाड़मेर के अन्दर जिला अस्पताल है जहां तेल का अथाह भण्डार है। 5 हजार करोड़ रुपये सालाना रायल्टी बाड़मेर में मिलती है, लिग्नाइट के भण्डार हैं, कई कंपनियां हैं। जिला मुख्यालय अस्पताल है उसके अन्दर डाक्टरों की भारी कमी है। आई स्पेशलिस्ट जो पहले दो लगे हुए थे, दोनों ही रिटायर हो गये, एक भी आई का डाक्टर नहीं है। उसको जरूर लगाएं क्योंकि जिला मुख्यालय है। बाकी आधी से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हैं।

एक ट्रोमा वार्ड है, मुझसे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे, वह भवन बन

(श्री मेवाराम जैन)

गया, उद् घाटन भी हो चुका था, परन्तु हम शुरू नहीं कर पाये। मंत्रीजी विराजमान हैं, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप उसको शुरू कराएं।

मांग संख्या 32 में मैं यही निवेदन करूंगा कि आपने एक रुपया किलो वाला गेहूं तो बंद कर दिया, खाद्य सुरक्षा वाले 2 रुपये किलो वाले गेहूं प्रति परिवार 5 किलो दे रहे हो, वह तो दिलाओ। सिर्फ दो किलो मिल रहे हैं। ठीक है, आपको दुबारा लिस्ट बनानी है, दुबारा चयन करना है तो करो, उसमें हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन पूरे 5 किलो तो उनको दिलाओ। जो राशनकार्ड हैं वे भी सही नहीं बने हैं। एपीएल वालों को बीपीएल का दे दिया, पुरुष की जगह स्त्री लिख दिया, इस ढंग की त्रुटियां हैं उनको ठीक करें। राशन की दुकानें जिले में जितनी हैं, एक-एक के पास दो-दो, तीन-तीन हैं, नई दुकानें वापस खोलकर उनमें डीलर लगाएं ताकि व्यवस्था ठीक हो सके। मैं तो यही कहूंगा कि ये दो ही मुद्दे ऐसे हैं जिन पर राजनीति से ऊपर उठकर कि किस तरह से चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो, किस तरह से लोगों को सस्ता अनाज नागरिक आपूर्ति में मिले, इस पर हमें विचार करके काम करना चाहिए। सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री मदनजीराठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26 और 32, इन दोनों पर चर्चा करने के लिए मैं भी सम्मिलित हुआ हूं। दोनों मांगें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो सभी मांगें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन दो मांगों को ही कांग्रेस ने अपनी जीत का आधार बनाकर दुरुपयोग किया था। ज्यादातर दुरुपयोग इन दो मांगों पर ही हुआ है। जैसे नि:शुल्क चिकित्सा की बात इन्होंने की या अनाज बांटने की बात की या जो कुछ भी लुटाने का काम इन्होंने किया, इसके आधार पर ही ये अपनी वैतरणी पार करना चाहते थे। इसका दुरुपयोग जो इन्होंने किया, जैसा अभी माननीय जैन साहब बोल रहे थे, इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। मैं सोचता हूं कि इसका दुरुपयोग नहीं करते तो सुधार निश्चित रूप से हो जाता।

सभापति महोदय, अभी जैसे एसएमएस हास्पिटल की बात आयी, मुझे मालूम है कि 2003 से 2008 का जो टेन्योर था उसमें यहां पर विचार हुआ था कि एसएमएस हास्पिटल का विस्तार करने की जरूरत है। उसके पास

(श्री मदन राठौड़)

(16.00 बजे)

में जो डाक्टर्स के आवास बने हुए हैं, यही नहीं, उसके पास में पुलिस के डी.जी. का निवास बना हुआ है, मैं सोचता हूं कि वहां तक इसका विस्तार करने की योजना थी जिसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यदि यह योजना बन जाती तो एस.एम.एस. हास्पिटल की अलग-अलग बीमारियों के लिए अलग -अलग विंग बन जाते। आज कोई भी व्यक्ति एस.एम.एम. हास्पिटल में जाए तो वहां इतनी भीड़भाड़ है कि किसी को ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए इसका विस्तार निश्चित रूप से किया जाना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया।

इसी प्रकार से जोधपुर और कई ऐसे अस्पताल हैं वहां पर भी इसी प्रकार की भीड़ है, इसकी चिंता निश्चित रूप से इनको करनी चाहिए थी पर इन्होंने नहीं की। मैं सोचता हूं कि जो पहले हमने तय किया था, इस प्रकार की व्यवस्था फिर से निश्चित रूप से करेंगे। अभी एस.एम.एस. हास्पिटल में ई.एन.टी. में थियेटर नहीं है, डाक्टर्स नहीं हैं, स्टाफ नहीं है। मुझे यह बात कहते हुए गर्व भी है कि मुख्य मंत्री सहायता कोष से मूक-बधिर, जो बिलकुल बोलते नहीं हैं, ऐसे लोगों के कान में लगवाने के लिए एक काकलियर (Cochlear) इम्प्लांट होता है, वो मिलता है जिसमें साढ़े पांच लाख रुपया मुख्य मंत्री सहायता कोष से मिलता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट बहुत लम्बी है और वह वेटिंग लिस्ट इतनी लम्बी है कि डेढ़-डेढ़, दो-दो महीने बीत जाते हैं, व्यक्ति का नम्बर नहीं आता। इसलिए निश्चित रूप से ई.एन.टी. विंग में आपरेशन थियेटर, स्टाफ और डाक्टर्स लगवाने की जरूरत है, इसकी भी चिंता करनी चाहिए।

सभापति महोदय, एक मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकारी अस्पतालों में लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। ऐसा कई स्थानों पर देखने को मिला है। कई अन्य संस्थाओं को वहां पर स्थान दे दिये गये हैं। जैसे मेरे पाली की बात करूं तो वहां पर पी.एच.ई.डी. ने कब्जा कर रखा है। वहां पर टंकी बना दी, आफिस बना दिया। इससे निश्चित रूप से अस्पताल का विस्तार करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। बिजली विभाग ने भी वहां पर कब्जा कर रखा है। इनकी चिंता करनी चाहिए। सुमेरपुर अस्पताल में भी भूमि की बहुत कमी है। पंचायत समिति परिसर बढ़ गया पर वहां पर भूमि नहीं है। वहां पर

(श्री मदन राठौड़)

हमने प्रयास किया और पंचायत समिति में प्रस्ताव लेकर भूमि दिलवाई ताकि वहां पर भी अस्पताल का विस्तार किया जा सके।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें भामाशाहों को बहुत बड़ा योगदान है। भामाशाह बहुत बड़ी मात्रा में राशि लगाकर सहयोग करते हैं। हमारे सुमेरपुर में भगवान महावीर अस्पताल है, भगवान महावीर अस्पताल को हमने मेडिकल कालेज खोलने के लिए जमीन दी थी। वहां पर नर्सिंग कालेज तो खुल गया है, मेडिकल कालेज अब खुलने की तैयारी है। इसी प्रकार से पीपलिया में खुद का एक बहुत बड़ा हास्पिटल है। केवल हास्पिटल ही नहीं, उनके पास में 12 बसें हैं, उन बसों में पूरी चिकित्सा करने की व्यवस्था है, उसमें बेहोश करने का भी है, उसमें आपरेशन भी कर सकते हैं। गुजरात में जब भूकम्प आया था तो मैंने वो 12 बसें भिजवाई थीं नरेन्द्र भाई के कहने से। वहां पर वो 12 बसें बहुत उपयोगी साबित हुईं। इस प्रकार से इनका भी उपयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। भामाशाहों का सम्मान करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। मेरे पाली जिले में एक दाती महाराज हैं वो भी एक बहुत बड़ा अस्पताल बना रहे हैं। यही नहीं, ओम विश्वदीप गुरुकुल आश्रम है, वहां पर 1008 बैड का अस्पताल बनाने की तैयारी में हैं। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बहुत चिंता की है। अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि निजी चिकित्सालयों में भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का एक प्रावधान निश्चित रूप से रखना चाहिए। अभी मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट घोषणा पत्र में यह जारी किया था कि राज्य की गरीब जनता को निजी अस्पतालों में भी, जो एफिलिएटेड या रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, उपचार की सुविधा निश्चित रूप से मिलेगी। उन लोगों को मिलेगी- जिनके पास में भामाशाह कार्ड है। यानि इनडोर पेशेंट यदि वहां पर एडमिट होंगे तो उनको निश्चित रूप से इंश्योरेंस कवरेज के माध्यम से सुविधा मिलेगी- सामान्य बीमारी के लिए 30 हजार रुपया प्रति परिवार और गम्भीर बीमारी के लिए 3 लाख रुपये प्रति परिवार। वहां ओपीडी, दवा और जांच मुफ्त में उपलब्ध हो सकेगी, इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने की है। गरीब लोगों की चिंता पूर्व सरकार ने नहीं की

(श्री मदन राठौड़)

लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने इस बार कचरा बीनने वाले, गरीब, बेघर जो लावारिस हैं उनकी चिकित्सा भी हो सके, इसके लिए 140 करोड़ 72 लाख रुपये का प्रावधान उन्होंने किया है।

यही नहीं, गुर्दा प्रत्यारोपण, आंखों का प्रत्यारोपण, मानव अंग प्रत्यारोपण का नियमन करने का प्रावधान मुख्य मंत्रीजी ने इस बार किया, इसके लिए निश्चित रूप से हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। दुर्घटनाओं में गम्भीर घायलों का इलाज हो सके, इसके लिए मशीनरी, औजार और सुविधा मिल सके, इस व्यवस्था के लिए 15 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान उन्होंने किया है, यह बहुत खुशी की बात है। मैं सोचता हूं कि यह व्यवस्था यदि पूर्व सरकार कर लेती और दुरुपयोग नहीं करती तो निश्चित रूप से इनको ये दिन नहीं देखने पड़ते।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पत्रकारों के लिए राजस्थान मेडिक्लेम पालिसी के अनुरूप 2 लाख रुपये की स्टैण्डर्ड मेडिक्लेम पालिसी और केशलैस की सुविधा उन्होंने दी है, इसके लिए निश्चित रूप से उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। अधिस्वीकृत फोटो जर्नलिस्ट जो होते हैं वो बड़े एडवेंचर्स करते रहते हैं, कहीं से फोटोग्राफी करते हैं हो सकता है कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो उनके लिए भी बीमा पालिसी की व्यवस्था की है।

सात मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की थी जिसमें मेरे पाली का भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व सरकार ने पाली में मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की थी और इसी प्रकार से 21 मेडिकल कालेज की बात की थी, पर एक भी नहीं खुला। मेरे पाली में बिलकुल नहीं खुला, एक इंच काम आगे नहीं बढ़ा। कुछ भी इन्होंने नहीं किया और केवल घोषणा कर दी। वाहवाही लूटने का प्रयास किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। मेरे सुमेरपुर में एक मणिहारी है और एक ठोड़ है, वहां पर सी.एच.सी. की सीधी घोषणा की पर वहां एक डाक्टर नहीं लगाया, एक कम्पाउण्डर नहीं लगाया, एक चपरासी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। वर्तमान सरकार करेगी पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने 2012-13 में यह घोषणा कर दी थी उसके बाद में कुछ भी नहीं किया, यह मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। अभी जो पाली में मेडिकल कालेज खुलेगा उसके लिए 189 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है

(श्री मदन राठौड़)

एक-एक मेडिकल कालेज पर। यही नहीं, सुपर स्पेशलिटी विंग के लिए 150 करोड़ का प्रावधान, यानी जो उस मेडिकल कालेज से सम्बन्धित अस्पताल होगा उस अस्पताल में सुविधाएं विकसित करने के लिए 150 करोड़ का प्रावधान हमारी वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने किया। यही नहीं, कैंसर जैसे इलाज के लिए झालावाड़ और बीकानेर में राज्यस्तरीय ....(व्यवधान) यों मत करो, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है। अगर मेरी प्रशंसा के लिए बजा रहे हो तो कोई बात नहीं, बहुत खुशी की बात है। मेरा नाम तो बहुत पहले था, आपने पीछे कर दिया।

श्री सभापति: आप चेयर को सम्बोधित करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 1089 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलेंगे, 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलेंगे, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, इस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने की है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो निजी चिकित्सालय हैं वो रियायती दर पर भूमि हमसे प्राप्त करते हैं तो वो सेवा का एक प्रकल्प बनना चाहिए, लेकिन वो व्यापारिक प्रतिष्ठान बन रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। इसके लिए प्रयास करना चाहिए, कोई प्रावधान निश्चित रूप से इसमें करें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज डाक्टर्स की कमी है। डाक्टर्स की कमी इसलिए है कि हम तनख्वाह बहुत कम देते हैं इसलिए यह तनख्वाह का प्रावधान बढ़ाना चाहिए। मैं सोचता हूं कि कम से कम 60 हजार रुपये यदि करेंगे तो डाक्टर्स इधर आएंगे और अस्पतालों में डाक्टर्स की कमी नहीं रहेगी।

एक और निवेदन करना चाहूंगा, मेडिकल कालेज से जो विद्यार्थी निकलता है, नियमों में यदि कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती हो तो इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए कि कोई भी एम बी बी एस डाक्टर पांच वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे तो ही उसकी डिग्री मान्य होगी। इस प्रकार का प्रावधान यदि कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भी डाक्टर उपलब्ध हो सकेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से करनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आजकल दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं वहां चल चिकित्सा इकाई यदि घूमती रहे और आन-काल तुरन्त सुविधा उपलब्ध हो सके तो निश्चित रूप से गम्भीर घायलों को हम मदद दे सकेंगे, उनकी रक्षा अपन कर सकेंगे।

(श्री मदन राठौड़)

सभापति महोदय, आज अस्पतालों में सफाई व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों की स्थिति बहुत दयनीय है। अस्पतालों में यदि सफाई बराबर हो तो उससे भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व सरकार ने जो-जो घोषणाएं कीं, इन्होंने पूरे पांच वर्ष में, मेरे पास में पूरे आंकड़े हैं, केवल 537 नये सब सेण्टर खोले। इनमें खुले कितने, यह आंकड़ा तो बाद में है। स्वास्थ्य केन्द्र 150, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केवल 75 अपग्रेड किये हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य गोविन्द सिंहजी, आप विराजें अपने स्थान पर और बीच में डिस्टर्ब मत करिये इनको । (व्यवधान) देखिये, आप इनको डिस्टर्ब मत करिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप चाहेंगे तो आपके पांच वर्ष का लेखा-जोखा इसके अन्दर तैयार है। (व्यवधान) हां, बिलकुल यह दिया हुआ है। यही नहीं, डाक्टर्स के लिए इन्होंने कहा, 5,021 में से 906 ने जाइन किया।

श्री सभापति: यह अंकित नहीं किया जाए, गोविन्द सिंहजी ने जो बोला है उसको।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नेत्र चिकित्सक 201 के लिए इन्होंने कहा, केवल 47 ने जाइन किया। कनिष्ठ विशेषज्ञ 841 की इन्होंने घोषणा की, लेकिन 123 ने जाइन किया। अब मैं बताऊं आपको, पैरा मेडिकल स्टाफ, एएनएम, नि:शुल्क जांच के लिए इन्होंने जो कुछ भी कहा, उन्होंने जाइन नहीं किया, आये ही नहीं। यह स्थिति इनकी रही है। नि:शुल्क दवाओं की इन्होंने बात की, आपके मन में भावना नहीं थी सेवा की। यदि भावना होती तो दवाओं पर कीमतें कम कर देते, दवाइयों पर अंकुश लगाते। निजी अस्पताल में भी मरीज को लाभ मिलता और सरकारी अस्पताल में भी लाभ मिलता। आप दवाओं की कीमतों को कम कर देते। दवाइयां जो अक्सर इस प्रकार काम में आती हैं, उनकी कीमतें आप घटा देते। लेकिन केवल लाभ लेने के लिए आपने मुफ्त दवाइयां देने की घोषणा की। इसमें भी आपने कमीशनखोरी की है और ऐसी दवाइयां दी हैं जो मानक पर ठीक नहीं निकलीं। मैं आपको बताना चाहूंगा...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं निवेदन आपको करना चाहूंगा, आप देखिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिना परमिशन के नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं यह टेबल करने के लिए तैयार हूं। अमानक गुणवत्ता की पाई गई औषधियों की...

श्री सभापति: एक सैकण्ड। पाली से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजें। मेरा आप सब सदस्यों से कहना है कि डिमांड के ऊपर सभी माननीय सदस्य अपना-अपना वक्तव्य दे रहे हैं, शांति से सुनिये। आपकी जो डिमांड्स हैं, वे आप भी रखिये। लेकिन कोई माननीय सदस्य जब कह रहा है तो उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। नहीं तो कोई भी यहां पर जो बोलेगा, एक से दूसरा डिस्टर्ब करेगा तो यह पूरा हाउस डिस्टर्ब रहेगा। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, गोविन्दसिंहजी, आपसे खास तौर से कहना है कि सदन में जो सदस्य कह रहे हैं, उन्हें अपनी बात को कहने का पूरा हक है। उनको हमने समय दिया है, उन्हें कहने दीजिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, सी ए जी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि अमानक गुणवता की पाई गई औषधियों की 1.50 करोड़ रुपये की पुन: वसूली नहीं की गई कम्पनी से। यह सीएजी ने रिपोर्ट दी है, कोई मेरे मन से मैं नहीं कह रहा हूं। यही नहीं, कोटा में जो भवन बना था, उसका उपयोग नहीं किया।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि केवल सत्ता प्राप्ति के लिए इन्होंने मुफ्त दवा की बात कही है, इसका जनता ने समर्थन नहीं किया और इसका लाभ इनको मिला भी नहीं है। यदि ये दवाइयों पर कीमतें कम कर देते तो चाहे कोई भी मरीज कहीं भी जाए, उसको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलता।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब इसको सम-अप करें आप। काफी लम्बा हो गया है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ...डाक्टर्स को भी मजबूर कर दिया कि वे बाहर की दवा नहीं लिख सकें।

अब मैं आपके माध्यम मैं मांग संख्या-32 पर थोड़ा सा निवेदन करना

(श्री मदन राठौड़)

चाहूंगा। सभापति महोदय, इन्होंने घोषणा की, "शुद्ध के लिए युद्ध", ये हमेशा यही बोलते रहे। पांच वर्ष का इनका घोषणा पत्र है, उसमें एक रुपये किलो गेहूं, पांच रुपये किलो आटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो मैं इसको टेबल कर सकता हूं। लेकिन इसको टेबल क्या करूं, यह तो यहां का दस्तावेज है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप चेयर को सम्बोधित करें। चेयर की तरफ देखकर बोलें आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं यह निवेदन करूं कि गैस एजेंसी की स्वीकृति अधिक होनी चाहिए, अधिक स्थानों पर एजेंसी खुलें। गैस पर जो 25 रुपया सब्सिडी दी जा रही है, वह चालू रखें। वितरण व्यवस्था सुधारने का काम निश्चित रूप से होना चाहिए। एक एस डी ओ एक महीने में 15 केन्द्रों का निरीक्षण अवश्य करेगा, इस प्रकार का प्रावधान उसमें रखा हुआ है तो आप एसडीओ को पाबंद करें कि जितने भी केन्द्र उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, वहां पर जांच करे। इसमें जो दोषी पाये जाएं, उनके खिलाफ में कार्यवाही करें।

लेबोरेटरीज का रिजल्ट थोड़ा देरी से आता है। सभापति महोदया, मैं एक-दो मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा। मेरे एक मित्र हैं जो एडिशनल एस.पी. हैं, उन्होंने मुझे बताया कि नकली दूध कैसे बनाते हैं। ऐसा दूध बनाने वाले को पकड़ा। एक बड़ी परात लेते हैं, बड़ा बर्तन लेते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, उसमें थोड़ा डिटर्जेंट मिलाते हैं, उसमें कोई केमिकल मिलाते हैं और आयल मिलाते हैं और उसको खूब मथते हैं। काफी लम्बे समय तक मथेंगे तो उसमें झाग आएगा और वही दूध बन जाता है। दूध दिखाते तक नहीं हैं। इस प्रकार का सिंथेटिक मिल्क होता है। सभापति महोदय, यह घातक है स्वास्थ्य के लिए और इस प्रकार की ट्रकें की ट्रकें जा रही हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ड्रग इंस्पैक्टर्स की बहुत कमी है। ड्रग इंस्पैक्टर्स इन्होंने भर्ती नहीं किये। आज यदि जांच करना चाहें तो कहां हैं? पूरे जिले में एक ड्रग इंस्पैक्टर मिलेगा, एक फूड इंस्पैक्टर मिलेगा। फूड इंस्पैक्टर्स भी बहुत कम हैं। मैं सोचता हूं कि इनको प्रशिक्षण मिल सके, जहां ये शिक्षा प्राप्त कर सकें, ऐसे प्रावधान करने चाहिए ताकि ये अधिक से अधिक हमारे पास में आएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने दो मिनट कहा, दो मिनट हो चुके हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मसालों में मिलावट। सभापति महोदय, अपन किसी शादी समारोह में जाते हैं, एक मिनट में बात खतम करूंगा, अपन किसी शादी समारोह में जाते हैं, आप कल्पना करेंगे कि मसालों में क्या-क्या मिलाते हैं? धनिये में गधे की लीद मिलाते हैं। बड़े-बड़े ये लोग जाते हैं और वहां पर पता तो चलता है नहीं। नकली घी। अभी तो इनको कहा है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ, आप विराजिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक बात आपसे कहूंगा, केरोसीन वितरण बिलकुल नहीं हो रहा था। केरोसीन का वितरण राशन की दुकानों पर नहीं हो रहा था। ये आंकड़े इन्होंने गलत दिये हैं, सभापति महोदय। मैं लेकर आया हूं, ऐसे आंकड़े हैं कि ये केवल मात्र यह बताते हैं कि हमने इतना वितरण किया। लेकिन इनके समय में वितरण बहुत कम है। यह देखिये, यह कोई मेरा दस्तावेज नहीं है, यह आपके यहां का प्रगति प्रतिवेदन है...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप विराजें। अगले सदस्य श्री हबीबुर्रहमान।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, नहीं, बाजार में नहीं, यहां से विधान सभा से मिली है। यह विधान सभा से मिला हुआ दस्तावेज है जिसमें यह बात है।

श्री सभापति: अब आप विराजिये। अगले सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): धन्यवाद।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): सभापति महोदय, मांग संख्या 26 और 32 पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। यह डिमांड है इसलिए मैं मेरे नागौर विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम से भवन बन चुका है, एक वर्ष हो गया, उस भवन में अभी तक राजकीय अस्पताल को शिफ्ट नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यही मांग रखूंगा कि उस भवन में आप जल्दी से जल्दी अस्पताल को शिफ्ट करें। जो ट्रोमा सेंटर है, उसमें एक एम्बुलेंस लगाएं और उसके स्टाफ की व्यवस्था करें।

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

नागौर अस्पताल की आज यह हालत है, सभापति महोदया, कि वहां पर 50 डाक्टर्स की पोस्ट है और 18 डाक्टर हैं। एक तो गायनिक है और एक सर्जन है, बाकी डाक्टर्स एम डी और एम बी बी एस हैं। वहां पर गायनिक एक ही होने से, पूरे जिले का बड़ा अस्पताल है, एक-एक बैड पर तीन-तीन या दो-दो मरीज होते हैं, जो लेडीज डिलीवरी वाली होती हैं। इतनी बुरी हालत है कि चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे डिलीवरी केस हो, सभी को जोधपुर रैफर किया जाता है। मैं माननीय मंत्रीजी से यही मांग करूंगा कि इन तीन-चार महीनों में यहां से चाहे एक्सीडेंट वाले केस हों चाहे डिलीवरी के केस हों, वे कितने जोधपुर रैफर हुए हैं, उनकी जांच की जाए। हमारे जो नया अस्पताल पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम से बनाया है, उसमें 100 डाक्टर्स की पोस्टिंग की है, अभी तक एक डाक्टर भी नहीं लगाया। सब मशीनें वहां है, उसका उद्घाटन भी कर दिया माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि उस भवन में जल्दी से जल्दी इस अस्पताल को शिफ्ट किया जाए, वहां डाक्टर लगाये जाएं। वहां पर जो मशीनें हैं, वे सब खराब हो रही हैं, 12 महीनों से लगा दी गई हैं। हमारे यहां एक सीटी स्कैन मशीन जो पुराने राजकीय अस्पताल में है, वह तीन साल से लग चुकी है, लेकिन उसको अभी चलाने वाला कोई नहीं आया है। मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि कोई अर्जेन्ट ऐसी व्यवस्था करें कि वहां सीटी स्कैन मशीन जो तीन साल से पड़ी है नागौर में, वह चालू हो सके।

हमारे यहां सोनोग्राफी मशीन भी पुराने अस्पताल में है, आज छह महीने हो गये, खराब पड़ी है। नागौर का मेन अस्पताल है, हम 15 दिन से मांग कर रहे हैं, लेकिन आपका डिपार्टमेंट कहता है कि हम आज भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, चेयर को सम्बोधित करते हुए अपना वक्तव्य कहें।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): मेरे जो बासनी हास्पिटल है उसमें दो स्पेशलिस्ट लगाए जाएं, सोनोग्राफी मशीन वहां सैंक्शन की जाए। बासनी जो सी एच सी हास्पिटल है, उसमें रेजिडेंट डाक्टरों के रहने के लिए बजट दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस मूण्डवा और अलाई क्षेत्र में भेजी हैं। जाते-जाते माननीय दुरू मियांजी ने मेरे यहां दो पी एच सी एक पीपासर और एक मकोडी में खोली थीं, वहां नर्स तो लगी है लेकिन वहां डाक्टर की भी आप व्यवस्था करें। उद्घाटन तो आपसे ही कराएंगे इन दोनों का, क्योंकि उनका उद्घाटन हुआ नहीं है। पूरे नागौर जिले में 524 डाक्टर हैं जिसमें से 279 पोस्ट खाली हैं। हमारे यहां एएनएम की 1020 पोस्ट हैं जिसमें से 425 पोस्ट खाली हैं। हमारे यहां कम्पाउंडर के 136 पद खाली हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जितने डाक्टरों की पोस्ट खाली हैं, उनको जल्दी भरा जाए। जो डाक्टर की भर्ती है, मैंने देखा है पिछली सरकार में भी, डाक्टर जाइन नहीं करते हैं। उनका मेन कारण यह होता है, जैसे सीकर का डाक्टर हमारे नागौर में लगा दिया और नागौर के डाक्टर को सीकर में लगा दिया। तो वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं और वापस अपने घर बैठ जाते हैं। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिस डिस्ट्रिक्ट का डाक्टर हो, उस डिस्ट्रिक्ट में उस नए डाक्टर को लगाना चाहिए। मांगे तो रख दी हैं मैंने पूरी, एक और मांग है कि मेरे यहां डाक्टरों की कमी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप लिखकर दे दीजिए माननीय मंत्रीजी को।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): हां, मैं लिखकर दूंगा। ज्यादा नहीं कहते हुए, हमारे यहां डाक्टर और कम्पाउंडर लगाकर हमारी मांग पूरी करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री सुशीलजी कटारा।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं सफाई और मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति पर मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज चिकित्सा और खाद्य नागरिक आपूर्ति दो विभागों पर चर्चा है, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने उदयपुर सम्भाग में कुछ दिया लेकिन हमेशा यह रटते रहे कि हमने बहुत विकास कर दिया है और हम वापस सत्ता में आएंगे। हमने मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना शुरू कर दी है, हमने एक रुपये किलो गेहूं दे दिया है, हमने सबको

(श्री सुशील कटारा)

आवास दे दिया है। उनकी झूठी घोषणाएं, उनके झूठे वायदे आज हम सबको विधान सभा में दिख रहे हैं कि कितने हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने डूंगरपुर और टीएसपी क्षेत्र को देखा और चिकित्सा मंत्रीजी से मिलकर उस क्षेत्र में रहने वाले जनजाति के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने डूंगरपुर में एक मेडिकल कालेज दिया। उसके लिए मैं पूरे जिले की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पूर्व सरकार ने कई जगह कालेजों की घोषणा की, वहां पर अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है और न अभी तक पोस्टें भरी गई हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह मैंने पहले भी विधान सभा में कहा था, जब आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तब काफी सड़कें हमारी बनाई थीं, आज चिकित्सा मंत्री हैं, डूंगरपुर जिले को मेडिकल कालेज मुख्य मंत्रीजी और आप दोनों ने मिलकर दिया है तो इसका जल्दी निर्माण होगा और जल्दी ही वहां पर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल होगी। लम्बे समय से यह अनुभव देखने को मिला है उस जनजाति क्षेत्र में कि वहां के लोगों को डाक्टरों की कमी की वजह से गुजरात जाना पड़ता है। बहुत ज्यादा उनका धन खर्च होता है, वे खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं। छोटी-छोटी बीमारी के लिए उनको गुजरात जाना पड़ता है। डाक्टरों की स्थिति के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जिले का अ श्रेणी अस्पताल है, जिला मुख्यालय का बड़ा अस्पताल है, 71 पद स्वीकृत हैं जिसमें मात्र 19 डाक्टर कार्यरत हैं। 52 डाक्टरों के पद रिक्त हैं। आधे से भी ज्यादा, 80 परसेंट चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। आपसे निवेदन है कि डाक्टरों की व्यवस्था की जाए। यह भी देखा गया है कि जो भी डाक्टर आप हमारे वहां पर भेजते हैं वे छह-छह महीने गायब ही रहते हैं और हाजिरी लगाकर वापस आ जाते हैं। फिर वापस कोई गांव की या पीएचसी सीएचसी के आसपास रहने वाले लोगों की शिकायत होती है तब कहीं वे आते है और उनके खिलाफ फिर कार्यवाही होती है। हमारे जनजाति क्षेत्र के लोग इतने ज्यादा डाक्टर बने हुए नहीं हैं। पिछले समय में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उस जनजाति क्षेत्र के लोगों को 45 परसेंट आरक्षण एमबीबीएस में देकर डाक्टर बनाने का प्रयास किया था। अब डाक्टर बनकर आ भी रहे हैं पर इसमें समय लगेगा। जब तक वह व्यवस्था नहीं हो

(श्री सुशील कटारा)

पाती, आपसे यह निवेदन है कि हमारे जिले में चिकित्सकों की व्यवस्था की जाए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि करावड़ा, सरथूना, माण्डी और भांकडा में नए पीएचसी की आवश्यकता है क्योंकि दूर-दूर आबादी रहती है, पहाड़ी क्षेत्र है, आने जाने में बहुत समस्या रहती है। सीमलवाड़ा में जो ब्लाक हास्पिटल है, हमारा उसको भी क्रमोन्नत करने का आपसे निवेदन है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में केवल चार ही सीएचसी हैं उनको बढ़ाकर दस पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करें। कुछ उप स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता है, इसके लिए सूची मैंने आपको दे रखी है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, उस पहाड़ी एरिया में ड्राइवर स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, किसी प्लेसमेंट एजेंसी से ले रखे हैं। मरीज के लिए अगर उनके पास फोन आता है या विभाग के माध्यम से फोन जाता है तो कहीं न कहीं पांच सौ-हजार रुपये मरीज या उसके परिवार से, या कोई एक्सीडेंट जैसा केस होता है, ऐसी कोई भी घटना होती है तो उनको दबाव में लेकर राशि मांगते हैं। तो उस पर भी आपका थोड़ा कंट्रोल रहे।

मैं, माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 32 पर भी थोड़ा-सा कहना चाहूंगा। माननीय खाद्य मंत्री महोदय यहां विराज रहे हैं, मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि हमारे जिले में एफसीआई का गोदाम है, बड़ा वेयरहाउस है, वहां से दिन की 70-80 गाड़ियां थोक विक्रेताओं को राशन की उठती हैं। राशन विक्रेताओं की, थोक विक्रेताओं की शिकायत के बाद में हमने भी जिला कलक्टर महोदय से कहा, कि हर गाड़ी में दो से तीन कट्टे कम आते हैं। पर डे एवरेज 70-80 गाड़ियां उस एफसीआई के गोदाम से थोक विक्रेताओं के यहां से नीचे वितरण होने के लिए जाती हैं, फिर थोक विक्रेता भी नीचे राशन डीलरों तक एक-एक कट्टा अगर कम कर दे तो गरीब व्यक्ति का नुकसान होता है। बड़े-बड़े वहां पर जो अधिकारी हैं, वो किसी की बात सुनते नहीं हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय खाद्य मंत्रीजी से यही निवेदन है कि हमारा पहाड़ी एरिया है, जनजाति क्षेत्र है, नये राशन डीलरों की नियुक्ति में छूट प्रदान करें। अभी सरकार भी वहां पर पूरी आने वाली है, एकाध पंचायतों

(श्री सुशील कटारा)

में आप पैदल चलें तो सुबह से शाम तक एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जा सकते। लोग आवागमन के साधन नहीं होने की वजह से पैदल आते-जाते हैं इसलिए नये राशन डीलर्स की नियुक्ति के लिए भी आप आदेश करें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आभार।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंहजी मलिंगा। (अनुपस्थित) अभी यहां सदन में नहीं हैं। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, नागरिक आपूर्ति और चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, सफाई पर चर्चा चल रही है। अभी मौसम भी बारिश का है और बीमारी फैलने का है। प्रत्येक पीएचसी, सीएचसी और हर विधान सभा क्षेत्र में कम से कम दो या तीन फोगिंग मशीन होनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में या कभी-कभी गर्मी के दिनों में भी ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं जिनके कारण जनता को बहुत परेशानी होती है। अभी पन्द्रह-बीस दिन पहले ही एक कोई बाजरे की फसल में ग्रीन कलर का कीड़ा होता है वो अगर किसी के छू भी गया, स्पर्श भी कर गया तो पूरे बदन पर पित्ती जैसे निकल जाती है और उसको हास्पिटल एडमिट होना ही पड़ता है। इस तरह के कीड़ों से इन दिनों में निजात पायी जा सके। कस्बे में नालों के आस-पास या तालाब, पोखर, जहां पर भी भरे हों वहां पर इन दवाओं का, डीडीटी पाउडर या जो भी कीटनाशक दवाएं हैं उनका छिड़काव होना चाहिए जिससे कि राहत मिल सके। सभी जगह पीएचसी, सीएचसी में एक्स-रे मशीन और सोनोग्राफी मशीनें होनी चाहिए। मेरे यहां की मशीन अभी चार महीने से ठीक नहीं हुई थी, मैंने सूचना दे दी थी सीएमएचओ साहब को भी। ये ऐसी चीजें हैं, ग्रामीण क्षेत्र में उनकी आवश्यकता होती है, जल्दी से जल्दी ठीक होनी चाहिए। बानसूर होस्पिटल जो मेन है उसमें और वैसे भी सभी सीएचसी, पीएचसी पर मोर्चरी होना अनिवार्य है क्योंकि एक महीने में पांच-पांच, छह-छह कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं तो डैड बाडीज को रखने की बड़ी भारी दिक्कत हो जाती है। आप सब देखते हैं कि किस तरीके से युवा पीढ़ी दौड़ती है व्हीकल्स को लेकर। तो यह एक बड़ी भारी एक समस्या है मोर्चरी की। दूसरा, प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर यह कहना चाहेंगे कि एक तो लेडी डाक्टर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। लेडी डाक्टर की कमी है, लेडी डाक्टर के साथ-साथ और डाक्टर्स की भी कमी है। कम्पाउंडर्स, एलडीसी, फोर्थ क्लास और स्वीपर इन सभी की बहुत कमी है। जो अपन ये ठेका देते हैं

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

स्वास्थ्य के लिए, बैड पर बैडशीट हो, कम्बल हो उनके लिए, उस ठेके की बजाय अगर वहीं पर रैगुलर कोई रख लिया जाए धुलाई के लिए तो उतने ही खर्चे में वहां रह कर सफाई व्यवस्था को सुचारु रूप से सुधारा जा सकता है। कई दिनों तक अगर वो बाहर का ठेकेदार नहीं आए तो बाहर के हास्पिटल्स में गन्दगी होती है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में या प्रत्येक पंचायत समिति में और हर गांव में हर विद्यालय में छात्र-छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। जो आवश्यक टीकाकरण है वो भी होना चाहिए बच्चों का। जैसे कि पहले होता था, उसी प्रकार से अभी भी रैगुलर होना चाहिए। मैं मांग करती हूं कि हमारा जो हास्पिटल है बानसूर का, उसका विस्तार करते हुए कम से कम सौ बैड उसमें और बढ़ाये जाने चाहिए। नाइट में सभी हास्पिटल्स में डाक्टर्स की उपस्थिति सीएचसी पर तो है लेकिन पीएचसी पर कई बार नहीं रहती है। रात में पेशेंट आते हैं, कोई एक्सीडेंट का केस आ जाता है तो बड़ी भारी दिक्कत होती है, तो कृपया डीसीएमएचओ, सीएमएचओज को निर्देशित करें। कोई न कोई सीनियर कम्पाउंडर भी वहां होना अनिवार्य है। मेरे यहां हरसौरा जो पीएचसी है वहां पर थाना भी है और बहरोड़ रोड से नजदीक है, एक 108 एम्बुलेंस की वहां पर जरूरत है। सभी हास्पिटल्स में पीने के फिल्टर्ड पानी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि मरीजों को पानी की कोई दिक्कत नहीं आए। सीएचसी या पीएचसी पर तो जैसे लाइट चली जाती है तो बहुत भारी परेशानी हो जाती है, चाहें तो जनरेटर नहीं तो सोलर ऊर्जा की भी अपन व्यवस्था कर सकते हैं। पांच सौ या हजार की जहां जनसंख्या रहती है गांवों में, वहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने चाहिए चाहे वो देवनारायण योजना में खोलें या बजट में अन्य जो कई घोषणाएं हुई हैं उनमें से खोलें। एक स्वतंत्रता सेनानी हैं उद्यमी राम जी, मेरी मंत्रीजी से बात भी हुई थी, उनकी इच्छा है, आजाद हिन्द फौज में सुभाष चन्द्र बोस के साथ रहे थे। कि मेरे यहां पर एक पीएचसी खुलनी चाहिए मेरे नाम से। देशभक्ति की भावना को देखते हुए उनकी यही इच्छा है। तो मैं भी अनुरोध करना चाहूंगी। और चतरपुरा काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर भी एक पीएचसी के लिए अनुरोध करते हैं। वहां जमीन और बिल्डिंग भी अवेलेबल है। सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी जनाना हास्पिटल्स हैं, उनमें कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति नहीं आ जाए जैसे कि अभी राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में आई थी। आप सब लोग उस घटना से परिचित हैं कि बच्चे को ही उठा करके

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

ले गये मां के पास से। ऐसी परिस्थिति नहीं हो, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी अपन को कोई न कोई प्रबन्ध करना चाहिए।

मैंने यह रखा है, बाकी तो जैसा सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया। जो योजनाएं थीं चाहे जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे टीकाकरण हो, चाहे महिलाओं की हो, बच्चियों की हो, ऐसी योजनाएं अगर आप लागू रखेंगे तो जनता को लाभ ही मिलेगा। आप यह कह रहे हैं बार-बार कि सरकार इसीलिए गई। अब देख लेंगे कि अगली बार आप किसलिए जाएंगे कि आएंगे। यह तो राजनीति है आते-जाते रहते हैं। लेकिन आप जो भी योजना बनाएं, स्वास्थ्य का जो आपका विभाग है, सभापति महोदय, वो ऐसा है कि जिसे कहना चाहिए, ईश्वर के बाद दूसरा नम्बर डाक्टर्स का ही आता है, आप जनता की भलाई के लिए कार्य कर सकें। धन्यवाद। राम-राम सा।

श्री सभापति: श्री रामलालजी शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 और 32 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, मेरे खयाल से कोई भी व्यक्ति इस सृष्टि में विचरण करने वाला शायद ही होगा जो जन्म से लेकर मरण तक इस चिकित्सा विभाग में कभी नहीं गया होगा। यह बहुत ही संवेदनशील विभाग है, हमारे मंत्री महोदय भी बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, अनुभवी हैं और इनके मन में कुछ करने की जिज्ञासा भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मांग पूरी होने के बाद अपने उत्तर में आज कुछ न कुछ ऐसी घोषणाएं जरूर करेंगे जो राजस्थान की ...(व्यवधान) अब मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं, पूरे राजस्थान में एक नया अध्याय शुरू होगा।

सभापति महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं। जैसा कि सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी चिन्ता जाहिर कर रहे थे जयपुर के एसएमएस हास्पिटल की, यह निश्चित है कि जयपुर के एसएमएस हास्पिटल में राजस्थान ही नहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा के और यहां तक कि पंजाब के लोग भी इलाज कराने के लिए आते हैं क्योंकि जयपुर के एसएमएस हास्पिटल के अन्दर अनुभवी चिकित्सक हैं और कम खर्चे में उनका इलाज हो पाता है।

(श्री रामलाल शर्मा)

मेरा मंत्री महोदय को एक सुझाव है कि जयपुर के अन्य जो हास्पिटल्स हैं, चाहे जयपुरिया हास्पिटल हो, चाहे दूसरे प्राइवेट हास्पिटल्स हों, इन सब हास्पिटल्स को जोड़ते हुए एस.एम.एस. को एम्स की तरह रैफरल हास्पिटल घोषित करें कि इसमें हम डाइरेक्ट भर्ती नहीं करेंगे। अन्य हास्पिटल्स से, चाहे कांवटिया से रैफर होकर आए, या जयपुरिया हास्पिटल से रैफर होकर आए, उन्हीं मरीजों को हम भर्ती करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस एस.एम.एस. हास्पिटल की जो गरिमा है वह भी बरकरार रहेगी और मरीजों की उचित चिकित्सा भी हो पाएगी।

एक मेरा और सुझाव है बीमारी शुरू होने के बाद में हम इलाज शुरू कराते हैं। राजस्थान के अन्दर आज आवश्यकता इस बात की है, होना यह चाहिए कि बीमारी शुरू हो, उसके पहले ही इलाज शुरू हो जाए। मेरा मंत्री महोदय को सुझाव है कि क्यों न चार चरणों के अन्दर, पांच साल के अन्दर प्रत्येक बच्चे की जांच हो। दस साल का जब हो, तब उसकी पुन: जांच हो, सभी जांचें हों । 15 साल के अन्दर उसकी जांच हो, 20 साल की उम्र के अन्दर उसकी जांच हो। आज प्रदेश के अन्दर तीन बीमारियां, सभापति महोदय, बहुत ज्यादा गम्भीर हैं- एक हार्ट के ऊपर अटैक, लोग बहुत ज्यादा इससे ग्रसित हैं। ब्रेन-हैमरेज से बहुत ज्यादा ग्रसित हुए हैं। एक जिसका जिक्र प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने भी किया है, कैंसर रोग बहुत गम्भीर रूप से और प्रदेश के अन्दर बहुत तीव्र गति से फैल रहा है। सभापति महोदय, इन तीन बीमारियों का कारण ढूंढा जाए कि आखिरकार ये तीन बीमारियां किस वजह से हो रही हैं। जहां तक, सभापति महोदय, मेरा अनुभव है, आदमी की दैनिक दिनचर्या के अन्दर जो खान-पान है, वह इसका दोषी है। जिस तरीके से खान-पान में हम रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, यही इसका प्रमुख कारण है- लोगों के अन्दर हार्ट के ऊपर अटैक आना, ब्रेम-हैमरेज होना और कैंसर के रोग का ग्रसित होना। सभापति महोदय, केन्द्र की सरकार ने एक निर्णय अच्छा किया है कि जितने भी सेवन करने वाले पदार्थ हैं- चाहे तम्बाकू हो, उनके ऊपर बिक्री-कर बढ़ाया है। गुटका है, सभापति महोदय, आज स्थिति यह आ गई कि गुटके का अलग वार्ड एस.एम.एस. के अन्दर डवलप करना पड़ा। जितनी भी गम्भीर बीमारियां हैं, इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है? आवश्यकता इस बात की है कि ये बीमारियां हों ही नहीं।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, हार्ट के ऊपर अटैक और ब्रेन-हैमरेज ये ऐसी बीमारियां हैं जो तत्काल आती हैं। सभापति महोदय, तत्काल इनका आपरेशन करना पड़ता है। मुख्य मंत्री कार्यालय से एक पत्र यह निकाला जाता है कि मरीज को आपने डिस्चार्ज करा लिया इसलिये मुख्य मंत्री सहायता कोष से अब राशि नहीं मिल सकती। इसमें मंत्री महोदय से मेरा एक निवेदन है कि यदि आपको यह प्रमाणित हो जाए कि मरीज के हार्ट का आपरेशन हुआ है, उसका बाई-पास आपरेशन हुआ है या ब्रेन-हैमरेज का उपचार हुआ है, आप संतुष्ट होने के बाद में, कम से कम इसमें एक संशोधन जरूर करें कि मुख्य मंत्री सहायता कोष से पैसे इलाज के दौरान भी स्वीकृत हों ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके जो तत्काल अपनी चिकित्सा करवाने की वजह से मुख्य मंत्री सहायता कोष का लाभ नहीं ले पाये थे।

सभापति महोदय, सबसे ज्यादा विडम्बना इस बात की है कि आये दिन हास्पिटल्स के अन्दर दुर्घटनाएं घटित होती हैं। कभी मरीज चिकित्सक के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और कभी चिकित्सक मरीजों के ऊपर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हैं। क्यों नहीं कम से कम एस.एम.एस. से एक बार शुरूआत करके देखें तो सुरक्षा के अन्दर आपका खर्चा भी कम होगा। एस.एम.एस. हास्पिटल के अन्दर सी.सी.टी.वी. कैमरे, जहां पर आपका आउटडोर है, अगर वहां लगा दिये जाएं तो कम से कम वास्तविकता पता चलेगी कि किस व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया है। चिकित्सक ने किया है या आपके मरीज ने किया है। आज सरकारी चिकित्सालयों के अन्दर जो मैनहैंडलिंग हो रही है, इन घटनाओं के ऊपर भी एक अंकुश लगेगा और लोगों के अन्दर भय भी रहेगा।

सभापति महोदय, एक मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एस.एम.एस. हास्पिटल के विस्तार की बहुत आवश्यकता है। आज भी आप बांगड़ वार्ड में जाकर देखेंगे, सभापति महोदय, तो मरीज बैड के बजाय नीचे लेटे हुए और एक बैड के ऊपर दो-दो, तीन-तीन मरीज दिखाई देंगे। इसके विस्तार की एक योजना मंत्री महोदय बनाएं ताकि लोगों को लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, पिछली गवर्नमेंट ने कितनी ही ऐसी योजनाएं शुरू कीं जो फ्री की योजनाएं थीं। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर जनता

(श्री रामलाल शर्मा)

स्वाभिमानी है, वह इस चीज को स्वीकार नहीं करती। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जितनी एम.आर.एस.-मेडिकल रिलीफ सोसायटियां हैं, उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहता कि पूरा पैसा आप वसूल करो। अगर मार्केट में एक्स-रे की रेट पचास रुपये है तो टोकन मनी के रूप में दस रुपये या पांच रुपये का शुल्क रखें। ताकि वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आप उपलब्ध नहीं करा सकते, जैसा अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि स्वीपर नहीं है, मेल नर्स नहीं, गार्ड नहीं है या फोर्थ-क्लास नहीं है, आपकी मेडिकल रिलीफ सोसायटियां मजबूत रहेंगी तो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर के ऊपर व्यवस्थाएं हो सकती हैं। आउटडोर, इनडोर के अन्दर पहले शुल्क लिया जाता था, आपने बी.पी.एल. को फ्री कर दिया। ए.पी.एल. को फ्री कर दो, और भी कोई गरीबी रेखा के नीचे आए, उन सबको फ्री कर दो। लेकिन साधारण व्यक्ति से अगर आपने पांच रुपया, दस रुपया टोकन मनी के रूप में लेना शुरू कर दिया तो कई समस्याएं ऐसी हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं है, उनका निदान स्थानीय स्तर के ऊपर ही हो जाएगा।

सभापति महोदय, एक होता है प्रत्यक्ष वार, महोदय, प्रत्यक्ष वार अगर कोई किसी व्यक्ति के ऊपर करता है तो आई.पी.सी. की धारा 307 हो चाहे 302, कार्यवाही होती है। लेकिन, सभापति महोदय, उन लोगों का क्या जो अप्रत्यक्ष रूप से मार रहे हैं? सभापति महोदय, मिलावट का दूध, मिलावट का घी। राजस्थान के अन्दर पशुधन घट रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है उसके बावजूद भी अखबारों के अन्दर कभी आपने यह नहीं पढ़ा होगा कि घी की कमी है या दूध की कमी है। आखिरकार इस दूध और घी की पूर्ति कहां से हो रही है? निश्चित रूप से यह घी और दूध की पूर्ति मिलावट की वजह से हो रही है। इसके ऊपर कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है और कठोर कार्यवाही करने की भी आवश्यकता है। यदि इनके ऊपर कार्यवाही करेंगे तो आम जनता को हम राहत दे पाएंगे।

सभापति महोदय, कई बार दुर्घटनाओं में मौत होती है, जहां दुर्घटना घटित होती है, उस दुर्घटना घटित होने वाली पी.एच.सी. या सी.एच.सी. के डाक्टर, इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान में एक नियम आप ऐसा निकालें कि कोई भी चिकित्सक पोस्टमार्टम उसका जरुर कर दे। जवान मौत

(श्री रामलाल शर्मा)

होती है, कई बार लोग भी इक्ट्ठे हो जाते हैं और उनसे कानून-व्यवस्था भी बिगड़ने की सम्भावना रहती है। यह जरूरी नहीं है कि जिस क्षेत्र के अन्दर दुर्घटना हुई है, वहीं का चिकित्सक उसका पोस्टमार्टम करे। अन्य जगह के ऊपर भी, चाहे सी.एच.सी. हो, वहां पर भी पोस्टमार्टम कराया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आज पहली बार तो बोलना शुरू किया है। अभी तो छह मिनट ही हुए हैं, सभापति महोदय, दस मिनट तो हों।

श्री सभापतिः छह नहीं, दस मिनट होने आए हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ बातें माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। मंत्री महोदय, आप बहुत उदार हो, आप संवेदनशील भी हो। मंत्री महोदय, लेकिन मुझे दुःख है। आपको है या नहीं है, कह नहीं सकता। मंत्री महोदय, आप ही के करकमलों से एक शिलान्यास आपने ढोढसर के अन्दर किया था। आपका शिलान्यास किया हुआ भवन दानदाता ने दो करोड़ रुपये लगाकर तैयार किया है, गांव वालों की मांग है कि वहां पर सी.एच.सी. या ट्रोमा हास्पिटल आप खोल दें। मेरे खयाल से यह पहला स्थान होगा जहां आपका शिलान्यास किया हुआ वंचित है, बाकी तो सब जगह करीब-करीब घोषणाएं पूरी होती हैं। तो निश्चित रूप से आप ढोढसर की सी.एच.सी. का जरूर करें।

सभापति महोदय, मेरे चौमूं का जो हास्पिटल है, उसमें एक हजार के आसपास आउटडोर है। चाहे चौमूं हो, चाहे बगरू हो, चाकसू हो चाहे बस्सी हो, सभापति महोदय, आस-पास के सी.एच.सी. को अगर हम सुदृढ़ कर देंगे तो जयपुर के अन्दर मरीजों का दबाव कम होगा। एक सोनोग्राफी की मशीन आपने उपलब्ध कराई, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन सोनोग्राफी के जो विशेषज्ञ हैं, ट्रेनिंग हमने दिलाई थी, डाक्टर भूरी हैं, वे आपके कांवटिया हास्पिटल के अन्दर कार्यरत हैं। मैं आपसे निवेदन करुंगा कि उनकी मूल पोस्टिंग हमारे चौमूं में है, हमारे यहां सोनोग्राफी प्रभावित हो रही है, उनको आप अगर फ्री कर दें तो आपको धन्यवाद दूंगा।

सभापति महोदय, अंतिम दो बातें निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, मीठी गोली स्वास्थ्य के लिये लाभदायक है और व्यक्ति के लिये भी लाभदायक है। होम्योपैथिक मेडिकल कालेज राजस्थान के अन्दर एक भी नहीं है। यह

(श्री रामलाल शर्मा)

दोनों तरफ से लाभदायक है। अगर होम्योपैथिक टेबलेट लेकर कोई व्यक्ति बोलता है तो बहुत मीठा बोलता है, इसका अनुभव मेरे को व्यक्तिगत है। तो कम से कम एक सरकारी मेडिकल कालेज जरूर खुले। राजस्थान के अन्दर सात मेडिकल होम्योपैथिक कालेज प्राइवेट सैक्टर के अन्दर चल रहे हैं। आज भी लगभग पांच हजार चिकित्सक होम्योपैथी के ऐसे हैं जो सरकार के अन्दर नौकरी या सेवा करने के लिये तैयार बैठे हैं। मंत्री महोदय, इन होम्योपैथिक चिकित्सकों की भर्ती की...

सभापति महोदय, एक अंतिम बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभापति महोदय, हर डिपार्टमेंट, चाहे मेडिकल का हो, चाहे आयुर्वेद का हो, सबके ऊपर एक कण्ट्रोलिंग ड्रग्स आफिसर बैठता है। होम्योपैथी के अन्दर कोई भी राजस्थान के अन्दर ऐसा ड्रग्स इंस्पैक्टर नहीं है जो इनकी दवाइयों को चैक कर सके। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर भी आप जरूर एक प्रावधान करें।

सभापति महोदय, खाद्य व आपूर्ति के ऊपर दो सुझाव हैं, मोटे-मोटे। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के अन्दर कम्प्यूटराइज्ड है और जी.पी.एफ. सिस्टम लागू किया हुआ है। सभापतिजी, अभी माननीय सदस्य सुशीलजी चिंता जाहिर कर रहे थे, यह बात हकीकत है। इस चीज को तो इनके अधिकारी भी स्वीकार करते हैं कि जो इनके वेयरहाउस से माल निकल कर जाता है, उसमें से 70 प्रतिशत ही अमुक स्थानों के ऊपर पहुंचता है। इनका 30 प्रतिशत माल तो रास्ते के अन्दर गायब हो जाता है। अगर जी.पी.एस. सिस्टम लागू कर दें और कम्प्यूटराइज कर दें तो निश्चित रूप से जिस जगह माल पहुंचना चाहिए, उस जगह निश्चित रूप से माल पहुंचेगा।

एक, माननीय सभापति महोदया, जितना इनका राशन का आबंटन का कोटा है, वह 60 परसेंट के आस-पास अभी हो रहा है। 60 परसेंट के अन्दर आम जो उपभोक्ता है, बी.पी.एल. परिवार हैं उनको सिर्फ एक महीने का राशन मिलता है। दूसरे महीने उनको वेट करना पड़ता है, फिर तीसरे महीने उनको राशन मिलता है। इसलिए इस कोटे को भी बढ़ाया जाए। आपने समय दिया, उदारता बरती, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री बाबूलालजी वर्मा

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मंत्रीजी का जवाब आने एवं मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाए। दोनों मंत्रीगण का जवाब आने व दोनों मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: यह प्रस्ताव पारित कर रहे हैं आप सभी?

(स्वीकृत)

ठीक है, प्रस्ताव पारित है। दोनों मंत्रीगण का जवाब आने व दोनों मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या-26 व 32 पर विचार

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): 4.51 पर बोल रहा हूं, साहब।

श्री सभापति: बिलकुल।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या-26 और 32 पर आज चर्चा चल रही है। सबसे पहले तो माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार बजट में चिकित्सा सेवाओं पर जो कि हमारी सामाजिक सेवाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, ऐसे वित्तीय प्रावधान किए हैं कि राजस्थान प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक गरीब आदमी को, मजदूर को, किसान को, महिलाओं को और बच्चों को चिकित्सा की अधिक से अधिक व्यवस्थाएं किस प्रकार से उपलब्ध हों, इसके लिए पर्याप्त साधन जुटाने की कोशिश की है। इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदया, आज चिकित्सा पर चर्चा चल रही है, चिकित्सा पर चर्चा करते समय इस बात पर सभी माननीय सदस्य चिंता जाहिर कर रहे हैं कि बीमार से बीमार व्यक्ति को सबसे सस्ता इलाज किस प्रकार से दिया जाए। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज यह चर्चा चिकित्सा पर ही खतम नहीं होनी चाहिए। आज हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर वे ऐसे कौन से दूसरे

(श्री बाबूलाल वर्मा)

पहलू हैं जिनकी वजह से चिकित्सा पर आज हम लोग इतनी गहनता से चर्चा कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदया, आज चाहे प्रदेश में पीने के पानी की व्यवस्था हो, हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता। इस बात से हर आदमी यहां पर वाकिफ है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने की क्या आर्थिक स्थिति है, किस तरह से वे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और खाने-पीने में मिलावटी चीजों के बारे में सब माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। माननीय सभापति महोदया, पर्यावरण की क्या स्थिति है, यदि शहरों में कच्ची-बस्तियों की चर्चा करूं। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको यदि हम सब लोग देखें तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चिकित्सा से सम्बन्ध रखते हैं। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें इन सब दूसरे फैक्टर्स पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जितना कि आज हम चिकित्सा पर कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदया, आज सदस्यों ने इस बात की भी चर्चा की कि प्राइवेट सैक्टर और गवर्नमेंट सैक्टर में जो चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है, उसकी क्या स्थिति है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आज एक गरीब आदमी को यदि प्राइवेट सैक्टर के अस्पताल में जाकर इलाज कराने की स्थिति आए तो क्या हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं? मैं नहीं समझता कि इस बात की कल्पना की जा सकती हो कि एक गांव का रहने वाला गरीब आदमी फोर्टिज या एस्कोर्ट में जाकर अपना इलाज करवा सकता है। जिस प्रकार की आर्थिक विषमता में, जिस प्रकार की सामाजिक स्थिति में आज हमारे देश का, हमारे प्रदेश का आम-आदमी रह रहा है, यदि हम इन सब चीजों पर विचार करें तो अमीर आदमी तो अमरीका जाकर इलाज करवा लेगा। हर तरह से, उसका बीमा होता है, उसके पास कई तरह के संसाधन होते हैं जिसकी वजह से वह बड़े से बड़े अस्पताल में जाकर इलाज करवा लेगा। लेकिन गरीब आदमी का इलाज कैसे हो? गरीब आदमी को अच्छे इलाज की सुविधा कैसे मिले, इस बात पर भी आज चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बात के लिए चिंता व्यक्त की है कि अच्छी से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था ग्रामों में रहने वाले आम आदमी को भी मिले।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी प्राब्लम थी, जैसे किडनी वगैरह के ट्रांसप्लांट की बात होती थी, मानव के जो आर्गन्स थे उनके ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास कोई यहां राजस्थान में कोई कानून नहीं था। पहली बार राजस्थान की मुख्य मंत्री ने इस बात पर विचार किया और कानून बनाने की घोषणा की है जिसमें ट्रांसप्लांटेशन का जो काम होगा, उसका रैगुलेशन होगा। उसके लिए राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। हर आम आदमी को जिसे किडनी या आंखें हैं या उसके दूसरे अंगों की जरुरत है, उसको निश्चित रूप से राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदया, आपने भी अपनी चर्चा करते समय एक बात का जिक्र किया था कि राजस्थान में डाक्टर्स की कमी है। सात गवर्नमेंट मेडिकल कालेज खोलकर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने एक ऐतिहासिक कदम इस बजट में उठाया है। यह बहुत बड़ा कदम है। आज तक किसी मुख्य मंत्री ने ऐसा बजट नहीं दिया सात मेडिकल कालेज एक ही वित्तीय वर्ष में खोलने का, कभी इस तरह की घोषणा की हो।

माननीय सभापति महोदया, यह बात बहुत संवेदनशील है, इतनी व्यवस्था करने के बावजूद राजस्थान में डाक्टर की कमी रहे, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए डाक्टर्स उपलब्ध नहीं हों, आज सबसे ज्यादा इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी सामाजिक सेवा का पार्ट हैं। यह एक आवश्यक सेवा है। इसको हम लोग दूसरी सेवाओं से जोड़कर नहीं देख सकते।

माननीय सभापति महोदय, मेडिकल कालेज की बात हम लोग करते हैं, लगभग 2400-2500 डाक्टर्स हम लोग एक साल में राजस्थान में तैयार करते हैं। मैं आज आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार के संसाधन हमारे राजस्थान में उपलब्ध हैं, मेडिकल कालेज से राजस्थान का डाक्टर बनकर तैयार होता है, आपने भी इस बात को कहा था कि शायद बाण्ड भरवाने की आवश्यकता है। मैं आपकी बात को जोड़ते हुए इस बात को कहना चाहता हूं कि आज बाण्ड भरवाने की आवश्यकता तो निश्चित रूप से है लेकिन इस बात की भी हमको व्यवस्था करने की जरूरत पड़ेगी कि हम लोग उस तैयार हुए एंड-प्रोडक्ट को, जो कि

(श्री बाबूलाल वर्मा)

डाक्टर के रूप में हमारे पास अवेलेबल है, उस डाक्टर की सेवाएं राजस्थान की गवर्नमेंट की सेवाओं के अन्दर कैसे लें, उस आदमी की क्या व्यवस्था की जाए कि वह डाक्टर बनकर राजस्थान में गवर्नमेंट की सेवा करे, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर इलाज करे। इस चीज की भी हमको कहीं न कहीं व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

मैं इसके लिए कहना चाहता हूं, चिकित्सा मंत्रीजी, हो सकता है कि आपको कोई बड़े कदम उठाने पड़ें। जो भी हमारे मेडिकल कालेजज हैं, उन मेडिकल कालेजेज में हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की, और राजस्थान के टेलेंटेड बच्चों को रियायती दर पर पढ़ाई कराने की बात की, उन लोगों से यह एग्रीमेंट किया कि आपको हो सकता है नि:शुल्क कुछ टेलेंटेड लोगों को पढ़ाना पड़े, उनको पढ़ाकर राजस्थान में सेवा देने के लिए आप उनसे बात करते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से राजस्थान में डाक्टर्स की कमी को हम लोग दूर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, बहुत ही गम्भीर मुद्दा है, हम चिकित्सा को पैसे से नहीं जोड़ सकते। पैसे को और चिकित्सा को मैं समझता हूं कि डिफरेंट वे में देखना पड़ेगा। आज गरीब आदमी तो हर चीज के लिए सोचता है। अभी चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्री सहायता कोष की बात कही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कई गरीब लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज की जानकारी नहीं होती। उनको पता नहीं है कि मुख्य मंत्री रिलीफ फंड से भी पैसा मिलता है। उनको इस बात का पता नहीं है कि प्रधान मंत्री सहायता कोष से भी पैसा मिलता है। फलस्वरूप क्या होता है, आदमी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गम्भीर बीमारी हो गयी, चिंता में वह व्यक्ति रहता है और चिंता में रहकर इलाज करवा लेता है। उसका डेढ़ लाख, दो लाख, तीन लाख रुपया हास्पिटल में खर्च हो जाता है। उसके बाद वह सारे बिल लेकर कभी-कभी हमारे पास आता है, कभी-कभी आप लोगों के पास भी आता है कि साहब, मेरे तीन लाख रुपये खर्च हो गये। इस बात को हम लोग जानते हैं, यदि इलाज शुरू करते वक्त इस बात को देख लिया जाता कि इसमें लाख रुपये का प्रोविजन मुख्य मंत्री सहायता कोष में है, इस बात का यदि प्रोविजन देख लिया जाता कि इसमें प्रधान मंत्री सहायता कोष से भी सहायता मिल सकती है तो आप मान कर चलिए कि गांव में रहने वाले आम आदमी को

(श्री बाबूलाल वर्मा)

राहत मिलती। माननीय सभापति महोदया, ऐसे कई केसेज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। मैं आज आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं कि इस चीज के लिए एक अवेयरनैस का प्रोग्राम चलाया जाए। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई भी ऐसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति अस्पताल में आता है तो जो डाक्टर इलाज कर रहा है, जिस वार्ड में उसका इलाज होता है, उस वार्ड में उस डाक्टर की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सबसे पहले वह मुख्य मंत्री राहत कोष का फार्म भरे, उसके बाद इसका इलाज शुरू करे। जिससे उसको इलाज के समय उस पैसे का फायदा मिल सके।

(17.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, राजस्थान में एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेद और होम्योपैथी की भी अभी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग जिस तरह से एलोपैथी के बारे में चिन्ता करते हैं, उसी तरह से आयुर्वेद और होम्योपैथी के बारे में भी चिन्ता करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद में काम करने वाले कई डाक्टर्स से मेरी बात होती है, मैं आज एक सब्जैक्ट, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से लाना चाहता हूं। आयुर्वेद में लगभग 30 साल से वरिष्ठ चिकित्साधिकारी का कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, आयुर्वेद में पिछले 12 साल से कोई डी.पी.सी. नहीं हुई। ये कुछ ऐसे सैक्टर्स हैं, यदि हम लोग ऊपर के लेवल पर प्रमोट करके डाक्टर्स नहीं बनाएंगे, हम लोग हास्पिटल्स को फिल-अप नहीं कर सकते। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी, ये सब हमारी ऐसी चिकित्सा पद्धति हैं, जिन पर हमको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपको तो जानकारी है, आप तो इस चीज से खुद काफी वाकिफ हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में तो परम्पराओं से इलाज होता है, एक स्वभाव बन गया। हमारे बुजुर्ग होते हैं, वे कहते हैं कि बेटा यह चीज कर ले, बेटी इस काम को कर ले। उससे उनको राहत मिलती है। जब इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति को हम लोग देख रहे हैं तो आप मानकर चलिये कि हम लोग एक बहुत अच्छा सिस्टम पैदा कर सकते हैं।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

बस दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। माननीय सभापति महोदय, मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे रेजीडेंट डाक्टर्स की। बहुत संवेदनशील मुद्दा है रेजीडेंट डाक्टर्स का। आदमी 400-500 किलोमीटर दूर से आता है, कोई हजार किलोमीटर दूर से, अपने साथ तीन-चार व्यक्तियों को वह आदमी लेकर आता है और जैसे ही वह यहां आता है, पता लगा कि रेजीडेंट डाक्टर्स हड़ताल पर हैं। टी.वी. में बड़ी-बड़ी हैडलाइंस, अखबारों में लाइनें। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चिकित्सा सर्विसेज क्या इस चीज के लिये बनी हैं कि हड़ताल पर जाएं हम लोग? हो सकता है कि उनका कोई संसेटिव इश्यू हो। इस बात से मैं इंकार नहीं करता। लेकिन किसी से कहा-सुनी हो गयी, हम हड़ताल पर जा रहे हैं। जयपुर में हड़ताल हुई, अजमेर में शुरू हो गयी। अजमेर में शुरू हुई, जोधपुर में शुरू हो गयी। आखिर इस सेवा का कहीं न कहीं, कोई न कोई सिस्टम तो हमको बनाना पड़ेगा। यदि यह सिस्टम हमारे पास नहीं है, मैं आज चिकित्सा मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इमरजेंसी अरेंजमेंट करने की आवश्यकता पड़े तो इन मामलों में कोई ढिलाई देने की जरूरत नहीं है। इन इश्यूज पर दो-दो, तीन-तीन रोज चर्चा चलती रहे, ये इस प्रकार के इश्यूज नहीं हैं। हो सकता है रेजीडेंट्स डाक्टर्स पर काम का दबाव हो। यदि उनके पास काम का कोई दबाव है, तो हम लोगों को उस चीज को भी देखने की आवश्यकता है। ये चिकित्सा के कुछ इश्यूज हैं।

मैं एक मिनट में मेरी बात मेरे केशोरायपाटन के लिये कहता हूं कि मेरा केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र लगभग 125-150 किलोमीटर के एरिये में बसा हुआ है। (व्यवधान) क्या हो गया? कौन छींक रहा है? (व्यवधान)

श्री सभापति: इलाज की जरूरत है।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): बहुत आराम से बोल रहा हूं, कोई बात नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, यह इसलिये छींक रहे हैं कि आप आज मंत्री होकर जवाब देते तो अच्छा लगता, आपकी योग्यता के हिसाब से। इसलिये छींक रहे हैं ये।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): गोविन्द सिंहजी, कोई प्रेम छलक रहा है क्या? ऐसा नहीं है।

श्री सभापति: आप तो विषय पर आ जाइए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप अगली सीट पर कब बैठोगे? उधर, अगली सीट पर कब बैठोगे?

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, एस.एम.एस. की चर्चा की गयी, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जाना चाहता। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि एस.एम.एस. राजस्थान की एक बहुत बड़ी असैट है। उसके बारे में जितना भी सरकार कर रही है, निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। दो मिनट में मेरे केशोरायपाटन की बात कर रहा हूं... (व्यवधान)

श्री सभापति: दो मिनट करते-करते बहुत हो गया। अब आप कन्क्लूड करें।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): बस, एक मिनट और। माननीय सभापति महोदय, केशोरायपाटन लगभग 125-150 किलोमीटर के एरिये में बसा हुआ है। मेरी कांस्टीट्युएंसी का पार्ट कोटा से शुरू होते हैं, इधर माधोपुर पहुंचते हैं, इधर टोंक तक आ जाते हैं। चार नगरपालिकाएं और 60 ग्राम पंचायतें हैं। चार सी.एच.सी. हैं, जिनमें मैं समझता हूं काफी सर्विसेज सैंक्शंड हैं। वहां आपरेशन थियेटर भी है। वहां ट्रोमा के लिये दूसरी फैसेलिटीज भी हैं। कई स्पेशलिस्ट की पोस्ट भी हैं। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, चारों सी.एच.सी. में करीब 50 प्रतिशत पद खाली हैं। 150 किलोमीटर की दूरी में, जहां कोई चिकित्सा व्यवस्था पुख्ता नहीं है, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि लाखेरी एक बहुत बड़ा कस्बा है, बूंदी जिले का एक बहुत बड़ा शहर है, उसमें आप सैटेलाइट हास्पिटल की निश्चित रूप से घोषणा करने की कृपा करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि करबर और सुमेरगंज मंडी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बड़े कस्बे हैं, लेकिन काफी डिस्टेंस पर हैं, वहां पी.एच.सी. हैं, उन पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की घोषणा करें। माननीय सभापति महोदय, अन्त में एक बात कहना चाहता हूं कि संवेदनशील सरकार, इस बजट में पूरी-पूरी नजर आ रही है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात पर पूरी कोशिश भी की है। और राजेन्द्रजी राठौड़ साहब जो हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय हैं, उनके बारे में तो मैं निश्चित रूप से पूरी कोशिश करके कह सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव हैं।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

दूसरी बात एक लाइन में। हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री महोदय हैं, एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि यह डिपार्टमेंट काफी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। फूड एण्ड सप्लाई का डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कि आपको हर तरह से मानिटरिंग करने की आवश्यकता है। आप तो एक बार व्यवस्था की मानिटरिंग कर लो, आपका डिपार्टमेंट निश्चित रूप से अच्छी सेवाएं प्रदान करेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रमेशजी।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, आज चिकित्सा, स्वास्थ्य, सफाई और नागरिक आपूर्ति पर बोलने के लिये मुझे समय दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज एक अति महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी अच्छे अच्छे सुझाव दिये हैं कि किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये मेडिकल के क्षेत्र में। लेकिन स्थितियां अभी छह-सात महीने में गड़बड़ा गयी हैं। नि:शुल्क दवा योजना पूरे राजस्थान में गरीबों के लिये एक अच्छी योजना थी, आज स्थिति यह है कि गांवों में, शहरों में कहने को तो दवाइयां 607 हैं, कहीं 507 हैं, सी.एच.सी., पी.एच.सी. पर भी बराबर हमने मंत्रीजी से क्वेश्चन किया था, उसमें पूरी दवाइयां बताईं, लेकिन आधी से भी कम दवाइयां मिल पा रही हैं। पूरे राजस्थान में आज नकली दवाइयां बिक रही हैं और उनके लिये एक ही लेबोरेटरी है पूरे राजस्थान में। उस लैब में मई तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2,780 लम्बित नमूने पड़े हुए हैं। जब तक जांच आती है, तब तक उनका जो समय बाउंड होता है, वह समय निकल जाता है। एक तरह से नकली दवाओं को बढ़ाने का प्रयास सरकार कर रही है।

दूसरी बात महत्वपूर्ण जिसके बारे में मैं कहूंगा कि आर.पी.एम.टी. का एग्जाम हुआ, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये थी, वह पूर्ण नहीं हुई है। एक ही कार्यवाही करके मंत्रीजी ने उस कार्यवाही को स्थगित कर दिया है, या प्रक्रियाधीन है। जब भी आप, मंत्रीजी, जवाब दें तो इस बारे में बताएं कि हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं। अभी जो बजट मुफ्त दवा योजना में खर्च होगा उसमें 3 करोड़ लोग कम हो जाएंगे और जो खाद्य सुरक्षा योजना की जांच के दायरे में आएंगे, उनको इसका लाभ दिया जाएगा। तो 33 परसेंट लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे, वो वंचित हो जाएंगे। गांवों में तो यह स्थिति

(श्री रमेश)

है कि 100 परसेंट लोग चाहे इस खाद्य सुरक्षा में नहीं आते हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं पर उनको भी यह दवा नहीं मिलेगी, उनके साथ बड़ा कुठाराघात होगा। एक तरह से मैं कहूंगा कि राज्य की जनता के साथ यह धोखा है।

अभी कुछ दिन पहले माननीय मंत्री महोदय ने बड़े-बड़े प्राइवेट अस्पतालों में, बड़े-बड़े फाइव स्टार होटलों में निरीक्षण करवाये, सैम्पल लिये और ड्रग कंट्रोल अफसरों द्वारा अनियमितताएं पायी गयीं। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार का यह बहुत अच्छा कदम है लेकिन इंस्पैक्शन में जो कमी पायी गयी है वो जनता के सामने आनी चाहिए कि यह कमी है और इनको यह दण्ड दिया गया है। कहीं बात आएगी कि हमने अभी कानून नहीं बनाया, कानून नहीं लाये। इस तरह यदि सरकार करेगी तो जनता के साथ धोखा है और धमका कर लोगों से कराने का यह जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है।

इसी तरह इन्होंने फाइव स्टार होटलों में भी जांच करवायी है, उसका भी परिणाम जनता के सामने आना चाहिए कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। कभी-कभी त्योहारों के मौके पर दूध है, मावा है, मिठाई है, इंस्पैक्शन किये जाते हैं, मावे को फेंका जाता है, दूध को फेंका जाता है। केसेज पकड़े हैं लेकिन किसी को आज तक कोई सज़ा नहीं हुई। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि साल भर रैगुलर जांचें चलें। चाहे कोई मिलावटिया किसी भी प्रकार का हो, दोषी को सज़ा मिले। सज़ा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मुझे थोड़ी-सी इसमें शंका यह हो रही है कि पूर्व शासन काल में भी माननीय मंत्री महोदय ने इस प्रकार की फाइव स्टार होटल और फाइव स्टार हास्पिटलों की जांच करवायी थी, पर रिजल्ट जनता के सामने नहीं आये। मैं पुन: सरकार से निवेदन करूंगा कि इसमें पारदर्शिता बरती जाए, नहीं तो हम समझेंगे कि यह सदन के साथ और जनता के साथ धोखा है।

आज जयपुर में नि:शुल्क दवा योजना पूरी तरह से लागू है लेकिन जब हास्पिटल में जाते हैं तो जांच के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। कभी कोई जांच का रिजल्ट आठ दिन में, कोई जांच का रिजल्ट 15 दिन में आता है, पूरी अव्यवस्था है। दवाइयां पूरी नहीं मिल पाती हैं। 30 परसेंट मरीज प्राइवेट दुकानों पर चले जाते हैं और 30 परसेंट समथिंग मरीज प्राइवेट हास्पिटलों में चले जाते हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि व्यवस्था

(श्री रमेश)

ऐसी हो कि मरीज हमारे गरीब भाई हैं जो पहले से ही जर्जर स्थिति में हैं, उनको इलाज मिले।

मरीज बढ़े हैं, हमें भी पता है सरकार को भी पता है। स्टाफ नहीं है, केन्द्रों पर अधूरे इंतजाम हैं। पूरी खरीद नहीं है, उसकी किल्लत है। दवा योजना की जो गारंटी दी है, उसकी मात्रा पूरी नहीं मिल पाती है। सैम्पल के लिए समय कम है। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें सुधार किया जाए।

पहले मैंने आपको बात बतायी थी, 607 प्रकार की औषधियां उपलब्ध होने की बात कही जा रही है लेकिन सी.एच.सी. लेवल पर 452, पी.एच.सी. लेवल पर 234 और सैटेलाइट हास्पिटलों में 527, आज की स्थिति यह है कि आधी भी दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं।

जांचों की बात है तो मेडिकल कालेज प्लस जिला लेवल पर 70 तरह की जांचें, सैटेलाइट हास्पिटलों पर 56 तरह की जांचें, सी.एच.सी. लेवल पर 37 और पी.एच.सी. लेवल पर 15 तरह की जांचें हैं, लेकिन जब आप गांवों में इंटीरियर में जाओगे तो एक-दो जांच हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 6-7 महीने से ऐसी अव्यवस्था हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि आप मेरे करौली जिले में पता कर लें, मेरा सी.एच.सी. मण्डरायल है वहां पर आज की तारीख में एक डाक्टर नहीं है जब से आपकी सरकार आयी है। यही स्थिति मेरे करणपुर सी.एच.सी. की है, यही स्थिति पी.एच.सी. हाड़ौती की है। डाक्टर लगे हुए थे, जैसे ही सरकार आयी, सबने डैपुटेशन कहीं करौली करा लिया, किसी ने जयपुर करा लिया। जो उपखण्ड लेवल पर डाक्टर नहीं है, इसकी व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: थोड़ा समअप करें।

श्री रमेश (सपोटरा): कभी-कभी तो मौका मिलता है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: कभी-कभी नहीं हर बार मौका मिल रहा है। समअप करें।

श्री रमेश (सपोटरा): बस दो मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा।

सभापति महोदय, बारां जिले में शाहबाद एरिया में जो कुपोषित बच्चे हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उनकी देखभाल हो। 5-6 की जो उनकी दर आपने

(श्री रमेश)

बतायी है, राजस्थान की 39.90 परसेंट और उनकी जो उम्र है एक साल से पांच साल तक, यह पुरानी है, लेकिन अभी भी कुपोषण की संख्या काफी है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि गरीबी के कारण है, या अन्य कोई कारण है, या वहां के पानी में कमी है, या बच्चे कहीं ऐसा खाना खाते हैं जिसकी वजह से कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसमें सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

आपने घंटी बजा दी तो, माननीय सभापति महोदय, मैं खाद्य आपूर्ति मंत्रीजी से कहना चाहूंगा। हमारी सदन की नेता ने अभी कहा है कि महंगाई बढ़ी है तो पी.डी.एस. सिस्टम के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों पर आलू, प्याज है, जो भी सम्बन्धित खाद्य वस्तुएं हैं वहां पर पहुंच जाएंगी। और गरीब लोगों को मिल जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राशन डीलर जो हैं, उसके बारे में सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि आज के समय में उनकी क्या स्थिति है। आप पी.डी.एस. सिस्टम के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं तो गरीब तक माल नहीं पहुंचेगा।

दूसरा, सबसे बड़ा कारण कि हमारे जिले में डी.एस.ओ. बैठा है वो किसी की भी परवाह नहीं करता। वो कहता है कि सरकार मेरी आ गयी है और चूरू वाले भाई साहब का मेरे ऊपर आशीर्वाद है तो खूब लूटो और खूब खाओ। आफिस में पता कर लेना, माननीय मंत्री महोदय।

श्री सभापतिः समअप करें।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, मैं पूरी बात कह दूं। खतम कर दूंगा एक मिनट में।

श्री रमेश (सपोटरा): वो कहता है कि दो अगरबत्ती अल्लाह की लगाओ और दो अगरबत्ती आपके जो भी भगवान मानते हो उसकी लगाओ, आपकी भी दुकान खूब चले और मेरी भी दुकान खूब चले। खूब लूटो और खाओ।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि मंत्री महोदय जांच कराना चाहें तो अक्टूबर से अब तक खाद्य एक्ट के तहत जो भी गेहूं आया है, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर तीन महीने का कहीं भी जनता को नहीं मिला है। 90 परसेंट कह रहा हूं मैं, 100 परसेंट में से 10 परसेंट चला गया हो बाई चांस। 90 परसेंट से कम निकल जाए तो मेरे से इस्तीफा लिखवा लेना इसी सदन में

(श्री रमेश)

कि, भाई, आप एम.एल.ए. नहीं रहे। हमारे जिले में इतना भ्रष्टाचार है पी.डी.एस. सिस्टम में। एक हाथ में डी.एस.ओ. एक लैटर रखता है कि यह तो सस्पेंशन का है और यह बहाल का है, आपको कौनसा लेना है? इस तरह की व्यवस्था हो रही हे। बढ़िया है, हमारी तरफ से तो आप खूब लुटाओ और खूब खाओ, आपकी सरकार का मैसेज बहुत बढ़िया जा रहा है कि हमारे अच्छे दिन आ गये हैं। जनता को पता लग रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मंत्रीजी इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। हमें कोई लेना-देना नहीं, आप किसी को भी लगाएं लेकिन भ्रष्ट आदमी को निश्चित रूप से हटाएं। धन्यवाद।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सदस्य, कोई इस तरह का प्रकरण हो तो आप लिखित में दो, निश्चित रूप से जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही कराएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री शत्रुघ्नजी गौतम।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-26 और 32 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा और नागरिक आपूर्ति विभाग, ये दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। राजस्थान की साढ़े छह करोड़ जनसंख्या से जुड़े हुए विभाग हैं। पूर्ववर्ती सरकार के सभी सदस्य जो वापस जीत कर आये हैं, सब का कहना है कि हमारी मुफ्त दवा योजना है। मुफ्त दवा योजना के नाम पर राजस्थान की जनता को पूर्ववर्ती सरकार ने भ्रमित किया, झूठा प्रचार-प्रसार राजस्थान की जनता में इन्होंने किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूं कि 240 करोड़ रुपये मुफ्त दवा योजना में प्रति वर्ष इनका बजट था, उसमें से 120 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा एन.आर.एच.एम. से पैसा आया। उसका अगर आकलन करें तो मैं आपको निवेदन करूं, प्रचार-प्रसार में, विज्ञापन में करोड़ों रुपये खर्च कर दिये होंगे।

सभी जो विपक्ष के सदस्य आये हैं, वे यह कहते हैं कि मुफ्त दवा योजना में 7 माह में क्या हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि 7 माह में बहुत कुछ हुआ है, इन्होंने तो आनन-फानन में लागू किया था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं कि एसएमएस अस्पताल उत्तरी भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

में ऐसे-ऐसे सर्जन हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में, अपनी सर्विस में 25-25 हजार आपरेशन किये होंगे। लेकिन एसएमएस के अन्दर आपातकालीन यूनिट में, इमरजेंसी में शाम को 8 से रात्रि के 2 बजे के बीच में जाने का मौका मिले तो वहां का जो दृश्य है, वह बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य होता है। कोई स्ट्रेचर पर लेटा पड़ा है, किसी को कोई संभाल रहा है, किसी को नहीं संभाल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एसएमएस की इमरजेंसी में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आता है उसको तुरन्त संभालें। पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और डाक्टरों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसको जिस वार्ड में शिफ्ट करना हो, उसकी एमआरआई होनी हो या जो भी होना हो, जल्दी हो तो बहुत-से लोगों की जान हम बचा सकते हैं, जिनकी जान चली जाती है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में शहर से 3 किलोमीटर दूरी पर आनन-फानन में एक अस्पताल के लिए जगह चिह्नित की गयी और पूर्ववर्ती सरकार ने अस्पताल की घोषणा की 32 करोड़ की लागत से। उसके लिए 12 करोड़ का बजट पास हुआ और वे 12 करोड़ रुपये लगाये गये। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार को लग रहा था कि हम वापस नहीं आएंगे, हम जीतकर नहीं आएंगे। जनता हमारे को जान चुकी है। आनन-फानन में श्राद्ध पक्ष में अमावस्या के दिन उस अस्पताल का लोकार्पण किया गया। इसको शिफ्ट करने में जल्दी की गयी कि इस अस्पताल को यहां से शिफ्ट कर दो। शहर से इस अस्पताल को शिफ्ट कर दिया गया। उसकी वजह से आम जन को असुविधा हुई जो आज तक भी हम भुगत रहे हैं। केकड़ी की जनता उस चीज को भुगत रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 32 करोड़ के अस्पताल की सरकार ने घोषणा की वहां वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन नहीं हैं। वहां वरिष्ठ विशेषज्ञ सर्जरी नहीं हैं। वरिष्ठ विशेषज्ञ रेडियोलोजिस्ट नहीं हैं। सोनोग्राफी करने वाले एक डाक्टर को तीन साल पूर्व एपीओ करवाया गया, तब से लेकर अभी तक यह रेजियोलोजिस्ट नहीं हैं। एनेस्थिसिया का डाक्टर नहीं है। शिशु रोग का डाक्टर नहीं है। अस्थि रोग का डाक्टर नहीं है। ईएनटी का नहीं है। ये सब पद रिक्त चल रहे हैं।

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

माननीय सभापति महोदय, केकड़ी में इतना बड़ा अस्पताल बनाया लेकिन उस अस्पताल में एक मोर्चरी की व्यवस्था नहीं की गयी कि पोस्टमार्टम के लिए कहां व्यवस्था होगी। केकड़ी अस्पताल में आये दिन हम देखते हैं कि जो भी कोई दुर्घटना ग्रस्त आता है या कोई भी व्यक्ति आता है, उसके साथ उसके परिजन होते हैं और अस्पताल में डाक्टरों की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, उसको तुरन्त यदि संभालते नहीं हैं तो उसके परिवारजन उतेजित हो जाते हैं। उसके बाद झगड़ा होता है और डाक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि केकड़ी अस्पताल में एक पुलिस चौकी की स्थापना होनी चाहिए जिससे ला एंड आर्डर मेंटेन हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि केकड़ी अस्पताल में करीब 120 किलोमीटर के मरीज आते हैं, वहां पर एक ब्लड बैंक की आवश्यकता है। मंत्री महोदय बड़े दयालु हैं, आज एक ब्लड बैंक की घोषणा यहां सदन में करें और यह कहें कि केकड़ी अस्पताल में ब्लड बैंक होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने राजस्थान के 67 वर्षों के इतिहास में जितने मेडिकल कालेज नहीं हैं, एक साथ ही 7 मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की। यह बहुत बड़ा निर्णय है और 2013 से 2018 का कार्यकाल मील का पत्थर साबित होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एमसीआई ने मेडिकल कालेजों के अन्दर सीटें कम कर दीं। हर साल मेडिकल कालेजों के प्रोफेसर रिटायर हो रहे हैं- कहीं 3, कहीं 4, कहीं 7, आने वाले समय में हम इन 7 मेडिकल कालेजों को कैसे संचालित करेंगे? डाक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार ने आनन-फानन में, उन्हें लगा कि वोट कैसे लें, कितने ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की घोषणा की। जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में न तो भवन का पता है, न किसी जमीन का पता है, न कोई स्टाफ का पता है। ऐसे 4-5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आखिर में खोले गये। इन सामुदायिक स्वास्थ्य

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

केन्द्रों पर डाक्टर्स भी हों और भवन भी बने, इसमें बजट की व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 32 पर निवेदन करना चाहता हूं। यह महकमा राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण महकमा है। नागरिक आपूर्ति विभाग से 4 करोड़ व्यक्ति हर माह सम्पर्क में आते हैं, 1 करोड़ गैस उपभोक्ता। मैं खुद भी एक गैस डीलर हूं, 1 करोड़ उपभोक्ता राजस्थान में गैस के होंगे। पेट्रोल पंप और डीजल भी इसमें आते हैं। पिछली सरकार ने जो खाद्य सुरक्षा बिल लागू किया उसमें 69 परसेंट ग्रामीण आबादी को जोड़ना था, लेकिन जोड़ दिया 95 परसेंट, जोड़ दिया 98 परसेंट। विपक्ष के माननीय सदस्य आज कहते हैं कि आपने क्या किया, 7 महीने में क्या किया। शहर की आबादी का 55 परसेंट खाद्य सुरक्षा बिल में जोड़ना था, जोड़ दिया 75 परसेंट, 80 परसेंट।

माननीय सभापति महोदय, मेरे अजमेर जिले में 12 हजार मैट्रिक टन गेहूं की उपलब्धता होनी चाहिए लेकिन 4-5 हजार मैट्रिक टन से ज्यादा नहीं मिला। जिसको इस महीने मिलेगा उसको अल्टरनेट अगले महीने मिलेगा। इस प्रभावशाली विभाग में इस तरह से बदलाव करें कि अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचे। इस विभाग से अंतिम गरीब व्यक्ति जो गांव के अंतिम छोर पर बैठा है, उसको मदद मिले। आप से यही निवेदन करते हुए, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री रणधीर सिंहजी भिंडर।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): सभापति महोदय, धन्यवाद। इसमें तो कोई संशय नहीं है कि हमने राजस्थान का भविष्य सुरक्षित हाथों में दिया है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): पहले बत्ती हरी होती है, फिर लाल होती है।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): हो गयी लाल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हरी में रुकना पड़ता है, लाल में बोलना पड़ता है।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): लाल में ही बोल रहा हूं। इसमें कोई संशय नहीं कि राजस्थान का भविष्य हमने सुरक्षित हाथों में दिया है। इस बात में भी कोई संशय नहीं कि माननीय राठौड़ साहब चिकित्सा मंत्री हैं, पिछली बार जब ये चिकित्सा मंत्री थे भैरोंसिंहजी शेखावत के समय पर, उस

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

समय चिकित्सा सुविधाओं में बदलाव आया था, सुधार आया था। पिछली बार डा. दिगम्बर सिंहजी जो सुधार लाये थे, उस सुधार को देखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि अब की बार भी चिकित्सा सुविधाओं में बहुत अच्छा सुधार आएगा।

माननीय सभापति महोदय, लेकिन क्षेत्र में घूमते हुए बहुत-सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं जो मैं आपके माध्यम से राठौड़ साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे यहां पर पीएचसी, सीएचसी हैं, डाक्टर्स की वैसे दिखने में तो कोई कमी नहीं है, हम मांग करेंगे तो आप डाक्टर्स खूब दे भी देंगे, क्योंकि If wishes were horses, beggars would ride. मांग की तो कोई कमी होती भी नहीं है कभी। लेकिन यह मानना है कि नर्सिंग स्टाफ की कमी हर जगह है। उसके अलावा मंत्रालयिक कर्मचारियों की कमी भी सीएचसी और पीएचसी में है। डाक्टर खुद बैठकर पर्चियां बनाते हैं। उससे डिले होता है। आजकल जहां चिकित्सा सुविधाएं हैं वहां पर भीड़ आने लगी है, तो मंत्रालयिक कर्मचारियों की बहुत ही आवश्यकता है।

(17.30 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात, जो 108 सर्विस है इसको किसी न किसी सेंटर के अंडर में देना बहुत जरूरी है। आप यहां सेंटर से गवर्न करते हैं, जयपुर से। मैं मेरी खुद की बात बताऊं, मेरे क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट जब हुआ तो दस मिनट बाद ही मैं उस एक्सीडेंट साइट पर पहुंच गया। मैंने 108 पर फोन किया तो उन्होंने दूर एक कुरावड़ क्षेत्र है, वहां पर फोन लगाकर कहा कि 108 आ रही है। मैंने कहा कि वह बहुत दूर है, भींडर वहां से 10 किलोमीटर ही है, आप भींडर वाले को कहो। भींडर में जिसने फोन उठाया उसने कहा कि आप तो कुरावड़ भेजो जो कि 40 किलोमीटर दूर है। जिसको सुविधा मिलनी चाहिए थी वह मिल नहीं पायी। भींडर वाले को मैंने फिर डांटा और मैंने कहा कि मैं तुम्हारा विधायक ही बोल रहा हूं, मुझे पता है कि भींडर ज्यादा पास है। तब जाकर वह आया। लेकिन आने से पहले ही इतना खून बह गया था कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गयी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि 108 अच्छी सर्विस है लेकिन इसको किसी न किसी अधिकारी के अंडर में करना बहुत जरूरी है।

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

सीएचसी और पीएचसी में जहां पर भी वह लगी हुई है, वहां पर किसी अधिकारी द्वारा उन्हें सूचित किया जाए तो और बेहतर होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैं भिण्डरवाला बोल रहा हूं, तब आया, तो भिण्डरवाला के नाम से तो कोई भी डर जाता है। (व्यवधान)

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): डराना थोड़े था उनको, मैंने तो अपनी समस्या बतायी थी।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले वसुन्धराजी के शासन के दौरान ब्लड बैंक खोले गये थे, वे बंद हो गये हैं। मेरे क्षेत्र में सेंटर में एक पीएचसी पड़ती है, वहां चिकित्सा सुविधा अगर अच्छी हो जाए तो पूरा आदिवासी क्षेत्र है। सीएचसी में आप अपग्रेड कर देंगे खैरोदा को तो निश्चित तौर पर आदिवासी क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। इसी तरह से बड़गांव, बाटेड़ा कलां, शिश्यू और पाणू, ये भी पीएचसी खुलने की कगार पर हैं और आदिवासी क्षेत्र पूरा है। मेरा यह मानना है कि मिलेनियम डवलपमेंट टार्गेट जो है जिसको हम सहस्त्र शताब्दी लक्ष्य कहते हैं, उसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि मानव विकास सूचकांक में हम पीछे रह गये हैं। 2015 आने वाला है मोर्टेलिटी रेट, माल न्यूट्रिशन, गर्ल चाइल्ड को बचाना, इन सब सुविधाओं को तभी हम ठेठ पहुंचा सकेंगे जब एक-एक पीएचसी हर पंचायत हैडक्वार्टर पर खुले। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ऐसा होगा। लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं, उन पर आप थोड़ा-सा ध्यान देकर हमें राहत प्रदान करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश भंसाली।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 और 32 के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा, आपने समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं अपनी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का बहुत आभारी हूं कि उनके पूर्व काल में जोधपुर के तीनों कालेज अस्पतालों में बहुत सारी नई चीजें हुईं और वे आज भी समुचित रूप से चल रही हैं। इस सरकार के आने के बाद में स्वास्थ्य मंत्रीजी ने जिस तरह से सफाई व्यवस्था में अच्छा किया है, वह सराहनीय है। 39 प्रसूताओं की जो अकाल मृत्यु हुई थी उससे सबक लेते हुए

(श्री कैलाश भंसाली)

आज इतनी अच्छी सफाई व्यवस्था हो गई है कि फंगस वहां हो ही नहीं सकता।

जोधपुर के तीनों मेडिकल कालेजों में बहुत सारे पद रिक्त हैं- प्रोफेसर के 14, एसोसियेट प्रोफेसर के 65, असिस्टेंट प्रोफेसर के 94 और वरिष्ठ विशेषज्ञों के 72, नर्सिंग में फर्स्ट ग्रेड में 138 और सैकण्ड ग्रेड में 368 । इस कारण से इन अस्पतालों में आये दिन मरीज उत्तेजित होकर रेजिडेंट डाक्टरों के झगड़ा करते हैं, पुलिस केस बनते हैं और अव्यवस्था होती है, हड़ताल होती है। इसको पूरा स्टाफ देने से ठीक किया जा सकता है।

एमजीएच में नया आउटडोर बन रहा है, काम बहुत स्लो चल रहा है उसको जल्दी से पूरा किया जाए, ऐसा मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है। इसी तरह से उम्मेद अस्पताल में लेबर, रूम, आपरेशन थियेटर और मीटिंग रूम, जैसा अभी जीजी ने कहा था कि एक ही बैड पर तीन-तीन प्रसूताओं को सुलाया जाता है, इससे सुविधा मिलेगी। वेटिंग में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं कई बार अस्पताल में जाता हूं तो काफी लम्बी लाइन होती है। कोई सिस्टम बनाया जाए, टोकन सिस्टम हो जाए, जो पहले आ जाए उसकी पहले जांच हो जाए तो मरीजों को सुविधा मिलेगी। उम्मेद अस्पताल में डेली 90 प्रसूताएं अपने बच्चों को जन्म देती है परन्तु स्थान कम हो गया। आसपास के क्षेत्रों से वहां प्रसूताएं आती हैं। मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ये तीनों अस्पताल हैं उनमें मथुरादास माथुर में मदर और चाइल्ड वार्ड तैयार पड़ा है, कुछ इक्विपमैंट आने हैं, अगर वे आ जाएं तो उम्मेद अस्पताल की भीड़ कम हो सकती है। महिला एवं बाल जिला अस्पताल में प्रसूताओं में तीस बैड का है परन्तु डाक्टर्स नहीं हैं। इसी तरह से नवचौकियां डिस्पेंसरी में डाक्टर है परन्तु मरीजों को रखने के लिए अच्छे रूम्स की कमी है। इसके साथ-साथ सफाई व्यवस्था में कांट्रेक्ट पर लगाये हुए लोग काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं, जहां तक हो, कांट्रेक्ट लेबर कम कर स्थायी सेवा करने वाले कर्मचारियों से काम लिया जाए।

पीडब्ल्यूडी रखरखाव का काम बहुत मुश्किल से करती है, डाक्टर्स परेशान हो जाते हैं। एयर कण्डीशन्स बंद हो जाते हैं और पंखे तक नहीं चलते हैं तो गर्मी में बहुत बुरा हाल होता है। आयुर्वेद को जिस तरह से बढ़ावा देना चाहिए वह यह सरकार दे रही है। मेरी मांग है कि खांडाफळसा में जिला अस्पताल में एक बड़ा हाल बनना चाहिए जिसमें तीस बैड की व्यवस्था हो सके।

(श्री कैलाश भंसाली)

होम्योपैथिक चिकित्सा सबसे सस्ती सुलभ और अच्छी और स्थायी चिकित्सा है परन्तु उसका एक भी सरकारी कालेज नहीं है इसलिए उसके डाक्टर्स नहीं आ रहे हैं, बड़ी कमी है उन लोगों की। 7 प्राइवेट कालेजेज हैं वे डिग्रियां पैसे से देते हैं। मेरा यह निवेदन है कि इन पर सरकार एक कण्ट्रोलर बैठाए, दवाइयों की जांच करे, ठीक ढंग से दवाइयां जाएं। अभी एक अस्पताल में पशुओं के इंजेक्शन मानव को लगा दिये थे, बड़ी शर्मनाक बात है। हालांकि मंत्री महोदय ने तुरन्त उस पर जांच बैठायी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवायी, उसके लिए धन्यवाद।

यूनानी कालेज के लिए नई बिल्डिंग की आवश्यकता है, पुरानी छोटी बिल्डिंग में बच्चे बहुत परेशान हैं। रेडियोलोजी डिपोर्टमेंट में एक्स-रे मशीन हमेशा खराब होती है, उससे मरीजों को बड़ी असुविधा होती है। कार्डियोलोजी डिपार्टमेंट जो महात्मा गांधी अस्पताल में पूर्व में था, काफी मशीनें खराब हो गई है, नयी लगाई जाएं। पहले वहां कार्डियोलोजिस्ट प्रति दिन बैठता था, परन्तु अब सप्ताह में एक दिन आता है। शहर का सारा भार एमजीएच में आता है, सारे मरीज वहीं आते हैं। तो शीघ्र ही डेली कार्डियोलोजिस्ट वहां बैठे, इसकी व्यवस्था करने की मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं। एमआरआई मशीन अक्सर खराब रहती है एमजीएच में, लोगों को बाहर जाकर एमआरआई करवानी पड़ती है, बड़ी कास्टली होती है। उम्मेद अस्पताल में 80-90 कांट्रेक्ट लेबर पर 30 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, महिलाएं हैं, उनको आश्वासन भी दिया था माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब वे जोधपुर आई थीं, कि उनकी सेवाओं को परमानेंट कर देंगे। वह मांग अभी खड़ी है, उन्होंने फिर मुझे तीन दिन पहले कहा और मंत्री महोदय को भी फैक्स भेजा था, उनकी समस्याओं का भी निराकरण अवश्य होना चाहिए। एमजीएच में कैंसर वार्ड के लिए पांच करोड़ का बजट सैंक्शंड है, उसमें से कुछ हिस्सा आया है, बाकी का काम शुरू नहीं हुआ है जिसे जल्दी से पूरा किया जाए। भीतरी शहर में 108 की दो बसों के लिए बार-बार मांग कर रहा हूं- एक नवचौकियां में और घण्टाघर में, ये दिलाने की कृपा करें।

सरकार की नीति है आम आदमी, गरीब आदमी के लिए, लेकिन सहकारिता विभाग द्वारा जो दवाइयां दी जा रही हैं या मुफ्त दवाई वितरित की जा रही हैं, वे घटिया क्वालिटी की हैं, उससे कई बार परेशानी होती है। विशेषकर पेंशनर्स को जो दवाई दी जाती है उसमें बड़ी लाइनें लगती हैं, उनको

(श्री कैलाश भंसाली)

सप्ताह में एक बार न देकर डेली दिया जाए तो भीड़ कम हो जाएगी। पेंशनर्स की बैठने की व्यवस्था जरूरी है। तीनों अस्पतालों में सुरक्षा की दृष्टि से कुछ अच्छे प्रबंध करने चाहिए। कुछ व्यवस्था बनी है, फिर भी आये दिन झगड़े होते हैं विशेषकर टैक्सी चालक और मरीजों के बीच में।

एक निवेदन करूंगा कि सब जगह ट्रोलियों की कमी है। बहुत मुश्किल से लोग हाथों में मरीज को लेकर अस्पताल के अन्दर जाते हैं। इसकी पूरी व्यवस्था करें। ट्रोमा सेंटर में अक्सर वरिष्ठ डाक्टर मिलते नहीं हैं और रात के समय तो बहुत मुश्किल है। आप सही मानिए, हर दिन दो-तीन फोन मुझे तीनों अस्पताल में करने पड़ते हैं। इमरजेंसी में सुव्यवस्था नहीं है, उसको ठीक किया जाए।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मेरे झालामंड एरिया में मधुबन में जो डिस्पेंसरी है, उसको 30 बैड का होस्पिटल बनाया जाए। वह अस्पताल से तीन-चार किलोमीटर दूर है। अच्छी व्यवस्था लोगों को मिलेगी, विशेषकर प्रसूताओं के लिए गायनिक वार्ड हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा।

इसी तरह से नौचोकिया डिस्पेंसरी को सुविधाएं दी जाएं। महिला अस्पताल को काफी ठीक किया गया है, मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे आ जाएं और इसको शुभारम्भ करने का श्रेय लें, क्योंकि वह तैयार पड़ा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट, एक मेरा निवेदन है। बाड़मेर जिले की सिवाना तहसील के कर्मावास में जब बारिश आती है तो तीन महीने के लिए रास्ते रुक जाते हैं। एक दानदाता ने कहा है कि सरकार अगर जमीन दे दे और अस्पताल की मंजूरी दे दे तो वे करने के लिए तैयार हैं। मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया था और सिवाना के विधायक महोदय, दोनों ने जाइंट निवेदन किया था, आपने कहा कि मैं डाइरेक्टर साहब को भेजकर इस बात को पूरा कर दूंगा। मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से निरीक्षण कराकर यह मंजूरी दें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मांगों पर तो, मंत्रीजी, आप स्वयं सारी बातें जानते हैं, आपको ध्यान में लाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रश्न की ओर जो मेरे विधान सभा क्षेत्र का और जयपुर से सम्बन्धित है, दो-चार मिनट में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मानसरोवर में मानस आरोग्य सदन करके एक अस्पताल का निर्माण हमने कराया था। उस अस्पताल के निर्माण में मेडिकल कालेज का ही पूरा पैसा लगा था, सरकार के संसाधन से कोई पैसा नहीं लिया था। जब राजस्थान में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना का तय किया था तो मेंटल हास्पिटल के सामने एक सरकारी जमीन थी मेंटल हास्पिटल की, वह मेडिकल कालेज को दे दी गयी थी। वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने और मैंने जाकर उसके प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया था। उसके बाद मैंने देखा कि यहां प्रशासनिक भवन के शिलान्यास में बहुत पैसा लगेगा, वह छोटी-सी जगह रहेगी तो हाउसिंग बोर्ड की 25 बीघा जमीन प्रताप नगर में लेकर उसको तो वहां शिफ्ट किया और उस जमीन को जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा नीलाम कराकर 60 करोड़ रुपया प्राप्त किया। उस रुपये से मानस आरोग्य सदन बना और दक्षिणा के रूप में, उसी रुपये में से, 10 करोड़ रुपया झालावाड़ के मेडिकल कालेज को दान दिया गया, इसी में से। यह सरकार को देना चाहिए था, लेकिन इस मेडिकल कालेज में से 10 करोड़ रुपया झालावाड़ के मेडिकल कालेज को भी दिया गया। उस पैसे से मानस आरोग्य सदन बना और उसमें यह तय हुआ था कि उस मानस आरोग्य सदन में इधर के सारे लोग रहेंगे और सवाई मानसिंह अस्पताल या मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बन रही है, उसके अन्तर्गत वह अस्पताल काम करेगा। उस हिसाब से उस अस्पताल का निर्माण कराया था। निर्माण पूरा होते-होते सरकार का परिवर्तन हो गया, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गयी। तीन साल तक लगातार उसको प्राइवेट पार्टियों को देने का उपक्रम चलता रहा। आपने देखा होगा कि हर स्तर पर, विधान सभा में मैंने इसका जबर्दस्त विरोध किया था कि इसको नहीं दिया जाए। यहां तक कि तत्कालीन मंत्री श्री दुरु मियांजी से मेरा इस पर वाद-विवाद भी हुआ और उसको बार-बार रोकते रहे। इसका सारा करने के बाद में दो प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं हैं उसमें पूंजीवादी शासन व्यवस्था भी है और स्टेट के वैलफेयर की शासन व्यवस्था भी है, जब अतिशय पूंजीवाद आ जाता है तो कल्याणकारी राज्य की कल्पना समाप्त हो जाती है। यह मानस आरोग्य सदन जिस प्रकार दिया गया, वह अतिशय पूंजीवादी सोच के कारण से दिया गया। हम जब राज करने के लिए आते हैं, आम आदमी के लिए कोई काम

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करते हैं तो उसको हम पैसे से नहीं नापते। बहुत लड़ाई की हमने। लड़ाई के बाद में सरकार ने तय ही कर लिया कि मैट्रो हास्पिटल की चेन है, उसके मालिक को यह अस्पताल देंगे। हम इसके विरोध में एक जुलूस निकालकर दुर्रु मियांजी के घर पर गये, हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि इसको हम दो साल के ट्रायल पर दे रहे हैं और तीन बड़ी-बड़ी बातें इसमें तय की गयीं। पहली बात इसमें तय की गयी थी कि इसमें 20 प्रतिशत लोग, गरीब लोग फ्री ट्रीटमेंट कराएंगे और उसमें सवाई मानसिंह अस्पताल के डाक्टर सारे रहेंगे और वे देखेंगे कि 20 परसेंट का फ्री ट्रीटमेंट होता है या नहीं, एक।

नम्बर दो, यह कहा गया था कि इसमें भर्ती होने वाले जितने लोग होंगे, उनका सारा जो एक बैड का किराया होगा, वह सवाई मानसिंह अस्पताल के डाक्टर और वित्त विभाग के लोग मिलकर जो रुपया तय करेंगे, उसके हिसाब से इसमें पैसा लिया जाएगा।

तीसरी बात यह तय हुई थी कि 24 आवर्स वहां पर इमरजेंसी की सेवाएं रहेंगी और इमरजेंसी के वाहन से सवाई मानसिंह अस्पताल या अन्य जिला अस्पताल में पहुंचाना पड़ेगा तो उसको यह हास्पिटल शिफ्ट करेगा। इन तीनों ही बातों का पूर्णत: इसने उल्लंघन किया। पहली बात इन्होंने इसका नाम बदल दिया। मानसरोवर के नाम से मानस आरोग्य सदन बनाया गया था, इन्होंने इसे मैट्रोमास कर दिया, मैट्रोमास। यह सारी जमीन सरकार की है, पैसा सरकार का लगा हुआ है और जैसी सीएजी की आज रिपोर्ट आयी है, मैं इस पर आज समय नहीं लेना चाहता, माननीय मंत्री महोदय ने पढ़ा, आपका स्टेटमेंट भी आ गया, यह इस प्रकार का कृत्य है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। उसने सारे नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से, आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस कांट्रेक्ट को तुरन्त रद्द करें, इन पर मुकदमा दर्ज कराएं और मानस आरोग्य सदन को या तो सवाई मानसिंह अस्पताल के अन्तर्गत या मेडिकल यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत चलाएं। यह इस ढंग के लिए बना था ताकि मानसरोवर के लिए ही नहीं, पूरे आसपास के क्षेत्रों के लोगों की सेवा कर सके और सवाई मानसिंह अस्पताल पर भार भी कम हो सके। जमीन हमारी, बिल्डिंग हमारी, काम हमारा और इस प्रकार से करना, इसको कहते हैं अतिशय पूंजीवाद या क्रूर पूंजीवाद। जब हम कहते हैं कि चीज तो उपलब्ध है, लेकिन इसमें इतना घाटा लगेगा इसलिए सरकार यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चीज नहीं चलाएगी। ऐसा सम्भव नहीं है। पिछली सरकार ने यही तर्क दिया कि इस पर इतना खर्च होगा, आय कम होगी। बहुत-सी ऐसी चीजें हैं जिनमें सरकार को आय नहीं होती, लेकिन वैलफेयर स्टेट को वह काम करना ही पड़ता है। इसलिए वेलफेयर स्टेट की कल्पना के आधार पर इस समझौते को रद्द किया जाए और मानस आरोग्य सदन को सरकारी क्षेत्र में लेकर इस पर काम चलाया जाए और सीएजी की जो रिपोर्ट आयी है उस रिपोर्ट पर भी तुरन्त कार्यवाही की जाए, आपके माध्यम से मैं इतना ही माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री शैतान सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं उस समय का भी साक्षी रहा हूं जब इस मानस आरोग्य सदन को पीपीपी मोड पर पूर्ववर्ती सरकार दूसरे लोगों को देना चाहती थी। माननीय सदस्य ने उस समय विधान सभा के अन्दर भी इसका जमकर विरोध किया था। सभापति महोदय, यह फैसला पूर्ववर्ती सरकार का है। इसमें भी शक नहीं है कि सीएजी ने जिस प्रकार के गम्भीर आक्षेप किये हैं, निश्चित तौर पर वह सब जांच का विषय है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं इस फाइल को मंगाऊंगा, मैं आपसे भी विचार-विमर्श करूंगा और सी.ए.जी. के जो आक्षेप हैं उनमें जिस किसी पर भी दोषारोपण सी.ए.जी. ने किया है, उस पर भी निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उस हास्पिटल को रिजैक्ट करो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक बार मैं सारी पत्रावली मंगवा लूं क्योंकि उसमें एक एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट, सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ शर्तों के साथ कर रखा है, कुछ समयावधि उसमें साथ में लगी हुई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दो साल खतम हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अगर समयावधि पूरी हो गई तो निश्चित तौर पर पुनर्विचार करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ठीक है।

श्री सभापति: श्री शैतान सिंह।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 व 32 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आज सदन में चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं सफाई पर चर्चा चल रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की जनता के लिए बजट में व्यवस्था की और विशेषकर सात नये मेडिकल कालेज खोले। उनमें एक मेडिकल कालेज बाड़मेर है जो जैसलमेर से लगता हुआ है, जिससे हमारे उस क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा विधान सभा क्षेत्र पोकरण बहुत लम्बा क्षेत्र है। इस विधान सभा क्षेत्र की लम्बाई 300 किलोमीटर और चौड़ाई 75 किलोमीटर है। पोकरण के पास में रामदेवरा है जो भारत का सबसे बड़ा एक दार्शनिक स्थल है, वहां बहुत बड़ा मेला लगता है और बारह महीने यहां पर लोग आते हैं। मैंने कटौती प्रस्ताव के तहत भी मांग की है कि पोकरण में ट्रोमा सेण्टर खोला जाए। पोकरण के नजदीक जैसलमेर और जोधपुर हैं। 300 किलोमीटर की दूरी में पोकरण बीच में है। पोकरण से जोधपुर 180 किलोमीटर और जैसलमेर 110 किलोमीटर है। कई बार एक्सीडेंट होते हैं तो जैसलमेर या जोधपुर पहुंचते-पहुंचते मरीज खतम हो जाते हैं। कहीं पर खून चढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मेले में भीड़ होती है उसमें कई बार एक्सीडेंट होते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए और उस क्षेत्र में पोकरण सबसे बड़ा कस्बा है, आस-पास में कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए उस हास्पिटल को क्रमोन्नत किया जाए और वहां ट्रोमा सेण्टर खोला जाए। पिछली सरकार के पूरे कार्यकाल में उस हास्पिटल की स्थिति बहुत दयनीय रही। मैं आपके सामने उसका खाका पेश करूं तो उसमें वरिष्ठ चिकित्सक की दो पोस्ट हैं, दोनों ही खाली हैं। कनिष्ठ चिकित्सक की 9 पोस्टें हैं उनमें से 5 खाली हैं। चिकित्साधिकारी 6 हैं जिसमें दो खाली है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के तीन पद हैं और तीनों ही खाली हैं। मेल नर्स फर्स्ट की पांच पोस्ट हैं जिनमें से 3 खाली हैं। मेल नर्स सैकण्ड ग्रेड की 28 हैं जिनमें से 23 खाली है। फोर्थ क्लास 18 हैं जिनमें 13 खाली हैं। तो यह उस पोकरण मेन अस्पताल की स्थिति है।

इसके साथ-साथ मैं पूरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि वहां 10 पीएचसी हैं और 4 सीएचसी हैं जिनमें भी ऐसी की ऐसी स्थिति है। पूरे क्षेत्र में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के 4 स्वीकृत पद हैं जिनमें चारों ही खाली हैं। कनिष्ठ विशेषज्ञ के 17 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 13 पद खाली हैं। चिकित्सा अधिकारी के 35 स्वीकृत पद हैं जिनमें 17 खाली हैं। पूरे विधान सभा क्षेत्र में मेल नर्स फर्स्ट के 9 पद स्वीकृत हैं जिनमें 6 रिक्त हैं

(श्री शैतानसिंह)

और मेल नर्स सैकण्ड के स्वीकृत 78 पदों में से 51 पद खाली हैं। एएनएम के 162 स्वीकृत पदों में से 68 रिक्त पद हैं। यह उस पूरे विधान सभा क्षेत्र की स्थिति है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि लम्बा-चौड़ा क्षेत्र देखते हुए वहां चिकित्सकों की व्यवस्था कराएं। अभी पिछली सरकार ने चार नई पीएचसी खोली हैं लेकिन उसमें डाक्टर तो दिये नहीं थे, खोल जरूर दी थीं। वहां न तो बिल्डिंग की व्यवस्था है और न ही डाक्टर है। मेरा श्रीमानजी से निवेदन है कि हमारा लम्बा-चौड़ा क्षेत्र देखते हुए चिकित्सकों की व्यवस्था कराएं। इतना ही निवेदन है, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र सिंहजी भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 26 के सम्बन्ध में अपनी बात रखूं, इससे पहले मैं हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री परम् श्रद्धेय वसुंधराजी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि बीकानेर सम्भाग के दौरे के दौरान जब आप वहां पधारीं तो रास्ते में सूरतगढ़ थोड़ी देर चिकित्सा से सम्बन्धित जानकारी लेने के लिए और पिछली सरकार द्वारा जो एक नाकारा ट्रोमा सेण्टर वहां खड़ा किया गया था उसको देखने के लिए व उस क्षेत्र की अन्य गतिविधियां देखने के लिए वहां रुकीं। जब वहां रुकीं और वहां के हालात देखे तो मंत्रिमण्डल की मीटिंग में 30 तारीख को फैसला करके ट्रोमा सेण्टर को दो महीने में शुरू करने की उन्होंने घोषणा की। मुझे बड़ी खुशी हुई उस बात की। जिस दिन वो बजट भाषण पर अपनी बात कह रही थीं तो उन्होंने फिर सूरतगढ़ में ट्रोमा सेण्टर शुरू करने की बात कही। इसके लिए सूरतगढ़ की जनता की तरफ से मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सूरतगढ़ क्षेत्र में वास्तव में ट्रोमा सेण्टर की बहुत आवश्यकता है क्योंकि वहां पर थर्मल पावर स्टेशन लगा हुआ है जहां 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। उसके अलावा 7वीं और 8वीं सुपर क्रिटिकल यूनिट का वहां निर्माण कार्य चल रहा है, हजारों-हजारों संख्या में मजदूर वहां काम करते हैं। श्री सीमेंट फैक्ट्री की भी एक यूनिट वहां लगी हुई है। इसके अलावा छावनी के वहां बहुत काम हैं तो मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या है। आये दिन वहां किसी तरह के छोटे-मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसके अलावा नेशनल हाई-वे बीकानेर से लेकर गंगानगर के बीच में सूरतगढ़ ही सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां पूरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था है, इसके अलावा कहीं नहीं है।

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

जैसा कि सभी जगह से मांग आ रही है, किसी भी चिकित्सालय में डाक्टर्स की संख्या न के बराबर है। सूरतगढ़ के हमारे चिकित्सालय के अन्दर आज की तारीख में कुल चार डाक्टर हैं जिनमें एक डेंटिस्ट है और तीन डाक्टर अन्य हैं, जबकि वहां पर 14 डाक्टरों की नियुक्ति की जरूरत है। इस बारे में मैं चिकित्सा मंत्री महोदय से मिल भी चुका हूं और इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। ये बहुत जल्दी ही उसके बारे में कुछ करवाने की बात कर रहे हैं। मैं चिकित्सा मंत्री महोदय से एक निवेदन करूंगा कि जब भी हमारे चिकित्सकों की नियुक्ति हो तो हमारे एक सर्जन हैं, एक हड्डियों का डाक्टर है, एनेस्थीसिया के डाक्टर की वहां पर व्यवस्था हो जाए तो वहां पर आपरेशन वगैरह का काम चले। हमारे हास्पिटल में आपरेशन थियेटर है, सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं लेकिन वो व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ होने से दिक्कत हो रही है। एनेस्थीसिया का एक डाक्टर आ जाए तो हमें उससे बड़ा सहारा मिल सकेगा।

इसके अलावा सूरतगढ़ के हास्पिटल की सफाई की विशेष रूप से जरूरत रहती है। इसके अलावा शहर के अन्दर जगह-जगह गड्ढे बड़े-बड़े बने हुए हैं और उनके अन्दर मच्छर-मक्खियां हैं। इस तरह का कालोनियों के अन्दर वातावरण रहता है, नालियों की ऐसी गंदी व्यवस्था हो जाती है कि उनके अन्दर बड़ी संख्या में मच्छर आदि रहते हैं। वार्ड नं. 3 है, जीएफसी की एक हमारी नहर है उसके आस-पास में वो गंदा पानी डालते हैं जिससे वो गड्ढे भरे रहते हैं। सेनिटरी इंस्पेक्टर की तरफ से वहां पर समय पर दवा आदि का प्रयोग नहीं होता है और न ही वो गड्ढे पूरे खाली होकर सफाई हो पाती।

इसी तरह से सूर्य नगरी में 25, 26, 27 नम्बर के वार्ड में भी गड्ढे बने हुए हैं। इसके अलावा शहर के बिलकुल पास में 29, 30 और 1 नम्बर वार्ड में भी इस तरह की गंदगी फैली हुई है। विभाग द्वारा अगर वहां पर स्प्रे वगैरह करा दिया जाए या दवाई डाल दी जाए तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, अन्यथा वहां हमेशा बीमारियां फैलने का अंदेशा रहता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर भी विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

(18.00 बजे)

इसके अलावा सूरतगढ़ के आसपास जितनी भी पीएचसी गांवों के अन्दर बनी हुई हैं, उनके अन्दर चिकित्सा अधिकारी या अन्य स्टाफ बहुत

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

कम है, एक या दो अस्पतालों में ही सारे हैं, इसलिए वहां डाक्टर्स की पोस्टिंग की जरूरत है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूरतगढ़ के अन्दर हौम्योपैथी का बहुत अच्छा अस्पताल है और वहां 200 के करीब रोगी रोज अपना उपचार कराने के लिए आते हैं, उस अस्पताल में अच्छा इलाज होता है। वहां जिस तरह से दबाव बढ़ा है, मैंने माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन भी किया था सत्र शुरू होने से पहले और आज फिर एक बार इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो हौम्योपैथी का स्टाफ है उसे निश्चित रूप से बढ़ाएं। हौम्योपैथी का स्टाफ बढ़ेगा तो सूरतगढ़ शहर के अन्दर रोगियों का दबाव है, वह शायद कुछ कम हो जाएगा।

इसके अलावा हमारे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जैतसर मण्डी है, वहां अभी पीएचसी है, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि उसमें सीएचसी खोली जाए। उसकी आबादी बहुत बड़ी संख्या में है तो सीएचसी खोलने से लोगों को राहत मिलेगी।

इसके साथ-साथ वहां 108 एम्बुलेंस की भी जरूरत है, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 108-एम्बुलेंस की व्यवस्था निश्चित रूप से कराने का श्रम करें ताकि उस क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके।

इसके अलावा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी स्वयं इस बात को जानते हैं, समय-समय पर हमारे से पूछते भी रहते हैं, मिलते भी रहते हैं, तो इनको सारी बातों के बारे में ज्यादा जानकारी है।

इसके अलावा मैं मांग संख्या-32 के बारे में एक-दो बातें माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में बहुत दूर-दराज में, 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर में गांव हैं। वहां राशन के डिपो हैं, उनकी नई दुकानें खोली जाएं, नये डिपो अलाट किये जाएं ताकि दूर-दराज के लोगों को राहत मिल सके। जब तक सरकार की तरफ से इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उसी डिपोधारक को कोई दूसरा गांव जो बड़ा गांव है, उसके अन्दर राशन वितरण की व्यवस्था कर दी जाए। हालांकि कुछ जगह कर रहे हैं। मंत्री महोदय से जब बात की थी कि उन्होंने बताया था कि कुछ जगह तो हो गई। लेकिन फिर भी कोई ऐसी जगह हो और आवश्यकता हो तो यह व्यवस्था करने की विशेष रूप से वहां जरूरत है। अगर यह हो गई तो निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी।

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

इसके अलावा खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना के तहत सभी शहरी और ग्रामीण पात्र जो लोग हैं, उनको अनाज का वितरण होना चाहिए। पिछली सरकार के अन्दर गड़बड़ी करके जल्दबाजी में जो सूचियां बना दी गई थीं, उनका पुनर्निरीक्षण कराकर नई सूची बनाई जाए। माननीय मंत्रीजी ने वैसे विश्वास दिला दिया है तो मैं मानता हूं कि वह शायद जल्द ही बन जाएगी।

इसके अलावा एक-दो बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा, डिपो जिनके पास हैं उन डिपोधारकों को यह निर्देशित किया जाए कि पूरी की पूरी राशन की सामग्री है चाहे केरोसीन है या गेहूं है, सारी वितरण व्यवस्था ठीक ढंग से रखे।

इसके अलावा अभी सर्दी का मौसम आ रहा है तो एक निवेदन मैं माननीय मंत्रीजी से और कर दूं, गैस के सिलेण्डरों की सप्लाई हो उनकी होम डिलीवरी करना सुनिश्चित कर लें क्योंकि सर्दी के दिनों के अन्दर इस तरह की गड़बड़ हो जाती है। शहर और ग्रामीण या पास के हमारे क्षेत्र जैसे जैतसर मण्डी है और है, उन सब जगहों पर गैस सिलेण्डरों की बड़ी दिक्कत होने से एकदम हाहाकार मच जाता है, लम्बी-लम्बी लाइनें लग जाती हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में ही कोई ऐसी व्यवस्था कर लें ताकि लोगों को राहत मिल सके। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती द्रोपती मेघवाल।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): आदरणीय सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मांग पर मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पूर्व के माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ बोला। मुझे गांधीजी के वे शब्द याद आ रहे हैं जिसमें उन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को गरीब एवं गांव की चिकित्सा पद्धति बताते हुए इसको भारत देश में बढ़ावा देने की बात कही थी। परन्तु हमारे देश और राज्य का दुर्भाग्य है कि राजस्थान में आजादी के 67 वर्ष बाद भी एक भी होम्योपैथी सरकारी मेडिकल कालेज नहीं है। राज्य में सात प्राइवेट मेडिकल कालेज चल रहे हैं जो मोटी फीस पर प्रति वर्ष लगभग 700 चिकित्सकों को निकाल रहे हैं। राज्य में लगभग 7,000 होम्योपैथी चिकित्सक रजिस्टर्ड हैं परन्तु मात्र 191 राजकीय होम्यो डिस्पेंसरी ही संचालित हैं। 5,000 से ज्यादा होम्यो चिकित्सक बेरोजगार हैं, दूसरी तरफ

(श्रीमती द्रोपती)

राज्य में चिकित्सकों की कमी हैं, ऐसे में अगर होम्योपैथी चिकित्सकों की भर्ती शुरु की जाए तो राज्य की गरीब जनता को बेहद राहत मिलेगी। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से जटिल से जटिल रोग जड़ से समाप्त हो जाते हैं अतः इस पद्धति को बढ़ावा दिलाएं जिससे राज्य को राहत मिल सके। इस चिकित्सा पद्धति से साइड इफैक्ट बिलकुल नहीं होता। मैं मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि राज्य में 100 बैड का सरकारी अस्पताल खोलें जिससे जो रोगी अन्य चिकित्सा पद्धतियों से ठीक नहीं होते हैं, वे भर्ती होकर असाध्य रोगों से छुटकारा पा सकें।

सभापति महोदय, बड़ा दुर्भाग्य है कि होम्योपैथी दवाइयों की राज्य में सैकड़ों दुकानें एवं दवा बनाने वाली कम्पनी हैं, परन्तु इन दवाइयों की गुणवत्ता को चैक करने के लिए राज्य में ड्रग कंट्रोलर है ही नहीं। अतः ड्रग कंट्रोलर की पोस्ट सृजित की जाए जिससे इन दवाइयों की गुणवत्ता बनी रहे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र रावतसर में पिछली सरकार ने ट्रोमा सेंटर खोला परन्तु वह खाली पड़ा है। उसमें स्टाफ की व्यवस्था कराएं क्योंकि आसपास कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए 200 किलोमीटर बीकानेर या 400 किलोमीटर जयपुर जाना पड़ता है। मेरे क्षेत्र में पीएचसी या सीएचसी में चिकित्सकों के एवं स्टाफ के अधिकतर पद रिक्त पड़े हैं, उन्हें तुरन्त भरने की कृपा करें।

मेरे क्षेत्र में एक भी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय नहीं है अतः कम से कम चार होम्यो चिकित्सालय खोले जाएं। अंत में माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि एक सरकारी कालेज, 100 बैड का अस्पताल व ड्रग कंट्रोलर की जरूर घोषणा करें। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रामपालजी। (अनुपस्थित) श्री कैलाश वर्मा।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 व 32 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई तथा नागरिक आपूर्ति के ऊपर आपने मुझे चर्चा के लिए समय दिया, समय के दौरान सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य की बात को लेकर हमारे सदन के अन्दर माननीय सदस्यों ने चर्चा की और इस चर्चा में सुबह से अब तक अपने विचार प्रस्तुत किये। उनमें से निकलकर आया कि चिकित्सा के अन्दर 2003 से 2008 तक जो राजस्थान की स्थिति थी, उस स्वस्थ राजस्थान की कल्पना

(श्री कैलाश वर्मा)

राजस्थान की जनता के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने और उनकी पूरी टीम ने की थी और उसके अनुसार बीमारू राजस्थान को स्वस्थ राजस्थान के रूप में लाकर खड़ा किया था। किसी कारणवश सरकार के नहीं होने के कारण से पिछले पांच साल के अन्दर स्वास्थ्य की योजनाएं भिन्न थीं। स्वास्थ्य हर व्यक्ति के साथ जुड़ा रहता है और स्वास्थ्य के नाम पर एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई नि:शुल्क दवा योजना के नाम से। जैसे मैं मेरी बगरू विधान सभा क्षेत्र की बात करूं जो कि राजधानी का जुड़ता हुआ हिस्सा है, उस विधान सभा क्षेत्र में ही दवाई के नाम पर एक तरीके से लूट की यह स्थिति है तो फिर राजस्थान की जनता के साथ में धोखा होना था ही। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मगर एक बात जरूर कहूंगा, माननीय मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, मेरा विधान सभा क्षेत्र बगरू लगभग 125 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है किन्तु इसमें मात्र दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं- एक तो मेन बगरू के अन्दर है और एक खोखावास में स्थित है। दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लूण्यावास में और खो-नागोरियान में स्थित हैं। मगर इन चारों केन्द्रों के ऊपर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ एवं संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, यहां पर पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध नहीं है। नियमों के अनुसार सामुदायिक केन्द्रों के लिए लगभग सात बीघा और स्वास्थ्य केन्द्र के लिए लगभग पांच बीघा जमीन की आवश्यकता रहती है। मेरा विधान सभा क्षेत्र नेशनल हाइवे के ऊपर स्थित है और नेशनल हाइवे के लगभग आठ क्रासिंग ऐसे हैं जहां पर अगर किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको बगरू से जयपुर लाते-लाते एक बीच के अन्दर टोल पड़ जाता है जिसकी कल सदन के अन्दर चर्चा भी हो रही थी, वहां पर एक लम्बा जाम लगता है, किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं है और यहां तक लाते-लाते उस पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि बगरू विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बना हुआ है, उसके अन्दर छह से सात बीघा जमीन की व्यवस्था हो जाए या फिर एक अच्छा सैटेलाइट हास्पिटल हो जाए जिसकी कल्पना हमारी सरकार ने की है और हम चाहते भी हैं। उससे एक विधान सभा क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा अपितु तीन चार विधान सभा क्षेत्र उस हास्पिटल से प्रभावित होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जो स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, उस व्यवस्था से हमारे को राहत मिल सकती है।

(श्री कैलाश वर्मा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा मंत्रालय भवन निर्माण के साथ-साथ सभी आवश्यक उपकरण, औषधि, स्टाफ उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है और केन्द्र नवीनीकरण के साथ-साथ आधुनिकीकरण की भी तैयारी में हैं। मगर जहां तक मेरा सवाल है कि इस विधान सभा क्षेत्र के ग्रामवासी और नागरिक अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोज जयपुर आते हैं। बगरू विधान सभा क्षेत्र के लोगों के लिए चिकित्सा सेवाएं जयपुर शहर में स्थित हैं और चिकित्सालय द्वारा ही उपलब्ध हो पाती हैं जो कि उनके निवास स्थान से काफी दूर है। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र के सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों का नवीनीकरण/आधुनिकीकरण कराने पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिससे स्थानीय स्तर पर ही नागरिकों को अच्छी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। चिकित्सा के क्षेत्र में जो योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लागू की थीं वे ऐसी योजनाएं थीं जो योजनाएं अगर हर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, हर हैडक्वार्टर के ऊपर लागू होतीं तो राजस्थान की स्थिति आज स्वास्थ्य के नाम पर जो हो रही है, शायद वह नहीं होती। पूर्ववर्ती सरकार और माननीय विपक्ष में बैठे सदस्य एक ही बात का गुणगान करते हैं। दवाइयों के मामले में कहना चाहता हूं कि अगर कोई गांव से निकला हुआ मजदूर या गांव से निकला हुआ गरीब व्यक्ति एस.एम.एस. हास्पिटल के अन्दर आता है और जब वह अपनी जांच के लिए या दवाई के लिए बड़े डाक्टर से सलाह मशविरा करता है तो वह डाक्टर एक लम्बी लिस्ट दवाइयों की बनाकर उसको देता है। उसमें जो उपयोगी दवाई होती है, वह उपयोगी दवाई तो जो योजना आप लोगों ने चलाई थी उस नि:शुल्क दवा योजना के अन्दर उसको मिलती ही नहीं है। वह एक-दो घंटे लाइन में भी लगता है और उसके बाद में वह टूट-सा जाता है। जिस योजना की आप बात कर रहे थे, ऐसी कोई योजना राजस्थान के अन्दर प्रभावी रूप से पूर्ववर्ती सरकार ने लागू नहीं की। 2003 से 2008 तक जो हमारी सरकार थी, अगर उसी योजना के अनुसार राजस्थान चला होता तो आज वाकई में राजस्थान एक अच्छे प्रदेश, एक स्वस्थ प्रदेश के रूप में कीर्तिमान स्थापित करता। मैं अंत में माननीय मुख्य मंत्रीजी महोदया का इस सदन के माध्यम से पूरी

(श्री कैलाश वर्मा)

बगरू विधान सभा क्षेत्र की ओर से स्वागत करता हूं। उनके सान्निध्य में ये जो घोषणाएं बजट में हमने की हैं, मेडिकल कालेज खोलकर ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोगों के स्वास्थ्य के लिए नई योजनाओं से शुरूआत करेंगे। यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा और विशेषकर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी हैं श्रीमान् राठौड़ साहब, उनके नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान एक दिन नया आयाम स्थापित करेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 और 32 पर चर्चा में माननीय सदस्यों ने सदन में बहुत विस्तार से बात कही है, मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र के कोटपूतली शहर में बीडीएम अस्पताल के नाम से एक 200 बैड़ का हास्पिटल अभी चल रहा है जिसके अन्दर भारी संख्या में ओपीडी और भर्ती होते हैं। वर्ष 2012 में वहां भर्ती हुए मरीजों की संख्या 70 हजार 705 और ओपीडी में मरीजों की संख्या 4 लाख 82 हजार 159 थी। इसी तरह वर्ष 2013 में मरीज भर्ती हुए 66 हजार 37 और ओपीडी में 5 लाख 61 हजार 177 मरीज आये। और अभी जो मई तक के आंकड़े हैं, मरीज तो भर्ती हुए हैं 25 हजार 743 और ओपीडी हुई है 2 लाख 31 हजार 973, इन पांच महीनों में यह मरीजों की संख्या है। पूरे प्रदेश में बहुत भारी संख्या में डाक्टरों की कमी है, पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है। यह अस्पताल नेशनल हाइवे पर है और बहुत भारी मात्रा में यहां मरीज आते हैं लेकिन यहां कुल डाक्टरों की स्वीकृत संख्या है 47 और मात्र 28 यहां डाक्टर है। इसी प्रकार पैरा मेडिकल और बाकी का जो स्टाफ है वह भी पचास परसेंट के करीब ही यहां पर है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग रखता हूं कि इस हास्पिटल को 200 बैड़ से जिला स्तरीय 300 बैड में क्रमोन्नत करने की माननीय मंत्रीजी घोषणा करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में साढ़े तीन लाख की आबादी पर मात्र एक सीएचसी है और जो बनेठी पंचायत है उसकी साढ़े आठ हजार की आबादी की है, कोटपूतली से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह दातिल, वह लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां आसपास की आबादी चालीस

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

हजार के करीब बैठती हैं। मैं इन दोनों पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की मांग रखता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हर साल बरसात में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप रहता है। अभी भी गोपालपुरा और आसपास की पंचायतों के चार पांच सौ डेंगू के मरीज यहां भर्ती हैं जिसमें दो मरीजों की मौत भी हुई है। मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने समय पर उस बात को देखा और बहुत अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल किया। हमारी पूर्व माननीय सदस्या ने फोगिंग मशीन के लिए कहा भी था, तो इस बारे में आप विशेषकर गौर करें। हमारे कोटपूतली, बानसूर, शाहपुरा और आसपास के क्षेत्र में इस फोगिंग मशीन का कोई भी रास्ता निकालकर वहां बरसात के समय में छिड़काव हो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: हमीर सिंहजी।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधराजी राजे, चिकित्सा मंत्रीजी आदरणीय राठौड़ साहब को बाड़मेर की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूं कि हमारे बाड़मेर जिले में मेडिकल कालेज खोला। ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल कालेज से बाड़मेर जिले का स्टूडेंट डाक्टर बनेगा तो ठहराव करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ही रहेगा, इसके लिए धन्यवाद अर्पित करता हूं। मांग संख्या-32 और 26 के बारे में आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि सिवाना क्षेत्र में समदड़ी में पचास बैड का हास्पिटल तो खोल दिया, पर इसमें बजट का प्रावधान नहीं होने की वजह से जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बीस पंचायतों का लगाकर ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें बजट उपलब्ध करवा कर सारी सुविधाएं प्रदान करें। सीएचसी हास्पिटल में सब जगह जनरेटर हैं, समदड़ी में जनरेटर भी नहीं है, उसकी भी व्यवस्था करवाने के लिए निवेदन करूंगा। सिवाना में सीएचसी है वो भी पचास बैड करवाने की व्यवस्था करें, यह मांग हमारी पूरी हो। सिणधरी क्षेत्र सिवाना विधान सभा क्षेत्र का है, मेगा हाइवे की वजह से वहां हर रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं लेकिन वहां जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, सीएचसी में पचास बैड अगर हो जाएं तो जनता को सुविधा मिलेगी। मेरे क्षेत्र में एक

(श्री हमीर सिंह भायल)

पादरू ग्रामीण क्षेत्र पन्द्रह पंचायतों से घिरा हुआ है, ढाणियों में है, वो पीएचसी से सीएचसी क्रमोन्नत करने के लिए निवेदन कर रहा हूं। एक कुंडल और ढंढाली में भी नयी पीएचसी खोलने के लिए निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से। वहां दुर्घटना और एक्सीडेंट होने की वजह से आक्सीजन के बड़े सिलेण्डर की भी आवश्यकता रहती है, वो भी आपूर्ति बराबर नहीं हो रही है। वहां आपरेशन थियेटर है, उपकरण हैं, परन्तु वहां सर्जन डाक्टर नहीं होने की वजह से हमेशा एक्सीडेंट के केस जो सिणधरी में होते हैं, बालोतरा या बाड़मेर या जोधपुर रैफर करने पड़ते हैं। उस सुविधा की भी आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इतने रिक्त पद हैं- डाक्टर-19, महिला डाक्टर-3, सूचना सहायक-3, एएनएम-40, मेल नर्स-I-5, मेल नर्स-II-5, लिपिक-2, कनिष्ठ लिपिक-3, लेखाकार-3, रेडियोग्राफर-2, लैब टैक्नीशियन-4, ये सारे पद खाली पड़े हैं इनको भरने के लिए निवेदन और प्रार्थना करूंगा। ये जल्दी अगर भर जाएं तो गांव और ढाणी में सुविधा मिले। हर गरीब को जोधपुर या बाड़मेर या जालौर जाना नहीं पड़े। डाक्टरों के रिक्त पद जल्दी भरें और जितने भी मेल नर्स से लगाकर एएनएम वगैरह खाली हैं, इनको शीघ्र भरने की कोशिश करें।

अब मांग संख्या-32 में निवेदन करूंगा कि सौ प्रतिशत यूनिट के अनुसार जो राशन मिलना चाहिए, मुश्किल से चालीस या पचास परसेंट तक ही हर जगह उपलब्ध हो रहा है। प्रत्येक दुकान से लोगों की शिकायत दर्ज होती है। खाद्यान्न का आबंटन डिमाण्ड यूनिट के अनुसार सौ प्रतिशत होना अति आवश्यक है ताकि लोगों को राहत पहुंचायी जा सके। राशन कार्ड वर्तमान में जो नये वितरित किये गये हैं उनमें इतनी त्रुटि है कि पिता की जगह पत्नी का नाम, पत्नी की जगह पति का नाम। इस तरह के राशन कार्ड बने हैं जो गुजरात की या जो भी कंपनी ने किसी ने बनाये हैं, हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो गयी है। तो इसको जल्दी सुधार करवा कर दिलाने की कोशिश करें। एक हमारा पूरा क्षेत्र ढाणियों में बसा हुआ है तो राशन की दुकानें भी ज्यादा आबंटित हों ताकि उनको लम्बी दूरी तय नहीं करनी पड़े। सिणधरी क्षेत्र में सारी ढाणियां दूर-दूर हैं तो वहां ज्यादा दुकानों का आबंटन किया जाए। एक सिणधरी उपखण्ड में राशन की दुकानों के डीलर जितने भी हैं, उनको वहां मार्केटिंग की सुविधा होते हुए भी बायतू राशन लेने के लिए जाना पड़ रहा है।

(श्री हमीर सिंह भायल)

उनको सिणधरी में ही राशन मिले। यह निवेदन है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। जय भारत। जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री मनोहर सिंहजी। (अनुपस्थित) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। आप घड़ी की तरफ देख लें, पांच मिनट में मैं दूसरा नाम पुकार लूंगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): पांच मिनट ओनली। माननीय सभापति महोदय, आज चिकित्सा पर बड़े जोर-शोर से चर्चा चल रही है, मैं भी अपने क्षेत्र की समस्या यहां पर रखना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा बजट में चिकित्सा क्षेत्र को काफी विस्तार दिया गया है और मानव जीवन से जुड़े चिकित्सा क्षेत्र की सेवाओं में वृद्धि की गयी है। चिकित्सा क्षेत्र में सेवाओं से रोगी के स्वास्थ्य लाभ तक की यात्रा में नर्सिंग संवर्ग व चिकित्सक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग व योजक कड़ी है। सम्पूर्ण अंगों का सुनियोजित विकास स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। अंग विशेष का ज्यादा पोषण व एक अंग का शोषण विकृति का कारक होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी रामगंजमंडी विधान सभा क्षेत्र का जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां की स्थिति। माननीय मंत्रीजी, रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न चिकित्सालयों की स्थिति यह है कि चिकित्सक के-12, नर्सिंग ग्रेड-II-18, लैब टेक्नीशियन-12, वार्ड बाय-24, सहायक रेडियोग्राफर-5, नेत्र सहायक-1, सूचना सहायक-3, प्रवेशिका-10, सफाईकर्मी-1, वरिष्ठ लिपिक-1, कनिष्ठ लिपिक-1 और डेंटल टैक्नीशियन-1 पद वहां पर खाली हैं। फार्मासिस्ट के भी तीन पद हमारे हास्पिटल में खाली हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अगर इन पदों को हम भरना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें हमारी मानसिकता बनानी पड़ेगी। शहर के हास्पिटल हैं उनमें डाक्टर्स की इतनी भरमार है, आज कोई भी विधायक फोन करके बोल दे कि इस डाक्टर को यहां पर डैपुटेशन पर लगाया जाए। तुरन्त लगाना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम इन सब पदों को नहीं भर सकते। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सभी पदों को भरें। गांवों की जनता को हम चिकित्सा का फायदा पहुंचाना चाहते हैं, सरकार द्वारा नि:शुल्क दवा योजना और जांच योजना सब कुछ योजनाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चला रखी हैं, तो क्यों न हम इन पदों को भर कर जनता फायदा दे सकें। रामगंजमंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

ब्लड स्टोरेज यूनिट के संचालन हेतु प्रशिक्षित चिकित्सक की आवश्यकता है। सोनोग्राफी मशीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगंजमंडी से रामपुरा चिकित्सालय, कोटा को आबंटित कर दी गई थी, पुन: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगंजमंडी को भिजवाने तथा सोनोग्राफी करने हेतु किसी चिकित्सक को प्रशिक्षण दिलवाये जाने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगंजमंडी में नवनिर्मित चिकित्सालयों के लेबर रूम में नवजात शिशु सघन चिकित्सा इकाई एवं कुपोषण केन्द्र के निर्माण की भी आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो वहां की जनता को फायदा मिलेगा। हास्पिटल में सौ का स्टाफ कार्य करता है लेकिन एक भी हैडक्वार्टर पर नहीं रुकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सक नहीं हैं। प्रत्येक सी.एच.सी. पर अगर महिला चिकित्सक की तैनाती निश्चित की जाए तो मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान की गरीब महिलाओं को, गांव की महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। रामगंजमण्डी चिकित्सालय में जरनेटर जो लगा हुआ है, हमेशा खराब रहता है। लाइटें जब जाती हैं तो बार-बार बंद होता है। गर्मी में मरीजों को परेशानी होती है। राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में जरनेटर और उसे समय पर चलाने की पुख्ता व्यवस्था अगर हम करेंगे तो निश्चित है कि जनता को ज्यादा फायदा होगा। हमारी जो ब्लड बैंक स्टोरेज यूनिट है, उसको भी जल्दी से जल्दी चालू करवा दें। 03 अप्रैल, 2014 को माननीय मुख्य मंत्री महोदया के कोटा आगमन पर एम.बी.एस. चिकित्सालय जो सम्भाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, उसमें न्यूरो सर्जरी, आई.सी.यू. व आपरेशन थिएटर एक माह में चालू करने के निर्देश दिये गये थे। स्टाफ मिलने व तीन माह बाद भी चालू नहीं होने से रोगियों को लाभ नहीं मिल पा रहा।

माननीय सभापति महोदय, प्रशासन इतना तानाशाह है कि सरकार की 60 दिन की कार्य योजना में शामिल बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति को भी बिलकुल गुड़-गोबर इन लोगों ने करके रख दिया है। मेडिकल कालेज में देरी से आने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने के बहाने भी हमेशा प्रशासन ढूंढता रहता है। आर.टी.आई. के तहत जानकारी के अनुसार जे.के. लोन जो महिला चिकित्सालय कोटा का है, उसमें छह माह बाद उपस्थिति जांचने हेतु साफ्टवेयर डालने की बात कही जा रही है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

करूंगी कि इन बातों की ओर भी हमारा ध्यान जाए तो मुझे लगता है कि हम जनता के साथ सच्चा न्याय कर रहे हैं। कई चिकित्सक नान प्रैक्टिस अलाउंस सरकार से ले रहे हैं लेकिन घर पर मरीज देखते हैं। यह हर जगह, पूरे जिले में ही नहीं, पूरे राजस्थान में जाकर देख लें। एकदम गलत है। चिकित्सालयों में लेट पहुंचते हैं। उधर जो हमारे मरीज हैं, वे परेशान होते रहते हैं। दूसरी तरफ वह एन.पी.ए. लेकर सरकारी खजाने को लाखों रुपये का नुकसान लगाते हैं, वह भी बिलकुल गलत है। सभी चिकित्सालयों में उपस्थिति बाबत बायोमेट्रिक मशीनें होनी चाहिए क्योंकि इससे उपस्थिति जांचने की पुख्ता व्यवस्था है। मुझे लगता है, फायदा होगा।

मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि पिछले वर्षों में हमारे रामगंजमंडी विधान सभा क्षेत्र में डेंगू बुखार फैला, बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और पुरुष रोगियों को कोटा हम लोगों ने करवाया, लेकिन मेडिकल कालेज होने के बावजूद सरकारी ब्लड बैंक यूनिट में सिंगल डोनर प्लेटलेट मशीन नहीं होने से सिंगल डोनर प्लेटलेट प्राइवेट ब्लड बैंकों से हम लोगों को लेना पड़ा। प्राइवेट ब्लड बैंक में एक यूनिट प्लेटलेट लेंगे वह आठ या नौ हजार रुपये की पड़ती है। वे इतना पैसा गरीब लोगों से वसूल करते हैं। कोटा में सम्भाग के सभी जिलों से डेंगू के रोगी रैफर होकर आते हैं, लेकिन उन लोगों को मशीन की व्यवस्था नहीं है। कोटा के सरकारी ब्लड बैंक में अगर यह उपलब्ध हो जाती है तो उन सभी को इसका रिलीफ मिलेगा। राज्य के सभी ब्लड बैंकों में स्टाक डिस्प्ले की भी पुख्ता व्यवस्था हम लोगों को करनी चाहिए क्योंकि यह भी जनता के हित में है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर के आदेश के अनुसार जो हमारे कैशियर हैं, क्लर्क हैं, स्टोरकीपर हैं उनको तीन-तीन साल में बदलना और पांच वर्ष से पूर्व वापस उसी कार्य में उस शाखा में पद-स्थापित नहीं करना चाहिए। लेकिन इस आदेश की पालना नहीं हो रही है, उस ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी। 10-10, 15-15 साल से कार्मिक मनमाने तरीके से एक ही स्थान पर टिके हुए हैं, उसके लिये भी हमें विचार करना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। कोटा एम.बी.एस. चिकित्सालय की केन्द्रीय प्रयोगशाला में रात की ड्यूटी के समय सात या आठ का स्टाफ होता है, लेकिन रात को जब जांच के लिये

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

वहां जाते हैं तो जांच भी नहीं की जाती। राज्य के जिला चिकित्सालयों में सायंकाल पारी में चिकित्सक मरीज को देखते हैं लेकिन जांच की व्यवस्था भी सायंकाल समय में नहीं हो पाती, जबकि होनी चाहिए। अगर सायंकाल में जांच की व्यवस्था हो जाएगी तो उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूर से आने वाले मरीजों को जांच करवाने और चिकित्सकों को दिखाने के लिये दो-दो, तीन-तीन बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मंत्रीजी इस ओर भी ध्यान दें। बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज कोटा का जो हमारा कालेज है उसमें निम्न पद धारक, पब्लिक हैल्थ नर्स को प्रधानाचार्य बनाकर वहां बैठा रखा है जो कि बिलकुल गलत है। जबकि वरिष्ठ एम.एससी. के नर्सिंग ट्यूटर को प्रधानाचार्य पद से बिलकुल मनमाने तरीके से रोका गया है, वंचित रखा गया है। मैं इस ओर भी माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगी। मैं एम.बी.एस. चिकित्सालय में जो किडनी के लिये...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय इशारों में धमका रहे हैं, माननीय सदस्या को बोलने से रोक रहे हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मेरा तो ध्यान ही नहीं है मंत्रीजी की ओर। मैं सभापति महोदय की ओर देखकर अपनी बात रख रही हूं।

हमारे एम.बी.एस. चिकित्सालय में किडनी रोगियों के लिये डायलिसिस की सुविधा 12 घण्टे मौजूद होती है, उसमें रोगियों को वेटिंग और असुविधा होती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय से कि 24 घण्टे हम लोग डायलिसिस की व्यवस्था करें। वहां पर दो नर्सिंगकर्मी और दो सहायक कर्मी होते हैं, अगर हम वहां पर भी व्यवस्था करेंगे तो मुझे लगता है, गरीब लोगों का पैसा भी बचेगा और उन्हें सुविधा मिलेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भंवरसिंहजी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, समयाभाव की वजह से मैं मांग संख्या 26-चिकित्सा और 32-नागरिक आपूर्ति...

श्री सभापति: मैंने भंवरसिंहजी का नाम पुकार लिया, एक बार आप विराज जाएं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): मैं चाहूंगा कि टेबल कर दिया जाए।

श्री सभापति: आपको समय दे देंगे। एक बार जब मैंने इनका पुकार लिया तो नैक्स्ट मैं आपको ले लूंगा। (व्यवधान) अच्छा, आप टेबल कर दो, जो करना चाहें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): जी, सर।

(माननीय सदस्य श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) द्वारा मांग संख्या 26 व 32 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया)

(माननीय सदस्य श्री भागीरथ चौधरी के वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 32 और 26 के बारे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से सम्बन्धित बात मैं आपकी इजाजत से शुरू करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आज सुबह से प्रदेश के आम आदमी का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले राजस्थान के आमजन के स्वास्थ्य के लिये सभी माननीय सदस्यगण ने अपनी-अपनी राय बताई, क्षेत्र की समस्याएं बताईं। सभापति महोदय, करीब साढ़े तीन सौ मांगें चिकित्सा से सम्बन्धित आई हैं। उनका अध्ययन किया है। उनमें से अधिकांश तीन सौ के लगभग मांग पत्र इस बात के लिखे गये हैं कि फलां विधान सभा क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाए। या इन सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सैटेलाइट और जिला अस्पतालों में चिकित्सकों के पद भरे जाएं, नर्सिंग स्टाफ के पद भरे जाएं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर सम्भाग का सबसे बड़ा अस्पताल प्रिंस बिजयसिंह मैमोरियल - पी.बी.एम. अस्पताल है। सभापति महोदय, जहां तक रिक्त पदों की बात है, पूरे राजस्थान में मुझे लगता है, 50 हजार से भी ज्यादा चिकित्सा विभाग में रिक्त पद हैं। सभापति महोदय, पी.बी.एम. अस्पताल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि सम्भाग के इस सबसे बड़े अस्पताल में हरियाणा और पंजाब तक के बीमार लोग इलाज करवाने के लिये आते हैं। इस हास्पिटल में फर्स्ट ग्रेड नर्स के 226 पद स्वीकृत हैं, उसमें से 158 पद रिक्त हैं। सैकिण्ड ग्रेड नर्स के 702 पद स्वीकृत हैं, मुझे जहां तक जानकारी है, 260 पद सैकिण्ड ग्रेड नर्स के रिक्त हैं। वहीं प्लम्बर और इलेक्ट्रिशयन आदि का काम करने

(श्री भंवरसिंह)

वाले लोगों के 30 पद स्वीकृत हैं उसमें से 28 पद रिक्त यानी दो कर्मचारी उन पदों पर कार्यरत हैं। इसके अलावा प्रोफेसर के पदों में से 10 पद खाली हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के 30 पद खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 35 पद रिक्त बताये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, बीकानेर सम्भाग का सबसे बड़ा अस्पताल, करीब-करीब चार जिलों के और पड़ौसी राज्यों के मरीज इस अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आते हैं लेकिन डाक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पद होने की वजह से आये दिन पी.बी.एम. अस्पताल में मरीजों और डाक्टर्स के बीच झगड़े होते हैं, आपसी तनाव होता है। डाक्टर महीने, दो महीने में एक बार हड़ताल पर चले जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, न सिर्फ पी.बी.एम. अस्पताल में रिक्त पद हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आधे से भी ज्यादा डाक्टर्स के पद रिक्त चल रहे हैं। वही सैकण्ड ग्रेड कम्पाउंडर के 150 पद सी.एम.एच.ओ. कार्यालय, बीकानेर के अधीन खाली हैं। फर्स्ट ग्रेड कम्पाउंडर के 19 पद स्वीकृत हैं, पूरे के पूरे खाली हैं और ए.एन.एम. के 138 पद पूरे बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में खाली हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि सबसे पहले, बीकानेर जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चिकित्सकों के पद भरे जाएं और उसके साथ-साथ नर्सिंग स्टाफ के, ए.एन.एम. के पद भरने की जो प्रक्रिया है उसको चालू किया जाए। हो सकता है कि चिकित्सक मिलने में किसी प्रकार की असुविधा हो, चिकित्सकों की प्रदेश में कमी भी हो सकती है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ए.एन.एम. और जी.एन.एम. और नर्सिंग स्टाफ के कर्मचारियों की हमारे राजस्थान में कोई कमी नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार ने इन पदों को भरने के लिए भर्तियां निकाली थीं लेकिन उसमें 10, 20 और 30, एक साल, दो साल और तीन साल कार्य करने की योग्यता के अनुसार, उनकी वरिष्ठता के अनुसार एन.आर.एच.एम. के कर्मचारियों को समायोजित करने की मंशा से उनको अंक दिये गये। उस वजह से हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि इस प्रकार के अंक नहीं दिए जाएं बल्कि, जहां तक मेरी जानकारी है, पांच, दस और पन्द्रह प्रतिशत पर, एक साल के हिसाब से इन कर्मचारियों को अंक देकर भर्ती की जाए।

(श्री भंवरसिंह)

इस बात को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. लगायी। अभी एस.एल.पी. की वजह से, राजस्थान के नर्सिंग कर्मचारियों के पदों पर जो रोक लगी हुई है, मैं माननीय मंत्री महोदय से, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस एस.एल.पी. को सरकार वापस ले और नर्सिंग कर्मचारियों के पद भरे जिससे कि राजस्थान की शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था जो आज बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी है, उसको वापस पटरी पर लाया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि ए.एन.एम. की वजह से उप स्वास्थ्य केन्द्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, चाहे पी.एच.सी. हो, ए.एन.एम. का पद यदि भरा रहता है तो कम से कम वह हास्पिटल चालू अवस्था में रहता है। ए.एन.एम. के और नर्सिंग के पदों को भरने के कार्य को प्राथमिकता से राज्य सरकार करे, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के दौरान बीकानेर पधारे थे। आपने बीकानेर के पी.बी.एम. हास्पिटल का निरीक्षण किया था। बहुत ही अलग-अलग वार्डों तक गये थे। आपने पी.बी.एम. की हर यूनिट को देखा था। निश्चित रूप से आपके आगमन से पी.बी.एम. की स्थिति उस समय तो सुधरी थी लेकिन, माननीय सभापति महोदय, पी.बी.एम. अस्पताल में सफाई का कार्य पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रिंस विजयसिंह मैमोरियल हास्पिटल, बीकानेर में सफाई के कार्य के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाए क्योंकि वहां पर सफाई की व्यवस्था इतनी ज्यादा पिछले दिनों में बिगड़ चुकी है कि वहां आदमी ठीक होने के लिए आता है लेकिन वहां पर आने के बाद में उसकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है।

मैं मेरे कोलायत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि कोलायत विधान सभा क्षेत्र में चार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। माननीय सभापति महोदय, चारों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को नाम का तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बना दिया गया है लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य

(श्री भंवरसिंह)

केन्द्र में जो वरिष्ठ डाक्टर होने चाहिए, वरिष्ठ डाक्टरों का एक भी पद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नहीं भरा गया है। पी.एच.सी. में जिस योग्यता के डाक्टर लगाये जाते हैं, वही डाक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लगाये गये हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि कोलायत, देशनोक, गजनेर और बज्जू के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर लगाये जाएं।

वहीं दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बज्जू और कोलायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जिनकी क्षमता 30 बैड की है, उसे बढ़ाकर 50 बैड का किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, आगे अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। 150-200 किलोमीटर का दायरा बज्जू और कोलायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्दर है। कोलायत धार्मिक रूप से महर्षि कपिल मुनि की तपो-भूमि है। कार्तिक पूर्णिमा को यहां पर मेला भरता है, पुष्कर की तरह बहुत बड़ी आस्था का केन्द्र है, पूरे राज्य से ही नहीं, बल्कि पड़ौसी राज्यों के लोग भी यहां पर स्नान करने के लिए आते हैं। मेरा पुन: आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से यही निवेदन रहेगा कि प्रदेश का जो नर्सिंग स्टाफ है, उन पदों को पहले भरा जाए। हालांकि हमारे माननीय सदस्यगण ने अपने-अपने क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग की है, मेरा निवेदन है कि पहले जो सैट-अप चालू है उस सैट-अप को व्यवस्थित किया जाए और आने वाले समय में इन सभी को व्यवस्थित करने के बाद में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पी.एच.सी., उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं।

आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, उसके लिए एक बार पुन: आपका आभार, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कंवर लाल।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-26 एवं 32 पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है,

(श्री कंवर लाल)

विशिष्ट भौगोलिक वातावरण और कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी प्रदेश में सभी नागरिकों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए माननीया वसुन्धराजी ने और चिकित्सा मंत्रीजी ने बीड़ा उठाया है। पूरे प्रदेश में सात मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा के साथ-साथ मेडिकल डिपार्टमेंट को व्यवस्थित करने के लिए माननीय चिकित्सा मंत्री प्रतिबद्ध हैं।

बार-बार सदन में ट्रोमा यूनिट की बात चर्चा में आयी है। वास्तव में ट्रोमा यूनिट प्रत्येक सी.एच.सी. पर सम्पूर्ण सुविधायुक्त, सम्पूर्ण जीवन रक्षक प्रणाली के साथ अगर संचालित की जाती है तो जो ईश्वर की विशिष्ट कृति है मानव, उसको एक्सीडेंट के समय में बचाया जा सकता है। एक्सीडेंट के समय मरीज सीरियस होता है, एक्सीडेंट होता है, उसके बाद एक घंटा मरीज के पास होता है, उस समय उसको पूर्ण सुविधा अगर मिल जाए, वेंटिलेटर मिल जाए, चिकित्सा सुविधा पूरी मिल जाए, पूरी चिकित्सा सुविधा के साथ उसका इलाज किया जाता है, उसको मेडिकल की भाषा में गोल्डन आवर्स कहा जाता है, तो मरीज बच सकता है। एक घंटे के अन्दर-अन्दर हमें सम्पूर्ण सुविधा मिलती है तो मरीज को बचाया जा सकता है, किसी का भाई बचाया जा सकता है, किसी का पति बचाया जा सकता है।

पूर्व कांग्रेस सरकार ने बड़े-बड़े बैनर और पोस्टर लगाकर नि:शुल्क दवा और नि:शुल्क जांच योजना के बारे में खूब प्रचार-प्रसार किया, लेकिन, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि हमारे झालावाड़ जिले में महारानी साहिबा की विशेष देन से जो मेडिकल कालेज खुला था, उसमें उन्होंने बहुत कटौती की, 200 बैड हमारे कम किये। पूरे पांच साल झालावाड़ मे मेडिकल के बारे में उन्होंने बिलकुल सोचा नहीं । वहां पर गदंगी का अंबार लग गया है। झालावाड़ में मेडिकल के ऊपर जनता का जो विश्वास था वह कांग्रेस सरकार की वजह से बिलकुल उठ गया था। वापस महारानी साहिबा जब मुख्य मंत्री बनीं तो जनता का, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के डाक्टर्स का, ए.एन.एम. और जी.एन.एम और पैरा-मेडिकल स्टाफ का विश्वास वापस जगा है। झालावाड़ मेडिकल कालेज को वापस सुचारू रूप से चलाने के लिये सब कटिबद्ध हैं।

डाक्टर्स की जो कमी है, उसके बारे में मैं, माननीय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को ध्यान दिलाता हूं कि आयुर्वेद चिकित्सक भी चार साल की ट्रेनिंग

(श्री कंवर लाल)

करते हैं और वे भी एनाटोमी, फिजियोलोजी, विकृति विज्ञान बराबर पढ़ते हैं। उनको भी अन्य प्रदेश हिमाचल की तरह यहां राजस्थान में शल्य चिकित्सा करने के लिये अनुमति दी जाए ताकि हमारे चिकित्सकों की कमी पूरी की जा सके।

साथ-साथ में पूरे राजस्थान में जो बी.एस.सी. नर्सिंग, जी.एन.एम. कालेज प्राइवेट सैक्टर में खुले हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के सभी सरकारी मेडिकल कालेजों में जी.एन.एम. नर्सिंग कालेज खोले जाएं ताकि हमारे यहां जो स्टूडेंट्स कम फीस में अध्ययन कर सकें और इन्टर्नशिप के दौरान मेडिकल कालेज में चिकित्सक सहायक के रूप में काम कर सकें।

मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद नर्सिंग भी तीन साल की होती है, जो जी.एन.एम. की जाती है, सैकण्ड ग्रेड के रूप में उनको पेमेंट दी जाती है। जबकि आयुर्वेद में तीन साल ट्रेनिंग करने के बाद में उनको थर्ड ग्रेड में रखा जाता है। उनको भी एलोपैथी की तरह, जी.एन.एम. की तरह रखा जाए। उनको भी उसी हिसाब से पेमेंट दिया जाए।

(18.51 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

सरकारी अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं, चिकित्सक के थोड़ा ध्यान नहीं देने की वजह से मरीज को प्राइवेट अस्पताल में रैफर कर दिया जाता है। वहां कुछ दलाल लोग घूमते रहते हैं और सरकारी अस्पताल के मरीज को कमीशन के लिये प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है। हमारे जो मेडिकल कालेज हैं, सरकारी अस्पताल हैं, धीरे-धीरे इस प्रक्रिया से उनके प्रति विश्वास उठता जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर भी कार्यवाही करके प्रतिबन्ध लगाना चाहिये।

आने वाले समय में चिकित्सा में क्रान्ति आएगी, सात मेडिकल कालेज से जब चिकित्सक निकलेंगे, चिकित्सक निकलने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में तैनातगी होगी। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वसुन्धरा जी में विश्वास करते हुए चिकित्सकों ने काम करना शुरू किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक सी.एच.सी. पर कांग्रेस सरकार ने एफ.आर. यूनिट चालू की थी। कांग्रेस सरकार के समय जो एफ.आर. यूनिट चालू हुई हैं, उनमें आधी से भी कम संचालित हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र मदाड़ा में अकलेरा सी.एच.सी.

(श्री कंवर लाल)

पर पूरे पांच साल में 30 आपरेशन भी एफ.आर. यूनिट पूरा नहीं कर पाई है सरकार बदलने के बाद। सात महीने में 70-80 आपरेशन, जो डिलीवरी से होते हैं, उन्हीं चिकित्सकों ने उसी अस्पताल में उसी सुविधा में कर दिखाया है। आने वाले समय में यह व्यवस्था और अच्छी होगी, वसुन्धराजी पर विश्वास करते हुए मेडिकल कालेज और चिकित्सा सुविधा संचालित होगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। श्री जगदीश नारायण।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र 4 सी.एच.सी., 11 पी.एच.सी. और लगभग 18-20 सब-सेंटर्स के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहा है। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि जमवारामगढ़ पंचायत समिति हैडक्वार्टर भी है और वहां जो सी.एच.सी. है वह फर्स्ट रैफरल यूनिट के रूप में कार्यरत है। आस-पास के इलाके से ही नहीं, मैं समझता हूं, थानागाजी क्षेत्र के कुछ गांवों के लोग भी उस एफ.आर.यू. सेंटर पर अपना उपचार करवाने के लिये आते हैं। सिजेरियन डिलीवरी के लिये तो इतनी महिलाएं आती हैं कि वहां महिलाओं का ठीक से उपचार नहीं हो पाता। कई बार तो महिलाओं को आठ-आठ, दस-दस घंटे इन्तजार करने के बाद में भी जयपुर आने की नौबत पड़ जाती है।

माननीय महोदय, इस विषय को लेकर आज राजस्थान पत्रिका में एक लेख भी छपा है, उस लेख का टाइटल दिया है, – 'विशेषज्ञों के अभाव में धूल फांक रहे उपकरण।' जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक संस्थागत प्रसव के लिये पहचान रखने वाले कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संस्थागत प्रसव कराने रोजाना एक दर्जन से अधिक महिलाएं आती हैं, लेकिन सुविधा नहीं होने से रोजाना तीन-चार गर्भवती महिलाओं को जटिल प्रसव होने की सम्भावना के चलते जयपुर रैफर करना पड़ रहा है। सी.एच.सी. जमवारामगढ़ में संस्थागत प्रसव की बढ़ती संख्या पर चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने एफ.आर.यू. का दर्जा दिया है। फर्स्ट रैफरल यूनिट के दर्जे के साथ ही विभाग ने अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के लिए महिला व प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बच्चों का डाक्टर व निश्चेतन चिकित्सक के पद सृजित किये। वहीं लाखों रुपये की लागत से अस्पताल में जननी सुरक्षा वार्ड, जननी शिशु सुरक्षा वार्ड व आपरेशन थियेटर का भी निर्माण कराया गया। आपरेशन थियेटर को

(श्री जगदीश नारायण)

वातानुकूलित बनाया तथा सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये। उक्त सारी सुविधाएं होने के बावजूद अस्पताल में प्रसूति रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त होने से सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो पाती है और इस वजह से महिलाओं को मजबूरन जयपुर की तरफ आना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो महिला आठ-दस घंटे वहां इन्तजार करे डिलीवरी के लिये, और उसे बाद में डाक्टर के मुंह से यह सुनना पड़े कि अब तुझे जयपुर रैफर किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में उस महिला को मानसिक पीड़ा बहुत तगड़ी सताती है। मैं कहता हूं कि शारीरिक पीड़ा के बजाय मानसिक पीड़ा की चपेट में आकर कई बार महिलाएं रास्ते में दम भी तोड़ देती हैं। इसलिये आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रसूति रोग विशेषज्ञ की अतिशीघ्र वहां नियुक्ति करने के आदेश फर्माएं।

दूसरा मेरा निवेदन है, महोदय, कि 11 पी.एच.सीज. में से 4 पी.एच.सी. सेंटर इस तरह के हैं जिनमें न बिल्डिंग है और न वहां स्टाफ है। केवल एक एक डाक्टर लगा हुआ है। बिल्डिंग, स्टाफ और क्वार्टर के अभाव में वहां सुचारु रूप से व्यवस्था नहीं चल पा रही है। उनमें से भी एक ऐसा पी.एच.सी. केन्द्र है टोडामीणा नाम का, जहां वर्तमान में डाक्टर कार्यरत है वह मैटरनिटी लीव पर है। अभी उसका मैटरनिटी लीव शुरू हुआ है। पांच-छह महीने तक वहां कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो उस पी.एच.सी. सेंटर पर एक डाक्टर की व्यवस्था भी कराई जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। श्री शंकर सिंह रावत। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26 और 32 पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व की पांच साल की सरकार का जो कार्यकाल चला, वह सरकार गांधीवादी सरकार के नाम से चलाई, लेकिन गांधीवादी सरकार में डाक्टरों की पोस्टें खाली रहीं। अमृतकौर अस्पताल ब्यावर, सिटी डिस्पेंसरी ब्यावर, रैफरल अस्पताल जवाजा, पी.एच.सी. टाडगढ़, पी.एच.सी. किशनपुरा, पी.एच.सी. बड़ाखेड़ा, पी.एच.सी. राजावास सबके अन्दर डाक्टरों की 35 पोस्ट खाली हैं, नर्सिंग स्टाफ के पद खाली हैं। वहां पर डाक्टरों की बहुत कमी है। होम्योपैथिक मेडिकल कालेज भी नहीं है। जनवरी में जब सर्वे हुआ

(श्री शंकर सिंह)

था मेडिकल कालेज खोलने के लिये तो उसमें ब्यावर का नाम एक नम्बर पर आया था। अभी 7 मेडिकल कालेज पूरे राजस्थान में आपने स्वीकृत किये हैं, उसके लिये तो आपका बहुत-बहुत आभार है, लेकिन ब्यावर में आपने नहीं किया है, आपसे आग्रह है, प्रार्थना है कि ब्यावर में जरूर एक मेडिकल कालेज के लिये आप सात के अन्दर चाहे आठ बढ़ाएं, लेकिन ब्यावर में आप खोलें। ब्यावर में अमृतकौर अस्पताल वह अस्पताल है जो चार जिलों का मुख्य केन्द्र है। अजमेर जिले के मरीज वहां मिलेंगे, पाली जिले के मिलेंगे, राजसमंद जिले के मिलेंगे और भीलवाड़ा जिले के आसीन्द तहसील के मरीज भी वहां मिलेंगे। सिक्स लेन नेशनल हाइवे रोड के ऊपर यह अस्पताल है, उस मुख्य अस्पताल की दशा गांधीवादी सरकार के समय में बिगड़ चुकी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वहां पर डाक्टरों की व्यवस्था और बढ़ायी जाए। एक मेडिकल कालेज की मांग जरूर पूरी हो जाए ताकि वहां पर डाक्टरों की कमी हमेशा के लिए पूरी हो।

(19.00 बजे)

दूसरा, मांग संख्या-32 के ऊपर मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि गैस एजेंसियों की थोड़ी-बहुत मनमानी चल रही है, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है। वहां पर गैस कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं, मनमाने तरीके से कनेक्शन देते हैं और मन चाहे लोगों को कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं, इसलिए उसमें भी सुधार की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कम समय में भी बोलने का मौका दिया, पुन: आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। श्री पूरण मल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-26 पर मुझे अपनी बात रखने का मौका और समय दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए बिना किसी प्रकार की भूमिका के सीधा-सीधा आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में मुख्यालय पर स्थित राजकीय अजीत अस्पताल, खेतड़ी को 40 बैड का करने एवं स्वीकृत

(श्री पूरणमल सैनी)

डाक्टर्स के 14 पद में से केवल 7 डाक्टर वहां हैं, 7 और डाक्टर्स के पदों को भरने की आवश्यकता है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी विभिन्न गांवों में बंटा और बिखरा हुआ एरिया है, अतः ग्राम प्रतिभा नगर, ग्राम अजीतपुरा, ग्राम धीरजपुरा, ग्राम मामराजका की ढाणी, बंधा भीतर, भजनांवाली माड़ोता आदि में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोल कर अनुग्रहीत करें।

विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसई, जसरापुर, सीहोड़ आदि को क्रमोन्नत कर सी.एच.सी. करने की आवश्यकता महसूस करते हैं, इसके लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे।

तीसरा, विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीहोड़ या सी.एच.सी. बबाई में रिक्त पदों को भी भरने की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष: आपसी चर्चा नहीं। चिकित्सा मंत्रीजी, आपसी चर्चा नहीं। धर्मपालजी ...(व्यवधान)

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): पांचवां, बिखरा हुआ होने के कारण अजीत हास्पिटल खेतड़ी में ले जाने के लिए 50-50 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर जयपुर के लिए रैफर फर्माया जाता है तो वहां से वापस मुड़ कर आना पड़ता है। अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के अजीत अस्पताल से रैफर करने के 25 किलोमीटर बाद जयपुर रास्ते पर सी.एच.सी. बबाई है, उसको डाक्टरों की पूर्ति करते हुए रैफरल अस्पताल का दर्जा दिये जाने की मैं मांग करना चाहूंगा। इतना ही सब कुछ कहते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए आभार और धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री गिर्राज सिंह मलिंगा। मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं, पहले जब आपका नाम आया था तब आप एब्सेंट थे लेकिन अब पांच मिनट में अपने भाषण को पूरा करेंगे।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

मांग संख्या-26 और मांग संख्या-32 पर चर्चा हो रही है। माननीय मंत्री महोदय, मेरे बाड़ी विधान सभा क्षेत्र के सभी हास्पिटलों में डाक्टरों के, नर्सों

(श्री गिर्राज सिंह)

के, कम्पाउण्डरों के सभी पद खाली पड़े हुए हैं। बाड़ी के अन्दर देखो आप, सारे डाक्टरों के पद खाली हैं। मेल नर्स के 28 पद खाली हैं। कंचनपुर में पांच पद खाली हैं। सैफू के अन्दर पांच में से चार पद खाली हैं, एक ही डाक्टर लगा हुआ है। बसई नवाब के अन्दर पांच में से तीन पद खाली हैं। उप-स्वास्थ्य केन्द्र, ए.एन.एम. के 23 हैं, 23 के 23 खाली हैं, एक भी ए.एन.एम. पूरे विधान सभा क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं लगी है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो नये हास्पिटल संचालित हुए हैं उनमें से चार चालू हैं, एक अभी चालू नहीं किया गया है और चारों के लिए अभी बिल्डिंग की व्यवस्था भी नहीं है।

राठौड़ साहब, इधर ध्यान दो, बाद में बतला लेना। चौधरी साहब और आप तो अच्छे मित्र हैं, बाद में बात कर लेना, कोई बात नहीं है।

ये सभी पद खाली हैं, यहां पर बिल्डिंग भी बनायी जाए। अध्यक्ष महोदय, बाड़ी मुख्यालय है, बाड़ी, बसेड़ी दोनों विधान सभा क्षेत्र जोइन्ट हैं और उनमें एक कस्बा सरमथुरा भी लगता है, तो मेरा मंत्रीजी से निवेदन है, धौलपुर जाने के लिए वहां से 100-125 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, बाड़ी को आप 200 बैड का हास्पिटल करें। बाड़ी पर आपकी विशेष मेहरबानी भी रहती है, वैसे भी आपका बाड़ी और धौलपुर में जाना-आना रहता है, मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरीके से आपके धौलपुर में बार-बार चक्कर लगते हैं उसी तरीके से धौलपुर को काम भी दिया जाना चाहिए।

आपने गांव-गांव में सम्पर्क किया, लोक सभा चुनाव में भी गये और मुख्यमंत्री महोदय भी गयीं भरतपुर सम्भाग में। जब सरकार थी तब भी आपने देखा होगा कि धौलपुर जिले की क्या स्थिति है। मुख्य गांव है सेवर से बाड़ी, न तो बाड़ी के लिए वहां पर कोई एक भी बस लगी है, न धौलपुर जाने के लिए कोई साधन है। उधर चम्बल है तो वहां पर आपका जो हास्पिटल स्वीकृत है, पूर्ववर्ती सरकार ने किया है, मेरा आपसे निवेदन है कि इसको चालू करें और जो पद खाली हैं उनको भरें।

अपन बार-बार इसी को नहीं कहते रहें कि पूर्ववर्ती सरकार ने यह किया है, उसने यह किया है। जो किया है वो हमने भुगता, अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आप आगे पीरियड में यही भुगतेंगे।

मेरा खाद्य मंत्रीजी से निवेदन है, आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र के

(श्री गिर्राज सिंह)

अलावा राजस्थान के अन्दर एक भी विधान सभा क्षेत्र में इतने डीलर सस्पैंड नहीं किये होंगे। बिना कारण बताये, कोई भी कारण नहीं है। मैं स्वयं मौके पर था, वहां पर आपका डी.एस.ओ. पहुंचा था, मैंने जाकर पूछा। उस समय कट्टे पूरे थे, उस समय काउंटिंग की। अबदलपुर गांव है, मंत्री महोदय, आप नोट कर लो। कंचनपुर गांव को उस समय जान-बूझकर सस्पैंड किया गया। मैं एक गांव से निकलकर आ रहा था जब मेरे को उस डीलर ने रोका कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पूरा माल है। पूरा माल होने के बाद में भी उसको सस्पैंड किया। आपके डी.एस.ओ. साहब ने मेरे से यह बोला कि मेरे मजबूरी है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मंत्री महोदय, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा हम लोगों ने क्या गुनाह कर दिया?

आपके खिलाफ लोग कोर्ट तक में गये हैं, मंत्री महोदय। यह एक पहला उदाहरण है कि किसी मंत्री के खिलाफ भी आदमी कोर्ट में जाए और वो कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ एप्लीकेशन लगावे कि एक जाति विशेष के लोगों को आपने सस्पैंड किया है। मेरे साथ में भी वो ही हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप अपने क्षेत्र के बारे में बोल चुके।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): एक जाति विशेष के लोगों के साथ हुआ, मेरे साथ भी यही आप कर रहे हैं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं गये। विभाग का काम जांच कराना होता है और जांच के अन्दर जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। आप यह कहकर किसी दोषी डीलर को नहीं बचा सकते कि आप द्वेषतापूर्ण कार्यवाही कर रहे हो। हमारी पारदर्शी सरकार है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। अब छह मिनट हो गये आपको।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मंत्री महोदय, हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उनसे बात मत कीजिए आप। (व्यवधान) एक मिनट आपको दिया जाता है, चिकित्सा विभाग पर बोलिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जो मेरे साथ में हो रहा है वो मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, मैं आपको बता रहा हूं कि हकीकत में निर्दोष लोगों को सस्पैंड किया जा रहा है। जो लोग चोरी करें, आप करो, मैं खुद इसके खिलाफ हूं। आपको जहां मेरी जरूरत है, लोग चोरी करते हैं, आप करो। आप अपने डी.एस.ओ. साहब को पूछ लेना, मैंने उनसे बात की तो वे मेरे से हमेशा यही कहते हैं कि मेरे ऊपर दबाव है। ऐसा क्या दबाव है? धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, अब स्थान ग्रहण कीजिए। श्री श्रीचन्द कृपलानी, केवल पांच मिनट।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं दो मिनट बोलूंगा, साहब, मेरा तो गला खराब है वैसे ही।

श्री अध्यक्ष: हां, तो अच्छा है, पांच मिनट में। (व्यवधान)

श्री पब्बाराम (फलौदी): आज इनका जन्म दिन भी है। (व्यवधान) इसकी इनको बधाई दी जाए, इनका कद और बढ़े।

श्री अध्यक्ष: और किसी को समय नहीं मिलेगा इसके बाद ... (व्यवधान) बाकी कोई नहीं बोलेगा। आपकी मैंने आठ की सूची स्वीकार की है जबकि मुझे पांच की करनी चाहिए थी। कल आप उसी हिसाब से दीजिए। आज क्योंकि आपने नाम दे दिये तो मैं आठों को बोलने का अवसर दे रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आज जन्म दिन है। कृपलानीजी का जन्म दिन है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जन्म दिन है, दस मिनट तो दीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): कृपलानीजी का जन्म दिन है।

श्री अध्यक्ष: आप अपना वक्तव्य दीजिए। विराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हालांकि मेरी इच्छा कम थी बोलने की, लेकिन चिकित्सा मंत्रीजी का चेहरा देख-देख कर मेरी भी इच्छा हो गयी कि कुछ मैं बोलूं।

श्री अध्यक्ष: प्रेरणा मिल गयी इनके चेहरे से कि बोला जाए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खाली

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

दो-तीन बातें कहूंगा। एक तो राजस्थान के जो एमएलए बैठे हैं विधान सभा में, 200 एमएलए हैं, सब एमएलए के क्षेत्रों से यहां जयपुर में इतने पेशेंट आते हैं कि हम किसी डाक्टर से बात नहीं कर सकते। किसी डाक्टर से उनको अपाइंटमेंट नहीं दिला सकते। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, मैं भी सांसद था, आप भी सांसद रहे हैं अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में जिस तरह से सांसदों के लिए एक कंट्रोल रुम बना हुआ है, कोई भी सांसद वहां कंट्रोल रुम में फोन करता है तो उसके एरिये के पेशेंट की व्यवस्था हो जाती है और डाक्टर से टाइम मिल जाता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसा कंट्रोल रूम यहां पर भी होना चाहिए कि एमएलएज फोन करें और डाक्टर का टाइम मिल जाए और कम से कम पेशेंट को हम दिखा सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम राजनीतिक लोग हैं, मौत-मरण, शादी-ब्याह सब में जाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 10-15 वर्षों में हिन्दुस्तान में, राजस्थान के किसी भी गांव में आप चले जाएं, जितनी मौतें हो रही हैं उनमें से 60 परसेंट मौतें हार्ट अटैक और कैंसर से हो रही हैं। 20 साल के बच्चे का, 30 साल के बच्चे का, 40 साल के आदमी का हार्ट अटैक हो गया। अध्यक्ष महोदय, इतने केस हो रहे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिसको हार्ट की कोई तकलीफ ही नहीं है, बैठे-बैठे हार्ट कोलेप्स हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट पर बाई पास की या हार्ट के डाक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सुविधा मिल सके। इस तरह की स्थिति पूरे हिन्दुस्तान की बनती जा रही है। मुझे विश्वास है, निश्चित रुप से हमारी राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय वसुंधराजी के मन में भी यह इच्छा है कि राजस्थान के गरीबों की, मरीजों की चिकित्सा विभाग के माध्यम से हम सेवा कर सकते हैं। इसके बारे में आप विचार करिये।

तीसरा, मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि कांग्रेस के राज में चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कालेज की घोषणा हुई थी, वह मेडिकल कालेज अभी खुला नहीं है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मुख्य मंत्रीजी से भी हम निवेदन करेंगे, कि चित्तौड़गढ़ जिले में जब भी आप, अब 7 खोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी आप खोलें, मेडिकल कालेज तो चित्तौड़गढ़ जिले में प्राथमिकता से खुलना चाहिए।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करके मेरे क्षेत्र की एक-दो बातें और कर लूं। निम्बाहेड़ा हास्पिटल चित्तौड़ जिले में चित्तौड़ के बाद सबसे बड़ा हास्पिटल है, आपको आश्चर्य होगा, इनके अधिकारी या मंत्री महोदय देख लें तो इनको भी लगेगा कि ऐसी भी बिल्डिंग बन सकती है, वह भी जन सहयोग से। मैं भूतपूर्व मुख्य मंत्री, राजस्थान के हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब वे थे मुख्य मंत्री, मुझे याद है, कि बिना किसी जमीन के, क्योंकि जमीन का विवाद था, उन्होंने आदेश दिया और हमने हास्पिटल की स्थापना की। आज चित्तौड़ के जिला हास्पिटल से बढ़िया हास्पिटल निम्बाहेड़ा में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारा माइनिंग का इलाका है, दो-दो राष्ट्रीय राजमार्ग वहां से गुजर रहे हैं, दुनिया भर के एक्सीडेंट होते हैं, दुनिया भर की डिलीवरी होती हैं, दूसरे पेशेंट आते हैं। 24 डाक्टरों की पोस्ट होने के बाद भी 12-13 डाक्टरों की पोस्टें खाली पड़ी हैं। न तो वहां पर कोई पैथोलोजिस्ट है, ना गायनी का कोई डाक्टर है, न कोई सर्जन है, मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी व्यवस्था कराएं।

छोटी सादड़ी में भी जो मेरा हास्पिटल है उसमें भी डाक्टरों की कमी है, और बोलूं?

श्री अध्यक्ष: नहीं, बस स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करते हुए एक बार फिर इनको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: थोड़ी में बहुत कर दी आपने।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं विश्वास करता हूं कि चित्तौड़ में, कपासन में, निम्बाहेड़ा में जहां-जहां सिटी डिस्पेंसरी की आवश्यकता है, वहां भी खोलेंगे।

मैं अब नागरिक आपूर्ति मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि हमारे जिले में मंत्री महोदय जितने राशन कार्ड बनकर आये हैं, हालांकि अभी आधे राशन कार्ड भी नहीं आये हैं, लेकिन सारे मिस्टेक वाले राशन कार्ड आये हैं, जो कम्प्यूटराइज्ड आपने बनाकर भेजे हैं। मेरा निवेदन है कि उन राशन कार्डों में सुधार करके भिजवाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई। नहीं, आप नहीं। मैं आपको 5

(श्री अध्यक्ष)

मिनट के बजाय 10 मिनट दे रहा हूं लेकिन 10 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा कर लें।

एक माननीय सदस्य: हमें 5 मिनट ही दिये। पक्षपात।

श्री अध्यक्ष: मुझे टोकने का मौका नहीं दें। नहीं।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): मैं टेबल पर रखना चाहता हूं, टेबल पर।

श्री अध्यक्ष: हां, टेबल पर। यस, यस। बहुत अच्छे आदमी हो। टेबल पर। इसको एक्सैप्ट कर लो अपने रिकार्ड पर।

(माननीय सदस्य श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) द्वारा मांग संख्या 26 व 32 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया) (परिशिष्ट-5)

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं भी टेबल करना चाह रही हूं। मेरी मांगें हैं वे मैं भी टेबल करना चाह रही हूं समय के अभाव में।

श्री अध्यक्ष: अच्छा। आपको भी 5 मिनट देंगे इनके बाद। इनके बाद ...(व्यवधान) थोड़ा मैं मंत्रीजी से रिक्वैस्ट कर लूंगा कि थोड़ी देर में ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का जो विषय है चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई और नागरिक आपूर्ति, ये चारों विषय मनुष्य से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। राजस्थानी में एक बहुत बढ़िया कहावत है, 'पहला सुख निरोगी काया, जो आपके पास है। दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी और पांचवां सुख राज में बासा' । ये पांच में से तीन आपके पास हैं, परन्तु हमारे चिकित्सा मंत्री के पास पांचों के पांचों हैं। पांचों सुख होते हुए भी इनको टेंशन बहुत रहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार में हम जब ऊपर बैठकर कार्यवाही देखते तो हर दस मिनट के बाद में प्रक्रिया और नियम की किताब दिखाते। मेरे मन में एक इच्छा थी कि अब ये माननीय चिकित्सा मंत्री बन गये हैं, इस किताब का पीछा छोड़ेंगे। लेकिन हम यहां भी जब खड़े होते हैं तो वे किताब का हवाला देते हैं। मेरा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि यह किताब किसी दूसरे को दो और आप कम से कम स्वास्थ्य सम्बन्धी चिकित्सा की किताब हाथ में रखो ताकि हम परामर्श दे सकें।

(श्री सुखरम विश्नोई)

आप सबसे तेज-तर्रार मंत्री हैं और जब हंसकर बोलते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को कह रहा हूं, समझो, काम होने वाला नहीं है। सीरियस होकर बोलेंगे तब काम होगा। और किसी के सामने चश्मा उतारकर बोल लिया, समझो, कभी भी काम नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के सम्बन्ध में जो नि:शुल्क दवा योजना की बात कहीं, उसमें मुख्यमंत्री नि:शुल्क योजना है, जांच की योजना है। इन सब में निवेदन करना चाहूंगा कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, मुख्यमंत्री नि:शुल्क चिकित्सा योजना से पहले कोई गांव का बुजुर्ग हास्पिटल चला गया और वहां डाक्टरों ने जांच की और हार्ट खराब निकला, कहा कि सर्जरी करानी पड़ेगी, बाई पास करानी पड़ेगी। वह पूछता कि कितने पैसे लगेंगे? तो कहते कि दो लाख लगेंगे, तीन लाख लगेंगे। वह बुड्ढा घर आता, घर पर बेटे पूछते पिताजी, डाक्टर ने क्या बीमारी बताई। उसके पास पैसे नहीं होते थे, वह चुपचाप कहता, बेटा, कोई बीमारी नहीं बताई। और एक महीने के बाद में हार्ट अटैक से चला जाता। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री महोदय अशोकजी गहलोत ने नि:शुल्क चिकित्सा योजना 10 साल पूर्व शासन में चलायी, उन गरीब लोगों के लिए जो न कहने की वजह से, रुपये के अभाव में, दवाई के अभाव में ऊपर चले जाते थे।

श्री अध्यक्ष: विधायक सुंदर लालजी, आप व्यवधान नहीं करें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): उनको सब्र मिला, उनको आधार मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि इस नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना को सीमित कर दिया गया है। जो खाद्य सुरक्षा में हैं उन्हीं को इस योजना में फायदा मिलेगा। उन्हीं का बीमा होगा। बाकी जो 30 परसेंट लोग हैं वे भले ही बैठे रहें। राजसमंद से आने वाली माननीय सदस्या ने एक बात रखी थी कार्टून के जरिये कि जो बीपीएल खाद्य सुरक्षा में है, वह तो मोटा हो रहा है, उसको तो सुरक्षा मिल रही है और जो खाद्य सुरक्षा में नहीं है, जो गरीब है वह वंचित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि इसका धरातल पर सर्वे करवाया जाए। बीपीएल का कार्यक्रम 2002 में चला, आज 12 साल हो गये। इतने सालों के बाद में कई परिस्थितियां बदल गयीं। उन बीपीएल परिवारों में से कोई सरकारी नौकर बन

(श्री सुखराम विश्नोई)

गया, किसी के व्यापार हाथ में लग गया, कोई उद्योग-धंधा हाथ में लग गया। वे तो सक्षम हो गये। लेकिन जो उस वक्त बीपीएल नहीं थे और जो बीपीएल नहीं बन सके, उनकी हालत खराब है। एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन लोगों को जो 30 परसेंट हैं और धरातल पर गरीब हैं, उन लोगों का चयन किया जाए और 70 परसेंट में जो बिलकुल हट्टे-कट्टे मजबूत हैं, साधन-सम्पन्न हैं उनको इससे निकाला जाए। यह आपसे मांग है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक अख़बार में पढ़ा था और न्यूज भी सुनी थी, चर्चा भी चल रही थी एक सर्प के इंजेक्शन के बारे में, कि जो इंजेक्शन खरीदे गये, उनके अन्दर बहुत सारी गड़बड़ियां हुईं। उसमें औषधि नियंत्रक हैं +++ । उसके बाद निविदा दस्तावेज जांच करने वाले, यह +++ । इसके बाद में समिति के सदस्य हैं, +++ इन तीनों ने सांप का जो इंजेक्शन होता है, पोलिवेलेंट एंटी स्नेक वेनोम इंजेक्शन है, बहुत महंगा मिलता है, गरीब लोग सांप के दो इंजेक्शन लगा लेते हैं, पचास इंजेक्शन तक सांप के देने पड़ते हैं। बाजार में वह एक हजार रुपये रेट में मिलता है। वह भारत सीरम कम्पनी निकालती है। इसमें जो गड़बड़ी की गई, 16 अक्टूबर, 2013 को 540 में निविदा खुली, उसकी निरस्त कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में 30 अप्रैल, 2014 को 691 में वह निविदा पास कर दी। किस कारण से पास कर दी? मैं, माननीय अध्यक्षजी, आपके मार्फत पूछना चाहूंगा मंत्रीजी को कि इन तीनों के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

माननीय मंत्रीजी, आपकी पैनी दृष्टि है, पहचान लेते हैं आदमी को। मेरे वहां एक सेठ था, वह कहता था सुखरामजी, मैं दुकान पर घुसते ही पता लगा लेता हूं कि इस आदमी की जेब में पैसे हैं या नहीं हैं, उधार मांगेगा या रोकड़ देगा। आप तो बड़े काबिल नेता हैं और काबिल आदमी हैं, पता लगा लेते हो आराम से कि इसमें बेइमानी हुई है या नहीं। मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन है...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): एक मिनट, विश्नोईजी, आप अधिकारियों के नाम लेकर यहां कह रहे हैं, यह परम्परा नहीं है सदन की।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): नहीं है। अधिकारी दीर्घा में बैठे लोगों के आप नाम लेकर नहीं बोल सकते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप लोक सभा में रहे हो, वहां नहीं होगा, यहां है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): लोक सभा में भी है और यहां पर भी है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं दोनों जगह ही रहा हूं। (व्यवधान) मैं तीसरी बार आया हूं यहां पर। नोटिस देकर कर सकते हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये, कुछ परम्पराएं हैं, वह तो हैं। माननीय अध्यक्षों की व्यवस्था की गई है कि हम सदन से गैलरी को सम्बोधित नहीं कर सकते। सदन में हम बैठकर इस गैलरी में या आफिसर्स गैलेरी में कोई आदमी बैठे हैं तो उनको हम सम्बोधित नहीं कर सकते। इस तरह से सम्बोधित नहीं कर सकते कि इन-इन अधिकारियों ने गलती की। वह यहां हैं, इस गैलरी में हैं, यह कहकर हम सम्बोधित नहीं कर सकते। यह हमारे सदन की परम्परा है। आरोप लगा सकते हैं, इसमें गड़बड़ी हुई है यह बात कह सकते हैं लेकिन गैलरी को हम सदन से सम्बोधित नहीं कर सकते।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी करूंगा बात। एक महत्वपूर्ण बात है कि जितनी भी सरकारी दवाइयां आ रही हैं, उन दवाइयों पर कोई रेट लिखी हुई नहीं है, कोई रेट नहीं है। जितनी भी सरकारी सप्लाई है, उसमें रेट नहीं है। सदन तय करे उस पर रेट होनी चाहिए ताकि विश्वास पैदा हो। वरर्ना क्या समझते हैं, रेट नहीं लिखी होती है तो गांव के लोग समझते हैं कि सरकारी दवाई काम की नहीं है। प्राइवेट वाली दवाई पर रेट लिखी हुई है हजार रुपये, दो हजार रुपये, पांच सौ रुपये। इस पर रेट डालकर चलो ताकि विश्वास पैदा हो दवाई के प्रति, कि वाकई में सरकारी दवाई है, इतना पैसा खर्च हुआ। आज के बाद में जितनी भी सप्लाई आए उस पूरी सप्लाई पर रेट दर्ज होनी चाहिए ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग के मार्फत कई तरह की योजनाएं चलती हैं, हम सभी

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं है। बालिका सम्बल योजना, ज्योति योजना, टोल फ्री 104 योजना, चिकित्सा परामर्श सेवा, यशोदा योजना, नवजात शिशु केयर इकाई, कुपोषण उपचार केन्द्र, नवजात शिशु केयर कार्नर इतनी तरह की योजनाएं, यह किताब पढ़ने से पता चला है। मुझे जानकारी नहीं है, माननीय सदस्यों को जानकारी होगी। कहां-कहां ये संस्थाएं चल रही हैं, इसकी कम से कम जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं उनको इन संस्थाओं की जानकारी हो ताकि हम अपने फील्ड में जाएं तो देख सकें कि वाकई में ये केन्द्र चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, संस्थाएं चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। इस तरह की जानकारी होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात पूरी करने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, जननी सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा योजना में ज्यादा मौतें होती हैं जहां लोग बिलकुल इन्टीरियर गांव में रहते हैं। 104 जा नहीं सकती वहां। राजस्थान शिशु मृत्यु दर में पांचवें स्थान पर है। पांचवें स्थान पर होते हुए भी गांवों की स्थिति खराब है। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि जन्म से 18 साल तक तीन तरह के बर्थ डिफेक्टिव हैं, डेफिसिएंसी डिजीज और डवलपमेंट डिले, तीन तरह की जांच करके इसमें सुधार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि किस तरह से सुधार करेंगे? मान लो, प्राइमरी हैल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हैल्थ सेंटर है, पीएचसी गांव में खुली वहां इस तरह के केन्द्र होने चाहिए ताकि जन्म-मृत्यु दर पर कण्ट्रोल किया जा सके।

अंत में है कि जो 50 हजार से ज्यादा आबादी वाले शहर हैं वहां पर कचरा बीनने वाले दूसरे जो गरीब हैं, उन पर पैसे खर्च किये जाएंगे, मेरा, माननीय अध्यक्षजी, आपके मार्फत निवेदन है कि जो नगरपालिका क्षेत्र हैं, जैसा मेरा सांचौर नगरपालिका क्षेत्र है, नगरपालिका क्षेत्र को भी इसमें इनक्लूड किया जाए ताकि वहां के भी जो कचरा बीनने वाले हैं उनको भी मदद मिल सके, सहायता मिल सके।

अंत में मेरा निवेदन है कि मेरे पीएचसी, सीएचसी में डाक्टर नहीं हैं, डाक्टर लगाये जाएं। अंत में मैं एक दोहा कहकर मेरी बात पूरी करना चाहूंगा-

होने को तो बुलन्दी के खयालात हैं,
मालूम तरक्की के मुकामात हैं।

(श्री सुखराम विश्नोई)

जितना सुलझा हुआ मिला है राठौड़ साहब आपका दिमाग
उतना ही उलझा हुआ है आपका स्वास्थ्य विभाग।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। कमसाजी।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से मेरी बात लिखित में रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप यहां इसको रख दें, इसको रिकार्ड पर ले लिया जाए। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री रतनलाल जलधारी के वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हमारे सदस्य बोलेंगे, समय तो दो।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। डाक्टर को अपन भगवान का रूप मानते हैं, हास्पिटल के अन्दर जाने पर रोगी को कोई डाक्टर अच्छा मिल जाए और वह उसको देखकर बोल दे कि तुझे तो कोई बीमारी ही नहीं है, तो आधा तो डाक्टर को देखकर ही उस रोगी की बीमारी ठीक हो जाती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हम सब चीज में लापरवाही बरत सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य के प्रति हम किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरत सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में जो खाली पद हैं उन चीजों को मैं पढ़ कर सुना रही हूं। भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो हास्पिटल है उसके अन्दर आज के दिन 31 पद खाली हैं, मेरा मंत्रीजी से निवेदन है, आपको जो मंत्री पद मिला हुआ है, हमेशा जो आपको अंक मिला हुआ है वह 'सात' कहीं न कहीं हम मंदिर में जाते हैं तो उठाते हैं, अगर 'सात' अंक मिल जाए तो वह काम पूरा सफल है। आप बीकानेर पधारे थे और आपको जो 'सात' की संज्ञा दी गई है तो मुझे लगता है कि आपकी जो हाइट है, आपको संज्ञा दी गई थी, स्वास्थ्य के प्रति आप किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीसीएमओ कार्यालय, भोपालगढ़ में एक पद खाली है, उसको आप तुरन्त भरने की कृपा करें। मुझे लगता है कि आज ही घोषणा कर

(श्रीमती कमसा)

देंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोपालगढ़ में शिशु रोग, हर कोई चाहता है कि अच्छा बच्चा पैदा हो, कहावत है कि जननी जणे तो ऐसा जण कै दाता कै सूर, हर कोई यह चाहता है कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो और ऐसा अच्छा हो तो उसको आने वाला समय याद करे, इतना हृष्ट पुष्ट हो। तो शिशु रोग विशेषज्ञ वहां लगाया जाए। गायनाकोलोजी के दो पद खाली हैं, महिलाओं के प्रति आप विशेष तौर से ध्यान रखकर महिला डाक्टर के पद भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के हास्पिटल के अन्दर आप भरने की जरूर-जरूर घोषणा कर देंगे। कल तक तो मेरे को लगता है कि आदेश भी हो जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह टेबल कर दूंगी, समय के अभाव में। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, वह भी बहुत अच्छी बात है। मेरे यहां जो पद रिक्त हैं, उनको आप शीघ्र भर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां खाद्य मंत्रीजी विराजमान हैं, इनसे भी मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: खाद्य मंत्रीजी से अभी नहीं। अभी स्वास्थ्य मंत्रीजी से।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): आज उस पर भी मांग है। जो राशन कार्डों में त्रुटि हुई है उनको भी आप ठीक करवाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्रीजी, बीजेपी के मुख्य सचेतक की सूची के अनुसार भी हो गये, कांग्रेस के अनुसार हो गये। लेकिन हमारे जो निर्दलीय हैं, उनकी ओर से आने वाले माननीय विधायक, उनको मैं आखिरी वक्ता की तरह चांस देता हूं, उसके बाद आपका भाषण होगा।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलना चाहूंगी सिर्फ महिलाओं के बारे में।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठिये आप।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): सिर्फ एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट भी नहीं। माननीय मानिकजी। (व्यवधान) मानिकजी, आप दस मिनट में खत्म करेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाख छह हजार करोड़ रुपये के बजट में माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आठ सौ सोलह करोड़ रुपये अधिक मिले हैं पिछले बजट के मुकाबले। 2013-14 के मुकाबले आपको आयोजना भिन्न में दो सौ सैंतीस करोड़ रुपये मिले, आयोजना में आपको पिछले बजट के मुकाबले पांच सौ उन्यासी करोड़ रुपये ज्यादा मिले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो अधिक राशि चिकित्सा विभाग को मिली है, उसके कारण हमारी जो शिशु और मातृ मृत्यु दर है, जो अभी आल इण्डिया के मुकाबले बहुत ऊंची है, आल इण्डिया में जहां 40 शिशु मृत्यु दर है प्रति हजार पर, हमारी शिशु मृत्यु दर 49 है। मातृ शिशु दर प्रति लाख भारत में 200 है, हमारी 255 है। यानी हम हर तरह से अभी जो इंडिकेटर्स हैं प्रगति के, उन इंडिकेटर्स में हम बहुत पीछे हैं। प्रजनन में भी जहां भारत में 2.5 हैं हम 2.9 पर हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऊपर हैं न।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कम होना है। सांगानेर से आने वाले महानुभाव, वह कम होनी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, किसी न किसी मामले में तो हम आगे हैं ही। अगर मातृ मृत्यु दर में और शिशु मृत्यु दर में कम हैं तो प्रजनन में ज्यादा हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जो देश में प्रगति के मापदण्ड हैं वे तो मैं अर्ज कर रहा हूं, उसी अनुपात में हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के ये आंकड़े आपको अधिक राशि मिलने से कम होंगे और हम उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में चिकित्सा विभाग उन मानकों को पूरा करेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं लूणकरणसर से आता हूं और आप भी उसी सम्भाग से हैं जहां से मैं हूं। लूणकरणसर-सूरतगढ़ की दूरी 170 किलोमीटर है और बीच में यह लूणकरणसर है नेशनल हाइवे पर। बीकानेर से मैं 70 किलोमीटर दूर और सूरतगढ़ से 100 किलोमीटर, माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में कोई भी ट्रोमा सेंटर नहीं है। एक्सीडेंट्स की संख्या सैकड़ों में है। हर साल एक हजार लोग लूणकरणसर की सड़कों...लूणकरणसर अर्जुनसर तक है, उसके और सूरतगढ़ के बीच में, हम उधर जाएं तो बहुत दूर है, बीकानेर आएं तो भी दूर है, मेरा निवेदन है कि यह आइडियल लोकेशन है ट्रोमा सेंटर के

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लिए। माननीय मंत्रीजी के ध्यान में भी है कि यह ट्रोमा सेंटर बनना चाहिए। मेरा निवेदन है कि आप इस वर्ष हमको एक ट्रोमा सेंटर देने की घोषणा करें।

माननीय, आप कालू पधारे हैं, जब सरकार बीकानेर में हाजिर हुई, सरकार आपके द्वार, तो आप कालू गये थे, मैं भी आपके साथ था। कालू में प्राइमरी हैल्थ सेंटर की स्थिति बहुत खराब है, आपके ध्यान में है। कालू बड़ा गांव है, और पूरी लूणकरणसर तहसील में सिर्फ लूणकरणसर और महाजन में ही सीएचसी है, मेरा निवेदन है कि आप कालू में भी प्राइमरी हैल्थ सेंटर को सीएचसी बनाने की कृपा करेंगे और उसकी भी घोषणा इस वर्ष या अगले वर्ष जैसा भी आपको सूट करे, वह आप देखकर जो भी प्रावधान सम्भव है, उसको आप करें।

मैं चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान, लूणकरणसर के मोबाइल हास्पिटल की तरफ आकर्षित करूंगा। हमारे यहां कोई मोबाइल यूनिट नहीं है जबकि आइडियल लोकेशन में मोबाइल पहले चलता था। उसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमि करीब 15 हजार स्क्वायर मीटर लूणकरणसर के मुख्य बाजार के अन्दर लोकेटेड है। मेरा निवेदन है कि आप उस मोबाइल सेंटर को, मोबाइल यूनिट को वापस चालू करें। भूमि आपके पास है, भवन भी आपके पास है, आपको मोबाइल यूनिट वहां चालू करनी है, यह मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पीबीएम हास्पिटल की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, हमारे डिवीजन का मुख्यालय है पीबीएम हास्पिटल। अध्यक्षजी, चिकित्सकों के कुल मिलाकर 164 पद रिक्त हैं। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि नर्सिंग में 1490 पद स्वीकृत हैं उसके अगेंस्ट में 550 लोग ही आज लगे हुए हैं। जो स्थिति नर्सिंग, पैरा मेडिकल स्टाफ की है, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि पीबीएम हास्पिटल जैसा बड़ा हास्पिटल वन थर्ड पैरा मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति में अपने दायित्वों का पूरा निर्वहन कर पाएगा? आउटडोर में रोज 4 हजार लोग आते हैं और कैजुअल्टी में 300 से 400 मरीज रोज आते हैं। टैक्निशियन के 30 पद रिक्त पड़े हैं। मेरा निवेदन है कि इस अस्पताल में आप प्रयत्न करके पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी और चिकित्सकों के 164 पद खाली हैं, एसोसिएटेड प्रोफेसर्स के पद खाली हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) असिस्टेंट प्रोफेसर्स के कुछ पद खाली हैं, कुछ प्रोफेसर्स के पद खाली हैं, मेरा निवेदन है कि आप इन बातों की तरफ तवज्जोह दें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सबसे बड़ी बात यह है कि टीबी अस्पताल जर्जर पड़ा है। कब गंगासिंहजी ने बनाया था यह टीबी अस्पताल। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करता हूं कि सरकार को बिना किसी देरी के, कभी कोई हादसा न हो जाए टीबी हास्पिटल में, कि उसकी छत गिर गयी और 10 मरीज दब गये, इन हादसों को अवाइड करने के लिए यह आवश्यक है कि आप टीबी अस्पताल की पूरी बिल्डिंग को ढहाकर, या उसमें बहुत जगह पड़ी है, कहीं दूसरी जगह उसको बनाएं और उस बिल्डिंग से हमको मुक्ति दिलाएं। टीबी अस्पताल के जो मरीज आते हैं, उनको भी उस बिल्डिंग से आप मुक्ति दिलाने का काम करें।

श्री अध्यक्षः स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): दो मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं बात को लम्बा नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्षः अच्छा दो मिनट। दो मिनट के बाद आप स्वयं बैठ जाएंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): बिलकुल। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान पीबीएम हास्पिटल में जो आउटसोर्सिंग कर रखा है, जितनी तरह के टैस्ट हैं, सीटी स्कैन है तो भी आउटसोर्सिंग, ईसीजी है तो आउटसोर्सिंग, एमआरआई है तो आउटसोर्सिंग, टीएमटी में आउटसोर्सिंग, ईको कार्डियोलोजी में आउटसोर्सिंग। अध्यक्ष महोदय, मैं बिना किसी का नाम लिये हुए आपसे कहना चाहूंगा कि जब वे बड़े अधिकारी थे और बीकानेर हास्पिटल में सर्वेसर्वा थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को आउटसोर्सिंग में लगा दिया है। जब तक आउटसोर्सिंग की सारी मशीनें राज्य खुद नहीं लगाता है और बहुत इकोनोमिक पैटर्न पर उनकी फीस तय नहीं करते हैं तब तक आउटसोर्सिंग, सार्वजनिक अस्पतालों में हर परिवार को जाने का अवसर मिलता है उनकी जेब वहां कटती है। चाहे हम मुफ्त दवा दें लेकिन मुफ्त दवा से बीस गुना ज्यादा जेब उस आउटसोर्सिंग में कटती है। मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा, इतना बड़ा अस्पताल हम चला सकते हैं, और बीकानेर में तो आपको ध्यान है कि हर बड़े काम के लिए अलग बिल्डिंग है, हार्ट की अलग बिल्डिंग है, डाइबिटीज की अलग बिल्डिंग है, 6-7 बिल्डिंग और हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इतने बड़े अस्पताल में इतने लोग अनेक तरह के टैस्ट कराने को आते हैं, आप अपनी व्यवस्था करें और आउटसोर्सिंग को खत्म करें। इसी निवेदन के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें। श्री राजेन्द्र सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं। बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो उन 38 माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने चिकित्सा व स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषय पर, जो आम व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ा है, इस सदन में विचार व्यक्त करके मेरा और सरकार का मार्गदर्शन किया।

अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से चिकित्सा-स्वास्थ्य विभाग की चर्चा चल रही है। यहां कई माननीय सदस्यों ने इस विभाग को लेकर आलोचनाएं कीं, कई ने समालोचनाएं कीं, कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने इस सदन में जो भी विचार व्यक्त किये हैं, मैं सारी कार्यवाही, विवरण को देखूंगा, लूंगा और प्रमुख शासन सचिव स्तर का अधिकारी इस सारे विवरण जो विधान सभा का कार्यवाही वृत्तान्त है, इसका पूरा अध्ययन भी करेगा और माननीय सदस्य से व्यक्तिगत तौर पर बात भी करेगा कि आपने जो मुद्दे उठाये थे उसके बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है, आपने जो सुझाव दिये थे उसके बारे में सरकार क्या कर पाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे कटौती के 396 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मैं आने वाले 24 घण्टे के अन्दर इन प्रस्तावों का उत्तर भी माननीय सदस्यों के पास पहुंचा दूंगा।

इसमें कोई शक नहीं कि जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई है, राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र के 65 वर्ष व्यतीत हो जाने के समय में भी जिनको भी मौका मिला शासन करने का, हर शासक के मन में यह विचार था कि चिकित्सा-स्वास्थ्य सेवाएं मैं किस प्रकार आम व्यक्ति के पास पहुंचाऊं। इन वर्षों में चिकित्सा-स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा-स्वास्थ्य विज्ञान की बात भी मैं करूं, कई सोपान चढ़ने का काम हुआ है, अध्यक्ष महोदय। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार वातावरण बदला है, जिस प्रकार पर्यावरण दूषित हुआ है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिस प्रकार ओजोन के अन्दर क्षरण हुआ है, बिगड़ा हुआ पर्यावरण, बढ़ती हुई जनसंख्या, हमारी बदली हुई जीवन शैली, खान-पान में दूषिता, इन सब के कारण से हमारे स्वास्थ्य में जो कि आम व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, कई प्रकार की विसंगतियां आ गयीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात प्रारम्भ करूं, 1978 के अन्दर कजाकिस्तान के एक शहर अल्मेटी में एक सम्मेलन हुआ था, अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन था, भारत भी उसमें सिग्नेटरी था। उसमें पूरा विचार-विमर्श करके इस बात को लेकर राष्ट्र सहमत हुए कि सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसी आधार पर वर्ष 2000 में भारत सरकार ने एक संकल्प लिया, 'सबके लिए स्वास्थ्य'। आज 14 वर्ष के बाद जब हम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की इन सेवाओं पर समग्र रूप से विवेचना करते हैं तो मुझे कहने में हिचक नहीं कि कई विसंगतियों से भरा हुआ यह सारा विभाग है। हमने संख्यात्मक दृष्टि से कई प्रकार के विस्तार किये, संस्थाएं खोलते चले गये। पर उसके साथ-साथ हमने यह नहीं देखा कि इनके साथ मानव संसाधन हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। हमने यह नहीं देखा कि गुणात्मक दृष्टि से जिस प्रकार की सेवायें और जो संकल्प सन् 2000 में पूरे देश में भारत सरकार ने लेकर कहा था, 'सबसे लिए स्वास्थ्य', उसके पास हम पहुंचे या नहीं पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, कुछ विषय ऐसे हैं, मैं कई माननीय सदस्यों को जो प्रतिपक्ष में बैठे हैं, धन्यवाद भी देना चाहूंगा, कुछ बातें उन्होंने ऐसी कहीं जो राजनीतिक दायरे से अलग हटकर थीं। कुछ विषय पर हमें राजनीतिक परिधि से अलग हटकर सोचना भी पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भी हम यह देखने लग जाएंगे कि हमें आने वाले चुनाव में वोट भुनाने हैं, चुनाव की फसल तैयार है इसको काटना है और आनन-फानन में घोषणाएं करते चले जाएं, तो मैं समझता हूं कि हम एक ऐसे विभाग में विसंगतियां भर देंगे जो आम व्यक्ति के साथ जुड़ा है। अभी मुझसे पहले कई प्रकार की चर्चाएं लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कीं। उन्होंने उन चिकित्सा महाविद्यालयों की बात भी कही जो महाविद्यालय पिछली सरकार खोलकर चली गई। अध्यक्ष महोदय, घोषणा कर दी कि 15 जिला चिकित्सायों को चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में PPP मोड पर हम स्वीकृत करते हैं। PPP मोड का न तो कोई रोड मैप था, PPP मोड के लिए न कोई उनके पास प्रस्ताव

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

था, न कोई योजना थी, न कोई बजटीय प्रावधान था, न किस आधार पर चयन किया न वो बातें थीं। पर हमें घोषणा करनी थी, हमें चुनाव के अन्दर वोट की फसल काटनी थी, हमें बड़े-बड़े विज्ञापन जारी कर वाह-वाही लूटनी थी। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार ऐसा करे तो वो ठीक नहीं है। आज इसी कारण से कई तरह की बातें उठने लगी हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव से ठीक पहले सरकार ने जाते हुए राजस्थान में 175 रैफरल चिकित्सालय मंजूर किये, 650 प्राथमिक चिकित्सालय मंजूर किये और 3000 उप केन्द्र मंजूर किये। सरकार का अधिकार है, सरकार कर सकती है। पर घोषणा करने से पहले अगर वो यह देख लेते कि इन चिकित्सालयों को, रैफरल चिकित्सालय को, उप केन्द्रों को चलाने के लिए मानव संसाधन हमारे पास कितने हैं। मैं उस समय की बात कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, उस समय 3000 से ज्यादा एम.ओ. जिनको चिकित्सा अधिकारी कहते हैं, विभिन्न श्रेणी के वो पद रिक्त पड़े थे, 46202 पैरा मेडिकल के पद रिक्त पड़े थे। अध्यक्ष महोदय, संस्थाएं हम खोलें परन्तु मापदण्ड बने हुए हैं उसके। भारत सरकार ने ए.एल. मुल्यार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, समग्र चर्चा करके उस कमेटी ने पूरे देश में मापदण्ड तय किये थे WHO के मापदण्डों के आधार पर कि किन-किन संस्थाओं को, कितनी-कितनी जनसंख्या और किस-किस आधार पर हम खोलें। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, पर मैंने इस प्रकार नहीं देखा कि जिस जगह पर उप केन्द्र हो, सब सेण्टर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की तो बात हो सकती है, पर सब सेण्टर से सीधा रैफरल चिकित्सालय खोलने का कीर्तिमान इन्होंने किया जो आज कागजों में दफन है।

अध्यक्ष महोदय, हाल ही में 2013 में युनाइटेड नेशन डवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक ग्लोबल ह्यूमन रिपोर्ट जारी हुई है। अध्यक्ष महोदय, ग्लोबल ह्यूमन डलवपलमेंट रिपोर्ट जो 2013 में जारी हुई उसमें ह्यूमन डवलपमेंट सूचकांक, जो इंडिकेटर है उसकी दृष्टि से हम 187 देशों में 136वें नम्बर पर खड़े हैं। एक इण्डियन ह्यूमन डवलपमेंट रिपोर्ट, 2011 जो भारत सरकार ने जारी की उसमें हमारा प्रदेश 17वें स्थान पर खड़ा है। इन सारी चीजों का अध्ययन जब हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया तो उन्होंने वो ही किया, अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य जिसकी ओर इंगित कर रहे थे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि स्वस्थ राजस्थान की परिकल्पना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को पूरा करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बार चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का जो हमारे निदेशालय का मद है, उसमें जो बजट की बढ़ोतरी की वह 61.5 प्रतिशत है। हमारी जो मेडिकल एजुकेशन है, उसमें जो बजट की बढ़ोतरी की, वो 80 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय, एक सबसे पुरानी पद्धति है जिसको आयुर्वेद भी कहते हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धति भी कहते हैं जिसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि एक तरह से उसकी तरफ ध्यान कम जा रहा है, उसमें भी 102 प्रतिशत प्लान बजट की बढ़ोतरी करके माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दर्शाया कि इन चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने की उनकी मंशा है।

अध्यक्ष महोदय, हम बहुत चर्चा करते हैं राजस्थान के इतिहास की। गौरवशाली राजस्थान, ऐसा राजस्थान जिसके इतिहास को लोग देखने के लिए आते हैं। पर जब देश के अन्दर स्वास्थ्य इंडिकेटर की बात होती है, स्वास्थ्य मापदण्डों की बात होती है, हैल्थ इंडिकेटर की बात होती है तो हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हम बीमारू प्रदेशों की श्रेणी में खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, आज देश के पैमाने पर, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, हमारी मातृ मृत्यु दर MMR कहते हैं, सबसे ज्यादा है, हमारी शिशु मृत्यु दर जिसको IMR कहते हैं, वो सबसे ज्यादा है। हमारी कुल प्रजनन दर जिसको TFR कहते हैं, यह भी सबसे ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय, सन् 2000 में UNO के तत्वावधान में पूरे विश्व के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए एक सम्मेलन हुआ था उसमें 2015 तक यानि 15 वर्षों में एक मिलेनियम डवलपमेंट गोल जिसको MDG कहते हैं, वो निर्धारित किये गये थे और यह तय हुआ था कि इस मिलेनियम डवलपमेंट गोल को, अपने हैल्थ इंडिकेटर को पूरा करने के लिए सरकारें आवश्यक संसाधन जुटाएं, वातावरण तैयार करें। अध्यक्ष महोदय, जो हमारा सुरक्षित मातृत्व है, इसको लेकर भी नैरोबी में सम्मेलन हुआ। अध्यक्ष महोदय, जब इनकी ओर दृष्टि उठाते हैं तो जो हमारी MMR है, 2005 में वह 388 प्रति एक लाख थी। जो अभी सर्वे हुआ है SRS का, 2012 में घटकर यह 255 हो गई और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि जो एनुअल हैल्थ सर्वे, 2013 के आंकड़े हमारे पास आये हैं, उसमें यह 208 हो गई। परन्तु आज भी देश के अन्दर जो MMR है वह 178 है। जो मिलेनियम गोल तय हुआ था

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसमें हमें 181 के आंकड़े तक पहुंचना है। पर मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है, हम आलोचना करें, सरकारी चिकित्सालयों की बात करें, पर कुछ इंडिकेटर यह बताते हैं, मैं यह नहीं कहता कि यह काम हमने अभी सात महीनों में कर लिया, पूर्ववर्ती सरकार में जो भी रहे हैं उनका भी योगदान रहा होगा, पर ये इंडिकेटर यह बताते हैं कि हमने एक ऐसी राह पकड़ी है जिस राह से हम मंजिल के पास पहुंच सकते हैं। परन्तु इन सब के बाद भी, अध्यक्ष महोदय, बात करें तो आज जो सर्वेक्षण हुआ है एनुअल हैल्थ सर्वे, वो यह कहता है कि राजस्थान में 24 घंटों में 10 प्रसूताओं की मौत हो रही है। राजस्थान में एक महीने में 306 और एक वर्ष में 3671 प्रसूताओं की मौत हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आज के युग में चिकित्सा विज्ञान ने प्रगति कर ली पर आज के युग में प्रसव के दौरान प्रसूताओं की मौत, यह एक तरह से हमारे पर कलंक है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हमने इस बार फैसला किया है कि हर मौत का सोशल आडिट फार मैटरनिटी डैथ, यह एक नया कार्यक्रम करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। सोशल आडिट फार मैटरनिटी डैथ यानी किसी प्रसूता की राजस्थान में मौत होगी तो हमारा ब्लाक सीएमएचओ स्तर का अधिकारी वहां जाकर मालूम करेगा कि किस कारण से मौत हुई, प्रसव के दौरान क्या कमियां रहीं या कुपोषण की वह शिकार थी, ताकि उन चीजों को लेकर हम भविष्य के अन्दर अपनी रणनीति बना सकें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, जब स्वास्थ्य मापदण्डों की चर्चा होती है तो एक ओर स्वास्थ्य मापदण्डों की दृष्टि से शिशु मृत्यु दर, इसकी भी बहुत बड़ी अहम भूमिका है कि हमारे प्रदेश का स्वास्थ्य कैसा है इस मामले में। 2008 के अन्दर जो सर्वे हुआ, उसके अनुसार प्रति हजार 63 शिशुओं की मौत होती थी, 2012 में घटकर 49 हो गई। परन्तु मिलेनियम गोल तय हुआ था 2015 के लिए, जिसमें हम छह महीने बाद प्रवेश कर रहे हैं, वह लक्ष्य हमारा 28 का है।

अध्यक्ष महोदय, सारी चीजों के पीछे अगर एक और महती चीज को देखें तो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है। यह बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे विकास को लीलती जा रही है। जिस भी क्षेत्र के अन्दर, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्दर या सेवा क्षेत्र के अन्दर कोई भी सेवा देना चाहते हैं, वे सेवाएं छोटी पड़ने लग जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, एक वर्ष के अन्दर आंकड़े यह बताते हैं कि 17

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लाख नये मेहमान राजस्थान की धरती पर आते हैं। एक महीने में 1.40 लाख और सुबह से शाम हो जाती है तो 4,651 नये मेहमान हमारी इस राजस्थान की धरती पर आते हैं। इसके अन्दर भी एक वर्ष में 1,27,251 बच्चे पांच वर्ष की अपनी आयु को पूरा नहीं कर पाते हैं। यानी इन आंकड़ों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो रोज 353 नवजात शिशु जिनकी उम्र जीरो से पांच वर्ष तक की है, वे दम तोड़ते हैं। इसके पीछे कारण है, अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है। इस शिशु की मृत्यु के अन्दर चार तरह की बीमारियां-डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हैपेटाइटिस-बी और आजकल एक एचआईवी और आई है, इनका बड़ा योगदान है। टीकाकरण का एक व्यापक कार्यक्रम भारत सरकार ने चलाया और राजस्थान सरकार चला रही है। पर यह चक्र जब टूटता है, एक भी टीका बच्चा अगर नहीं लगाए तो उसका असर खतम हो जाता है। अभी एक नया टीका ईजाद हुआ है पेंटावेलेंट वैक्सीन। यह महंगा है। विभाग के अधिकारियों ने मुझे बताया है कि पांच बीमारियों का यह टीका एक साथ लग सकता है। पांच बार बच्चों के सूई चुभाने की आवश्यकता नहीं। तो हमने तय किया है कि चाहे कितना भी महंगा हो, मुख्य मंत्रीजी ने हमें अनुमति दी है कि राजस्थान के अन्दर आप तुरन्त जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है, इसका उपयोग करो। हम इसका उपयोग प्रारम्भ कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, 1,600 हमारे डिलीवरी पाइंट हैं जहां डिलीवरी होती है। डिलीवरी में हाइपो-थरमिया, बच्चा पैदा हुआ उसकी प्री-मैच्योर डिलीवरी है तो उसको एक निश्चित तापमान की जरूरत है। उसके लिए इन सारे के सारे 1,600 डिलीवरी पाइंट हैं, उनमें इस बार इसी वितीय वर्ष में 1,600 रेडिएंट वार्मर मैं लगाने की घोषणा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जिसको हम संस्थागत प्रसव कहते हैं, 2005 के अन्दर सिर्फ 32.5 फीसदी थी, जो 2011-2012 में बढ़कर 74.4 फीसदी हो गई। हमने विभाग के अन्दर तय किया है, अगली बार जब हम आपके सामने आएंगे तो यह जो 74.4 फीसदी है, इसमें हम 10 फीसदी की वृद्धि करके 84.4 फीसदी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करें, इसको लेकर आएंगे।

अध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान के अन्दर 151 संस्थाओं में एमसीएच विंग और जेएसवाई वार्ड का काम चल रहा है 388 करोड़ रुपयों की लागत से। मैं यह घोषणा कर रहा हूं कि ये जो भवन बन रहे हैं, 388 करोड़ रुपये खर्च

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो रहे हैं, इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर हम 100 एमसीएच विंग और जेएसवाई वार्ड की फंक्शनिंग कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां कई तरह की चर्चा हुई। बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हम आदिवासी क्षेत्र में हैं, वहां चिकित्सक रुकते नहीं हैं। उनको इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। सामाजिक रूप से भी यह बात अध्यक्ष महोदय, सोचें तो बिलकुल ठीक लगती है। हम गांवों में उस नौजवान को भेजना चाहते हैं जो अपनी एमबीबीएस और पीजी की परीक्षा पास करके जाए। सोशली जिस प्रकार के समाज से वह निकलकर जाता है, वहां जाकर दूसरा वातावरण मिलता है। परन्तु यह बड़ी चुनौती है। विशेष तौर पर 10 ऐसे जिले हैं जिनमें सर्वाधिक आईएमआर और एमएमआर है, इनको हम हाई फोकस जिलों के रूप में कहते हैं। ये जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, उदयपुर, राजसमन्द, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी और धौलपुर और करौली। इन 10 जिलों में परफार्मेन्स बेस्ड इंसेंटिव के आधार पर जो चिकित्सक वहां काम करेंगे, हमने शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के जो मानक तय कर रखे हैं...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): प्रतापगढ़ भी है इसमें।

श्री अध्यक्ष: बाधा नहीं डालें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उन चिकित्सकों को हमने तय किया है, हम चिकित्सकों को कह रहे हैं, आप जाकर काम करो, हम उन चिकित्सकों को जो वेतन आज मिलता है, उसके अलावा इंसेंटिव के रूप में 35,000 रुपये तक का अतिरिक्त भुगतान प्रति मासिक करने की घोषणा कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, ताकि किसी प्रकार से ये लोग रुकें तो सही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 35,000 रुपये प्रति माह?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, प्रति माह। हर महीने। इन 10 जिलों में जो भी चिकित्सक रहेंगे, उनको इंसेंटिव देने के लिए हम 35,000 रुपये तक का अतिरिक्त वेतन देने की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) पूरे जिले के अन्दर।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां 237 फर्स्ट रैफरल यूनिट हैं जिनको हम एफआरयू कहते हैं। वर्तमान में इन एफआरयू में जो हमारे मापदण्ड तय हैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसके अनुसार एक गायनोकोलोजिस्ट होना चाहिए, एक पीडिएट्रीशियन होना चाहिए और एक एनेस्थीसिया का डाक्टर होना चाहिए। इन 237 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सिर्फ 35 फंक्शनिंग हैं। मैं बताऊं, गायनी के अन्दर राजस्थान में 237 पद स्वीकृत हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि इनमें से 125 पद खाली हैं। पीडिएट्रीशियन में 207 में से 106 खाली हैं। एनेस्थीसिया में से 200 में से 107 खाली हैं। 40 परसेंट पद रिक्त पड़े हैं। अब इन रिक्त पदों पर हम कैसे विशेषज्ञों को लेकर आएं, यह सबसे बड़ी चुनौती है। जिन माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये, हर माननीय सदस्य के मुंह से यह निकला कि कोई न कोई ऐसी कार्यकारी योजना बने कि ये जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, इनके पदों को भरने का काम करें। यह बहुत बड़ी चुनौती है। हमने तय किया है कि शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, निश्चेतन और रेडियोलोजी में जो हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है आरयूएचएस, यह सिलेबस बनाएगी। हम एक वर्ष का पीजी सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ करेंगे। इसके अन्दर इन-सर्विस जो हमारे डाक्टर्स हैं, जिनकी पांच वर्ष की सेवाएं पूरी हो गईं या जिनकी सेवानिवृत्ति में 10 वर्ष का समय बचा है, उनको यह एक वर्ष का कोर्स करवाएंगे। यह कोर्स करवाने के बाद वित्त विभाग से हम कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको दो अतिरिक्त इन्क्रीमेंट देंगे ताकि हमारे विशेषज्ञों के रिक्त पद हैं, ये भरे जा सकें। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, दूसरी कोई बात लगी नहीं जिससे इन पदों को हम भर सकें।

अध्यक्ष महोदय, यह बात भी सही है कि एक विद्यार्थी एमबीबीएस के रूप में फर्स्ट ईयर में प्रवेश करता है और जो एमबीबीएस करके अपनी सेवाएं पूरी कर लेता है, इन्टर्नशिप पूरी करके समाज में डाक्टर के रूप में पदस्थापित होता है, सरकार का पैसा उस पर लगता है। उसको एक डाक्टर बनाने में 50 लाख रुपये लगते हैं, यह पैसा राजस्थान की गरीब जनता का है। ज्योंही वह डाक्टर बनता है तो उसके मन में रहता है कि अगर मैं चिकित्सा सेवा में सरकार में जाऊंगा तो मुझे गांवों में जाना पड़ेगा। आजकल आप देख रहे हैं, निजी चिकित्सा सेवाएं, ये भी एक निवेश का जरिया बन गई हैं। बहुत बड़े लोग बड़े-बड़े चिकित्सा संस्थान खड़े कर रहे हैं। फिर ये निजी चिकित्सालयों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। या तो खुद का खोल लेते हैं या उनसे सेवा जोड़ लेते हैं या कर लेते हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस बार हमने तय किया है कि जो सीएसपीजी है-सीएसपीजी वह है जो हमारे यहां पहले नौकरी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करता है, फिर तीन वर्ष तक सवेतन पीजी में सलैक्शन होता है। 50 परसेंट सीटें हमने इसीलिए की थीं रेजिडेंट डाक्टर्स के बार-बार आंदोलन करने पर। यह पहले जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, उस समय भी हमने फैसला किया था

(20.00 बजे)

कि कुछ ऐसे लोग जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, हम पचास प्रतिशत पद पी.जी. के लिए उनसे भरें। अध्यक्ष महोदय, ये पचास परसेंट पद भरें, तीन साल तक सरकार का वेतन चले, और उसके बाद ज्योंही पी.जी. कर ली तो ये सरकार की नौकरी से त्यागपत्र देकर या नौकरी छोड़कर या एब्सेंट होकर निजी चिकित्सालय खोल लेते हैं। इस बार, अध्यक्ष महोदय, हमने नीतिगत निर्णय लिया है कि यह जो सी.एस.पी.जी. है, पी.जी. करने के बाद अगर पांच साल लगातार सरकारी सेवा में नहीं रहा तो हम बाण्ड भराएंगे उससे पचास लाख रुपये का। पचास लाख रुपये देने पड़ेंगे उसको या उसको सरकारी सेवा में रहना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो हमारे एम.बी.बी.एस. विद्यार्थी हैं ये एम.बी.बी.एस. की डिग्री लेते हैं। डिग्री लेने के बाद सरकार की तरफ से, इनके दिमाग में यह नहीं आती कि सरकार का पचास लाख रुपया तुम्हारे ऊपर खर्च हुआ है, यह राजस्थान की गरीब जनता का है। हम इनसे भी दो साल सरकारी सेवा में ये रहें, पांच लाख का बाण्ड भरवाएंगे। जो पी जी किए हुए दूसरे हमारे विद्यार्थी हैं, उनसे भी हम पन्द्रह लाख का बाण्ड भरवाएंगे। यह एक कोशिश हम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दो कोशिश हुई हैं- एक तो नया प्रयोग यह किया कि एक वर्ष का पी.जी. सर्टिफ़िकेट कोर्स चालू करके इन-सर्विस जो हमारे डाक्टर हैं, इनको हम स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग दिलाकर हमारे चालीस परसेंट जो पद खाली पड़े हैं, उनमें भरे। और दूसरा जो हमारे पी.जी. किए हुए लड़के हैं जो मेडिकल कालेज से निकलते हैं, ये लोग भी हमारी सेवाओं में करें, सरकार की सेवा करें, इसके लिए हम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा चली। मेडिकल कालेज खोल दिया आपने, आपके पद रिक्त पड़े हैं, आप फैकल्टी कहां से लाएंगे? बात सही भी है, अध्यक्ष महोदय, फैकल्टी कहां से आएगी? इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह जो मेडिकल कालेज खुले। अब हमारे जो इन-सर्विस डाक्टर हैं, जो एस.एस. हैं, जे.एस. हैं, लेटरल एंट्री करने का एक नया काम करेंगे। उनकी स्क्रीनिंग करेंगे और उनमें से जो डाक्टर आएंगे उनको इन मेडिकल कालेज में असिस्टेंट प्रोफेसर,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एसोसिएट प्रोफेसर बनाएंगे ताकि हमारे इन मेडिकल कालेज की फैकल्टी पूरी हो।

अध्यक्ष महोदय, इसमें शक नहीं कि डाक्टरों की भर्ती करने की कोशिश के बाद भी डाक्टर नहीं मिल रहे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक आंकड़ा सदन में प्रस्तुत किया था, उन्होंने कहा था कि पांच वर्षों में 6007 डाक्टर भरने के लिए विज्ञप्तियां जारी हुईं और मिले सिर्फ 3777 । बड़ी गम्भीर समस्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी बात घूमकर फिर उसी हमारे मानव संसाधन पर, उस चिकित्सक पर, उन रिक्त पदों पर आकर के टिक जाती है। अध्यक्ष महोदय, हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं, पायलट प्रोजैक्ट के रूप में हम हैल्थ रूट प्रोग्राम बना रहे हैं। हमारे पास 1400 से ज्यादा एम्बुलेंस है अलग-अलग-108 भी हैं, 104 भी हैं, बेस एम्बुलेंस भी हैं, एमएमयू भी हैं, एमएमवी भी हैं। अध्यक्ष महोदय, हम चिह्नित करेंगे हमारी सीएचसी को इसके प्रयोग के लिए। पहले दो जिलों में चालू करेंगे-धौलपुर और जैसलमेर में। उसमें एक हास्पिटल जिस हास्पिटल में सभी तरह के विशेषज्ञ डाक्टर हम ले जाएं, बैठाएं उनको और फिर हमारा यह वृहत् रूप निर्धारित होगा। हमारी गाड़ी जाएगी, निश्चित समय होगा, निश्चित स्थान होगा, उन गांवों में जाकर मरीजों को लेकर वापस आएगी। जहां विशेषज्ञ डाक्टर होंगे वहां उनको दिखाएगी। फिर हमारी गाड़ी वापस उनको छोड़कर आएगी। यह हैल्थ रूट प्रोग्राम बनाकर हम कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार इन सेवाओं से जो वंचित लोग हैं उन लोगों के पास ये सेवाएं पहुंचें, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपकी जो 108 एम्बुलेंस है, टेलीफोन किया, एम्बुलेंस आई नहीं। इन्होंने बताया कि मैं नजदीक खड़ा हूं। अभी भीण्डर से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे, तुम इतनी दूर से क्यों आ रहे हो, इस रूट से आओ। कई तरह की बातें हुईं। अध्यक्ष महोदय, बात भी सही है। हमारी 451 एम्बुलेंस हैं, हम इसी वित्तीय वर्ष में इन एम्बुलेंस को जी.पी.एस. सिस्टम से जोड़ेंगे, डाइरेक्ट्रेट में इनका एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे। निर्देशक स्तर का अधिकारी पदस्थापित करेंगे और हमारी एम्बुलेंस कहां जा रही है, कहां उसका निर्धारित रूट है, काम हो रहा है या नहीं, उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, यहां सभी प्रकार के प्रयोग करने इसलिए जरूरी हो गये क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से सेवाएं पहुंचें। अध्यक्ष महोदय, गुजरात के अन्दर कुछ सेवाएं, सरकारी हास्पिटल भी पीपीपी मोड़ पर उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं को या योग्य, प्रशिक्षित चिकित्सक हैं उनको दिये हैं। हम इस प्रयोग को प्रारम्भ कर रहे हैं सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र से जो हमारी पीएचसी है। उसमें जो सुविधाएं आज वहां व्यक्ति को मिल रही हैं- जो उस गरीब को नि:शुल्क दवाइयां मिल रही हैं तो नि:शुल्क दवा, उसको नि:शुल्क जांच मिल रही है तो नि:शुल्क जांच, इन सारी सेवाओं को यथावत रखते हुए हम इन संस्थाओं को आमंत्रित करेंगे कि आप फलां जगह पर हमारा हास्पिटल है, उसको चलाओ और चलाने के लिए आप अपने आफर दो। पीपीपी मोड़ पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को एक पायलट प्रोजैक्ट के रूप में एक बार देने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत बड़ी चर्चाएं हुईं स्वास्थ्य बीमा को लेकर। यहां बहुत बड़ी चर्चाएं हुईं मुफ्त दवा योजना, मुफ्त जांच योजना को बंद करने को लेकर। यहां बहुत बड़ी चर्चाएं हुईं, हमारे चिकित्सा संस्थाओं पर कई तरह की टीका-टिप्पणी भी हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे आप कुछ भी कहें, मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको आंकड़ा देना चाहूंगा कि हमारे जो हास्पिटल हैं उप केन्द्र से लेकर सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज तक, मैंने विभाग के सारे अधिकारियों को लगाकर कहा कि इसका आंकड़ा तो लेकर आओ कि हम प्रति दिन कितने लोगों की सेवा कर रहे हैं राजस्थान में। कितने इनडोर और आउटडोर पेशेंट आ रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पिछले एक वर्ष का जो आंकड़ा है आउटडोर का, वह है 5 करोड़ 81 लाख 43 हजार 277 हर महीने में। राजकीय चिकित्सालयों की बात कर रहा हूं। मेडिकल कालेज से लेकर उप केन्द्र तक, हर महीने में 48 लाख 45 हजार 272 मरीज आते हैं इन चिकित्सालयों में अपने आपको दिखाने के लिए। और प्रति दिन का अगर आंकड़ा करूं तो 1 लाख 61 हजार 509 । इनडोर के अन्दर का आंकड़ा है 10 लाख 85 हजार 202 प्रति वर्ष और प्रति दिन अगर मैं देखूं तो 3 हजार 173 । अध्यक्ष महोदय, रोज 6 हजार 900 मेजर आपरेशन हो रहे हैं इन चिकित्सा संस्थाओं में और 13 हजार 118 रोज आपरेशन हो रहे हैं। ये इस बात को दिखाते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि अभी भी इन चिकित्सा संस्थाओं के प्रति लोगों में विश्वास बाकी है। मैं इसकी पैरवी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहीं कर रहा हूं कि बिलकुल ठीक चल रहे हैं। इनमें बहुत गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। पर हम यह कह दें, अध्यक्ष महोदय, हमें दोनों बातें सोचनी पड़ेंगी। जिस दबाव में चिकित्सक काम कर रहा है। एक तालाब में एक मछली खराब हो सकती है पर सारे तालाब में उससे सड़ांध आने लगी, इस बात को भी हमें भूलना पड़ेगा। पर यह इस बात को भी दर्शाता है, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे सरकारी चिकित्सालयों पर कितना दबाव है। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं सवाई मानसिंह की बात करूं, अकेले की, 2013-14 में आउटडोर में 12 लाख 25 हजार 276 मरीज आये। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य योजना, एक इंश्योरेंस कवर स्वास्थ्य बीमा योजना इसका एक अभिनव प्रयोग माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। यहां उसको लेकर कई तरह की टीका-टिप्पणी की गयी कि इसकी आड़ के अन्दर हम और कोई सेवाएं बंद करना चाहते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्दर 4 करोड़ 47 लाख लोग वो जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार चिह्नित हैं, जिसका प्रतिशत 67 परसेंट होता है, यह योजना भी ऐसी योजना है, अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अन्तर्गत अभी हम नीति बनाएंगे। हम निजी चिकित्सालयों को चिह्नित करेंगे। क्या गरीब आदमी के मन में यह बात नहीं आ सकती कि अगर हम सोनी हास्पिटल को चिह्नित करते हैं या फोर्टिस हास्पिटल को चिह्नित करते हैं, मैं बीमार हूं, मैं स्वास्थ्य बीमा योजना से कवर हूं तो मैं उस हास्पिटल में जो हमारी सूची में है अगर उसको चयनित कर लेते हैं, जाकर कहेगा कि मैं तेरे से इलाज कराने आया हूं। उसको अधिकार हम दे रहे हैं, क्या हम बहुत गलत कर रहे हैं? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, हम इसकी नीति भी बनाएंगे और हम चाहेंगे कि इस स्वास्थ्य बीमा योजना के कारण से लोगों को सेवा मिले।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, यहां नि:शुल्क दवा योजना के नाम पर बहुत बड़ी बात हुई। मुझे इस चीज को कहने में हिचक नहीं है, अध्यक्ष महोदय, ये सारी योजनाएं चुनाव वाले वर्ष में ही याद कैसे आईं? पहले ध्यान में नहीं आया कि राजस्थान के अन्दर उस गरीब के पास नि:शुल्क दवा भी जानी चाहिए, नि:शुल्क जांच भी जानी चाहिए। और मेरा आरोप है पूर्ववर्ती सरकार पर कि बिना आधारभूत संरचना के आप अचानक इन योजनाओं को प्रारम्भ कर गये। योजनाओं में फार्मासिस्ट कहां था उस डीटीसी सेंटर पर जब दवाई उस गरीब के हाथ में जानी थी? उसको बांटने वाले व्यक्ति के पास में डिग्री थी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

या नहीं थी? योजनाओं के अन्दर आप जांच योजना बना रहे हैं, आपकी जो मेडिकल लेबोरेटरी है उसके पास नए उपकरण कहां से आये? आप उन्हीं पुराने उपकरणों पर अचानक घोषणा कर देते हो। अध्यक्ष महोदय, परन्तु यह सरकार हमारी सरकार है, यह सरकार हमारी वसुंधराजी की सरकार है। हम जन कल्याणकारी योजनाओं को किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, यह जो आप बार-बार कह रहे हैं कि हमने तो उस योजना को बंद कर दिया। हमने तो 67 परसेंट लोगों को इंश्योरेंस कवर देकर बाकी 33 परसेंट लोगों को भी पूरी योजना मुहैया करा दी। ये बेबुनियाद बातें हैं। इस सदन में कम से कम इस विभाग के बारे में हम सब लोग बैठते हैं, कमियां अचानक पैदा नहीं हुईं। ये कमियां सिस्टम में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सिस्टम को तोड़ने के लिए हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए। इसलिए, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, मैं बजटीय प्रावधान आपको बता देता हूं ताकि सारी बात साफ हो जाए। 2013-14 में जो बजटीय प्रावधान नि:शुल्क दवा योजना का था वो था 342 करोड़ रुपये और अब जो वसुन्धराजी ने बजटीय प्रावधान किया है वो किया है 382.96 करोड़ रुपये। यानी चालीस करोड़ रुपये ज्यादा। और इस योजना में इन 6 महीनों जनवरी से जून, 2013 तक की आपकी बात करूं तो इसमें लाभान्वितों की संख्या बता दूं, लाभान्वित थे 2 करोड़ 50 लाख 48 हजार 386 और जनवरी से जून, 2014 तक हैं 2 करोड़ 91 लाख 84 हजार 837 । यानी 41 लाख मरीजों को हमने हमारी सरकार आने के बाद अगर आप तुलना करें तो ज्यादा लोगों को यह सारी सुविधा दी है। जांच योजना के अन्दर भी आपके समय में बजट था सौ करोड़ रुपये ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: बाधा मत डालिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वो इजाजत दे रहे हैं मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इजाजत दे रहे हैं मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। बाधा मत डालिये। मंत्रीजी को भाषण देने दीजिये अपना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो मैं इनके हित की ही बात कहूंगा, जनता के हित की। कोई दूसरी बात तो करूंगा नहीं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं। अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अपन आपस में बात कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: हर बार आप डिस्टर्ब करते हो। पहले भी आप खड़े हो गये बाधा डालने। बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने दी है, बहुत लिबरल रहा हूं मैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपको जवाब देने का नहीं है, जवाब वो दे रहे हैं। आपने अपना वक्तव्य दे दिया, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं जांच योजना की बात करता हूं तो जांच योजना में भी कांग्रेस के समय में सौ करोड़ का बजटीय प्रावधान था, इस समय है 119 करोड़ रुपये, यानी 19 करोड़ 37 लाख रुपये ज्यादा। और इस जांच योजना में लाभान्वितों की संख्या पर जाऊं तो उसमें भी 63,35,620 मरीज इन 6 महीनों की जो तुलनात्मक रूप से मैंने जनवरी से जून तक की बात कही थी, यह आंकड़ा उसका है।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो-तीन मोटी-मोटी बातें थीं। आज अगर सबसे बड़ी आम व्यक्ति के बीमारी है तो वो है नान कम्युनिकेबल डिजीज। इन बीमारियों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मौत का कारण अगर हम देखें, हमारी जो टोटल मृत्यु दर है उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर है तो इन नान कम्युनिकेबल डिजीज का है। ये नान कम्युनिकेबल डिजीज हैं- हृदय रोग, कैंसर, डाइबिटीज, लकवा आदि। इनके लिए पहले सात जिलों में कार्डियक केयर यूनिट, वृद्धजन के उपचार के जेरियेटिक वार्ड व डे-केयर कैंसर सेन्टर स्थापित हो चुके हैं। मैं घोषणा करता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में 32 करोड़ 51 लाख की लागत से 5 जिलों में यथा अलवर, भरतपुर, टोंक, बारां और बांसवाड़ा इनमें कार्डियक केयर यूनिट स्थापित होगी। इनमें जेरियेटिक वार्ड स्थापित होगा। इनमें डे केयर सेन्टर स्थापित होगा। यह काम भी हम निश्चित तौर पर हाथ में ले रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विभाग को जब मैंने सम्भाला तो मैंने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पूछा कि इस विभाग को जिले में नियंत्रित कौन करता है। तो मुझे बताया गया कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी सीएमएचओ है। और जिले के जिला चिकित्सालय और बड़े चिकित्सालय जो हमारे हैं उनमें? तो बताया कि पीएमओ है। पीएमओ और सीएमएचओ का कैडर नहीं है। मेरी इच्छा हुई तो मैंने किसी को कह दिया कि तू सीएमएचओ। दूसरे किसी ने शिकायत की तो आज इसको हटा कर दूसरे को। हमने तय किया है कि जब तक हम स्क्रीनिंग कमेटी बना कर पीएमओ और सीएमएचओ का कैडर नहीं बनाएंगे, कई बार जूनियर व्यक्ति सीएमएचओ लग जाए, सीनियर व्यक्ति नीचे काम कर रहा है नियंत्रण नहीं होता, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि हम पीएमओ और सीएमएचओ का कैडर बना कर विधिवत रूप से इस कैडर के अनुसार इनकी नियुक्ति करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत बड़ी चर्चा चली कि बड़ी संख्या में रिक्त पद हैं। मैं स्वीकार करता हूं। आज जो हमारे मेडिकल कालेज हैं जिसको चिकित्सा शिक्षा कहते हैं, इसमें 509 डाक्टर्स के पद रिक्त हैं, 4 हजार पैरा मेडिकल के पद रिक्त हैं। जो हमारा चिकित्सा और स्वास्थ्य निदेशालय है उसमें 3401 डाक्टर्स के पद रिक्त हैं, 46202 पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त हैं। इन सबको अगर हम जोड़ें तो संख्या बनती है 73494 जो विभिन्न संवर्गों के पद रिक्त हैं। हम आगामी चार महीनों में क्योंकि इसमें से बहुत-से पद ऐसे हैं जो कोर्ट के कारण स्टे है, पर आगामी चार महीनों में अभियान चला कर हम कोशिश करेंगे। वाक-इन-इंटरव्यू करने के लिए भी हमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने छूट दे दी है। जिला स्तर पर हम एक समिति बनाएंगे सीएमएचओ, कलक्टर और दूसरों की। कोई भी व्यक्ति जो कहे कि मैं इस जिले में नौकरी करना चाहता हूं तो वह फलाने हास्पिटल में आए, आकर हमें कहे कि मैं नौकरी करना चाहता हूं तो हम उसी वक्त उसको नौकरी का अपाइंटमेंट लैटर जारी करेंगे। वाक-इन-इंटरव्यू भी करेंगे और इन पदों को भरने के लिए भी कोशिश करेंगे। यही नहीं आयुर्वेद में भी 2599 चिकित्सक और 1600 नर्स-कम्पाउन्डर की भर्ती करने का काम इसी वित्तीय वर्ष में हाथ में लेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां डग से और लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी एक बात चलाई। आपने कहा कि निजी चिकित्सालयों पर किसी तरह का नियंत्रण सरकार का नहीं है। मैं इसको स्वीकार करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा का क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र व्यवसाय में कब बदल गया, मालूम नहीं पड़ा। अब इस चिकित्सा के क्षेत्र में भी निवेशकर्ता

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आने लग गये। और निवेशकर्ता निवेश करता है अपने फायदे के लिए। बड़ी संख्या में चिकित्सालय निजी क्षेत्र में आये हैं और इन सबके नियंत्रण के लिए आज कोई इन पर रोक नहीं है। कितनी फीस लेंगे, आपरेशन के समय में कितना बताएंगे, कितना चार्ज करेंगे, इनडोर पेशेंट एक दिन रहेगा तो उसका कितना रुपया लगेगा, कोई नियंत्रण नहीं। भारत सरकार ने 18 अगस्त, 2010 को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट संसद में पारित किया था और हमारी खुद की इसी संसद ने जब हम उधर सामने बैठते थे, 29 अगस्त, 2011 को इस सदन में अडाप्ट किया। 29 अगस्त, 2011 के बाद आज तक इसके रूल्स नहीं बने। मैंने जो निजी क्षेत्र में चिकित्सा में काम करने वाली अलग-अलग यूनियंस हैं, उनसे भी बात की है और मैं यह घोषणा करता हूं कि हम इन आने वाले चार महीनों में रूल्स भी बना देंगे और यह जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इसको राजस्थान में लागू करेंगे। इसके माध्यम से इंस्पैक्टर राज पैदा करने की इच्छा हमारी नहीं है। परन्तु निजी चिकित्सालयों पर कोई न कोई नियंत्रण हो, इसके लिए हम निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जो सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, यह शिकायत आती है कि सरकारी क्षेत्र में जो चिकित्सक काम करते हैं वो अपने घरों पर भी मरीज देखते हैं। उनको अधिकार है, प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं पर वो कितनी फीस लें? एक प्रोफेसर के पास मैं गया तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे को पांच सौ रुपये देने हैं। एक मैं असिस्टेंट लैक्चरर के पास जाता हूं तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे को दो सौ रुपये देने हैं। कहीं कोई सूचना नहीं है। इसलिए मैं यह घोषणा करता हूं कि जितने भी सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सक अलग-अलग श्रेणियों के हैं, उनकी फीस का निर्धारण पहले हो चुका है, हम दुबारा निर्धारण करेंगे। परन्तु उनको अपने निवास स्थान पर समय, जिस समय मरीज को वो देखेंगे और कितनी फीस वो लेंगे, इसको स्पष्ट तौर पर लिखना पड़ेगा ताकि मनमर्जी फीस वो नहीं ले पाएं। इस काम को भी निश्चित तौर पर हम हाथ में लेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा चली कि बहुत-सी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने रियायती दर पर जमीन ली, एक रुपया टोकन में भी जमीन ली, और माननीय सदस्य विश्नोई जी ने तो यह बात यहां तक कह दी, और टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने, कि हमने सरकार में आने के बाद पांच-सात बड़े जो हास्पिटल हैं उनकी जांच करवाई और जांच करने के बाद

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कोई कार्यवाही नहीं की। यह सही है, पांच बड़े हास्पिटल्स पर हम लोगों ने कहा कि ये किस प्रकार काम कर रहे हैं, उसकी हमने जब जांच कराई तो जांच में यह पाया गया कि ये संस्थाएं, इनमें सेवा का भाव तो न जाने कहां चला गया, व्यवसाय का भाव बहुत आगे आ गया। जो कंजूमेबल आर्टिकल्स हैं और दूसरे आर्टिकल्स स्टेण्ट लगना आदि, इनकी प्राइस बाजार से चार गुना ज्यादा ले रहे हैं। हमने इन सबके खिलाफ न्यायालय के अन्दर इस्तगासा दायर करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, वो भी हम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दस वर्षों में 28 चिकित्सा संस्थानों ने सिर्फ जयपुर विकास प्राधिकरण से जमीन ली है। जमीन लेते वक्त इन्होंने सबने यह कहा कि हम इतना प्रतिशत आउटडोर में और इतना प्रतिशत इनडोर में पेशेंट को फ्री में देखेंगे। पर इस काम को करता कोई नहीं है। इस बार हमने तय किया है कि हम इन निजी चिकित्सालयों में हैल्प डैस्क भी चलाएंगे और एक रोगी मित्र नियुक्त करेंगे। वे रोगी मित्र इन हास्पिटल्स में जाएंगे और जाकर इसका व्यापक प्रचार करेंगे कि यह हास्पिटल निजी हास्पिटल तो है, पर इन्होंने तय कर रखा था, जब जमीन हमसे ली, एम.ओ.यू. हमसे किया, कि इतने प्रतिशत इनडोर, इतने प्रतिशत आउटडोर पेशेंट्स को देखेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस व्यवस्था को लागू करें। निजी चिकित्सा संस्थान जिन्होंने रियायती दरों पर जमीन ली है, यह निश्चित जो प्रतिशत तय हुआ था, उस प्रतिशत के अनुसार इन मरीजों को देखें, इसके लिये भी हम कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ निजी क्षेत्र के अन्दर चिकित्सा और स्वास्थ्य में लोगों ने इन्वैस्ट किया, आये। इसमें तो शक नहीं है कि इन दिनों में सामाजिक मूल्य गिरे हैं, व्यवसाय का भाव आया। पर फिर भी जिस प्रकार का भार सरकारी चिकित्सालयों पर बढ़ता जा रहा है, बहुत जरूरी है। 2006 के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, एक policy to promote private investment in health care facilities माननीय वसुंधराजी ने जारी की थी। उसमें जो निवेश करता है, उसको कुछ छूट देने के प्रावधान भी किये थे। कांग्रेस सरकार ने आकर उन छूट देने के प्रावधानों को हटा दिया। उसके बाद इन क्षेत्रों में कोई निवेश आया नहीं। अब आने वाले तीन महीनों में हम policy to promote investment in health care facility, इस नई नीति को लेकर आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जहां कुछ ऐसे लोग भी इस क्षेत्र में आकर निवेश करके, फैसिलिटीज क्रिएट करें तो उसके लिये भी हम करेंगे।

इन वर्षों में आपने देखा है, गांव का पलायन लगातार शहरों की तरफ हो रहा है। शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। गांव का व्यक्ति अपनी मजदूरी करने के लिये, दो जून रोटी कमाने के लिये जब शहर की ओर आता है तो उसको जो ठौर-ठिकाना मिलता है, कच्ची बस्ती उसका आशियाना बनती है। अध्यक्ष महोदय, वहां जिस प्रकार का अनहाइजीनिक वातावरण है, उसमें बीमारियां भी फैलती हैं, बीमार भी होता है। इसलिये इस बार जितने जिला मुख्यालय हैं, उन सारे जिला मुख्यालयों पर हम 102 शहरी डिस्पेंसरी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलेंगे। इन जिला मुख्यालयों में जहां-जहां हमें आवश्यकता होगी, 50 हजार की आबादी पर एक खोलेंगे। अगर हमें जमीन उपलब्ध हो गई तो 75 लाख रुपये भवन निर्माण के लिये भी देंगे। इसके लिये 76.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके लिये शहरों में डिस्पेंसरियां बनी हुई हैं, बरसों से बनी हुई हैं। कोई एक कमरों में चल रही है, कोई दो कमरों में चल रही है। इन सारी डिस्पेंसरियों के अपग्रेडेशन के लिये दस लाख रुपये प्रति डिस्पेंसरी की दर से हम 82 शहरी डिस्पेंसरियों को क्रमोन्नत करेंगे। इसके लिये 84.70 करोड़ रुपये के प्रावधान की मैं घोषणा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां नये मेडिकल कालेज को लेकर चर्चा चली। माननीय सदस्यों ने कहा कि मेडिकल कालेज खोलने की बात यू.पी.ए. सरकार की बहुत बड़ी देन थी। अध्यक्ष महोदय, 67 वर्ष में सात मेडिकल कालेज हैं राजस्थान में। इन 67 वर्षों में भी जो दो मेडिकल कालेज आखिर में खुले कोटा और झालावाड़, इसके अन्दर भी भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। यानी इतने वर्ष शासन पर शासन करते चले गये, पांच मेडिकल कालेज खोल पाये। यह सात महीने की वसुंधराजी की सरकार का कमाल है कि इसने सात मेडिकल कालेज खोल दिये। अध्यक्ष महोदय, ये कागजों में नहीं हैं मेडिकल कालेज। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमारे साथ एम.ओ.यू. किया है। दिल्ली जाकर हमने एम.ओ.यू. पर दस्तख्त किये हैं। 189 करोड़ रुपये हर मेडिकल कालेज के लिये स्वीकृत हो रहे हैं। 75 प्रतिशत राशि गवर्नमेंट आफ इंडिया हमें दे रही है, 25 प्रतिशत हम दे रहे हैं। आने वाले दो महीनों में हम इन सातों मेडिकल कालेज के लिये जमीन चिह्नितीकरण के काम को पूरा कर लेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारा प्रयास होगा कि आने वाले दो वर्षों में इनकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाए। इनमें बच्चों का प्रवेश हो जाए। ये मेडिकल कालेज सातों जगह पर कागजों में नहीं रह जाएं, जिस तरह 15 पहले रह गये। ये वास्तव में कार्यरूप में परिणत हो जाएं, इसके लिये हम कोशिश करेंगे। मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि सात नहीं इनके साथ एक आठवां और है जो हमारा यहां का राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है। इसके साथ जुड़ा हुआ मेडिकल कालेज, उस मेडिकल कालेज के लिए भी हमें स्वीकृति मिल गई। आने वाले इसी सत्र के अन्दर हम उसको प्रारम्भ कर रहे हैं, सौ बच्चों का उसमें एडमिशन करेंगे। इस काम को भी हम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने चिंता की थी बाल स्वास्थ्य की। बात भी सही है, अगर हमारा बच्चा स्वस्थ है तो हमारा भविष्य स्वस्थ है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट के अन्दर 30 करोड़ 18 लाख रुपये देने की घोषणा की थी बालक और बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये। हम 2 अक्टूबर से एक करोड़ 70 लाख, एक-दो नहीं, एक करोड़ 70 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे कि डैफिशिएंसी क्या है उनमें, डिजीज क्या है उनमें, डवलपमेंट डिले क्यों हो रहा है, डिस्एबिलिटी क्या है। इसके लिये हम पूरे प्रदेश में 512 टीमें बना रहे हैं। हर टीम के अन्दर दो डाक्टर होंगे। इन सारे परीक्षण को करने के पश्चात् इन बच्चों में किसी भी प्रकार की, जिस तरह मैंने पहले कहा, डैफिशिएंसी, डिजीज, डवलपमेंट डिले और डिस्एबिलिटी पाई जाएगी तो सरकार इन सब चीजों का मुफ्त में इलाज हमारे सम्बन्धित चिकित्सालय में कराएगी। इस तरह की बात भी मैं कहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत बड़ी बातें हुईं। बात यह भी हुई कि दुर्घटनाओं का युग आ गया, ट्रोमा का युग है, बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। विशेष तौर पर जब हम आंकड़े देखते हैं तो 2013-14 में 22 हजार दुर्घटनाएं हो गईं। लगभग 10 हजार लोग काल-कवलित हो गये। अभी परिवहन विभाग का मैं एक अध्ययन पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि राजस्थान में रोज 65 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। यह परिवहन विभाग कहता है। 75 घायल होते हैं और 26 लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब दूर कहीं एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले पड़ौस के जिले में जाता है। जिला चिकित्सालय में उसको जे.एस. और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एस.एस. देखता है। फिर वहां से जब यह मरीज आता है हमारे मेडिकल कालेज के हास्पिटल में तो वहां, सही आपने कहा कि रेजीडेंट डाक्टर के हाथ में हमारी इमरजेंसी चलती है। इसलिये मैं यह घोषणा कर रहा हूं कि इसी वित्तीय वर्ष से हमारे सातों मेडिकल कालेज में हम डिपार्टमेंट आफ इमरजेंसी, यह अलग से डिपार्टमेंट चालू कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हो रहा है। अब इमरजेंसी में प्रोफेसर से लेकर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, पूरी यूनिट रहेगी। इस काम को भी हम कर रहे हैं, ताकि जो दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति आए, उसको उच्च स्तर के चिकित्सक की सेवाएं मिल जाएं। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में इंस्टीट्यूट आफ ट्रोमोटोलोजी एण्ड आर्थोपेडिक्स, इसका काम चल रहा है। आगामी चार महीने में इसका काम हम पूरा कर देंगे। इस बार उपकरण के लिये इसको 15 करोड़ 75 लाख रुपये की राशि दे रहे हैं, इसी वर्ष में। सवाई मानसिंह चिकित्सालय को और ट्रोमा सेण्टर को जोड़ने वाला जो भूमिगत मार्ग है, इस वर्ष इसका काम भी हम प्रारम्भ करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के अन्दर आर्गन ट्रांसप्लांट की बात कही है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा पर एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं सिर्फ सवाई मानसिंह चिकित्सालय का आंकड़ा दे रहा हूं। पिछले एक वर्ष में सवाई मानसिंह चिकित्सालय में 34,675 लोग सड़क दुर्घटना से आये। उनमें से 12410 को भर्ती करना पड़ा और 1384 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में जिन लोगों की मृत्यु होती है, इनके आर्गन्स, शरीर के अवयव, ये दूसरे कइयों की जिंदगी बचा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरे विकसित देशों में बहुत वर्षों से ब्रेन डैथ होने के बाद आर्गन ट्रांसप्लांट और दूसरी सब चीजें हैं। अपने भी सवाई मानसिंह चिकित्सालय में एक किडनी ट्रांसप्लांट होती है। पचास से ज्यादा लोग भर्ती होते हैं उसमें से पूरे महीने में पांच-सात के आपरेशन इसीलिए हो पाते हैं कि डोनर नहीं मिलता। इसी तरह यह बोन-मैरो ट्रांसप्लांट, इसमें भी डोनर नहीं मिलने के कारण यह काम भी आगे नहीं बढ़ता। इसलिये हम इस वित्तीय वर्ष में इंस्टीट्यूट आफ आर्गन ट्रांसप्लांट की स्थापना करने की बात जो मुख्य मंत्रीजी ने कही, उसको पूरा करेंगे। इसके लिये जो रजिस्ट्री प्रकोष्ठ का गठन है, उसको पूरा करेंगे। पहले किडनी और बोन-मैरो के बाद हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान में सवाई मानसिंह चिकित्सालय में लिवर, फेफड़े, इन अन्य अंगों का भी ट्रांसप्लांट हो जाए। इसके लिये हम निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे।

अभी कैंसर के बारे में माननीय सदस्य कह रहे थे। अभी जो अध्ययन आया, 2012 में अध्ययन हुआ है, पूरी दुनिया के अन्दर जो डैथ हुई हैं, 14.6 फीसदी डैथ कैंसर के कारण हुई हैं। राजस्थान में सिर्फ मेडिकल कालेज से जुड़े हुए चिकित्सालयों का आंकड़ा हम देख लें तो 12-13 में एक लाख 54 हजार 76 मरीज भर्ती हुए हैं। कैंसर मेलिगनेंट और बिनाइन कैंसर, इन कैंसर के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए इस बार राजस्थान के अन्दर तीन कैंसर इंस्टीट्यूट प्रारम्भ करने की बात मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह कही, राज्य स्तरीय कैंसर संस्थान जयपुर में स्थित होगा, जिसमें न केवल कैंसर के उपचार हेतु नवीनतम एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की तकनीकी प्रयोग में लाई जाएगी, अपितु कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में अंशदान और शोध कार्य किया जाएगा। प्रारम्भिक तौर पर केन्द्र की स्थापना के लिये 120 करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।

इसके अलावा बीकानेर और झालावाड़ में भी टर्सरी केयर कैंसर सेंटर और प्रत्येक कैंसर सेंटर पर 45 करोड़ रुपए व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका काम भी हम निश्चित तौर पर हाथ में लेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत लम्बी-चौड़ी बात चली। प्रतिपक्ष के नेता ने कह दिया कि बेटी बचाओ अभियान आपने चलाया इसका तो स्वागत करते हैं, पर ब्रांड एम्बेसेडर के नाम पर आपकी मानसिकता वही राजा-महाराजाओं की है। आपने सवाईमाधोपुर से आने वाली माननीया सदस्या को ब्रांड एम्बेसेट्रेस बना लिया, उनके तो पुत्री है ही नहीं। उनके पुत्री है, आठवीं कक्षा में पढ़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तय किया है कि 02 अक्टूबर के बाद राजस्थान में कोई भी पुत्री पैदा होगी तो माननीया मुख्य मंत्रीजी का सचित्र बधाई संदेश उनके पास पहुंचाएंगे ताकि उनको लगे कि पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, शुभ लक्ष्मी हमारी योजना है, उसके अन्दर हम जो 7300 रुपए देते हैं ये 7300 रुपए तीन किश्तों में देते हैं, उसमें कई तरह की विसंगतियां आ जाती हैं। इन तीन किश्तों का भुगतान भी, अब आने की आवश्यकता नहीं है, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल आनलाइन हो जाए, इसकी भी हम निश्चित तौर पर कोशिश कर रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में आशा सहयोगिनियों की बात भी चली। 47 हजार आशा सहयोगिनियों की हमारी चिकित्सा-स्वास्थ्य सेवाओं में की-वर्कर के रूप में अहम भूमिका है। इनको हम प्रोत्साहन राशि देते हैं। बहुत लम्बे समय से राशि नहीं मिली, काफी बार ये लोग हम से मिल चुकी हैं। आंदोलन भी कर चुके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि जितना भी इनका बकाया है, आने वाले 20 दिन में सारा बकाया इनको दे देंगे 47 हजार आशा सहयोगिनियों को। और अब इनका भुगतान भी हम आन-लाइन कर देंगे ताकि बार-बार यह बात सामने नहीं आए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यह जो सवाई मानसिंह चिकित्सालय है, इसके अन्दर 400 बैडेड काटेज वार्ड, इसके निर्माण का काम भी 59 करोड़ की लागत से हम प्रारम्भ करेंगे जिसमें हम भामाशाह का सहयोग भी ले रहे हैं और सरकार भी सहयोग कर रही है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय की जो मोर्चरी है, उसके बारे में कई प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं, मोर्चरी के आधुनीकरण के लिए इस बार 2 करोड़ रुपए व्यय करना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जे.के. लोन चिकित्सालय, जयपुर में इसी वित्तीय वर्ष में पी.पी.पी. मोड पर सीटी स्कैन और और एम.आर.आई. मशीन की स्थापना की जाएगी। साथ में, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिडियाट्रिक्स हिमेटोआन्कोलोजी विभाग हम प्रारम्भ कर रहे हैं। एक मदर वार्ड प्रारम्भ कर रहे हैं। एक मदर मिल्क बैंक। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तब मदर का जो मिल्क है इसका उपयोग कैसे हो? यह अमृत है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हम एक बैंक स्थापित कर रहे हैं ताकि जो कुपोषित बच्चे हैं, उस मिल्क को पिला कर उन बच्चों को ठीक किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय दंत महाविद्यालय, जयपुर में जो बी.डी.एस. की सीटें हैं उनको 40 से बढ़ाकर 100 किया जाना इस वर्ष प्रस्तावित कर रहे हैं। जो एम.डी.एस. की सीटें हैं, वे 12 से बढ़ाकर 45 करना प्रस्तावित कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे उदयपुर मेडिकल कालेज का चयन इस बार पी.एम.एस.वाई योजना में किया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गया है। इस पर, गुलाबजी भाई साहब, 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाने प्रस्तावित हैं। इसमें एक गैस्ट्रो-एंट्रोलोजी सर्जिकल, गैस्ट्रो-एंट्रोलोजी, यूरोलोजी, नैफ्रोलोजी, कार्डियोलोजी, कार्डियोथोरोसिक, इनका उच्चीकरण किया जाएगा। 150 करोड़ रुपए, माननीय अध्यक्ष महोदय, 'भूतो न भविष्यति', उदयपुर में कभी इतना पैसा नहीं मिला।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में जो ट्रोमा सेंटर अधूरा पड़ा है, लम्बे समय से अधूरा पड़ा है, उसको इसी वित्तीय वर्ष में हम प्रारम्भ करेंगे। बीकानेर पश्चिम से आने वाले माननीय सदस्य यूरोलोजी विभाग की चिंता कर रहे थे, उसको भी इसी वर्ष में हम प्रारम्भ करेंगे। बीकानेर में मोर्चरी को आधुनिक रूप देने के लिए भी 66 लाख रुपए हम देंगे।

कोटा मेडिकल कालेज, नया मेडिकल कालेज है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी मल्टी डिस्पेलेरी रिसर्च लैब में भी साढ़े पांच करोड़ रुपए का प्रावधान इस वर्ष किया है। कोटा मेडिकल कालेज में डाइलिसिस मशीन के लिए 70 लाख रुपए स्वीकृत कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाली हमारी माननीया सदस्या, हमारी जीजी कह रही थीं कि जोधपुर में एम.सी.एच. विंग बनकर तैयार हो गई। जीजी, इसी वित्तीय वर्ष में न केवल उसको ट्रांसफर करेंगे बल्कि उसको क्रियाशील भी करेंगे। और आपके महात्मा गांधी चिकित्सालय में सीटी स्कैन और एम.आर.आई. मशीन पी.पी.पी. मोड पर लगाने का काम भी इसी वित्तीय वर्ष में करेंगे। झालावाड़ में 45 करोड़ की लागत से टी.सी.सी. कैंसर सेंटर बनेगा, इसकी घोषणा भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार पिछली सरकार ने दनादन-दनादन पी.एच.सी., सी.एच.सी. कई खोल दीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो घोषणा करूंगा वह घोषणा जब तक हमें पूरे मानव संसाधन नहीं मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि केवल कागजों में खोल दीं, सी.एच.सी. खुल गई, पी.एच.सी. खुल गई, कई माननीय सदस्य खुश हो गये। मैं घोषणा कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष में 40 पी.एच.सी., 35 सी.एच.सी. खोलना प्रस्तावित कर रहा हूं। इसके साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1079 सब-सेंटर, 100 पी.एच.सी. और 25 सी.एच.सी. के भवन-निर्माण का काम भी साढ़े चार सौ करोड़ रुपए की लागत से हम हाथ में इसी वित्तीय वर्ष में लेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2012-13 में भारत सरकार ने प्रतापगढ़, अलवर में ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, झुन्झुनूं, नागौर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर और बारां में जी.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर खोलने की हमें स्वीकृति दे दी थी। पर इनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए था राजस्थान सरकार से। बहुत छोटा-सा काम था। पर एक बार अख़बार में आने के बाद पूर्ववर्ती सरकार की यह आदत पड़ गयी थी कि अख़बार में आ गयी, वाहवाही ले ली, एक विज्ञापन जारी हो गया, कुछ नेताओं का मुस्कराते हुए फोटो छप गया, खतम। मैं इन सातों केन्द्रों को इसी साल प्रारम्भ करने की घोषणा कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको हम प्रारम्भ कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोई ऐसा कंट्रोल रूम होना चाहिए जिस कंट्रोल रूम में हम विधायक महोदय टेलीफोन करें, हमारे इलाके के लोग आएं बीमार तो डाक्टर्स से अपाइंटमेंट मिल जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशालय में एक इस तरह का केन्द्र स्थापित करने की, कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा कर रहा हूं जिसके अन्दर पूरे दिन एक सक्षम अधिकारी बैठेगा। माननीय सदस्य उनको अगर टेलीफोन करेंगे तो उनको लिखेंगे, उनका जिस डाक्टर से जिस मरीज को अपाइंटमेंट दिलाना हो तो दिलाएंगे, आपको सूचित करेंगे। एक रजिस्टर मेनटेन होगा, इस सारी व्यवस्था को भी हम निश्चित तौर पर लागू करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां जयपुर के अन्दर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से गणगौरी बाजार में चिकित्सालय का निर्माण हुआ था। वर्षों से चल रहा था। आज भी हमारे बजट के अन्दर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, गणगौरी बाजार के नाम से बजट हैड है। महापुरुष न किसी एक दल की बपौती हैं और न किसी दूसरे की, राजनीतिक विचार के नजरिए से इनको नहीं देखना चाहिए। परन्तु पूर्ववर्ती सरकार ने न जाने क्यों पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम आ गया इसलिए इसको हटा दिया। मैं घोषणा करता हूं कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम वापस उसमें लिखेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, झोटवाड़ा से, वैशाली नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की थी कि झोटवाड़ा के अन्दर रैफरल हास्पिटल बनना था, जिसकी घोषणा पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के समय में हो गयी थी परन्तु जमीन का विवाद होने के कारण से उसमें आगे प्रगति नहीं हुई। माननीय सदस्य अगर जमीन के विवाद का निपटारा करा देंगे तो निश्चित तौर पर उस पर भी विचार करेंगे। (व्यवधान) विद्याधर नगर, विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही थी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): पास में ही बैठा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): झोटवाड़ा में जमीन के विवाद का अगर आप सुलटारा करवा देंगे तो निश्चित तौर पर वहां आपकी जो स्वीकृति है सी.एच.सी., उसको बनाने के लिए हम आगे करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात समाप्त करूं उसके पहले सिर्फ चार-पांच मिनट और लूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा पद्धति का जनक भी हमारे देश को माना गया है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में अगर इस पद्धति का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वह राजस्थान में है। राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के 4026 'आयुष' चिकित्सालय, औषधालय वर्तमान में कार्यरत हैं। परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई नीति नहीं। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा इनका किस तरह से संवर्धन करें, किस तरह इनका नियोजित विकास हो, इसकी कोई नीति नहीं। इसलिए मैं घोषणा कर रहा हूं कि आगामी वर्ष में राज्य में 'आयुष' नीति बनायी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आपने देखा होगा कि राजस्थान हमेशा पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। यहां के कण-कण में इतिहास छुपा है। उस इतिहास को देखने और पढ़ने के लिए लोग आते हैं। जब यहां पर पर्यटक आता है, देशी-विदेशी पर्यटक, तो अच्छी होटलों का व्यवसाय भी इन वर्षों में बढ़ा है। जब होटल में जाता है तो वहां पर लिखा है कि पंचकर्म से यहां पर मालिश की जाती है। जो भी स्पा, मालिश, मसाज यह है परन्तु वह करता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है। इसलिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से 12वीं पास जो छात्र होगा, उसके लिए एक वर्षीय पंचकर्म तकनीकी सहायक पाठ्यक्रम हमने बनाया है, उसको इसी वित्तीय वर्ष से लागू करेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पाठ्यक्रम में हम 12वीं पास बच्चों को जब यह ट्रेनिंग दे देंगे पंचकर्म की, तो उसको रोजगार भी मिलेगा। आज जो अप्रशिक्षित व्यक्ति कर रहा है। इसी तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के तत्वावधान में एक वर्ष का योग डिप्लोमा कोर्स हम प्रारम्भ करेंगे। चार वर्ष का बी.एससी. और नर्सिंग आयुर्वेद का प्रशिक्षण भी हम प्रारम्भ करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचकर्म की पद्धति की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इसलिये इसी वर्ष 10 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में हम पंचकर्म पद्धति को प्रारम्भ करेंगे- अजमेर, कोटा, चूरू, झालावाड़, जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, अभी यहां मांग उठी कि यूनानी चिकित्सा के बारे में सरकार कतई गम्भीर नहीं है। टोंक जिला मुख्यालय पर 60 बैडेड यूनानी चिकित्सालय पर उपचार, इसको हम इसी साल प्रारम्भ करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक चिकित्सा की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए 10 जिला मुख्यालय में आयुर्वेद चिकित्सालय परिसर के अन्दर हम प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र भवन का निर्माण करेंगे, जिस पर 3 करोड़ की लागत आएगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आरोग्य मेला अभी जयपुर में आयोजित किया। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 5 लाख से ज्यादा लोग आये। हम उन आरोग्य मेलों को अजमेर, उदयपुर में पांच दिवसीय करेंगे। इसके लिये 40 लाख की स्वीकृति हुई है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, डोडा पोस्त के नशे को एक तरह से सामाजिक मान्यता मिल गयी है। आपको मालूम है, अध्यक्ष महोदय, यूनाइटेड नेशंस के साथ भारत सरकार की एक ट्रीटी हुई थी, जिसमें भारत सिग्नेटरी है। उसके अनुसार हमारा जो एन.डी.पी.एस. एक्ट है, उसके अन्दर संशोधन हो गया और 31 अप्रेल, 2015 तक डोडा-पोस्त सेवन बंद होना है राजस्थान के अन्दर। अब, अध्यक्ष महोदय, अगर वास्तविक रूप से देखें तो 2 लाख से ज्यादा लोग इसका सेवन किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, डोडा-पोस्त नशा मुक्त करने के लिये नशा मुक्ति शिविर इन व्यसनियों के लिए लगाएंगे। 10 करोड़ की लागत उस पर आएगी। 648 शिविरों का आयोजन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आगामी वितीय वर्ष में करेंगे। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में भी इस सम्भाग के 6 जिलों को लाने की बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां अभी बात चली, माननीय सुखराम जी ने कहा कि एक महीने में इंजेक्शन के अन्दर बहुत बड़ा घोटाला हो गया। अध्यक्ष महोदय, और किसी में आते तो मैं लम्बी-चौड़ी बात कर लेता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसके अन्दर मैंने जो प्रारम्भिक जांच की है, इसमें ऐसी कोई शिकायत पाई नहीं गई। इसमें 31.3.2014 को एन आई टी हुई थी। बारसिरम नाम की कम्पनी की एकल बिड आई थी 748 रुपये प्रति इंजेक्शन के अनुसार। नेगोसियेशन करके 662 आई। यह इंजेक्शन दो रूप में काम में आता है। एक तो पाउडर है, एक लिक्विड है। हमने पाउडर इसलिये लिया था कि लिक्विड इंजेक्शन को दो से चार डिग्री के टैम्प्रेचर में रखना पड़ता है। यह सारी सुविधा है नहीं। और, अध्यक्ष महोदय, वर्षा ऋतु आ रही थी, इसलिये इसको खरीदना भी जरूरी था। हमने जिसको आर्डर दिया है, उसमें कैप लगा रखी है कि जो नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइस अथोरिटी है, जिसको एन पी पी ए कहते हैं, भारत सरकार जो निर्धारण करती है दवाई के मूल्य को पूरे देश में, हमने उसमें लगा रखा है कि चाहे वह कोट कितनी ही राशि करे, उसको राशि मिलेगी एन पी पी ए जो तय करेगी उसमें, वह यह जो इंजेक्शन है इसकी एन पी पी ए ने राशि तय की नहीं। पर फिर भी हमने इसको कोई पेमेंट नहीं किया है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इसमें इस तरह की कोई बात होगी तो आगे बढ़कर मैं खुद ही इनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव दिये, उन कटौती प्रस्तावों के उत्तर भी मैंने तैयार कर लिये। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, आने वाले एक महीने के अन्दर जो हमारे पी.एच.एस. हैं, हमारे हैल्थ सैक्रेटरी हैं, उस स्तर के अधिकारी का आपके पास टेलीफोन आएगा। आपने जो सदन के अन्दर कहा है, हम उसको पढ़ेंगे, मूल्यांकन करेंगे, आपसे राय लेंगे और आपके कथन के अनुसार अगर हमें कहीं जाना होगा तो जाएंगे, पर आपके सुझावों को रचनात्मक दृष्टि से देखेंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इन सारी समग्र परिस्थितियों के अन्दर मेरी प्रार्थना है और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा सदन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को, कि जिस प्रकार की विसंगतियों से भरा हुआ यह विभाग है और जो आम व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ा हुआ विभाग है, इसमें बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है, इसको बिना किसी राजनीतिक चश्मे से देखें इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। जो कमियां हैं, उनके लिये भी मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे मानव संसाधनों की कमी है, उनको पूरा करने के लिये जो रोड मैप की आज हमने घोषणा की है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि मांग को स्वीकार किया जाए।

श्री अध्यक्षः श्री हेमसिंह भड़ाना।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-32 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, मैं आभार प्रकट करता हूं उन सभी सदस्यों का, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से एक-एक बिन्दु को छुआ और अपनी बात सदन के माध्यम से रखी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब 77 माननीय सदस्यों के द्वारा 183 कटौती प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए हैं। उन पर विभाग द्वारा सम्पूर्ण रूप से मनन करके दो दिन के अन्दर-अन्दर उन सभी माननीय सदस्यों को उत्तर भिजवा दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन में विभाग की प्रमुख गतिविधियों के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2013 में बनाकर एक वर्ष की अवधि के लिये सभी राज्यों में लागू करने के लिये कहा गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना था। सम्भवतः योजना के चलते राजस्थान में इस अधिनियम को 2 अक्टूबर, 2013 को लागू किया गया। परिणामतः योजना में निर्धारित मापदण्डानुसार राज्य की ग्रामीण आबादी 5 करोड़ 15 लाख 532 के 69.9 प्रतिशत चयन का मापदण्ड रखा गया था। उसके स्थान पर 87.86 प्रतिशत 4 करोड़ 52 लाख 47 हजार 311 शहरी आबादी, जिसका कि 53 प्रतिशत मापदण्ड रखा था, उनके विरुद्ध राजस्थान में टोटल 5 लाख 31 हजार 622 लाभार्थियों का चयन हो गया, जबकि केन्द्र सरकार के मापदण्डों के अनुसार 446 लाख यूनिट व्यक्तियों का चयन होना था। अत्यधिक जल्दबाजी

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

में किये गये इस चयन से राज्य को 2 करोड़ 75 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता हुई। इस स्थिति से निपटने के लिये प्रति परिवार को अंत्योदय योजना में 35 किलो और पर यूनिट 5 किलोग्राम देने का प्रावधान था।

मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि योजना के निर्धारित मापदण्ड से अधिक चयन किये गये व्यक्तियों को माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा संशोधित बजट प्रावधान 2014-15 में की गयी घोषणा के अनुसार राज्य में इस योजना को मूल भावना के अनुरूप लागू करने की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण चयन समीक्षा कर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अनुमत चयन की सीमा में रखे जाने हेतु सरकार द्वारा दिनांक 15-7-2014 को अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स कमेटी का गठन कर दिया गया है। उक्त टास्क फोर्स इस योजना के अन्तर्गत समावेश व निष्कासन के मापदण्डों की समीक्षा कर अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। टास्क फोर्स द्वारा दिये सुझावों के अनुरूप योजना में पूर्ण जल्दबाजी किये जाने को दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही कुष्ठ रोग, आश्रमवासी, घुमन्तू, भेड़पालकों जैसी श्रेणी वर्ग के पात्र परिवारों में शामिल करने पर भी विचार किया जाएगा। यह कार्यवाही आगामी माह से आयोजित होने वाले भामाशाह का नामांकन विशेष शिविरों में व्यक्तियों के सत्यापन के आधार पर करायी जानी है, जिससे योजना के लाभार्थियों को सत्यापन की समीक्षा व चयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

डिजिटल राशन कार्ड, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य में वर्ष 2001-02 में राशन कार्ड बन कर उपभोक्ता को वितरित किये गये थे। 10 वर्ष के बाद डिजिटल राशन कार्ड बनाये जाने की प्रक्रिया चालू हुई। 26 सितम्बर, 2012 को 11 विभिन्न फर्मों द्वारा राशन कार्ड तैयार करने के आदेश दिये गये। विभाग द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार उक्त फर्मों को फरवरी, 2013 तक राशन कार्ड बना कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने थे परन्तु निर्धारित सीमा समाप्त होने के बावजूद भी, नई सरकार के गठन के बाद 2014 में डिजिटल राशन कार्डों की समीक्षा करने पर पाया गया कि निर्धारित समयावधि की समाप्ति के एक वर्ष पश्चात् भी 21 प्रतिशत परिवारों के नये राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराये जा सके। इसके बाद विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल निर्णय दिनांक 3.3.2014 के अनुसार राशन कार्ड बना कर वितरण किये जाने की अवधि 30

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

सितम्बर, 2014 तक बढ़ायी गयी है। विभाग द्वारा सभी, 11 फर्मों के प्रतिनिधियों, जिला रसद अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित कर राज्य में वितरित किये गये राशन कार्डों को गति प्रदान की गयी है। (व्यवधान)

गड़बड़ी पर आ रहा हूं।

वर्तमान में एक करोड़ 77 लाख राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य के विरुद्ध एक करोड़ 37 लाख राशन कार्ड बना कर उपलब्ध करवा दिये गये हैं जो लक्ष्य का 76 प्रतिशत है। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि कुछ जिलों जैसे सीकर, झुन्झुनूं, हनुमानगढ़, राजसमंद, कोटा, सिरोही आदि में शत-प्रतिशत राशन कार्ड बनाये जा चुके हैं। विभाग का पूरा प्रयास है कि निर्धारित अवधि सितम्बर, 2014 तक समस्त उपभोक्ताओं को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये जाएंगे। (व्यवधान)

आ रहा हूं गड़बड़ी पर आ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: शांत रहें। आपसी बातचीत नहीं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा राशन कार्ड वितरण में की गयी त्रुटियों के बारे में काफी प्रश्न उठाये गये तथा सदस्यों ने गहरी चिंता व्यक्त की। मैं सदन को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि ऐसे त्रुटिपूर्ण राशन कार्डों को वापस सम्बन्धित फर्म को उपलब्ध कराया जाकर इसकी दुरुस्ती कर शुद्ध राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने की पुख्ता व्यवस्था की गयी है। अब तक 25 लाख त्रुटिपूर्ण राशन कार्ड वितरित होने की सुचना प्राप्त हुई है जिन्हें सम्बन्धित फर्मों को उपलब्ध कराया जाकर दुरुस्ती की प्रक्रिया प्रगति पर है।

मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि आगामी समय में आयोजित होने वाले भामाशाह-किस तरह करेंगे, मैं बता रहा हूं-भामाशाह कार्ड नामांकन शिविरों में त्रुटिपूर्ण राशन कार्ड के लिए उपभोक्ताओं से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाकर इसका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारियों को दुरुस्ती के लिए उपलब्ध करवाये जाएंगे।

मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि डिजिटल राशन कार्ड बना कर वितरित किये जाने का कार्य पूर्ण होने पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा तैयार किये गये कम्प्यूटर कार्यक्रम के तहत इन सभी की

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

जांच करायी जाएगी तथा किसी भी परिवार के एक से अधिक स्थान पर बनाये हुए राशन कार्ड की पहचान की जा कर एक से अधिक बनाये गये राशन कार्डों को निरस्त करने की कार्यवाही भी की जाएगी।

मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हम से पहले पूर्ववर्ती सरकार के समय में उपभोक्ता पखवाड़ा सात दिवस का होता था, उपभोक्ता दिवस, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी, हमने आम आदमी को सस्ती सुलभ सेवा उपलब्ध कराने की आवश्यकता को देखते हुए उचित मूल्य की दुकान का पखवाड़ा कर दिया और 16 तारीख से लेकर महीने की अंतिम तारीख तक पी.डी.एस. की दुकान खुली रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की स्थापना राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुशल प्रबन्धन एवं उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं सफलतापूर्वक वितरण सुनिश्चित करने के प्रयोजन से की गयी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के पश्चात् इस प्रणाली का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान में राज्य में 19,500 उचित मूल्य की दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 6203 शहरी क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बहुत बड़ा संगठित तंत्र है जिसकी पहुंच समाज के अंतिम छोर के निर्धन व्यक्ति तक है। यही नहीं, बल्कि बाढ़, अकाल, अग्निकांड आदि प्राकृतिक विपदाओं में भी उचित मूल्य की दुकानों के मार्फत पीड़ित व्यक्तियों को खाद्यान्न एवं कैरोसीन आदि की तात्कालिक सहायता तुरन्त उपलब्ध करायी जाती है। राज्य सरकार का प्रयास है कि किसी भी उपभोक्ता को अपने निकटतम स्थान पर उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सम्भव हो सके।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए संचालित की जाने वाली उचित मूल्य की दुकानों के लिए प्रत्येक 500 परिवारों पर उचित मूल्य दुकान संचालित की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने समय के आवश्यकतानुसार राज्य में करीब 2500 उचित मूल्य की दुकानें नवसृजित किये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार वर्तमान में रिक्त चल रही, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि वर्तमान में चल रही 1232 दुकानें व नवसृजित होने वाली 2500 दुकानों के डीलर की नियुक्ति

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

तुरन्त प्रभाव से पात्र व्यक्तियों को, आवेदकों को रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा।

मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि बदलते समय के साथ तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर माननीय सदस्य और अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की जा रही आशंका व अनियमितताओं की शिकायतों के बाद यह अति आवश्यक है कि उचित मूल्य की दुकान का प्रबन्धन और भी अधिक कुशलता से किया जा सके। अत: वर्तमान में उचित मूल्य की दुकान के डीलर की नियुक्ति हेतु आवेदक को बारहवीं कक्षा का उत्तीर्ण होना, कम्प्यूटर की न्यूनतम जानकारी आवश्यक योग्यता में रखा गया है।

इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सूचना तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से आवश्यक वस्तुओं के विघटन को रोकने की दिशा में छत्तीसगढ़, जैसे हमारे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया, छत्तीसगढ़, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों में किये गये सफल प्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान में भी इस प्रकार के तकनीकी यंत्र को विकसित कर गोदाम से उचित मूल्य की दुकान तक सामग्री पहुंच एवं लक्षित उपभोक्ता को समय पर वितरण भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानों के मार्फत खाद्यान्न, चीनी, कैरोसीन का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से नान पी.डी.एस. वस्तुएं जिनमें चाय, नमक, मिर्च, मसाले, पाउडर, साबुन आदि वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था भी शीघ्र प्रारम्भ की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नीला कैरोसीन राज्य के उपभोक्ताओं को ...

एक माननीय सदस्य: टेबल कर दो।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं तो टेबल क्या वैसे ही बोल दूंगा, नीचे रख कर बोल दूंगा सारे।

वर्तमान में त्रैमासिक आधार पर 42,396 किलो लीटर कैरोसीन आबंटित किया गया है जिसकी आनुपातिक मात्रा में आबंटित किया जाकर शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं को तीन लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह 17.25 रुपये पर प्रति लीटर उपलब्ध कराया जा रहा है।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों यथा इण्डियल आयल कारपोरेशन, भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन तथा हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन के 3103 रिटेल आउटलेट संचालित हैं तथा अन्य प्राइवेट क्षेत्र में 230 आउटलेट संचालित हैं जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को पैट्रोल एवं डीजल उपलब्ध कराया जाता है।

(21.00 बजे)

समर्थन मूल्य पर खरीद- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर खाद्य निगम तथा नैफेड के लिए अनाज एवं कृषि उपजों में खरीद की सक्रिय भूमिका निभाता है। वर्ष 2013-14 में निर्धारित लक्ष्य 18 लाख मैट्रिक टन के विरुद्ध राज्य में 21.59 लाख मैट्रिक टन की रिकार्ड खरीद की गयी। खरीदे गये गेहूं के लिए 14 सौ रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के अलावा राजस्थान सरकार द्वारा, यह बताते हैं न बोनस की बात, डेढ़ सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस का भुगतान किया गया। राज्य सरकार द्वारा घोषित बोनस के पेटे कुल 323.83 करोड़ का भुगतान किसानों को सीधे उनके खाते में चैक द्वारा किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि खरीद विपणन वर्ष 2013-14 में मूंगफली का न्यूनतम समर्थन 400 रुपये प्रति क्विंटल घोषित था जबकि इसके बाजार भाव 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल थे। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के संगठन नैफेड के लिए खाद्य विभाग ने नोडल विभाग के तौर पर राज्य में 1 लाख 78 हजार 747 मैट्रिक टन मूंगफली की खरीद की, 10 साल में पहली बार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि अलवर जिले में गेहूं की खरीद विकेन्द्रीकरण खरीद योजना के तहत की जा रही है जिसके लिए राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग निगम को नोडल एजेंसी तथा राजफैड को क्रय एजेंसी निर्धारित किया गया है। विकेन्द्रीकरण खरीद योजना के अन्तर्गत अलवर जिले में रबी विपणन 2014-15 में 89095 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गयी, जबकि गत वर्ष मात्र 54240 मैट्रिक टन। इस बार लगभग 90 हजार मैट्रिक टन हम खरीद रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष 54 हजार मैट्रिक टन खरीदा गया है।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री की पूर्व में की गयी बजट घोषणा के तहत राज्य में उपभोक्ता संरक्षण हो, उपभोक्ता मामले विभाग की स्थापना हो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्रियान्वित हो, उसके अन्तर्गत उपभोक्ता जिला मंच, उपभोक्ता विवाद आयोग, उपभोक्ता जागरूकता सम्बन्धित गतिविधियों में संचालित करने में गति मिल सकेगी। उपभोक्ता के अधिकारों के सशक्तीकरण के मद्देनजर सभी गतिविधियां, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा एक छत के नीचे संचालित की जा सकेंगी। नव सृजित विभाग को सशक्त बनाने के लिए संरचनात्मक सुधार एवं अपेक्षित संसाधन उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय की पहल के अनुरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निजी सहभागिता का माडल विकसित करने के सम्बन्ध में बैठक की गयी, जिसमें उचित मूल्य की दुकानों को निजी सहभागिता के आधार पर उत्कृष्ट बनाने हेतु समुचित सर्व मल्टीब्रांड मालिकों से वार्ता करते हुए उस दिशा में आगामी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रायोगिक तौर पर कुछ उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कई ब्रांड की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मल्टीब्रांड चेन के साथ निजी सहभागिता के आधार पर एक माडल विकसित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त माडल राजस्व अर्जित करने वाला माडल होगा। इससे उपभोक्ताओं को कम दरों पर अच्छी गुणवता की वस्तुएं उपलब्ध हो सकेंगी और यह माडल सभी पक्षों के लिए व्यावहारिक होगा। प्रायोगिक योजना के सफल होने पर इसका सभी जिलों में विस्तार किया जाना है।

इस प्रायोगिक माडल में आम उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए दुकानों के चयन का मापदंड भी निर्धारित किया गया है। उचित मूल्य की दुकान डीलर की स्वयं की होगी। उचित मूल्य की दुकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 10x20, 200 वर्ग फीट का होना चाहिए। दुकान कम से कम 30 फीट रोड पर खुलती हुई होनी चाहिए। डीलर के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं होना चाहिए। डीलर की आर्थिक स्थिति

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

अच्छी होनी चाहिए। सहकारिता संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। इस माडल को स्वीकार करने के लिए डीलर की स्वत: ही सहमति होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भिक तौर पर राज्य के सभी सम्भागीय मुख्यालयों एवं 3 जिलों अलवर, झालावाड़ और धौलपुर सहित कुल 10 जिलों में उक्त माडल पर दुकानें संचालित करने के सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारियों ने कुल 65 दुकानों की सूची प्रस्तुत की है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वैसे ही बोल दो।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): टेबल भी कर दूंगा। बोल भी दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं तो हमसे भी बुरी गत होगी।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): गत का तो आपको खुद पता है। आप पहले भी ऐसे ही बोलते थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महंगाई पर सुबह चर्चा चल रही थी, महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सबसे पहले राजस्थान में राजस्थान माल अधिनियम (उत्पादक, प्रदाय, वितरण, व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) 2014, इसी सदन में 6 फरवरी, 2014 को लागू किया। उसके तहत किसी भी घोषित वस्तु को माल घोषित करने पर उस पर सरकारी नियंत्रण रहेगा और उस वस्तु को माल घोषित करने पर, मूल्य नियंत्रण करके बढ़ती हुई महंगाई को रोकने का काम होगा। यह उनकी पहल पर काम हुआ है।

एक माननीय सदस्य: रूक गयी महंगाई?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): हां, हां, बिलकुल। सुबह आंकड़ा भी तो बताया मैंने। सुबह बताया था न मैंने आंकड़ा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा अभी चर्चा के दौरान अपने-अपने विचार प्रकट किये गये और कुछ विभाग सम्बन्धी खामियां, कमियां बताई गयीं। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि श्री धन सिंह, माननीय विधायक, बांसवाड़ा ने परिवहन की दरों के बारे में बताया। पूर्ण प्रांत के लिए दिनांक 21.05.2013 को थोक परिवहन हेतु दरें निर्धारित की गयी हैं एवं डीजल के भावों में वृद्धि को देखते हुए संशोधन पर विचार किया जाएगा। बांसवाड़ा में सभी सहकारी संस्थाओं में केवीएसएस बांसवाड़ा, राजसंघ

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

और होलसेल उपभोक्ता भण्डार- माननीय हमारे चौमूं से आने वाले विधायक श्री रामलालजी ने छत्तीसगढ़ पैटर्न लागू करने की बात की। हम छत्तीसगढ़ माडल का, गुजरात का, आंध्र प्रदेश माडल का अध्ययन कर रहे हैं और आवश्यकता हुई तो वहां पर जाकर भी उनका अध्ययन करेंगे। राजेन्द्र सिंहजी भादू, माननीय विधायक सूरतगढ़ ने नई दुकानों को खोलने की बात की, तो निर्धारित मापदंडों पर आवश्यकतानुसार दुकानें सृजित की जा सकेंगी। एक बात और कही थी कि गैस होम डिलीवरी करना वितरक की जिम्मेदारी है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 15 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर प्रति किलोमीटर एक रुपया अतिरिक्त चार्ज लेकर होम डिलेवरी के आदेश जारी कर दिये हैं। होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी।

हमारे निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य श्रीचन्दजी कृपलानी ने कहा था त्रुटिपूर्ण राशन कार्डों के बारे में, वह हमने बता ही दिया। माननीय लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविन्दजी डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पात्र व्यक्तियों को निर्धारित मात्रा में अर्थात् अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम और अन्य पात्र परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, प्रति माह से उपलब्ध करवाने की आवश्यकता की बात बतायी, जो उनको जल्दी ही उपलब्ध करवाया जाएगा।

बाड़मेर से विधायक माननीय मेवारामजी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयन की बात की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बाड़मेर में ग्रामीण आबादी 93 प्रतिशत चयनित है जबकि 69 प्रतिशत होनी चाहिए। भामाशाह शिविरों में चयन किया जाकर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न दिया जाएगा। राशन कार्डों का सुधार भामाशाह शिविरों में आवेदन प्राप्त करके कर लिया जाएगा।

हमारे माननीय विधायक सुशीलजी कटारा ने डूंगरपुर जिले की कोई अनियमितता बताई, मैं उनको बताना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिले में ग्राम थाना स्थित एफसीआई डिपो से कम तुलवाई की शिकायत पर जिला कलक्टर एवं रसद अधिकारी द्वारा जांच करवाई गयी, पुलिस में मुकदमा दर्ज कर दिया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 291/14 दिनांक 20.06.2014 को एफसीआई, आरसीडब्ल्यू एवं निजी गोदाम मालिक के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज करा दी।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

माननीय विधायक सिवाना श्री हमीर सिंहजी ने खाद्य सुरक्षा के बारे में बात की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बाड़मेर में ग्रामीण आबादी 93 परसेंट है और राशन की दुकानों पर सामग्री पहुंचाने की जिम्मेदारी थोक विक्रेता की होगी। बाड़मेर जिले में यदि इसकी अनुपालना में कमी है तो उसे पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। जहां पर निर्धारित मापदंडों के अनुसार नई दुकान का आधार बनता है, वहां पर शीघ्र ही नई दकानें खोल दी जाएंगी।

सपोटरा से आने वाले माननीय विधायक श्री रमेशजी ने व्यक्तिगत तौर पर शिकायत की थी, मुझे भी इन चीजों का मालूम है। लेकिन वह अभी तो यहां हैं नहीं, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, कि उनकी प्रिजुडिस होकर की गयी शिकायत थी, लेकिन फिर भी अगर डीएसओ के खिलाफ किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जो भी नियम होगा उसके अनुसार कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। सम्पूर्ण प्रकरण में निष्पक्ष जांच कराई जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहूंगा हमारा जो विभाग है जनता से जुड़ा हुआ है और सभी सदस्यों ने, सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष ...(व्यवधान) यह जो विभाग है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, आम जनता से, आम जन से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से इसमें चाहे राशन वितरण हो, चाहे खाद्य वितरण सामग्री हो, जो अनियमितताएं पाई जाती हैं, चाहे राशन डीलर्स में पाई जाती हैं, हमारा प्रयास है कि सारे सदन के, सभी के सहयोग से, सभी को साथ लेने की भावना को लेकर जहां-जहां भी, जिस-जिस भी, चाहे राशन डीलर हो, चाहे खाद्य पदार्थ वितरण व्यवस्था हो, चाहे विभाग द्वारा की गई अन्य कोई व्यवस्था हो, उस पर मनन किया जाएगा और आपकी एक-एक बात को सार्थक रूप से मनन करके सही रूप से लागू किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 32 पारित करवाने की कृपा करें।

मांग संख्या 26 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 65,97,94,03,000/- (पैंसठ अरब सत्यानवे करोड़ चौरानवे लाख तीन हजार)

(श्री अध्यक्ष)

तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,34,89,89,000/- (पांच अरब चौंतीस करोड़ नवासी लाख नवासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.12 बजे गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में विशेष शिक्षकों की भर्ती

151. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विकलांग बच्चों (C.W.S.N.) को उच्च प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण हेतु विशेष शिक्षकों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विशेष शिक्षकों की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार वर्तमान में आर.पी.एस.सी. द्वारा निकाली गई द्वितीय व प्रथम श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में विशेष शिक्षकों के पदों को भी शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने पदों को व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र प्रवर्तित योजना (आई.ई.डी.एस.एस.) के अन्तर्गत विशेष शिक्षक वरिष्ठ अध्यापक के 485 स्वीकृत पदों पर भर्ती की जानी है परन्तु वर्तमान सेवा नियमों में संवर्गित नहीं होने के कारण भर्ती नियम संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(2) प्रश्न के खण्ड 01 के अनुसार।

(3) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

फलौदी में उचित मूल्य की नई दुकानों की स्वीकृति

152. श्री पब्बाराम (फलौदी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका क्षेत्र फलौदी, उपखण्ड क्षेत्र फलौदी एवं बाप में वर्तमान में उचित मूल्य की कितनी दुकानें स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितनी कार्यरत एवं निलम्बित हैं? नगरपालिका वार्ड वार एवं ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री पब्बाराम)

(2) सरकार द्वारा नई उचित मूल्य की दुकानों की स्वीकृति के क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में स्वीकृत दुकानों की संख्या मानदण्डों के अनुसार कम है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में नई दुकानें सृजित एवं स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा कितनी व नहीं, तो क्यों? नगरपालिका वार्डवार एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार रिक्त, निलम्बन से रिक्त एवं नई स्वीकृत दुकानों के लिए राशन डीलर नियुक्त कर दुकानों को चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन हेतु तहसील स्तरीय आबंटन समितियों का गठन कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगरपालिका फलौदी, उपखण्ड क्षेत्र (ग्रामीण) फलौदी तथा बाप क्षेत्र में स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त एवं निलम्बित उचित मूल्य दुकानों की सूचना निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	निलम्बित
नगरपालिका फलौदी	28	26	2	0
फलौदी ग्रामीण	89	82	7	0
बाप	70	66	4	0
योग	**187**	**174**	**13**	**0**

सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा नई उचित मूल्य की दुकानों की स्वीकृति के निर्धारित मानदण्डों के आदेश दिनांक 06.09.2013 एवं 28.04.2014 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। परिशिष्ट-2 अनुसार जारी मानदण्डों के अनुसार फलौदी तहसील क्षेत्र में 4 तथा बाप तहसील क्षेत्र में 2 दुकानें नई सृजित हो सकती हैं।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

(4) जी हां। वर्तमान में सरकार द्वारा रिक्त दुकानों व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए आवश्यक नई खोले जाने वाली दुकानों की सूचना संकलित की जा रही है, तदुपरान्त जल्द ही राशन डीलरों की नियुक्ति प्रारम्भ की जायेगी।

(5) जी हां। वर्तमान में सरकार द्वारा रिक्त दुकानों व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए आवश्यक नई खोले जाने वाली दुकानों की सूचना संकलित की जा रही है, तदुपरान्त जल्द ही राज्य में राशन डीलरों की नियुक्ति प्रारम्भ की जायेगी।

(6) जी हां। उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन सलाहकार समितियों में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन कर लिया गया है, प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आबंटित राशि

153. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अलवर जिले के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने कितनी-कितनी राशि कब-कब उपलब्ध करवाई एवं किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मिशन के तहत जिला अलवर में अब तक कितने एलोपैथिक चिकित्सक, आयुष तथा पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई? पंचायत समितिवार एवं चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षो में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अलवर जिले के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि एवं व्यय राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(राशि लाखों में)

वर्ष	प्रदत्त राशि	व्यय राशि
2011-12	4,529.64	4,162.49
2012-13	4,286.98	4,530.70
2013-14 (अनआडिटेड)	5,337.37	5,046.05

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई राशि का मदवार तिथिवार विवरण एवं व्यय राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अलवर जिले में 14 एलोपैथिक चिकित्सक, 58 आयुष चिकित्सक एवं 492 पैरामेडिकल स्टाफ (288 जी.एन.एम. 144 ए.एन.एम., 16 फार्मासिस्ट, 30 कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर, 08 पी.एच.एन., 05 एल.टी. एवं 01 एन.टी.) की संविदा आधार पर नियुक्ति की गई है। पंचायत समितिवार एवं चिकित्सालयवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर के संविदा कर्मियों का नियमितीकरण

154. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर में वर्तमान में कितने अशैक्षणिक कर्मचारी कार्यरत हैं एवं वर्ष 1999 से किस-किस वर्ष में कितने कर्मचारी एजेंसी के मार्फत संविदा पर रखे गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संविदा कार्मिकों द्वारा नियमित किये जाने की मांग किये जाने पर सरकार ने इस कार्य हेतु एक कमेटी का गठन किया? यदि हां, तो किस तिथि को और उक्त आदेश द्वारा कमेटी को क्या विवाद बिन्दु तय करने के लिये रैफर किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(3) क्या यह सही है कि उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 2013 में प्रस्तुत कर दी है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है? यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी?

(5) क्या सरकार समिति की अनुशंसाओं से सहमत नहीं है? यदि हां, तो संविदा कार्मिकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में संशोधित प्रस्ताव क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर में दिनांक 19.7.2014 तक कुल 311 अशैक्षणिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

कालेज की स्थापना के वर्ष 1999 से एजेंसी के मार्फत सेवाएं देने वाले 307 कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	मंत्रालयिक	सफाई-कर्मी	सुरक्षाप्रहरी
1999	4	-	-
2000	4	-	-
2001	4	1	-
2002	15	1	-
2003	7	1	-
2004	23	3	-
2005	37	2	-
2006	23	7	-
2007	40	3	-
2008	34	4	-
2009	23	2	-
2010	21	1	-
2011	3	-	-
2012	9	1	-
2013	11	-	-
2014	-	-	-
योग	**258**	**26**	**23**

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। दिनांक 6 फरवरी, 2013 को विभाग द्वारा कमेटी का गठन किया, विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(4) यह विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में निम्न निर्णय उल्लेखनीय हैं :-

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में SBCWP No. 3070/14 हनुमान राम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं SBCWP No. 2783/14 मनीषा जोशी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 15.5.2014 को दिये गये निर्णय में इस प्रकार की नियुक्तियों को असंवैधानिक माना है।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कर्नाटक राज्य व अन्य बनाम उमा देवी व अन्य में दिनांक 10 अप्रैल, 2006 को अपील (सिविल) संख्या 3595-3612 आफ 1999 में पारित निर्णय अनुसार इन व्यक्तियों को नियमित नहीं किया जा सकता।

(5) उपरोक्तानुसार।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

किशनगढ़ बास में संचालित गैस एजेन्सियां

155. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में वर्तमान में कितनी गैस एजेन्सियां किस-किस नाम से व किस-किस स्थान पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में उपभोक्ताओं से किस-किस गैस एजेन्सी के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई व प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उक्त गैस एजेन्सियों का निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस गैस एजेन्सी का निरीक्षण किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया व क्या-क्या अनियमितता पाई गई तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

(4) उक्त गैस एजेन्सियों में नये गैस कनेक्शन के कितने आवेदन लम्बित हैं तथा उन्हें कब तक गैस कनेक्शन दे दिये जावेंगे? वर्तमान में उपभोक्ता द्वारा बुकिंग कराने के कितने दिन बाद गैस आपूर्ति की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में वर्तमान में दो गैस एजेन्सियां कार्यरत हैं :-

1. मैसर्स खैरथल इण्डेन, खैरथल (आई.ओ.सी.)
2. मैसर्स पारूल राव एच.पी. गैस एजेन्सी, किशनगढ़ बास (एच.पी.सी.)

(2) गत तीन वर्षों में उक्त गैस एजेन्सियों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ना ही विभागीय प्रकरण दर्ज किया गया।

(3) जी हां। श्री राजीव भार्गव, एरिया बिक्री प्रबंधक (एच.पी.सी.) द्वारा मैसर्स पारूल राव एचपी गैस एजेन्सी, किशनगढ़ बास का निरीक्षण दिनांक 26.12.2012, 31.01.2013, 04.02.2013 एवं 20.11.2013 को किया गया, जिसमें एजेन्सी परिचालन सम्बन्धित कमियां पाई गईं और इन कमियों को अधिकारी द्वारा पूर्ण करवाया गया। मैसर्स खैरथल इण्डेन, खैरथल का सामान्य निरीक्षण दिनांक 25.11.2012 एवं 12.03.2013 को सम्बन्धित बिक्री अधिकारी द्वारा किया गया है।

श्री प्रशान्त यादव, प्रवर्तन निरीक्षक, किशनगढ़ बास द्वारा दिनांक 29.06.2014 को मैसर्स पारूल राव एचपी गैस एजेन्सी, किशनगढ़ बास की जांच की गई, जांच रिपोर्ट अनुसार विभागीय कार्यवाही के तहत प्रकरण संख्या 333/2014 दर्ज किया गया। जांच में निम्न अनियमितताएं पाई गईं :-

1. गैस सिलेण्डर आपूर्ति बैकलाग की सूचना प्रदर्शित/संधारण नहीं करना।

2. नये गैस कनेक्शन आवेदकों की वरीयता की पंजिका संधारण नहीं करना।

3. गोदाम पर विस्फोटक लाइसेन्स, आरपीपीएल लाइसेन्स तथा गोदाम मौका नक्शा भी जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराना।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

4. नये गैस कनेक्शन पर चूल्हा/हाटप्लेट डीलर से लेना अनिवार्य नहीं होने बाबत सूचना का प्रदर्शन का अभाव पाया गया।

5. ब्ल्यू/रेड बुक के साथ दी जाने वाली स्लीप बुक के 10 रुपये वसूले जाना।

6. भौतिक सत्यापन पर गोदाम से 5 घरेलू सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा. के) कम पाये गये।

7. गोदाम पर आग बुझाने की रेत व पानी की बाल्टी नहीं होना।

8. हाटप्लेट, चाप ट्राली, कूकर आदि उपभोक्ताओं की मर्जी के खिलाफ दानिस्ता विक्रय किया जाना।

9. गोदाम में अग्निशमन यंत्रों का इन्स्टालेशन नहीं होना पाया गया।

10. गोदाम पर गैस सिलेण्डरों के आमद-निकासी का कोई रजिस्टर (रेकार्ड) संधारित नहीं किया जाना।

11. दिनांक 24 से 28 जनवरी, 2014, 5, 9, 10, 13 फरवरी, 2014, 31 मई, 2014 एवं 1, 4, 9, 10 जून, 2014 को विस्फोटक विभाग द्वारा निर्धारित क्षमता से ज्यादा मात्रा में गैस गोदाम में संग्रहित की गई है।

12. गोदाम के नोटिस बोर्ड पर सिलेण्डर्स का स्टाक का अंकन नहीं किया जाना।

13. उपभोक्ताओं को जारी गैस कनेक्शन के अतिरिक्त मूल्य वसूल किया जाना।

14. गोदाम पर भरे सिलेण्डर्स की गैस के मानक भार की सैम्पल जांच नहीं किया जाना।

15. फर्म द्वारा उपभोक्ताओं को "कैश एण्ड कैरी" सुविधा प्रदान नहीं की जाती और न ही इसका कोई रिकार्ड संधारण किया जाता है।

विभागीय कार्यवाही के तहत प्रकरण संख्या 333/2014 दिनांक 07.07.2014 दर्ज कर फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विधिक रूप से सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है।

(4) मैसर्स खैरथल इण्डेन, खैरथल (आईओसी) पर कोई भी नए गैस कनेक्शन के आवेदन लम्बित नहीं हैं। मैसर्स पारूल राव एचपी गैस एजेन्सी पर नये कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची 145 है, जिसे अगले दो माह में कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर बुक कराने के बाद 48 घण्टे में आपूर्ति करने का प्रावधान है।

प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सकों की भर्ती

156. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2013 तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जोधपुर जिले के लिये केन्द्र व राज्य सरकार ने कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में कब-कब उपलब्ध करवाई? पंचायत समितिवार चिकित्सा संस्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मिशन के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में कितने चिकित्सकों (एलौपेथी, होम्योपैथी व आयुष) तथा पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई? पंचायत समिति एवं चिकित्सा संस्थानवार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किये गये चिकित्सकों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार होम्योपैथिक चिकित्सकों को रोजगार देने एवं राज्य में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने हेतु होम्योपैथिक चिकित्सकों की नई भर्ती हेतु विज्ञप्ति निकालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2013 तक 108 एम्बुलेन्स वाहन क्रय किये हैं? यदि हां, तो कितने-कितने वाहन किस-किस दर से एवं किन-किन अस्पतालों में कहां-कहां आबंटित किये गये? वर्षवार संस्थावार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि में से जिला स्वास्थ्य समिति, जोधपुर को दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2013 तक प्रदत्त की गई राशि का पंचायत समितिवार एवं चिकित्सा संस्थानवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त मिशन के अन्तर्गत जोधपुर जिलें में गत 5 वर्षों में निम्नलिखित नियुक्तियां की गई हैं :-

<u>नियुक्त चिकित्सकों की संख्या:-</u>

एलोपैथी-2

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

होम्योपैथी-2

आयुर्वेद-16

यूनानी-4

शहरी क्षेत्र में नियुक्त-1

ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त-23

(कुल संख्या 24)

नियुक्त फार्मासिस्टों की संख्या-17

नियुक्त किये गये चिकित्सकों एवं फार्मासिस्टों का पंचायत समिति एवं चिकित्सा संस्थानवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सकों की कमी को पूरा करने हेतु 292 चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां। दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2013 तक सरकार द्वारा क्रय किये गये 108-एम्बुलेंस वाहनों की वर्षवार सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

अस्पतालों/स्थान जहां 108 एम्बुलेंस आबंटित की गई का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर जिले में विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के रिक्त पद

157. **श्री सुशील कटारा** (चौरासी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डूंगरपुर जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने-कितने पद कहां-कहां कब-कब से रिक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के विद्यालयवार स्वीकृत तथा कब से रिक्त पद हैं, की सूची परिशिष्ट-"क-1" पर एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत

(शिक्षा मंत्री)

जिला डूंगरपुर में संचालित विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत, रिक्त व पद कब से रिक्त है का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-"क-2" पर संलग्न है ।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं डीपीसी से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति व्यवस्था

158. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में कुल कितने रसोई गैस उपभोक्ता हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में रसोई गैस सिलेण्डर की बुकिंग व वितरण की क्या व्यवस्था व नियम निर्धारित हैं? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नये गैस कनेक्शन के लिए निर्धारित मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में कुल 27303 रसोई गैस उपभोक्ता हैं। एजेन्सीवार संख्या विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) पंजीकृत उपभोक्ता ही अपने वितरक के यहां गैस सिलेण्डर की बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग पश्चात FIFO (पहले आओ पहले पाओ) पद्धति पर वितरक, गैस सिलेण्डर उपभोक्ता के पंजीकृत पते पर गैस सिलेण्डर पहुंचाने के लिए बाध्य है। यदि किसी कारणवश वितरक, गैस सिलेण्डर उपभोक्ता के पंजीकृत पते पर नहीं पहुंचा सकता, तो सिलेण्डर गोदाम से, घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा.) की डिलीवरी लेने पर ग्राहक/उपभोक्ता

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

को RSP पर, वितरक द्वारा, सरकार द्वारा निर्धारित छूट दी जाएगी, जो कि वर्तमान में रुपये 16.47 है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

आर.पी.एम.टी. परीक्षा में अनियमितता की जांच हेतु गठित समिति

159. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में वर्ष 2014 में आयोजित की गई आर.पी.एम.टी. परीक्षा में अनियमितताएं पाई गई हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त आर.पी.एम.टी. की परीक्षा में पाई गई अनियमितताओं की जांच हेतु कोई कमेटी गठित की गई है? यदि हां, तो कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आर.पी.एम. टी. 2014 में कथित अनियमितताएं पाई गई हैं।

आर.पी.एम.टी. 2014 में विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों के रॉ स्कोर में से इक्वी परसेन्टाइल प्रणाली से जब अन्तिम परिणाम तैयार किया गया तो कुछ स्लाट में कम रॉ स्कोर वाले अभ्यर्थियों की रैंक अधिक व अधिक रॉ स्कोर वाले अभ्यर्थियों की रैंक कम हो गई थी। विज्ञप्ति के अनुसार यह परीक्षा आनलाइन पद्धति से बहुसत्रीय (Multiple Batches) प्रणाली पर आयोजित की गई। परीक्षा की सूचना विवरणिका के अनुसार इसका परिणाम इक्वेटिंग/इक्वी परसेन्टाइल प्रणाली से जारी किया जाना विज्ञापित किया गया था। परीक्षा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों से परिवेदनायें आमंत्रित की गई थीं। परिवेदना निस्तारण के उपरांत प्रश्न पत्र एवं उत्तर कुंजी में प्रश्नों के डिलीट होने एवं उत्तर कुंजी के संशोधित होने के कारण इक्वेटिंग/इक्वी परसेन्टाइल प्रणाली से जब परिणाम जारी किया गया तो छात्रों के रॉ स्कोर में अत्यधिक परिवर्तन हो गया।

चूंकि परीक्षा छह स्लाट में आयोजित की गई थी। सभी स्लाट

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

का Difficult Level भिन्न-भिन्न था। जिसके कारण रॉ स्कोर से जब इक्वी परसेन्टाइल प्रणाली से अन्तिम परिणाम तैयार किया गया तो प्रत्येक स्लॉट से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या में भारी परिवर्तन आ गया।

(2) जी हां। आर.पी.एम.टी. में हुई कथित अनियमितता की जांच हेतु एक जांच कमेटी का गठन दिनांक 06.06.2014 एवं संशोधित आदेश 10.06.2014 द्वारा किया गया। जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा एवं जयपुर में संचालित निजी कोचिंग सेन्टर

160. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा एवं जयपुर में कुल कितने निजी कोचिंग सेंटर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा इन कोचिंग सेंटरों के संचालन हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि इनमें से अधिकांश कोचिंग सेंटर रिहायशी इलाकों में संचालित हैं? यदि हां, तो किन नियमों के तहत?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सेंटरों के कारण आए दिन मारपीट, झगड़े, विद्यार्थियों द्वारा उत्पात एवं अपराध की घटनाएं बढ़ने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? यदि हां, तो इन्हें रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार निजी कालेजों के समान इनको अलग से जगह उपलब्ध कराकर वहां स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोचिंग सेंटर संचालन से सम्बन्धित सूचना विभाग में संधारित नहीं है।

(2) जी नहीं। इन कोचिंग सेंटरों पर संचालन हेतु कोई शैक्षणिक मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं। क्योंकि कोचिंग के उपरान्त शैक्षणिक परीक्षा के आधार पर प्रमाण पत्र देय नहीं है।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(3) सर्वे के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि अधिकांश कोचिंग सेन्टर रिहायशी इलाकों में स्थापित हैं। अनुमत उपयोग के अतिरिक्त भवन/भूमि का उपयोग करना नियमानुसार सही नहीं है।

(4) गृह विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला कोटा में इस सम्बन्ध में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है।

जयपुर क्षेत्र में एक अभियोग पंजीबद्ध हुआ है। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(5) बिन्दु संख्या 2 के उपरोक्तानुसार उत्तर के परिप्रेक्ष्य में इस बाबत कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-1

जयपुर दक्षिण

क्र. सं.	नाम थाना	मुकदमा नं. धारा व दिनांक	नमा पता मुस्तगीस	अपराधी का नाम पता	सूक्ष्म विवरण	नतीजा पुलिस
1.	ज्योति नगर	301/13 धारा 323, 341, भादस दिनांक 11.11.13	श्री करण सिंह पुत्र रामसिंह निवासी पवालिया थाना मुहाना जिला जयपुर	सत्यवीर पुत्र मदन लाल जाति जाट उम्र 22 साल निवासी मूल जी चौधरी की ढाणी थाना मुहाना जिला जयपुर	परिवादी ने दर्ज कराया कि घर से टापर कोचिंग सेन्टर पढने आया वहां पर सत्यवीर ने पकड़कर मारपीट की	चार्जशीट नं. 128/13 दिनांक 07.12.13

सोजत में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

161. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सोजत विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितनी राशन की दुकानें कहां-कहां संचालित हैं? दुकान मालिक के नाम व स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संजना आगरी)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में राशन डीलरों द्वारा ए पी एल एवं बी पी एल परिवारों को क्या-क्या खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है तथा इसके क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र में गत पांच वर्षों में राशन डीलरों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस के विरुद्ध? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सोजत विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल 105 राशन की दुकानें संचालित हैं। दुकान मालिक के नाम व स्थानवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में राशन डीलरों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत चयनित अन्य पात्र परिवारों को प्रतिमाह 5 किग्रा. प्रति यूनिट एवं अन्त्योदय परिवारों को 35 किग्रा. प्रति परिवार प्रतिमाह खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराया जाता है। बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों को प्रतिमाह 500 ग्राम प्रति यूनिट चीनी उपलब्ध कराई जाती है।

(3) जी नहीं। सोजत विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षों में राशन डीलरों के विरुद्ध कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, किन्तु मौखिक शिकायतों एवं निरीक्षणों के दौरान पाई जाने वाली अनियमितताओं के फलस्वरूप 44 उचित मूल्य दुकानदारों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई, इनमें से 08 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये एवं 02 उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में निःशुल्क दवा/जांच योजना के संचालन हेतु गठित संस्था

162. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में प्रारम्भ की गई नि:शुल्क दवा व

(श्री जोगाराम पटेल)

नि:शुल्क जांच योजना के विधिवत् सफल संचालन की व्यवस्था हेतु किसी संस्था का गठन किया गया था? यदि हां, तो कब? क्या इस संस्था की जिम्मेवारी दवाइयों की पूर्ति की भी थी? यदि नहीं, तो दवाइयों की पूर्ति की जिम्मेवारी किसकी है?

(2) उक्त योजनाओं का लाभ कौन-कौन प्राप्त कर सकता है और गत 5 वर्षों में कुल कितने व्यक्तियों ने कितने किस्म की कुल कितने मूल्य की कितनी दवाइयों का उपयोग किया व जांच कराई? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मंत्रीमण्डल की आज्ञा 49/2011 के ज्ञापन क्रमांक प.20 (3) चिस्वा/ग्रुप-2/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के द्वारा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

इस संस्था की जिम्मेदारी विभिन्न अस्पतालों की मांग के अनुसार जिला औषधि भण्डार गृहों तक औषधियां उपलब्ध कराने की है।

(2) नि:शुल्क दवा योजना का लाभ राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों से उपचार प्राप्त करने वाले सभी मरीज प्राप्त कर सकते हैं। योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि, व्यय राशि तथा लाभान्वित मरीजों का वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। वर्तमान में 607 प्रकार की औषधियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

नि:शुल्क जांच योजना के अन्तर्गत समस्त चयनित राजकीय चिकित्सा संस्थानों से उपचार प्राप्त करने वाले सभी मरीज योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि, व्यय राशि तथा की गई जांचों का वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

राज्य के मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में 70, जिला/सबडिविजनल/सैटेलाइट चिकित्सालयों में 56, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 37, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/डिस्पेन्सरियों में 15 प्रकार की जांचें नि:शुल्क की जा रही हैं।

परिशिष्ट-अ

नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि, व्यय राशि तथा लाभान्वित मरीजों का वर्षवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

वित्तीय वर्ष	आबंटित राशि (रुपये करोड़ में)	व्यय राशि (रुपये करोड़) में)	लाभान्वित मरीजों की संख्या
2011-12	99.54	99.54	3,78,17,407
2012-13	269.90	249.60	6,59,96,413
2013-14	424.23	394.36	5,81,43,270
2014-15	487.88	107.51 (30 जून, 2014 तक)	1,34,96,396 (30 जून, 2014 तक)
योग	**1281.55**	**851.01**	**17,54,53,486**

परिशिष्ट-ब

नि:शुल्क जांच योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि, व्यय राशि तथा की गई जांचों का वर्षवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

वित्तीय वर्ष	आबंटित राशि (रुपये करोड़ में)	व्यय राशि (रुपये करोड़ में)	की गई जांचों की संख्या
2012-13	28.56	21.55	-
2013-14	178.47	132.52	2,91,71,245
2014-15	207.08	12.50 (30 जून, 2014 तक)	1,16,22,798 (30 जून, 2014 तक)
योग	**414.11**	**166.57**	**4,07,94,043**

जोधपुर के शाला क्रीड़ा संगम में प्रशिक्षित खिलाड़ी

163. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शाला क्रीड़ा संगम, गौशाला मैदान, जोधपुर में गत पांच वर्षों में कौन-कौन अधिकारी एवं शारीरिक शिक्षक नियमित अथवा प्रतिनियुक्ति पर कितने समय के लिए किस आदेश से कार्यरत रहा? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) शाला क्रीड़ा संगम, गौशाला मैदान, जोधपुर में गत पांच वर्षों में

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कुल कितने खिलाड़ियों को किस-किस स्पर्द्धा के लिए प्रशिक्षित किया गया और इनमें से कितने खिलाड़ी सरकारी विद्यालयों के थे? वर्ष एवं स्पर्द्धावार विवरण सदन की मेज रखें।

(3) उक्त प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने किन-किन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और इनकी क्या-क्या उपलब्धियां रहीं? निजी एवं सरकारी स्कूलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शाला क्रीड़ा संगम, गौशाला मैदान, जोधपुर में गत पांच वर्षों में कार्यरत अधिकारियों एवं शारीरिक शिक्षक नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति की वर्षवार सूची मय आदेश परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) शाला क्रीड़ा संगम, गौशाला मैदान, जोधपुर में गत पांच वर्षों में वर्षवार प्रशिक्षित किये गयें खिलाड़ियों की मय स्पर्द्धावार सूची परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(3) उक्त प्रशिक्षित खिलाड़ियों द्वारा भाग ली गई प्रतियोगिताओं का विवरण परिशिष्ट 'ख' में उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झालावाड़ जिले में नवीन राशन कार्डों में अशुद्धियां सुधार हेतु कैम्पों का आयोजन

164. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में नये राशन कार्ड बनाने के लिए अनुबन्धित एजेन्सी द्वारा सम्पूर्ण राशन कार्डों की पूर्ति कर दी गई है? यदि नहीं, तो अब कब तक पूर्ति कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नये राशन कार्डों में त्रुटियां पाई गई हैं? यदि हां, तो क्या इनमें शुद्धि की जायेगी अथवा पुनः नये राशन कार्ड बनाये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राशन कार्डों में त्रुटियों में सुधार के लिए पुनः कैम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। मैसर्स ईगल साफ्टवेयर प्रा.लि., चैन्नई द्वारा सम्पूर्ण राशनकार्डो की आपूर्ति नहीं की गई है। झालावाड़ जिले में नये राशनकार्ड बनाने हेतु 393039 आवेदन प्राप्त हुए थे, फर्म द्वारा 274545 राशनकार्ड तैयार कर दिये गये हैं, शेष राशनकार्डों की आपूर्ति जल्द ही करने का आश्वासन दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा राशनकार्ड वितरण कार्य की अवधि 31 सितम्बर, 2014 तक बढ़ाई जा चुकी है।

(2) जी हां। नये राशनकार्डों में पाई गई त्रुटियों को सम्बन्धित फर्म से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अविलम्ब दुरुस्त कराकर सम्बन्धित उपभोक्ता को पुन: राशनकार्ड जारी किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जिला रसद अधिकारियों को दिनांक 17.09.2013, 13.01.2014 एवं 27.03.2014 को निर्देश जारी किये जा चुके हैं, जो परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राशनकार्डों में त्रुटि सुधार हेतु पृथक से पुन: कैम्प लगाने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है। अपितु आगामी महीनों में "भामाशाह" कार्ड योजना हेतु आयोजित होने वाले नामांकन शिविरों में त्रुटियों बाबत आवेदन स्वीकार कर प्रगणक द्वारा मौके पर ही सत्यापन कर दुरुस्ती हेतु प्रस्तुति की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

टोडाभीम में चिकित्सकों/नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पद

165. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों/नर्सिंग स्टाफ के पद कब से रिक्त हैं व रिक्त रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

के रिक्त पदों का रिक्ती दिनांक सहित चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के पद सेवानिवृति/स्थानान्तरण/नवसृजन इत्यादि कारणों से रिक्त हैं।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को डी ए सीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे ।

महिला स्वास्थ्य दर्शिका के पद पदोन्नति के हैं, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं फार्मासिस्ट के रिक्त पदों को स्थानान्तरण अथवा विभागीय भर्ती के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सतर्कता दल द्वारा दौसा, सवाई माधोपुर, करौली व अलवर जिले में दुकानों का निरीक्षण

176. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सर्तकता दल द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2014 को दौसा, सवाई माधोपुर, करौली एवं अलवर जिलों की 60 दुकानों का निरीक्षण कर एफ. पी. एस. डीलर के लाइसेंस निलम्बित किये गये थे? यदि हां, तो किस-किस जिले में किस-किस का लाइसेंस निलम्बित किया मय नाम व जाति के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला रसद अधिकारी (सतर्कता) द्वारा एक ही दिन में दिनांक 3 मार्च, 2014 को साइक्लोस्टाइल आदेश के रूप में उक्त लोगों का प्राधिकार पत्र 90 दिन के लिये निलम्बित किया गया? यदि हां, तो उस साइक्लोस्टाइल आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त सभी एफ. पी. एस. डीलरों को निलम्बित करने के क्या-क्या कारण थे? उक्त के बारे में मंत्री महोदय को मिली शिकायतें व निलम्बन के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि दिनांक 21.02.2014 को सतर्कता दल, खाद्य विभाग द्वारा दौसा, सवाई माधोपुर, करौली एवं अलवर जिलों के किसी भी उचित मूल्य दुकानदार के निरीक्षण किए गए। खाद्य विभाग द्वारा दिनांक 21.02.2014 को सतर्कता दलों का गठन किया गया था, आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। जारी आदेश की पालना में सतर्कता दलों द्वारा दिनांक 24.02.2014 से 01.03.2014 तक दौसा, सवाई माधोपुर, करौली एवं अलवर जिले के उचित मूल्य दुकानदारों के निरीक्षण किए गए थे। जांच/निरीक्षण करने पर गम्भीर अनियमितताऐं पाये जाने पर कुल 59 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निलम्बित करने की जांच दलों द्वारा अनुशंसा की गई थी, जिसके आधार पर सम्बन्धित 59 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र दिनांक 03.03.2014 को 90 दिवस के लिए जिला रसद अधिकारी (सतर्कता) खाद्य विभाग (मुख्यालय) द्वारा निलम्बित किये गये थे। निलम्बित

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

किये गये 59 उचित मूल्य दुकानदारों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि जिला रसद अधिकारी(सतर्कता) द्वारा दिनांक 03.03.2014 को साइक्लोस्टाइल आदेश के रूप में 59 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र 90 दिवस के लिए निलम्बित किए गए थे। उक्त सभी 59 उचित मूल्य दुकानदारों के विरुद्ध जांच पर गम्भीर अनियमितताएं मिलने पर जांच दल की अनुशंसा पर प्राधिकार पत्र 90 दिवस के लिए निलम्बित किये गये थे। सभी की अलग-अलग पत्रावलियां संधारित कर अलग-अलग निलम्बन आदेश जारी किए गए थे, जिनकी प्रति परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

(3) उक्त सभी 59 उचित मूल्य दुकानदारों का निलम्बन सतर्कता जांच दलों द्वारा जांच/निरीक्षण पर पाई गई गम्भीर अनियमितताओं के आधार पर की गई अनुशंसा पर जिला रसद अधिकारी, सतर्कता (खाद्य विभाग मुख्यालय) द्वारा आदेश दिनांक 21.02.2014 की पालना में निर्देशानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही कर प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये थे। सभी उचित मूल्य दुकानदारों की मौके पर जांच पर पाई गई अनियमितताओं बाबत जारी कारण बताओ नोटिस की फोटोप्रतियां परिशिष्ट 4 पर संलग्न हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जमवारामगढ़ में राशन की दुकानों का संचालन

177. **श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में किस-किस स्थान पर राशन की दुकानें संचालित हैं व कहां-कहां पर दुकानों की जगह रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में रिक्त दुकानों की व्यवस्था का कार्य किन-किन विक्रेताओं को दिया गया है? सूची एवं तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में संचालित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में रिक्त दुकानों की व्यवस्था का कार्य जिन डीलर्स को दिया गया है, उनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बहरोड़ में अधिकृत राशन डीलरों के विरुद्ध अनियमितता की प्राप्त शिकायतें

178. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कुल कितने अधिकृत राशन डीलर हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के किस-किस राशन डीलर के विरुद्ध गत पांच वर्ष में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुईं? शिकायतों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राशन डीलरों के विरुद्ध सरकार द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार समय पर राशन सामग्री वितरित नहीं करने वाले राशन डीलरों के लाइसेंस निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कुल 93 अधिकृत राशन डीलर हैं। स्थानवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राशन डीलर्स के विरुद्ध गत 5 वर्षो में अनियमितताऐं बरते जाने की कुल छह शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों की सूची परिशिष्ट-ब पर एवं शिकायतों की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक की प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर अनियमितता बरते जाने वाले राशन डीलरों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के तहत गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कुल 57 प्रकरण दर्ज किये जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों के उल्लंघन पर

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

विधिक रूप से सुनवाई कर निस्तारण किया जाना है। सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) जी हां। इस सम्बन्ध में विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 02.09.2014 की प्रति परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना से लाभान्वित परिवार

179. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना कब प्रारम्भ की गई थी और इसमें क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं? योजना की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में उक्त योजना के तहत जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2013 तक कितने परिवार लाभान्वित हुये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में इस योजना के सम्बन्ध में प्रदेश में कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कितने परिवारों को कब-कब लाभान्वित किया गया? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना दिनांक 10.05.2010 से प्रारम्भ की गई थी। इस योजना में राज्य के बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल वर्ग के परिवारों को 25 किग्रा., अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवारों को 35 किग्रा. गेहूं 2/- रुपये प्रति किग्रा. की दर पर प्रतिमाह आबंटित किये जाने का प्रावधान है। उक्त योजना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में उक्त योजना के तहत जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2013 तक प्रतिमाह 38,83,498 परिवार लाभान्वित हुये। जिलेवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

(3) उक्त अवधि में इस योजना के सम्बन्ध में प्रदेश में कुल 625 शिकायतें प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायतों की जांच कर सही पाये जाने पर विभागीय प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार प्रकरणों की गम्भीरता के अनुसार प्रतिभूति जब्ती, प्राधिकार पत्र निलम्बित, प्राधिकार पत्र निरस्त आदि कार्यवाही की गई। प्राप्त शिकायतों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवारों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. जनवरी, 2012 से मार्च, 2013 तक - 8229 परिवार

2. अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक - 9707 परिवार

ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-4 एवं परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा जिले में जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता

180. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कोटा जिले में विगत तीन वर्षों में कितनी गर्भवती महिलाओं का किस-किस चिकित्सालय में पंजीकरण करके कितनी महिलाओं का प्रसव कराया गया?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत कोटा जिले में वर्षवार किस-किस चिकित्सालय में कितनी-कितनी पंजीकृत महिलाओं को प्रसव उपरान्त कितनी-कितनी राशि आर्थिक सहायक के रूप में वितरित की गई एवं कितनी-कितनी मात्रा में घी का वितरण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कोटा जिले में विगत 3 वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण तथा प्रसवों की संस्थावार तथा वर्षवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना के तहत कोटा जिलें में पंजीकृत महिलाओं को वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक प्रसव उपरान्त दिये गये आर्थिक लाभ एवं देसी घी के वितरण का संस्थावार तथा वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

चिकित्सालयों में आई.सी.यू. को संक्रमण मुक्त हेतु फ्यूमिगेशन

181. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या किसी चिकित्सालय में आई.सी.यू. को संक्रमण मुक्त रखने के लिए एक निश्चित अंतराल के पश्चात् रिक्त रखते हुए उसका फ्यूमिगेशन करना आवश्यक है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रचलित गाइडलाइन, नियम या चिकित्सकीय जरूरत व मरीजों की सुरक्षा के लिहाज से लागू मानकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर स्थित मेडिकल कालेज के अधीनस्थ अस्पतालों में आई.सी.यू. पर मरीजों का इतना दबाव है कि उन्हें खाली रखते हुए फ्यूमिगेशन किया जाना सम्भव नहीं है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आदर्श स्थिति के लिए यह जरूरी है कि एक बैकअप आई.सी.यू. हो, ताकि फ्यूमिगेशन के दौरान भर्ती मरीज वहां शिफ्ट किए जा सकें? यदि हां, तो जोधपुर के अस्पतालों के लिए सरकार की क्या योजना है?

(4) 01 जनवरी से 20 जून, 2014 की अवधि में जोधपुर के राजकीय मेडिकल कालेज के अधीनस्थ अस्पतालों में कब-कब फ्यूमिगेशन किया गया और इस दौरान भर्ती मरीज कहां शिफ्ट किए गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। किसी चिकित्सालय में आई सी यू को संक्रमण मुक्त रखने के लिए एक नियमित अंतराल के पश्चात् रिक्त रखते हुये उसका फ्यूमिगेशन आवश्यक है । इस सम्बन्ध में गाइड लाइन, नियम तथा मरीजों की सुरक्षा के लिहाज से लागू मानकों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर स्थित आई सी यू तीन हिस्सों में होने से तीनों का अलग-अलग फ्यूमिगेशन सम्भव है।

उम्मेद चिकित्सालय में डी 125 से फ्यूमिगेशन में सिर्फ एक घण्टा लगता है अतः बेकअप आई सी यू की आवश्यकता नहीं रहती है।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

मथुरादास माथुर चिकित्सालय जोधपुर में सर्जिकल आई सी यू (10 बैड), ट्रोमा आईसीयू (14 बैड), मेडिकल आई सी यू (12 बैड) हैं, फ्यूमिगेशन के दौरान सर्जिकल आई सी यू के मरीजों को ट्रोमा आईसीयू में एवं मेडिकल आई सी यू के रोगियों को क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा जाता है।

(4) 1 जनवरी से 20 जून की अवधि में जोधपुर के राजकीय मेडिकल कालेज के अधीनस्थ अस्पतालों में कब-कब फ्यूमिगेशन किया गया की सूचना परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है ।

फ्यूमिगेशन के दौरान मरीजों को प्रश्न के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार शिफट किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय रेफरल चिकित्सालय बिलाड़ा का 100 बैड क्षमता में क्रमोन्नयन

182. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजकीय रेफरल चिकित्सालय बिलाड़ा को 100 बैड क्षमता का करने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है उक्त चिकित्सालय को 100 बैड क्षमता में क्रमोन्नत कर दिया गया है? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय को 100 बैड क्षमता में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में ट्रोमा सेन्टर खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलाड़ा को 100 शय्याओं में क्रमोन्नत करने की घोषणा दिनांक 26.07.2013 को की गई, प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी नहीं। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण स्वीकृति जारी नही हो पायी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलाड़ा को 100 शय्याओं में क्रमोन्नत करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) आगामी वित्तीय वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मालपुरा के उपखण्ड टोडारायसिंह स्थित सामुदायिक चिकित्सालय में रिक्त पद

183. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड टोडारायसिंह में स्थित राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 43 के अनुसरण में 20 शय्या बढाने से अस्पताल में शय्याओं की संख्या 50 हो गई है तथा उसके अनुसार पद व बजट का आबंटन नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार शय्याओं के अनुसार पद व बजट स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुसरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टोडारायसिंह को 30 से 50 शय्याओं में क्रमोन्नत करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ के पदों का सृजन एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पदोन्नत चिकित्सकों से एवं चिकित्सा अधिकारी तथा चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबंध हटने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

सीधी भर्ती के रिक्त पदों को स्थानान्तरण अथवा विभागीय भर्ती के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

बालोतरा के राजकीय चिकित्सालयों में पृथक से ब्लड बैंक भवन की स्थापना

184. श्री अमराराम (पचपदरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार बालोतरा के राजकीय चिकित्सालय, नाहटा में ब्लड बैंक का पृथक् से भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ग्राम चादसेर, बजावास, वागुडी आदि गांव के चिकित्सालयों में गत करीब 4 वर्ष से ए.एन.एम. के पद रिक्त हैं? क्या सरकार अब इन ए.एन.एम. के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय नाहटा चिकित्सालय बालोतरा के ब्लड बैंक के भवन का क्षेत्रफल निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 1000 वर्गफुट के स्थान पर 750 वर्गफुट होने के कारण सहायक औषधि नियंत्रक जोधपुर के द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में आक्षेप किया गया है जिससे ब्लड बैंक के लाइसेन्स का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है।

आगामी वित्तीय वर्षों में ब्लड बैंकों के निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उक्त ब्लड बैंक का निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन निर्माण करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र,

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चान्देसरा, बजावास एवं बागुण्डी में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं।

इन पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं। रिक्त पदों को भरने सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में पंजीकृत चिकित्सीय विशेषज्ञों के स्वीकृत पद

185. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षो में प्रदेश में कितने चिकित्सीय विशेषज्ञ तथा कितने चिकित्सक पंजीकृत हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंजीकृत विशेषज्ञों में से कितने चिकित्सक सरकारी चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में प्रदेश के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा अधिकारी तथा श्रेणीवार विशेषज्ञ चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों व नर्सो का क्या अनुपात निर्धारित है तथा इसके विपरीत वर्तमान स्थिति क्या है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखे।

(5) वर्तमान में प्रदेश में प्रति चिकित्सक व प्रति नर्स जनसंख्या का अनुपात कितना है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) राज्य में गत 5 वर्षों में राजस्थान मेडिकल कौन्सिल, जयपुर के अधीन दिनांक 14.07.2009 से 14.07.2014 तक 3530 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं 7211 चिकित्सक पंजीकृत हैं।

दन्त विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में राजस्थान राज्य दन्त परिषद का गठन दिनांक 10.11.2010 को किया गया था एवं दिनांक 3 मई, 2011 से दन्त चिकित्सकों का पंजीकरण किया जाना प्रारम्भ किया गया जो कि दिनांक 3.5.2011 से 14.7.2014 तक राजस्थान राज्य दन्त परिषद जयपुर में कुल 3424 दन्त चिकित्सक पंजीकृत किये गये।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत 7798 चिकित्सक कार्यरत/पदस्थापित हैं। चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में 1787 चिकित्सक कार्यरत/पदस्थापित हैं।

(3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी तथा श्रेणीवार विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों (राजकीय दन्त कालेज एवं चिकित्सालय सहित) में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कालेज, सोसायटी झालावाड़ में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) चिकित्सा संस्थानों में डाक्टर नर्स के अनुपात का कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत/पदस्थापित चिकित्सकों एवं नर्स के अनुपात का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(5) प्रदेश में वर्ष 2014 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर प्रति चिकित्सक एवं प्रति नर्स का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में मेडिकल रिलीफ सोसायटी की स्थापना का उद्देश्य

186. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी की स्थापना की गई है? यदि हां, तो किस उद्देश्य से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सोसायटी इन उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल रही है? यदि हां, तो कहां तक व नहीं, तो क्यों एवं क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

(3) क्या सोसायटी का फण्ड चिकित्सालय के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति

(श्रीमती अलका सिंह)

हेतु व्यय किया जा सकता है? यदि हां, तो किन-किन मदों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी की स्थापना का उद्देश्य चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाना है। चिकित्सालय के माध्यम से रोगियों को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता की जांच, उपचार सुविधा, दवाइयां एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, अनाथ, लावारिस, विधवा, कैदी व वरिष्ठ नागरिकों को समस्त सुविधाएं नि:शुल्क/कम मूल्य पर उपलब्ध करवाना है।

(2) जी हां। सोसायटी शत प्रतिशत उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल रही है। इस सम्बन्ध में अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी हां। सोसायटी का फण्ड निम्नलिखित मदों में व्यय किया जा सकता है:-

1. बी.पी.एल. कार्डधारी मरीजों हेतु दवाइयों एवं जांच पर/हैल्थ इन्श्योरेंस हेतु दवाइयां-25 प्रतिशत।

2. बी.पी.एल. श्रेणी के अतिरिक्त विशेष गरीब मरीजों के उपचार पर-5 प्रतिशत।

3. वरिष्ठ नागरिकों के उपचार एवं नैदानिक जांचों पर-20 प्रतिशत।

4. चिकित्सालय की सफाई, रख-रखाव एवं अन्य सुविधाओं इत्यादि पर-20 प्रतिशत।

5. जांच सामग्री, केमिकल्स, एक्स-रे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी फिल्म एवं उपकरणों की ए.एम.सी. इत्यादि हेतु-25 प्रतिशत।

6. आपातकालीन स्थिति एवं घातक बीमारियों के रोगियों को नि:शुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये-5 प्रतिशत।

विभिन्न गतिविधियों पर प्राथमिकता के आधार पर सोसायटी की सहमति से निम्न प्रकार व्यय होगा:-

1. विभिन्न जांचों हेतु सामग्री जैसे-एक्स-रे फिल्म, सी.टी. फिल्म, किट्स व केमिकल्स आदि।

2. विभिन्न मशीनों एवं उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

3. नये उपकरणों एवं मशीनों की खरीद।

4. विभिन्न रोगी सेवाओं जैसे-ट्रोली सेवा, सुरक्षा, बिजली, पानी व सफाई आदि पर राज्य सरकार से प्राप्त राशि से अतिरिक्त व्यय पर।

5. चिकित्सालय फर्नीचर (पलंग व लाकर आदि) कार्यालय फर्नीचर, लिनन, एयरकंडीशनर्स, कूलर, पंखों आदि की खरीद एवं रखरखाव।

6. कोटेज वार्ड/अतिथि भवन, आडिटोरियम, रैन बसेरा आदि के भवन, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री का रख-रखाव।

7. चिकित्सालय भवन का रख-रखाव, नव निर्माण एवं परिवर्तन/परिवर्द्धन।

8. मेडिकल कालेज प्रदत्त रोगी सेवाओं पर व्यय।

9. विभागाध्यक्षों द्वारा छुट-पुट सामान/मरम्मत आदि पर व्यय।

10. सोसायटी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन/मानदेय।

11. कार्यालय भवन, स्टेशनरी व डाक व्यय।

12. ऋण भुगतान।

13-. कारपस फण्ड हेतु बचत।

14. बगीचा तथा पेड़ पौधों के रखरखाव।

15. अन्य व्यय जो रोगी सेवाओं को सुदृढ़ एवं प्रभावशाली बनाये, सोसायटी की सहमति पर किया जावेगा।

16. सदस्य सचिव रु. 100/- प्रतिमाह सोसायटी के क्रियाकलापों (मीटिंग आदि) के लिए व्यय कर सकेंगे।

बारां जिले में कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के उपचार की कार्य योजना

187. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं एवं क्यों? पंचायत समितिवार विवरण मय कारणों के सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में बच्चों को कुपोषण से बचाने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ललित कुमार)

(3) क्या इन प्रयासों से कुपोषण ग्रस्त बच्चों की संख्या में कमी आई है? यदि हॉं, तो कितनी एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार की इस सम्बन्ध में अब क्या कार्य योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कुपोषित बच्चों का सर्वे चिकित्सा विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है। इसका सर्वे भारत सरकार द्वारा करवाया जाता है जिसके अन्तर्गत जिलेवार सूचना के स्थान पर राज्य अनुसार सूचना संकलित की जाती है। भारत सरकार द्वारा किये गये अन्तिम एन.एफ.एच.एस सर्वे 2005-06 के अनुसार राजस्थान राज्य में 0 से 5 वर्ष तक की उम्र के 39.90 प्रतिशत कुपोषित बच्चे थे। बारां जिले में सहरिया आदिवासी जनसंख्या अधिक है, सहरिया जनजाति में बच्चों की देखभाल एवं पोषण सम्बन्धी जागरूकता का अभाव होने के कारण जिले में कुपोषण की समस्या है।

(2) बारां जिले में कुपोषण की रोकथाम हेतु आयुवर्ग 06 माह से 6 वर्ष के समस्त कम वजन वाले शिशुओं सहित सहरिया, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को माह दिसम्बर 2012 से दोगुना पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

चिकित्सा विभाग द्वारा अतिकुपोषित बच्चे जो अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के दौरान यदि अतिकुपोषण के साथ गम्भीर चिकित्सकीय बीमारियों जैसे न्यूमोनिया, भूख की कमी, बुखार, लगातार उल्टी, गम्भीर रूप से खून की कमी आदि से ग्रसित होते हैं, तो इन्हें कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती किया जाता है व उपचार किया जाता है। सामान्य अति कुपोषित बच्चे व सामान्य कुपोषित बच्चों का इलाज समुदाय में रहकर आंगनवाड़ी द्वारा मिल रहे पोषाहार के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा मई 2006 में बारां व शाहबाद में, अगस्त 2011 में केलवाड़ा, छबड़ा, छीपाबड़ौद में एवं फरवरी 2013 में किशनगंज, अन्ता, मांगरोल, सीसवाली तथा अटरू में कुपोषण उपचार केन्द्र खोले गये हैं जहां अतिकुपोषण के साथ गम्भीर चिकित्सकीय बीमारियों से ग्रसित बच्चों को नि:शुल्क जांच, दवा एवं पोषाहार देकर इलाज किया जाता है।

भर्ती बच्चे के परिजनों को वेज कम्पेनसेशन के रूप में 135 रुपये

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

प्रतिदिन दिये जाते हैं तथा बारां जिले के सहरिया परिवार के बच्चे के परिजनों को 65 रुपये अधिक यानी 200 रुपये वेज कम्पेनसेशन के रूप में दिये जाते हैं।

अति कुपोषित बच्चे को कुपोषण उपचार केन्द्र में लाकर भर्ती करवाने के लिए आशा सहयोगिनियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा रुपये 300/- प्रति बच्चे के हिसाब से प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी किया जाता है।

(3) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 के उपरान्त कोई सर्वे नहीं किया गया।

(4) वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चयनित सी.एच.सी/उपजिला अस्पतालों में 107 कुपोषण उपचार केन्द्र जो पूर्व में तीन बैडेड थे, उन्हें क्रमोन्नत कर छह बैडेड करने के लिये, बजट हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

वेज कम्पेनसेशन को 135 रुपये से बढाकर 165 रुपये करने का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा गया है।

बायतू (बाड़मेर) के रा.उ.मा.वि. में कृषि विज्ञान संकाय

188. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बायतू पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र से होने के कारण यहां की 100 प्रतिशत आबादी कृषि पर ही निर्भर है? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बायतू (बाड़मेर) में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए कृषि विज्ञान विषय प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बायतू पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण यहां पर अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बायतू (बाड़मेर) में कृषि विज्ञान विषय खोलने के सम्बन्ध में वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता, निर्धारित मानदण्डों तथा गुणावगुण के आधार पर

(शिक्षा मंत्री)
समग्र स्थिति का आंकलन करते हुए प्राप्त अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

किशनगढ़ बास में संचालित विद्यालयों में विज्ञान संकाय

189. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में वर्तमान में कितने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में से कितने विद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालित हैं? क्या सरकार विज्ञान संकाय से वंचित विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास, अलवर में वर्तमान में 30 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की सूची निम्नानुसार है:-

1	राउमावि, किशनगढ़ बास	16	राउमावि,जौडिया
2	राउमावि, बासकृपालनगर	17	राउमावि, बूढ़ीबावल
3	राउमावि, खैरथल	18	राउमावि, हरसौली
4	राउमावि, बहादुरपुर	19	राबाउमावि, हरसौली
5	राउमावि, जगताबसई	20	राबाउमावि, कोटकासिम
6	राउमावि, बघेरीकला	21	राउमावि, बीबीरानी
7	राउमावि, इस्माईलपुर	22	राउमावि, भौंकर
8	राउमावि, खानपुरमेवान	23	राउमावि, पुर
9	राउमावि, घासोली	24	राउमावि, कतोपुर
10	राबाउमावि, किशनगढ़	25	राउमावि, पाटन अहीर
11	राबाउमावि, खैरथल	26	राउमावि, भोजराजका
12	राबाउमावि, बहादरपुर	27	राउमावि, बघाना
13	राउमावि, सिरमोली	28	राउमावि, नांगसालिया
14	राउमावि, कोटकासिम	29	राउमावि, जटियाना
15	राउमावि, मतलवास	30	राउमावि, तिगांवा

(शिक्षा मंत्री)

(2) किशनगढ़ बास विधान सभा क्षेत्र के उक्त 30 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में से कुल 09 विद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालित है। शेष विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता, निर्धारित मानदण्डों तथा गुणावगुण के आधार पर समग्र स्थिति का आंकलन करते हुए प्राप्त अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रदेश में विकलांग बालकों के अध्यापन हेतु विशेष शिक्षकों की नियुक्ति

190. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विकलांग बालकों के लिए कितने विद्यालय कहां-कहां संचालित किये जा रहे हैं? जिला स्तरीय विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में विकलांग बालकों के लिए कितने चयनित शिक्षक विद्यालयों में अध्यापन कार्य करवा रहे हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालयों में विकलांग बालक एवं शिक्षक अनुपात क्या है? क्या वर्तमान में उक्त अनुपात के अनुसार विशेष शिक्षक उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्या सरकार बालकों के लिये विशेष शिक्षक भर्ती करने विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार आगामी सत्र में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती में विशेष शिक्षकों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत विकलांग बालकों के लिये जिला स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों की सूची, परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में केवल विकलांग बालकों के अध्ययन हेतु पृथक से विद्यालय संचालित नहीं है। अपितु प्रदेश के कुल 41 विद्यालय जिनमें

(शिक्षा मंत्री)

विकलांग बच्चे अध्ययनरत हैं उनमें विशेष अध्यापक अध्यापन हेतु लगाये गये हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(2) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में अध्यापन करवा रहे विशेष चयनित शिक्षकों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-"क" एवं "ख" में सम्मिलित है ।

(3) सीएसएस के तहत आई.ई.डी.एस.एस. योजना के अनुसार (शिक्षक-बालक) अनुपात 01:05 निर्धारित है।

उक्त विद्यालयों में विकलांग बालकों एवं विशेष शिक्षकों का अनुपात परिशिष्ट-"क" एवं "ख" में सम्मिलित है।

वर्तमान में उक्त अनुपात के अनुसार विशेष शिक्षक उपलब्ध नहीं है।

विकलांग बालकों के लिये वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड के विशेष शिक्षकों के 485 नये पद सृजित हुए हैं। ये पद वर्तमान में नियमों में संवर्गित नहीं हैं जिन्हें नियमों में संवर्गित किये जाने हेतु नियम संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(4) तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती हेतु जिला परिषदों द्वारा की जा रही भर्ती प्रक्रिया पर न्यायालय का स्टे है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों में विशेष शिक्षकों की अलग से भर्ती नहीं की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कार्यरत विद्यार्थी मित्र, शिक्षाकर्मी, शिक्षा मित्र एवं प्रबोधक को देय सुविधाएं

191. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कुल कितने विद्यार्थी मित्र, शिक्षाकर्मी, शिक्षा मित्र, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, अंशकालीन शिक्षक व प्रबोधक कार्यरत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकार के कर्मचारियों को सरकार द्वारा कितना वेतन/मानदेय दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुये उक्त कर्मचारियों का वेतन/मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कितना व नहीं, तो क्यों?

(डा. राजकुमार शर्मा)

(4) उक्त प्रकार के कर्मचारियों को सरकार वर्तमान में वेतन/मानदेय के अलावा और क्या सुविधायें यथा अवकाश, चिकित्सा, यात्रा भत्ता आदि दे रही है? क्या सरकार इन्हें देय सुविधायें राज्य कर्मचारियों के समान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग अन्तर्गत वर्तमान में विद्यार्थी मित्र, शिक्षा मित्र, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक तथा अंशकालीन शिक्षक कार्यरत नहीं हैं। वर्तमान में कार्यरत शिक्षाकर्मी तथा प्रबोधकों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) वर्तमान में शिक्षाकर्मियों का मानदेय इस प्रकार से है:-

क्र.सं.	शिक्षाकर्मी विवरण	मानदेय प्रतिमाह
1	वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी	14026/-
2	वरिष्ठ शिक्षाकर्मी	12151/-
3	सामान्य शिक्षाकर्मी	7700/-

प्रबोधक का पे बेण्ड 9300-34800 तथा ग्रेड पे 3600/- है । वरिष्ठ प्रबोधक का पे बेण्ड (9300-34800) तथा ग्रेड पे 4200/- रुपये है ।

(3) प्रबोधकों को नियमानुसार समस्त परिलाभ देय है । अन्य कार्मिकों के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(4) राज्य सरकार द्वारा शिक्षाकर्मियों को प्रदत्त सुविधाओं का विवरण इस प्रकार है:- 1. शिक्षाकर्मी के अपने स्वयं के 12 प्रतिशत अंशदान के साथ 12 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा भविष्यनिधि में जमा करवाया जा रहा है। 2. शिक्षाकर्मी कल्याण कोष की स्थापना की जाकर 50 रुपये प्रतिवर्ष जमा करवाया जाता है। जिससे शिक्षाकर्मी की आकस्मिक मृत्यु पर 50000/- रुपये राशि का भुगतान किया जाता है। 3. सामूहिक बीमा 4. डाईट के माध्यम से एसटीसी तथा स्वयं के खर्चे पर बी.एड. करने की स्वीकृति। 5. वरिष्ठ शिक्षाकर्मियों को 15 आकस्मिक अवकाश, 15 उपार्जित अवकाश तथा 20

(शिक्षा मंत्री)

अर्द्धवेतन अवकाश देय है। 6. सामान्य शिक्षाकर्मियों को 10 आकस्मिक अवकाश देय है। प्रबोधकों को राज्य कर्मियों के समान वेतन, चिकित्सा एवं यात्रा भता तथा अवकाश आदि लाभ देय है ।

(5) शिक्षा विभाग में कार्यरत अस्थाई/अनुबंध कार्मिकों के मामले में राज्य सरकार द्वारा त्रि-स्तरीय (विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रथम स्तर, अति. मुख्य सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता में द्वितीय स्तर एवं मंत्री मण्डलीय उप समिति-तृतीय स्तर) समितियों का गठन किया गया है। इनकी समीक्षा के उपरांत कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले में संचालित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान

192. श्री ओटाराम (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में जिला शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डाईट्) कहां-कहां संचालित हो रहे हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में संचालित जिला शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) केन्द्र वर्तमान में राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल एवं हिल स्टेशन आबूपर्वत में संचालित हो रहा है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पर्यटन स्थल आबूपर्वत से पूर्व उक्त जिला शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) सिरोही जिले के किसी अन्य शहर में संचालित किया जा रहा था? यदि हां, तो कहां, किस शहर में और वहां से आबूपर्वत स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं तथा इसे आबूपर्वत ही क्यों, सिरोही जिला मुख्यालय पर स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश का एक मात्र हिलस्टेशन एवं पर्यटक स्थल आबूपर्वत पर संचालित जिला शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण (डाईट) को सिरोही जिला मुख्यालय स्थानान्तरित करते हुए आबूपर्वत के उक्त डाईट भवन को पूरे राजस्थान क्षेत्र से शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों तथा पर्यटन की दृष्टि से भ्रमण पर आने वाले विद्यार्थियों एवं शिक्षा विभागीय अधिकारियों/

(श्री ओटाराम)

कार्मिकों के विश्राम गृह के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में संचालित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) की जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आबूपर्वत जिला सिरोही में वर्ष 1988-89 से संचालित है।

(3) जी नहीं। सिरोही जिले का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) अपनी स्थापना से ही आबूपर्वत में संचालित है।

(4) जी नहीं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) आबूपर्वत को सिरोही जिला मुख्यालय पर स्थानान्तरण करने तथा आबूपर्वत स्थित डाईट भवन का उपयोग विद्यार्थियों शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों के विश्राम गृह के रूप में विकसित करने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सेवानिवृत्त शिक्षकों के आश्रितों/नामिनी को पेंशन का भुगतान

193. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर में सेवानिवृत्त शिक्षकों को पूर्व पेंशन का लाभ नहीं दिये जाने की स्थिति में प्रोविजनल पेंशन का लाभ प्राप्त करने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने के उपरान्त पूर्ण पेंशन अभी तक जारी नहीं करने के प्रकरण विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कितने व कब से एवं क्यों?

(2) क्या मृत्युपरान्त शिक्षकों के आश्रितों/नोमिनी का शेष पेंशन राशि प्राप्त करने हेतु नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण हैं? जिनमें शेष पेंशन अभी तक जारी नहीं हुई? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त शिक्षकों के पेंशन से वंचित आश्रितों को पूर्ण पेंशन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जयपुर में सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्रोविजनल पेंशन का लाभ प्राप्त किये जाने के दौरान मृत्यु हो जाने के उपरान्त पूर्ण पेंशन जारी नहीं करने का 01 एक प्रकरण है। यह प्रकरण कार्मिक की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.1994 से बकाया है। कार्मिक की सेवा पुस्तिका गुम हो जाने तथा डुप्लिकेट सेवा पुस्तिका बनाने में कार्मिक द्वारा सहयोग नहीं करने के कारण पूर्ण पेंशन प्रकरण तैयार नहीं किया जा सका।

(2) जी हां। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 67 में वर्णित पारिवारिक सदस्य पेंशन के हकदार हैं। जयपुर जिले में प्रश्नोत्तर के भाग संख्या 1 में वर्णित प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। नियमों की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। क्योंकि कार्मिक की सेवा पुस्तिका गुम हो जाने तथा डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका नहीं बनने के कारण पूर्ण पेंशन नियमानुसार स्वीकृत नहीं की जा सकती है। सेवानिवृत्त कार्मिक की दिनांक 25.06.2013 को मृत्यु हो चुकी है तथा नियमानुसार किसी आश्रित द्वारा क्लेम भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा हेतु नवीन महाविद्यालय

194. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2004 से 2008 के मध्य तथा वर्ष 2009 से मई 2014 तक प्राविधिक शिक्षा के कितने नये महाविद्यालय कहां-कहां खोले गये तथा कहां-कहां से नये प्रावधिक महाविद्यालय खोलने के लिये आवेदन प्राप्त हुये हैं? वर्षवार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त महाविद्यालयों में किस-किस ट्रेड में कितने-कितने बालक-बालिकाओं ने प्रवेश लिया? वर्षवार, जिलेवार व संस्थानवार प्रवेशित बच्चों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि के दौरान मई 2014 तक उक्त महाविद्यालयों में एस सी, एस टी, ओ. बी. सी, तथा अल्पसंख्यकों के कितने-कितने छात्रों ने प्रवेश लिया? वर्षवार, जिलेवार व संस्थानवार प्रवेशित बच्चों की वर्गवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2004 से 2008 के मध्य 34 तथा 2009 से मई, 2014 तक 169 प्राविधिक शिक्षा (पालिटेक्निक) के नये महाविद्यालय खोले गये। वर्षवार व जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

वर्ष 2004 से 2008 तक 153 तथा वर्ष 2009 से 2014 तक 279 आवेदन पत्र नये महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए। वर्षवार व जिलेवार सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त अवधि के दौरान इन महाविद्यालयों में शाखावार प्रवेशित बालक-बालिकाओं की वर्षवार, जिलेवार व संस्थानवार सूची परिशिष्ट-3 (ए) एवं परिशिष्ट-3 (बी) पर उपलब्ध है।

(3) उक्त अवधि के दौरान इन महाविद्यालयों में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. तथा अल्पसंख्यकों के प्रवेशित छात्र-छात्राओं की वर्गवार, वर्षवार, जिलेवार व संस्थानवार सूची परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय को प्लान/नान प्लान मद में आबंटित राशि

195. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय को कितनी राशि प्लान एवं नान प्लान मद के अन्तर्गत प्रदान की गई? गत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विश्वविद्यालय में कितने शैक्षणिक व अशैक्षणिक पद हैं तथा कितने पद रिक्त हैं?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2010 में विश्वविद्यालय के विकास फण्ड के 14 करोड रुपये सरकार ने ले लिये थे? यदि हां, तो किस आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय को प्लान एवं नान प्लान मद के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में प्रदान की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	राशि लाख रुपये	
		प्लान मद	नान प्लान मद
1	2009-10	10.00	00
2	2010-11	56.00	282.50
3	2011-12	147.00	00
4	2012-13	00	00
5	2013-14	00	00

(2) 1. विश्वविद्यालय में वर्तमान में 178 शैक्षणिक और 373 पद अशैक्षणिक हैं।

2. विश्वविद्यालय में 83 पद शैक्षणिक के और 161 पद अशैक्षणिक के रिक्त हैं।

(3) जी हां। "बजट अभिभाषण वर्ष 2010-11 (मुख्यमंत्री बजट घोषणा अनुच्छेद 165) के अनुसार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा राज्य के 7 राजकीय अनुदानिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को 2-2 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गयी थी," के आधार पर विश्वविद्यालय से 14 करोड़ रुपये लिये गये।

प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं के पेंशन नियमों में संशोधन

196. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) एवं **श्री राजेन्द्र गुर्जर** (देवली-उनियारा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार के अधीन दिनांक 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त राजकीय कालेज व्याख्याताओं पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 अभी भी प्रभावी है?

(2) क्या यही भी सही है कि ऐसे राजकीय कालेज व्याख्याताओं को जिनकी नियुक्ति दिनांक 1-1-2004 से पूर्व हुयी है तथा 1-1-2004 के उपरांत राज्य सेवा में अन्य उच्च पद पर नियुक्ति होने पर भी पेंशन का पूर्वानुसार ही लाभ दिया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व आवश्यक न्यूनतम अध्यापन अनुभव के आधार

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

पर की जाती है? यदि हां, तो इन पदों पर सीधी भर्ती नियुक्ति के लिए निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अध्यापन अनुभव के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार के अधीन नियुक्त सेवारत व राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1966 में कवर्ड राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं का उनकी श्रेष्ठ योग्यता व अध्यापन अनुभव के आधार पर राजकीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक शीर्ष पदों पर चयन होने पर तथा विधिवत रूप से कालेज शिक्षा निदेशालय से कार्यमुक्त होकर राजकीय विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने पर पेंशन का लाभ दिया जाता है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि दिनांक 1-1-2004 से पूर्व राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 में कवर्ड राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं द्वारा राजकीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 1-1-2004 के बाद में निर्धारित प्रक्रियानुसार चयन होकर कार्यभार ग्रहण करने पर भी विश्वविद्यालय पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(6) सरकार द्वारा आवश्यक नियमों में कब तक संशोधन कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) दिनांक 1-1-2004 से पूर्व कालेज शिक्षा निदेशालय में नियुक्त ऐसे व्याख्याता जो पेंशन योजना में आते हैं व दिनांक 1-1-2004 के पश्चात् उचित माध्यम से आवेदन करने तथा विधिवत कार्यमुक्त होकर राजस्थान के राजकीय विश्वविद्यालयों में उच्च शैक्षणिक पदों पर नियुक्त हुए हैं तथा जो पूर्व से ही पेंशन योजना में रहे हैं, को सरकार अन्य सेवारत राज्य कर्मचारियों की भांति 1-1-2004 के उपरांत नियुक्ति होने पर पेंशन का पूर्वानुसार लाभ देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(8) दिनांक 1-1-2004 से पूर्व राजकीय विश्वविद्यालयों में नियुक्त ऐसे प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर व सहायक प्रोफेसर जो पेंशन योजना में आते हैं व दिनांक 1-1-2004 के पश्चात् उचित माध्यम से आवेदन करने तथा विधिवत कार्यमुक्त होकर अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों में उच्च/समान शैक्षणिक पदों पर नियुक्त होते हैं, को अन्य सेवारत राज्य कर्मचारियों की भांति दिनांक 1-1-2004 के उपरांत नियुक्त होने पर पेंशन का पूर्वानुसार लाभ दिया जाता

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

है? यदि हां, तो सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्या सरकार नियमों में आवश्यक संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। प्रति (परिशिष्ट-'अ') पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13 (1) वित नियम/2003 दिनांक 07.09.2006 के अनुसार पेंशन का प्रावधान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट है।

(6) जी नहीं। नियमों में संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(7) जी हां। प्रति (परिशिष्ट-'ब') पर संलग्न है।

(8) नियमों में संशोधन सम्बन्धी कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में कनिष्ठ लिपिक भर्ती प्रक्रिया

197. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में गत वर्ष कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती निकाली गई थी यदि हां, तो कितने पदों के लिए? भर्ती का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भर्ती हेतु किस-किस श्रेणी से कितना-कितना भर्ती शुल्क किस आधार पर निर्धारित किया गया था? तथा कितने आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया? विश्वविद्यालय कोष में उक्त भर्ती से कुल कितना शुल्क प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो किसके द्वारा, किस आधार पर? वर्तमान स्थिति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने की स्थिति में आवेदकों

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

द्वारा दिये गये शुल्क का पुर्नभुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार राजस्थान विश्वविद्यालय के रिक्त कनिष्ठ लिपिकों के पदों को भरने के लिए पुन: भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कनिष्ठ लिपिकों के 94 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। (परिशिष्ट 'अ')

(2) कार्यालय आदेश क्रमांक : संस्था-2/2014/12645 दिनांक 22.01.2014 के द्वारा शुल्क निर्धारित किया गया था। (परिशिष्ट 'आ') उक्त शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया था। उक्त पदों पर सामान्य एवं विभिन्न श्रेणियों द्वारा कुल 9753 आवदकों द्वारा आवेदन किया गया है। तथा उक्त भर्ती से विश्वविद्यालय कोष में कुल जमा राशि 74,98,000/- रुपये प्राप्त हुई है। (परिशिष्ट 'इ')

(3) जी नहीं। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : संस्था-2/2014/15399 दिनांक 31.03.2014 के द्वारा सिण्डीकेट की बैठक में लिए गये निर्णय की अनुपालना में विश्वविद्यालय में प्रक्रियाधीन स्टेनो एवं कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती को आगामी आदेश तक आस्थगित(kept in abeyance) किया गया है। (परिशिष्ट-ई)

भर्ती को निरस्त नहीं किया गया है।

(4) विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है। उक्त भर्ती को निरस्त करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यदि निर्णय लिया जाता है, तो शुल्क के पुनर्भुगतान हेतु प्रशासनिक निर्णय लिया जायेगा।

(5) उपरोक्तानुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जगदगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्री-शास्त्री परीक्षा

198. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

(1) क्या यह सही है कि जगदगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जाने वाली प्री-शिक्षा शास्त्री परीक्षा के नाम पर अप्रैल, 2014 में अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय देने के आदेश जारी हुए हैं? यदि हां, तो कब? सम्बन्धित आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेशों के अनुसरण में किन-किन अधिकारियों/ कर्मचारियों को कितनी-कितनी राशि मानदेय के रूप में दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्री-शिक्षा शास्त्री परीक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का ठेका एक निजी कम्पनी को दिया गया था? यदि हां, तो किस आदेश से एवं किस कम्पनी को तथा उस कम्पनी को कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार कुलसचिव एवं अन्य अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय के लिए किए गए किसी भी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं प्राप्त कर सकते? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्री-शिक्षा शास्त्री परीक्षा हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश एजेन्सी के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्री-शिक्षा शास्त्री परीक्षा सम्बन्धी कार्य के सम्पादन हेतु विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्व वर्षो की भांति मानदेय देने के सम्बन्ध में दो पृथक-पृथक आदेश क्रमांक- पं. ( )जरारासंविवि / पीएसएसटी/14/14 दिनांक 26.04.2014 एवं पं. ( ) जरारासंविवि/पीएसएसटी/14/21 दिनांक 26.04.2014 जारी किये गये (प्रतियां संलग्न हैं)।

(2) उक्त आदेशों के अनुसरण में अभी तक किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी को मानदेय की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। प्री-शिक्षा शास्त्री परीक्षा के कार्य हेतु टेण्डर प्रक्रिया के तहत मैसर्स कम्प्यूटर कन्सलटेंसी सर्विसेज, जयपुर को कार्यादेश संख्या-F(45) JRRSU/PSST/2014/04-07 दिनांक 29.03.2014 से प्री-शिक्षा शास्त्री केवल परीक्षा आयोजन व काउन्सलिंग का ही कार्य दिया गया है (कार्यादेश की प्रति संलग्न है)।

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

उक्त फर्म को अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(4) जी हां। गत कुछ वर्षों की भांति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्री-शिक्षा शास्त्री परीक्षा 2014 आयोजित कराने की जिम्मेदारी संस्कृत विश्वविद्यालय को प्रवेश एजेन्सी के रूप में दी गई है। प्रवेश एजेन्सी के रूप में प्री-शिक्षा शास्त्री परीक्षा सम्बन्धी कार्य के सम्पादन हेतु लगाये गये कार्मिकों को अतिरिक्त कार्य हेतु मानदेय विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बाड़मेर जिले में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना

199. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बजट में जिला बाड़मेर में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है?

(2) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा जिला बाड़मेर में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु अब तक क्या प्रयास किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अर्द्धशासकीय पत्रांक : F7(33)DME/Acad./ 2014/ Dated : 3.3.2014 से एम.ओ.यू. हस्ताक्षर कर भिजवाया गया है। प्रति परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में पदस्थापित रेजीडेंट चिकित्सक/नर्सिंगकर्मी

200. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) एवं **श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में किस-किस विभाग में कितने-कितने वार्ड हैं एवं वहां पर कितने रेजीडेंट चिकित्सक और नर्सिंगकर्मी नियुक्त हैं? वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालय में किस-किस विभाग में कितने आई.सी.यू. हैं एवं उनमें कितने मरीजों की क्षमता है एवं किस-किस आई.सी.यू. में कितने-कितने नर्सिंगकर्मी पदस्थापित हैं? विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियमों के अनुसार वार्ड एवं आई.सी.यू. में कितने नर्सिंगकर्मी होने चाहिए? सम्बन्धित नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार चिकित्सक एवं नर्सिंगकर्मियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय के विभिन्न विभागों में वार्डो की संख्या एवं उनमें नियुक्त नर्सिंग कर्मियों की संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

रेजीडेंट चिकित्सक वार्डवार नियुक्त नहीं किये जाकर विभागवार नियुक्त किये जाते हैं। विभागवार रेजीडेंट व सीनियर रेजीडेंट की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) उक्त चिकित्सालय में विभागवार आई.सी.यू., मरीजों की क्षमता एवं पदस्थापित नर्सिंगकर्मियों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियमों के अनुसार वार्ड में 03 मरीज पर 01 एवं आई.सी.यू. में 01 मरीज पर 01 नर्सिंग कर्मी होना चाहिए । नियमों की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) जी हां। आचार्य एवं सह आचार्य के पदों को डी.ए.सी.पी. के तहत पदोन्नति पर चिकित्सक उपलब्ध होने से तथा सहायक आचार्य एवं नर्सिंग कार्मिकों के पदों को सीधी भर्ती से भरा जाना प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

महात्मा गांधी चिकित्सालय, जयपुर को भूमि आबंटन की शर्तें

201. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा महात्मा गांधी चिकित्सालय, जयपुर को कब एवं किन शर्तों पर भूमि का आबंटन किया गया?

(2) क्या चिकित्सालय द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना की गई? यदि हां, तो तथ्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें नहीं, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या महात्मा गांधी चिकित्सालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही चिकित्सालय का संचालन किया गया है? यदि हां, तो इसकी जांच कब-कब की गई? जांच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें एवं नहीं, तो अनियमितताओं के लिये चिकित्सालय के विरुद्ध कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत पांच वर्षों में महात्मा गांधी चिकित्सालय द्वारा प्रतिवर्ष कितने बी. पी. एल. मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया? क्या यह संख्या नियमानुसार सही है? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में चिकित्सालय के विरुद्ध क्या कार्यवाही नियमानुसार होनी आवश्यक थी एवं क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्तमान में महात्मा गांधी चिकित्सालय के आउटडोर में चिकित्सकों का परामर्श शुल्क सभी जांचों, अलग-अलग रोगों के उपचार आपरेशन, एम्बुलेन्स हेतु क्या शुल्क निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या यह सभी शुल्क आबंटन की शर्तों के अनुसार सही है? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा शर्तों के अनुसार निर्धारित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई?

(7) सरकार द्वारा कब-कब इस चिकित्सालय की जांच की गई एवं उनमें क्या-क्या अनियमिततायें पाई गईं? सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई एवं नहीं, तो क्यों?

(8) क्या सरकार इस चिकित्सालय का संचालन आबंटन की शर्तों के अनुसार कराने हेतु कोई ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी चिकित्सालय, जयपुर को भूमि का आबंटन नहीं किया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा भूमि का आबंटन नहीं करने के कारण कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

(3) राज्य सरकार द्वारा भूमि का आबंटन नहीं करने के कारण कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

(4) जी हां। महात्मा गांधी चिकित्सालय में विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा रेफर किए गए (अब तक की संख्या एक) बी.पी.एल. मरीज का नि:शुल्क उपचार किया गया। चिकित्सालय को राज्य सरकार द्वारा भूमि का आबंटन नहीं करने के कारण बी.पी.एल. मरीजों को नि:शुल्क उपचार के मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

(5) महात्मा गांधी चिकित्सालय के आउटडोर में चिकित्सकों का परामर्श शुल्क, सभी जांचों, अलग-अलग रोगों के उपचार आपरेशन तथा एम्बुलेन्स हेतु निर्धारित राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(6) राज्य सरकार द्वारा भूमि का आबंटन नहीं करने के कारण कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

(7) राज्य सरकार को महात्मा गांधी चिकित्सालय के बारे में किसी अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई। चूंकि महात्मा गांधी चिकित्सालय मेडिकल कालेज का अध्ययन चिकित्सालय (टीचिंग हास्पिटल) है, अत: मेडिकल काउन्सिल आफ इंडिया द्वारा मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल का निरीक्षण किया जाता है।

(8) राज्य सरकार द्वारा भूमि का आबंटन नहीं करने के कारण कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डा. एस. एन. मेडिकल कालेज के अधीन चिकित्सालयों में एक्स-रे मशीनें

202. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बाबू सिंह)

(1) क्या यह सही है कि डा. एस.एन. मेडिकल कालेज जोधपुर के अधीन संचालित चिकित्सालयों में एक्स-रे मशीन लगी हुई है? यदि हां, तो कहां-कहां, कितनी-कितनी व वर्तमान में क्या स्थिति है? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि महात्मा गांधी चिकित्सालय के हड्डी रोग विभाग के आउटडोर में एक्स-रे मशीन गत एक वर्ष से खराब होने से हड्डी रोगियों को एक्स-रे हेतु अन्य मुख्य एक्स-रे रूम जाने को मजबूर होना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार हड्डी रोग विभाग के आउटडोर में एक्स-रे मशीन को दुरूस्त करवाने अथवा नवीन एक्स-रे मशीन की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार डा. एस. एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर के अधीन संचालित चिकित्सालयों में खराब पड़ी एक्स-रे मशीनों को दुरुस्त करने अथवा नवीन एक्स-रे मशीनें लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। डा. एस. एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर के अधीन अस्पतालों में लगी एक्स-रे मशीनों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि इस महाविद्यालय से सम्बन्धित महात्मा गांधी अस्पताल में पिछले करीब एक वर्ष से हड्डी रोग विभाग के ओ.पी.डी. की एक्स-रे मशीन खराब है एवं मरीजों को एक्स-रे करवाने हेतु मुख्य एक्स-रे रूम मे जाना पड़ता है, हड्डी रोग विभाग में रखी एक्स-रे मशीन सात वर्ष पुरानी है एवं 2.70 लाख में क्रय की गई थी। अब रिपेयर की लागत फर्म द्वारा लगभग 1.50 से 1.70 लाख बताई गई है। अत: रिपेयर कार्य करवाना उचित नहीं है । इस हेतु महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर से एक मशीन, जो कि रिपेयर करवाई जा रही है, को हड्डी रोग विभाग में स्थानान्तरित करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) उक्त खराब पड़ी मशीनों को रिपेयर करने की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही ठीक करवा दी जायेगी।

परिशिष्ट-1

डा. एस. एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर के अधीन अस्पतालों में लगी एक्स-रे मशीनों का विवरण

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	मशीनों की संख्या	वर्तमान स्थिति	
			सही	खराब
1	महात्मा गांधी चिकित्सालय	10	8	2
2	मथुरादास माथुर चिकित्सालय	9	9	-
3	उम्मेद चिकित्सालय	9	9	-
4	कमला नेहरू	2	2	-

आर. के. यादव

डी.डी. प्लान

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-148 की सूची)

परिशिष्ट-1

राजकीय कन्या महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ में संचालित संकाय एवं विषयों की सूची

कला संकाय	वाणिज्य संकाय	विज्ञान संकाय
हिन्दी, गृह विज्ञान, इतिहास, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, संस्कृत	एबीएसटी, ईएएफएम, व्यवसाय प्रशासन	रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव जो पढ़े हुए माने गये

जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को स्वायत्तता

मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान जयनारायण विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय की गिरती दशा की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

यह संकाय एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1951, को की गई थी। इस मायने में यह संस्थान देश की प्रथम आई.आई.टी. खडकपुर से भी तीन दिन पुराना है और राज्य का तो पहला तकनीकी संस्थान है ही।

वर्ष 1962 में जब से इसे विश्वविद्यालय का भाग बनाया गया तब से इस संस्थान की वित्तीय दुर्दशा शुरू हुई। विश्वविद्यालय अपने वित्तीय स्थिति सम्भालने के लिए इंजीनियरिंग संकाय की आय पर निर्भर हो गया और इस संकाय से प्राप्त आय को उप कुलपति कार्यालय व अन्य संकायों पर खर्च किया जाने लगा। विश्वविद्यालय का भाग बनने के पश्चात न तो संस्थान में आधारभूत सुविधाएं बढ़ीं और न ही आवश्यकता अनुसार शैक्षिक एवं अशैक्षिक वर्ग में भर्तियां हुई। स्थिति यहां तक बिगड़ चुकी है कि यहां पर स्थापना के समय के प्रयोगशाला एवं तकनीकी उपकरण खस्ता हाल में पहुंच चुके हैं और संकाय भवन जर्जर व्यवस्था में है। देश एवं दुनिया प्रगति कर रहा है परन्तु अभी भी हम पुराने उपकरणों से ही तकनीकी व्यक्तियों को पढ़ा रहे हैं। हाल ही में ए.आई.सी.टी.आई. ने अपने निरीक्षण में संस्थान में शिक्षकों की भारी कमी पाई है। ए.आई.सी.टी.आई. के मानकों के अनुसार हर 15 छात्रों पर एक अध्यापक चाहिये वहां इस संस्थान में 50 छात्रों पर भी एक अध्यापक नहीं है।

इस स्थिति से उबारने के लिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि इस संस्थान को विश्वविद्यालय के अधीन पूर्ण स्वायत्तता (वित्तीय, प्रशासनिक एवं अकादमिक) प्रदान कर दी जाये। इस प्रकार के कदम से राज्य

सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा परन्तु यह संस्थान यू.जी.सी. एवं ऐसी कई केन्द्रीय संस्थाओं से सीधे ही अनुदान पाने का पात्र बन जायेगा। इससे इसकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा एवं इसकी दशा व दिशा भी सुधरेगी।

पूर्ण स्वायतत प्रदान करने हेतु राज्य सरकार इस संस्थान के लिए संकाय के डीन की अध्यक्षता में गवर्निंग काउन्सिल का गठन कर सकती है जिसमें राज्य सरकार, विश्वविद्यालय एवं संकाय के एल्युमिन एसोसियेशन के दो-दो प्रतिनिधि शामिल किये जा सकते हैं।

मुझे विश्वास है कि राज्य के इस प्रतिष्ठित संस्थान की प्रतिष्ठा बहाली के लिए माननीय मंत्री महोदय मेरे सुझावों से सहमत होते हुए शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

सादर।

सूर्यकान्ता व्यास

(सूरसागर)

रावली टाडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का अपग्रेडेशन

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के 234.452 से 441.0794 कि.मी. तक अपग्रेडेशन के प्रस्ताव को राज्य वन्यजीव मण्डल की स्थायी समिति की बैठक द्वारा दिनांक 17.05.2013 में अस्वीकृत कर वैकल्पिक मार्गों पर विचार करने का मत प्रकट किया गया था। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि यह मार्ग पूरे मारवाड़ क्षेत्र को भीम से गुलाबपुरा के मार्फत मेवाड़, पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान को जोड़ेगा। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन्य ने भी दिनांक 12.05.2014 को एक बैठक रख वन विभाग को यह निर्देशित किया था कि इस प्रस्ताव को पुन: विचार किया जावे तथा इस राजमार्ग का कार्य प्रारम्भ करवाने के लिये कहा जावे।

अत: मेरा इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि मारवाड़ को शेष राजस्थान से जोड़ने वाले इस मार्ग को पर्यावरणीय स्वीकृति दिलवाकर पुन: प्रारम्भ करवाया जावे। इस राज्य के बहुत बड़े हिस्से को तेज आवागमन का राष्ट्रीय उच्च मार्ग मिल सकेगा। इस

सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जो मार्ग है वो स्थानीय स्तर पर तीन मीटर चौड़ा है। इससे यातायात सुगम रूप से नहीं चल पाता है इसलिए इस मार्ग का होना अति आवश्यक है। उक्त मार्ग को यथाशीघ्र प्रारम्भ करवाने की कृपा करावें

धन्यवाद,

हरिसिंह रावत

(भीम)

कुशलगढ़ में सड़कों की खराब स्थिति

महोदय,

मेरा विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़, दक्षिणी राजस्थान के सुदूरपूर्व हिस्से में स्थित है, जो पूर जनजाति क्षेत्र है। चूंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र जनजाति क्षेत्र है, जो अनुसूचित जनजाति एरिया है, ऐसी स्थिति में इस जनजाति एरिया में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सड़कों का नवीनीकरण नहीं करवाने, आवश्यकतानुसार नई सड़कों का निर्माण नहीं करने से वर्तमान में अत्यंत ही भयंकर स्थिति हो गई है। गरीब, अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा एक गांव से दूसरे गांव में आने-जाने से भारी कठिनाई हो रही है। सड़कों की स्थिति खराब होने से इस क्षेत्र में बाहर से कोई उद्यमी भी नहीं आ पा रहे हैं। यातायात की व्यवस्था नहीं होने से पर्यटक भी इस क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। जिससे हमारे साथ भारी अन्याय हो रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुख्य रूप से कुशलगढ़ से बाजना वाया छोटी सरवा व कुशलगढ़ से गांमदा वाया कोटड़ा, ठूंठी कंकासिया, जालिनपुरा से कुशलगढ़ वाया डूंगरा, भोयन घाटी से कुशलगढ़ वाया टिमेडा एवं सज्जनगढ़ से ताम्बेसरा एवं कलीजरा वसूनी से ठकाला इत्यादि सड़कों की स्थिति अत्यन्त ही गंभीर है, इस पर चलना ही मुश्किल हो गया है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी सड़कों का तुरन्त प्रभाव से नवीनीकरण करना, चौड़ाई बढ़ाना व अधिक पानी वाले एरिया में सीसी रोड बनाना अति आवश्यक है। अनेक बार अधिकारियों से इस सम्बन्ध में सम्पर्क किया गया लिखित व जुबानी निवेदन किया गया परन्तु कोई यथोचित परिणाम नहीं निकला है। ऐसी स्थिति में जन साधारण से सम्बन्धित इस आवश्यक विषय को सदन में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त विषय को अति गम्भीर से लेकर आम जनता को राहत पहुंचावें।

भीमा भाई

(कुशलगढ़)

मकराना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्थाओं में सुधार

महोदय,

मकराना के सामुदायिक चिकित्सालय के सम्बन्ध में व्याप्त अव्यवस्थाओं की जानकरी देकर उनके समाधान हेतु सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से जानकारी चाहती हूं कि -

मकराना भारत में नहीं बल्कि विश्व में भी मार्बल संगमरमर नगरी के नाम से विश्व विख्यात है। यहां के मार्बल की मांग भारत में ही नहीं विदेशों में भी है। मकराना मार्बल से निर्मित आगरे का ताजमहल, कोलकता का विक्टोरिया मेमोरियल भवन विश्व प्रसिद्ध इमारतों में शुमार है। मकराना में मार्बल की हजारों खानें, मार्बल चिराई के हजारों गेंगसा, कटिंग मशीनें, पालिस मशीनें, मन्दिर-मस्जिद अन्य धार्मिक स्थलों में बनने वाले भवनों के घडाई पत्थर के कारखाने संचालित हैं। हजारों की संख्या में औद्योगिक इकाइयां कार्यरत है। इन औद्योगिक इकाइयों में हजारों की संख्या में मजदूर कार्य करते हैं। मकराना बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिनके समुचित उपचार की कोई व्यवस्था सामुदायिक चिकित्सालय मकराना में नहीं है।

सामुदायिक चिकित्सालय मकराना 75 शैयाओं का स्वीकृत है। यह मात्र सरकारी फाइलों में ही है। धरातल पर यहां पर कुछ भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। 75 शैयाओं के सामुदायिक चिकित्सालय में वर्तमान में 25 शैयाओं की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। पर्याप्त भवन नहीं है, स्वीकृत चिकित्सकों नर्स स्टाफ, वार्डबाय अन्य कर्मचारियों के पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं। आपरेशन थिएटर एवं उसके स्थापित होने वाली आधुनिक मशीनरी का पूर्णतया अभाव है। नि:शुल्क दवा योजना में दवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

मकराना के औद्योगिक क्षेत्र या अन्य मकराना शहर में गम्भीर दुर्घटना घटित होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण दुर्घटना में घायल मरीज को अन्यत्र रैफर कर दिया जाता है। समुचित उपचार के अभाव में मरीज की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकराना में स्वीकृत 75 बैड की व्यवस्था व चिकित्सक, अन्य

स्टाफ की व्यवस्था कब तक की जायेगी। माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करावें।

सधन्यवाद।

श्रीराम भींचर
(मकराना)

सोजत की पेयजल समस्या का समाधान

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदयजी आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को अवगत कराना चाहती हूं कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं। उस सोजत नगरपालिका शहर की पापुलेशन 40000 है। इस बढ़ती आबादी को देखते हुए हमारे यहां अनियमित पेयजल की समस्या आये दिन बनी रहती है। इसका मुख्य कारण सोजत शहर में वर्षों पुराना फिल्टर स्टोरेज जो 4 एम.एल.डी. का है। जिसकी मात्रा 4 लाख लीटर पानी स्टोरेज होता है। उसमें भी विद्युत कटौती हो जाती है। तो वो स्टोरेज भी समय रहते भर नहीं पाता है। जिससे सोजत शहर की पेयजल व्यवस्था 3-4 दिन तक पुन: सुचारु नहीं हो पाती। इस अनियमिति से हो रही सप्लाई से महिलाओं व आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि 2004-07 में पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में आपने जवाई पाइप लाइन परियोजना लागू कर इसके 5 फैज बनाये थे उसके 4 फैज में सोजत की जनता को जवाई का मीठा पानी आपने उपलब्ध करवाया, लेकिन उस पानी का पूरा उपयोग आज जनता नहीं ले पा रही है, क्योंकि उक्त चौथे फैज में सोजत को जवाई बांध का 40 लाख रॉ वाटर मिला, किन्तु जो फिल्टर स्टोरेज सोजत में बने है उसका पानी मारवाड़ जंक्शन की पंचायतों को मिलेगा और द्वितीय चरण में सोजत से जैतारण के लिये है, उपलब्ध रॉ वाटर के लिए हमारे पास फिल्टर वाटर स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। मात्र 4 एम.एल.डी. वाटर स्टोरेज ही है। जबकि आज कि पब्लिक डिमाण्ड को देखते हुए 12 एम.एल.डी. वाटर स्टोरेज की हमें आवश्यकता है।

मेरा माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि बजट संशोधन में सोजत शहर की समस्या को ध्यान में रखते हुए फिल्टर स्टोरेज के लिये बजट उपलब्ध करावें और तब तक इस योजना के तहत सोजत शहर में बने फिल्टर स्टोरेज से पेयजल व्यवस्था को सुचारु करावें।

इसके साथ ही सोजत विधान सभा क्षेत्र के कई राजस्व गांव जिसकी आबादी 4 से 5 हजार होना तय है, ऐसे गांव जवाई पाइप लाइन परियोजना में नहीं जुड पाये हैं जबकि द्वितीय चरण में जो कार्य होने जा रहा है वो पाइप लाइनें सोजत विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों के बीच से निकल रही हैं। मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त योजना में पाइप लाइन से वंचित गांवों का प्रपोजल बनाकर पाइप लाइन से जोड़कर जनता को पेयजल समस्या से निजात दिलाई जावे।

संजना आगरी

(सोजत)

चम्बल-सवाई माधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना की धीमी गति

महोदय,

मैं प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत ''चम्बल-सवाई माधोपुर-नान्दोती पेयजल परियोजना'' के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहती हूं। यह परियोजना दिनांक 03 अक्टूबर, 2005 को प्रारम्भ हुई थी जिसे 36 माह में पूर्ण होना था, यह कार्य मैसर्स सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लिमिटेड नई दिल्ली (एसपीएमएल) द्वारा किया जाना था। कार्य देरी से शुरू होने के कारण इस कार्य पर पुन: वित्तीय स्वीकृति के बाद कुल 532.60 करोड़ रुपए खर्च होना था। इसमें मण्डरायल-सवाई माधोपुर वाया करौली पाइप लाइन डाली जानी शामिल थी जो अभी गंगापुर सिटी तक पहुंची है। गौरतलब है कि सैन्ट्रल वाटर कमेटी ने वर्ष 2010 में इस परियोजना को अपनी स्वीकृति दी। वर्ष 2005 की योजना पांच साल बाद 2010 में शुरू हुई। इस कार्य के 36 माह में पूर्ण होने के अनुसार यह कार्य 2013 में समाप्त हो जाना चाहिये था परन्तु अभी तक कार्य चल रहा है और 2016 में कार्य समाप्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रथम फेज में इन्टेक वेल, एप्रोच ब्रिज, फिल्टर प्लांट आदि का कार्य होना था जिसमें 109 गांव को पानी प्रदान करने की योजना है।

पाइप लाइन डाले जाने का कार्य गंगापुरसिटी तक हो चुका है इसे सवाई माधोपुर तक पाइप लाइन शीघ्र डाला जाना चाहिये यदि यह कार्य इसके साथ ही शीघ्र पहले पूर्ण हो जाता है तो सवाई माधोपुर के भी 416 गांवों सहित शत प्रतिशत (100 प्रतिशत) क्षेत्र में पानी की समस्या दूर हो जाएगी।

गौरतलब है कि इतनी बड़ी योजना का सैन्ट्रल वाटर कमेटी नई दिल्ली से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण देरी से शुरू होना विचारणीय बिन्दु है

देरी से शुरू होने पर अतिरिक्त वित्तीय भार सरकार पर बढ़ा, इस स्वीकृति को सम्बन्धित अधिकारियों ने 2005 में प्रोजेक्ट शुरू होने से पूर्व क्यों नहीं लिया। कृपया इस प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा कराया जाना चाहिये।

राजकुमारी दिया कुमारी
(सवाई माधोपुर)

कोटा मेडिकल कालेज के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की लापरवाही की जांच

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि चिकित्सा क्षेत्र में हो रही बदहाली की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। कोटा में मेडिकल कालेज के तीन प्रमुख चिकित्सालय हैं पहला महाराव भीमसिंह चिकित्सालय दूसरा जे.के. लोन, महिला एवं बाल चिकित्सालय, नयापुरा एवं तीसरा न्यू कोटा मेडीकल कालेज गणेशनगर। प्रमुख चिकित्सक इन तीनों चिकित्सालयों में कार्यरत हैं। कोटा के अखबारों में कुछ चिकित्सकों के नाम चर्चित भी रहे हैं।

इन चिकित्सालयों में प्रमुख चिकित्सक आउटडोर में नहीं के समान उपस्थित रहते हैं। उपस्थिति के दौरान भी है तो सही चिकित्सा नहीं करते, रोगी जब तक घर पहुंच कर 150 रुपये जमा नहीं करवा दे तब तक उपचार सही दिशा में आगे बढ़ता ही नहीं है। जब हजार दो हजार की जांचें हो जायेंगी तब उपचार चालू होगा। चिकित्सालय के भर्ती वार्ड में उसी रोगी के इलाज को प्राथमिकता दी जाती है जो घर पर दिखा आये।

सदन के माध्यम से आग्रह करती हूं कि भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु भ्रष्टाचार निरोधक दल को अतिरिक्त कार्मिक प्रदान कर एक सप्ताह एक गोपनीय रिपोर्ट जासूसी के द्वारा बनवा ली जावे। इनके घर कितने रोगी आये उन्हें अस्पताल में क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गयी हैं इन्होंने अस्पताल में बैठकर कितने रोगी देखे हैं। वे ठीक हुये अथवा परेशान होकर अन्यत्र चले गये हैं।

मान्यवर हजारों करोड़ रुपये का व्यय जनता को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार निरन्तर रूप से कर रही है। उपयोगिता सिद्ध करने हेतु कुछ खर्च चिकित्सकों एवं चिकित्सा सुविधाओं के फीडबैक हेतु भी सरकार को व्यय करने चाहिये। और जनता के लिये भगवान का अवतार माने

जाने वाले डाक्टरी पेशे की समय-समय पर जांच परख भी करवाते रहे तो सरकारी सेवाओं का पूर्ण लाभ जनता को प्राप्त हो सकेगा।

एक गरीब व्यक्ति का सहारा सिर्फ ओर सिर्फ सरकारी चिकित्सालय है ग्रामीण क्षेत्रों में पद खाली पड़े हैं और डेपूटेशन व तबादलों के द्वारा चिकित्सक शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं। शहर में तो अनेक विकल्प जनता के पास होते हैं किन्तु ग्रामीण क्षेत्र विकल्पहीन है। इस तारत्मय में मेरा एक सुझाव यह भी है कि ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चाकचौबन्द रखें।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि जनहित में सोचते हुये चिकित्सालयों में हो रही चिकित्सकों द्वारा की जा रही घोर लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच करवाये जाकर दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करवाये जाने की कृपा करें।

चन्द्रकान्ता मेघवाल

(रामगंजमण्डी)

मेवाड़ा बांध की ऊंचाई में बढ़ोत्तरी

महोदय,

डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र पूर्णतया पहाड़ी व पठारी (छोटे-छोटे पठार) तथा नदी नालों युक्त है। डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र के गांव कोडियागुण में मेवाडा बांध बना हुआ है उच्च बांध से ओवरफ्लो हो कर प्रतिवर्ष बहुत अधिक मात्रा में पानी बहकर गुजरात जाता है। यदि बांध की ऊंचाई दो मीटर बढ़ा दी जाती है तो काफी पानी संरक्षित रखा जा सकता है एवं उक्त कार्य से कोई विस्थापित नहीं हो रहा है उक्त मेवाड़ा बांध का पानी जरिये लिफ्ट परियोजना बनाकर डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र का 50 प्रतिशत क्षेत्र पेयजल व सिंचाई से लाभान्वित हो सकता है। लाभान्वित होने वाले क्षेत्र में डूंगरपुर नगर, ग्राम पंचायत जालुकुआ गलन्दर, गामडी अहाडा, काकरादरा, बलवाडा, थाणा, मेहणा, करौली, मेवाड़ा, रामपुर मेवाड़ा, वीरपुर मालमाया, कनवा व छापी आदि पंचायतों को सिंचाई व पेयजल का पानी उपलब्ध हो सकेगा तथा डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र का 80 प्रतिशत भाग डार्क जोन घोषित है वह भी डार्क जोन से बाहर आ जायेगा। डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र डार्क जोन घोषित होने से पेयजल एवं सिंचाई के लिए क्षेत्र की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डूंगरपुर जिला अति पिछड़ा व गरीबी युक्त जिला है। क्षेत्र में उद्योगों का अभाव है। क्षेत्र की जनता केवल मानसूली खेती पर निर्भर है। मानसून के समय को

छोड़कर करीब 8 से 10 माह तक प्रतिवर्ष क्षेत्र की जनता अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोजगार की तलाश में गुजरात, महाराष्ट, कर्नाटक पलायन को मजबूर है। यदि मेवाड़ा बांध की ऊंचाई दो मीटर बढ़ा दिया जाता है तो बिना किसी नुकसान के क्षेत्र की जनता को गरीबी से निजात मिलेगी।

मेवाडा बांध का निर्माण पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने ही करवाया था तथा दोनों दायी-बाई नहरें गुजरात सीमा तक निर्मित करने की योजना थी। परन्तु पश्चातवर्ती कांग्रेस सरकार ने उक्त दोनों दायीं व बाई नहरों का निर्माण कार्य सत्ता सम्भालते ही रोक दिया गया था। उसे पुन: चालू करवाकर क्षेत्र की जनता को लाभान्वित किया जाना आवश्यक है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदयजी के माध्यम से सरकार से मांग है कि डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र की जनता के हित में मेवाड़ा बांध की ऊंचाई दो मीटर बढ़ाई जाकर जरिये लिफ्ट परियोजना पानी सूखे क्षेत्र को उपलब्ध करवाने तथा मेवाड़ा सिंचाई परियोजना की दोनों नहरों का अधूरा कार्य जो पश्चातवर्ती सरकार द्वारा बन्द करवा दिया गया उसे पूरा करवाया जाने की सरकार जनहित में इच्छा रखती है।

देवेन्द्र कटारा
(डूंगरपुर)

टोडारायसिंह शहर को पर्यटक स्थल का दर्जा

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं नियम 295 के अन्तर्गत लोक महत्व के विषय के बारे में एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। अत: स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रस्ताव :- मेरे विधान सभा क्षेत्र के टोडारायसिंह को पर्यटक स्थल घोषित करवाने बाबत।

टोडारायसिंह का वर्तमान नाम मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप के पौत्र भीमसिंह के पुत्र रायसिंह के नाम पर पड़ा है। इस शहर को पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए प्रस्ताव इसलिए रखना चाहता हूं कि टोडारायसिंह नगर के तीनों ओर पहाड़ी क्षेत्र है। इस अकेले शहर में 365 बावड़ियां हैं। नगर के किसी भी भाग को देखने पर हमें स्थापत्य कला की मनोहर छठा मिलती है। यहां के प्राचीन महल, बावड़िया, कुण्ड, बाग-बगीचे, पर्वतीय गुफाएं, मन्दिर, किले, प्राकृतिक झरनें, झीलें आदि कला के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यहां के महलों

में नो-नो हाथ के छज्जे आज भी दर्शकों को आश्चर्य में डालते हैं। यहां की बुद्ध सागर झील व आम सागर झील प्राकृतिक छठा का अनुपम उदाहरण है। यहां का हाडीरानी कुण्ड भी प्रसिद्ध है। अपनी प्राचीन सुन्दरता के लिए कैलाश मन्दिर नीम की खान, किलेश्वर महादेव, तक्षकराज, करणीमाता, बुद्धेश्वर महादेव, गढ़ के बालाजी का मन्दिर, ढाणी की छतरी नगर से 12 किलोमीटर दूर बीसलपुर महादेव का मन्दिर व बीसलपुर बांध सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी व विदेशी सैलानी भ्रमण के लिए यहां आते हैं।

अतः मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में टोडारायसिंह शहर को पर्यटक स्थल का दर्जा मिल जायेगा।

कन्हैया लाल

(मालपुरा)

रामदेवरा तीर्थ स्थल के तालाब को पोकरण लिफ्ट-परियोजना से जल आपूर्ति

महोदय,

जैसलमेर जिले का रामदेवरा गांव न केवल भारत में विश्व मानचित्र पर भी श्रद्धा का उच्चतम केन्द्र एवं तीर्थ स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष लाखों लोग दूर-दूर से बाबा रामदेव के दर्शन हेतु रामदेवरा आते हैं। माननीया मुख्य मंत्री महोदया की बाबा रामदेव मंदिर के प्रति अथाह श्रद्धा जग जाहिर है। मुख्य मंत्री निर्वाचित होने के तुरन्त पश्चात मैडम स्वयं सीधे ही रामदेवजी के मंदिर में धोक देने पहुंची थीं।

उक्त श्रद्धा केन्द्र में दूर दराज से लोग आकर मंदिर में दर्शन करने के पश्चात वहां स्थित रामदेवरा सरोवर में स्नान करने हेतु जाया करते हैं। श्रद्धालु स्नान करने वाले लाखों तीर्थयात्रियों के लिए वहां व्यवस्था का प्रयास किया गया है परन्तु सरोवर के पानी की स्थिति इन्द्र भगवान पर निर्भर होने के कारण कई बार श्रद्धालुओं को बिना स्नान किये ही लौटना पड़ता है। आज तक न ही ट्रस्ट और न ही प्रशासन द्वारा इस ओर कभी ध्यान दिया गया है।

पोकरण शहर इंदिरा गांधी नहर से पोकरण लिफ्ट परियोजना से जोड़ा गया है उक्त लिफ्ट नहर ग्राम रामदेवरा से 2.00 कि.मी. दूरी पर स्थित है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि रामदेवरा को पोकरण लिफ्ट परियोजना से जोड़ा जावे जिससे लाखों श्रद्धालुओं को सरोवर में पवित्र स्नान करने का मौका मिले।

इस तालाब को भरने से न केवल यात्रियों को पवित्र स्नान का अवसर मिलेगा वरन इस तालाब के चारों ओर पूर्व में पी.एच.डी. द्वारा निर्माण नलकूप, जो कि वर्तमान में सूखे पड़े हैं, तालाब के भरने से वे रिचार्ज हो जाते हैं जिससे आने वाले रामदेवरा मेले में लाखों लोगों के लिए पीने के पानी की माकूल व्यवस्था हो जायेगी एवं मेले में प्रति दिन पहुंच रहे लाखों लोगों के लिए पेयजल की समस्या का समाधान हो जायेगा। इस कार्य की अनुमानित लागत का विवरण प्रमुख शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पास अनुमोदन हेतु भिजवाया जा चुका है जिसकी अनुमानित लागत 55 लाख रुपये है।

मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि आने वाले मेले से पूर्व इस योजना का कार्य स्वीकृत कर पूर्ण करावे ताकि मेले में यात्रियों को पेयजल व्यवस्था उपलब्ध हो सके।

शैतान सिंह
(पोकरण)

कपासन के मातृ कुण्डियां बांध से राशमी तहसील को जल आपूर्ति

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कपासन के प्रसिद्ध तीर्थ मातृकुण्डिया में मात्रीकुण्डिया बांध का निर्माण लगभग 40 वर्ष पूर्व किया गया है। इस बांध के निर्माण के समय सिर्फ भीलवाड़ा जिले के मेजा बांध को भरने के लिये बनाया। लेकिन तत्कालीन सरकार ने यह ध्यान नहीं दिया कि बनास नदी के किनारे-किनारे गांव हैं। इन गांवों के किसानों की भूमि का जलस्तर कितना कम हो जायेगा। यहां पर निवास करने वाले किसानों का क्या होगा। मातृकुण्डिया बांध बनाने का उद्देश्य यह था कि भीलवाड़ा के लोगों को पेयजल उपलब्ध हो जाये। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले को चम्बल नदी से पानी लाने की योजना बन गई है। इसलिए अब मेजा बांध को मातृकुण्डिया बांध से पानी देना आवश्यक नहीं है।

सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मातृकुण्डिया बांध का पानी राशमी क्षेत्र के लोगों को पेयजल व किसानों को खेती के लिए मिल जाए। मातृकुण्डिया बांध से एक राइट केनाल व एक लिफ्ट केनाल बनाकर

किसानों को खेती के लिए पानी दिया जा सकता है। बनास नदी के रिचार्ज के लिए मातृकुण्डिया बांध के भरने के बाद लगभग 100 एम.सी.एफ.टी. पानी नदी में छोड़ा जाने की आवश्यकता है। मेजा फीडर के मार्ग में आने वाले छोटे-मोटे तालाब, ऊचकिया, करजीया, आकोडिया को पानी से भरा जावे तथा उक्त फीडर के मार्ग में आने वाले किसानों के खेतों का कृषि के लिए पानी दिया जावे। मातृकुण्डिया बांध से डिण्डोली फीडर बनाकर डिण्डोली बांध को पानी दिये जाने की आवश्यकता है। डिण्डोली फीडर के नाम से पिछले वर्षों में लगभग 55 लाख रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी थी। लेकिन किन्हीं कारणों से कार्य नहीं करवाया गया। पुनः स्वीकृति जारी कराने की आवश्यकता है।

अतः मेरा निवेदन है कि मातृकुण्डिया बांध का पानी राशमी क्षेत्र को उपलब्ध कराने का कष्ट करायें।

सादर

अर्जुन लाल जीनगर

(कपासन)

अनूपगढ़ शाखा से निकलने वाली नहरों के तल में सुधार

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अनूपगढ़ शाखा से निकलने वाली एम.डी., एच., डी.डी., जे.एम., के.डी., माइनरों के अंतिम छोर पर बैठे किसानों को बैड लेवल सही न होने के कारण पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी नहीं मिल पाता है। माइनरों के प्रारम्भ में तो किसानों के 8-10 बीघा में सिंचाई पानी लगता है। जबकि टेल पर बैठे किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता है। हालात इतने खराब हैं कि खेतों में रह रहे किसानों ने जो पेयजल के लिए निजी डिग्गियां बना रखी हैं। उनमें भी पानी नहीं भर पाता है। अतः किसानों को सिंचाई सुविधा के साथ-साथ पेयजल से भी वंचित रहना पड़ता है। इस समस्या से माइनरों पर बैठे लगभग तीन-चार हजार किसान परिवार प्रभावित होते हैं।

अतः माननीय मंत्री महोदयजी से निवेदन है कि एम.डी., एच., डी.डी, जे.एम., के.डी., माइनरों के बैड लेवल को सही कराकर प्रभावित किसानों को पर्याप्त सिंचाई पानी उपलब्ध कराकर राहत पहुंचाने की कृपा करें।

सादर

शिमला बावरी

(अनूपगढ़)

परिशिष्ट-3

मांग संख्या-26 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1. सुमेरपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को रैफरल अस्पताल में अपग्रेड करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

2. विधान सभा क्षेत्र भीम के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम एवं देवगढ़ में सभी सृजित पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम (सिरोही) :

3. सिरोही में विगत 4 वर्ष से उद्घाटन के इन्तजार में नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर को शीघ्र प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

4. सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर में सफाई व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिखली एवं कुआं में चिकित्सकों के पद बढ़ाने एवं रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में नये पी.एच.सी. एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण करने एवं नवीन पी.एच.सी. खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभगनर) :

9. प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों का सृजन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र वल्लभगनर के खेरोदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के बडगांव, बाठेडाकला, शीशवी एवं पाणून्द को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

12. जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मरीजों की भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी) :

13. विधान सभा क्षेत्र बूंदी की ग्राम पंचायत खटकड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

14. अजमेर मेडिकल कालेज में सुपर स्पेशियलिटी विंग स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में गुर्दा रोग से पीड़ित रोगियों के उपचार हेतु डायलेसीस की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक चिकित्सकों के पदों का सृजन कर पदस्थापन किये जाने की आवाश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. अजमेर शहर में स्थित आदर्श नगर सैटेलाइट चिकित्सालय में व्याप्त अराजकताओं को दूर करने तथा रिक्त एवं नये पद सृजित कर भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. अजमेर शहर में चन्द्रबरदायी क्षेत्र में नया सिटी चिकित्सालय की स्वीकृति प्रदान करने तथा गढ़ी मालीयान चिकित्सालय हेतु आवश्यक चिकित्सकों के पदों का सृजन कर भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

18. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सलूम्बर एवं सराड़ा में चिकित्सकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के मुख्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सफाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सलूम्बर एवं सराड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य की स्थिति पर एवं सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिये चलाई जा रही योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सलूम्बर एवं सराड़ा में स्वास्थ्य एवं सफाई सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के चिकित्सालयों में नि:शुल्क दवा वितरण एवं अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा) :

23. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के ग्राम नयागांव तहसील मण्डरायल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैलादेवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में सीएचसी करणपुर, तहसील सपोटरा पर रिक्त पदों पर चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में सीएचसी मण्डरायल को 50 बैड का करने एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला) :

27. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाजूवाला में महिला चिकित्सक सहित रिक्त पड़े सभी चिकित्सा अधिकारी व विशेषज्ञों के पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

28. खाजूवाला के ग्राम पंचायत दन्तौर के सब सेन्टर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूगल एवं छत्तरगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

30. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाथड़ाऊ एवं आगोलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति बालेसर एवं शेरगढ़ मुख्यालय पर सेटेलाइट अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में प्राथिमक चिकित्सा केन्द्र एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों पर 104 एवं 108 एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र, एड पोस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

34. राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में नेत्र चिकित्सक के रिक्त पद सहित अन्य रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में स्वीकृत पीएचसी एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों एवं एएनएम की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये1

36. राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर में स्थित ट्रोमा सेंटर को शुरू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) :

37. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के बजरिया क्षेत्र में सेटेलाइट हास्पीटल स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

38. अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

39. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में छात्र/छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक टीकाकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के नगरपालिका क्षेत्र बिलाड़ा एवं पीपाड़शहर में गन्दे पानी की नालियों/नाला इत्यादि की सफाई नहीं कर उसके इर्दगिर्द डीडीटी एवं अन्य रोग प्रतिरोधक पाउडर छिड़कने तथा तालाब कुओं एवं GLR/SR में ब्लीचिंग पाउडर उपयोग में लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा अन्तर्गत राजकीय रेफरल चिकित्सालय, बिलाड़ा एवं राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपाड़शहर/बोरूंदा एवं PHC's में रिक्त पड़े पदों पर कनिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के पदस्थापन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. राजकीय मरूधर केसरी रेफरल चिकित्सालय में जिला अस्पताल की सुविधा/ट्रोमा सेन्टर की स्थापना न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के रेफरल चिकित्सालय, बिलाड़ा CHC पीपाड़ शहर/बोरूंदा एवं PHC चिकित्सालय में सफाई एवं बैड पर लगाई जाने वाली बैडशीट एवं कम्बल इत्यादि की धुलाई के ठेकों में भारी अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) :

44. जिला चिकित्सालय, चितौड़गढ़ में 42 रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

45. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में CHC, PHC व स्वास्थ्य उप केन्द्र में स्टाफ लगाने एवं नि:शुल्क दवा योजना को व्यवस्थित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर) :

46. गंगापुर सिटी के ग्रामीण क्षेत्र की PHC एवं CHC (विशेषकर वजीरपुर) में स्टाफ लगाने, स्वास्थ्य बीमा एवं ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के राजकीय चिकित्सालय में स्टाफ की कमी, अस्पताल विस्तार एवं इमरजेन्सी वार्ड शुरू किये जाने के साथ ही ट्रोमा सेन्टर व ब्लड बैंक की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

48. विधान सभा क्षेत्र सोजत के CHC व PHC में चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) :

49. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के विजयनगर में वार्ड नं. 3 व 4 के गंदे नाले को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने एवं महिला चिकित्सक की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में राजकीय चिकित्सालय में बंद पड़ी सोनोग्राफी मशीन को शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

52. विधान सभा क्षेत्र निवाई में बाइपास पर ट्रोमा अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र निवाई के सभी चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य उप केन्द्रों में कार्मिकों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

54. जहाजपुर व कोटड़ी तहसील की CHC में चिकित्सा विभाग के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्मिकों के पदस्थापन कर, कार्य को सुचारु रूप से करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

56. जहाजपुर में नवीन स्वीकृत PHC ईटुन्दा में डाक्टर व स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

57. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर एवं ततारपुर के CHC में मोर्चरी एवं डेन्टल की कुर्सियों की पूर्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

58. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम उदयपुरिया, अनन्तपुरा एवं जैतपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

59. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पनवाड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. झालावाड़ मेडिकल कालेज में सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

62. राज्य में नि:शुल्क दवा योजना व नि:शुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

63. झुंझुनूं जिले में सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. राज्य में चिकित्सकों की नियुक्ति पर प्रारम्भिक वेतन कम होने के कारण चिकित्सकों का सरकारी सेवा के प्रति रूझान कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. राज्य के निजी मेडिकल कालेजों में प्रवेश प्रक्रिया पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होने के कारण निजी मेडिकल कालेजों द्वारा प्रवेश में बरती जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

66. आर.पी.एम.टी. परीक्षा 2014 में की गयी अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

67. विधान सभा क्षेत्र आहौर की उप तहसील भाडाजून के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र आहौर के ग्राम सीमाण की CHC में डाक्टर लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

69. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सरकारी अस्पताल में महिला चिकित्सक एवं चिकित्सकों के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के हर कस्बे में सफाई कर्मचारी लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना) :

71. विधान सभा क्षेत्र मकराना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोरावड, जिला नागौर में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र मकराना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकराना में स्वीकृत शैय्याओं को बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

73. महात्मा गांधी अस्पताल में पीपीपी मोड पर सी.टी. स्केन और एम.आर.आई. सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के सरकारी औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के मास्टर खींवराज कच्छवाहा राजकीय चिकित्सालय चांदपोल, सिटी डिस्पेन्सरी सूरसागर को सैटेलाइट स्तर एवं मातृ-प्रसूति सुविधा स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सैटेलाइट स्तर के अस्पतालों में संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. प्रदेश के मेडीकल कालेज से सम्बद्ध अस्पतालों के आउट डोर, ट्रोमा सेन्टर और आपातकालीन इकाइयों के प्रभावी संचालन के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने और इन्हें इन्टरनेट द्वारा उच्च स्तरीय मानिटरिंग केन्द्र से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

78. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में उप स्वास्थ्य केन्द्र, पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी. में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

79. विधान सभा क्षेत्र लूणी के लूणी सी.एच.सी. सालावास में ट्रोमा सेन्टर

खोलने एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 115 व 65 पर एम्बुलेंस (108) सेवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र लूणी के तीन हजार की जनसंख्या वाले समस्त कस्बों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

81. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लूणी एवं सी.एच.सी. सालावास को क्रमोन्नत कर सेटेलाइट अस्पताल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र लूणी के समस्त पी.एच.सी. व सी.एच.सी. में रात्रि के समय आपातकालीन स्टाफ मौजूदा रहने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

83. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में सामुदायिक चिकित्सालय को 100 बैड का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू) :

84. विधान सभा क्षेत्र बगरू में सेटेलाइट हास्पीटल खोलने की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा) :

85. प्रदेश में संविदा पर लगे कम्पाउण्डर्स/नर्सेज आदि को स्थायी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सकों व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्सों के रिक्त पदों को भरने के लिये।

87. राजकीय नाहटा चिकित्सालय, बालोतरा में डाक्टर्स के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार) :

88. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में भगवतगढ़ शिवाड एवं बालेर में PHC को CHC में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़) :

89. माण्डलगढ़ में प्रत्येक पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

90. अलवर शहर के पटरीपार क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के विकास हेतु सैटेलाइट चिकित्सालय खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. सामान्य चिकित्सालय, अलवर में आई.सी.यू., ट्रोमा एवं बर्न वार्डों की दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

92. अलवर शहर में शिवाजी पार्क क्षेत्र में सैटेलाइट चिकित्सालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

93. विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जायल को 100 बैड का चिकित्सालय घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शैतान सिंह (पोकरण):

94. पोकरण की CHC में ट्रोमा सेन्टर खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

95. भोपालगढ़ में CHC अस्पताल को रैफरल चिकित्सालय बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

96. भोपालगढ़ अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की ग्राम पंचायत गजसिंहपुरा में पी.एच.सी. खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की ग्राम पंचायत सोयला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. विधान सभा भोपालगढ़ के CHC भोपालगढ़ में महिला चिकित्सक की नियुक्ति एवं रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण):

100. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के चिकित्सालयों में चिकित्सक व कम्पाउण्डरों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में दवा एवं जांच सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

102. प्रदेश में चिकित्सकों के सभी रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा) :

103. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में गंगापुर कस्बे में सिटी डिस्पेन्सरी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गांव कोशीयल में CHC की स्थापना में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के रायपुर हास्पीटल में चिकित्सकों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में गंगापुर राजकीय चिकित्सालय में स्टाफ एवं मशीनों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर में विभाग के रिक्त पड़े भवन को नगरपालिका को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

108. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में हृदय रोग से ग्रस्त रोगियों की संख्या को मद्देनजर हृदय रोग (मेडिसन) की 2 नई यूनिटें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

109. पंचायत अनतवाडा ग्राम सोडाला बासडा में नयी PHC खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. CHC बसवा बांदीकुई में एक्स-रे मशीन लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

111. बसवा विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के CHC में डाक्टर एवं पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

कु. जगत सिंह (कामां) :

112. विधान सभा क्षेत्र कामां के चिकित्सालयों में डाक्टर एवं अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) :

113. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में ट्रोमा सेन्टर खोलने एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

114. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के CHC हास्पीटलों में फिजिशियन, सर्जन व गायनिक डाक्टर लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

115. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में एम.आर.आई. मशीन से जांच की सुविधा अविलम्ब पी.पी.पी. मोड पर या विभागीय स्तर पर प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़, अजमेर में पी.पी.पी. मोड पर सीटी स्कैन मशीन की सुविधा प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय अराई पर स्थित आयुर्वेद औषधालय को क्रमोन्नत कर 10 बैड का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्राम पंचायत मुख्यालय ढसूक, छोटालाबा, मनोहरपुरा (पंचायत समिति अराई), ग्राम पंचायत डबरेला, परू, भिनाय एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय सिलोरा पंचायत समिति सिलोरा पर स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कुंजीलाल (बामनवास) :

120. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बामनवास व बौंली में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र पलासोट व पीपल्दा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र बामनवास की ग्राम पंचायत अमावरा में स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

123. प्रदेश के चिकित्सालयों एवं गांवों में सफाई व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. कपासन कस्बे में नई सीटी डिस्पेन्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

125. उप तहसील मुख्यालय शेखासर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

126. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाप में सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. राजकीय चिकित्सालय फलौदी में बड़ी सोनोग्राफी मशीन की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

128. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में हृदय रोगियों हेतु 2 अतिरिक्त यूनिट स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. राजकीय गणगौरी चिकित्सालय, जयपुर में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. राजकीय गणगौरी चिकित्सालय, जयपुर में इमरजेंसी की सुविधा अविलम्ब चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर) :

131. विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम नाडा की ढाणी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम पुरोहित का बास में आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम गुढाखुर्द में उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की स्वीकृति के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम भादवासी में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम बाजौर में स्वीकृत पी.एच.सी. के भवन निर्माण की स्वीकृति के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लादूराम (गुढ़ामालानी) :

136. विधान सभा क्षेत्र गुढ़ामालानी के उप स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र गुढ़ामालानी के उप स्वास्थ्य केन्द्र/एडपोस्ट/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र गुढ़ामालानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुढ़ामालानी, धोरीमना, सिणधरी एवं नोखड़ा में शैय्याओं की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र गुढ़ामालानी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों/नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

140. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

141. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के विभिन्न चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों नर्सिंग स्टाफ, ए.एन.एम. एवं जी.एन.एम. के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोरधन (धोद) :

142. विधान सभा क्षेत्र धोद में स्थापित CHC हास्पिटल को 30 बैड से बढ़ाकर 100 बैड करने एवं विशेषज्ञ चिकित्सक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा) :

143. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में आसोतरा, रामरा, डोली, ग्वालनाडा और मूलकी ढाणी पंचायतों में पी.एच.सी. खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

144. बालोतरा में मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

145. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन, डिजीटल एक्स-रे मशीन, डेन्टल कुर्सी एवं ई.सी.जी. मशीन लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में डी.डी.टी. का छिड़काव कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

148. पाली जिले की रोहट तहसील के गांव झीतड़ा एवं मांडावास में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

149. पाली शहर के टैगोर नगर में नई सिटी डिस्पेन्सरी स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

150. पाली में नर्सिंग कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. बांगड चिकित्सालय, पाली में चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

152. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आवां एवं पावट को माडल PHC में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के CHC में ब्लड बैंक की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के चिकित्सालयों में विभिन्न संवर्गों के नर्सिंग कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

155. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानान्तरण कर जिला स्थित चिकित्सालयों में पद के विरुद्ध लगे नर्सिंग कर्मचारियों को लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

156. सांगोद रेफरल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सेटेलाइट अस्पताल एवं

उप स्वास्थ्य केन्द्र अमृत कुआ एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र, देवली को प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र (डग) :

157. विधान सभा क्षेत्र डग के भवानी मण्डी, डग व चौमहला में सोनोग्राफी मशीन लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र डग के आवर और उन्हेल नागेश्वर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र डग में ट्रोमा सेन्टर डग में खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र डग में चिकित्सक एवं महिला चिकित्सक के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

161. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम माधोगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन) :

162. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों में से रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित लाखेरी, कापरेन, केशोरायपाटन और इन्द्रगढ़ सी.एच.सी. में स्वीकृत सेवाओं को लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू) :

164. विधान सभा क्षेत्र दूदू के चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों में से रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

165. रामगंज जयपुर में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र में चिकित्सकों के पर्याप्त पदस्थापन एवं फिजीशियन चिकित्सक का पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

166. कांवटिया अस्पताल शास्त्री नगर जयपुर में वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडीसिन के और पद सृजित करने एवं डिजिटल एक्स-रे की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

167. जनाना अस्पताल जयपुर में दूरबीन से आपरेशन, वक्ष एवं श्वसन संस्थान जयपुर में बड़े सर्जरी के आपरेशन एवं डेन्टल कालेज एवं अस्पताल में दांतों के इलाज की व्यवस्था किये जाने हेतु और मशीनों की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

168. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आंखों को फेको पद्धति से आपरेशन, घुटना प्रत्यारोपण एवं दूरबीन से आपरेशन की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

169. आयुर्वेद विभाग में लम्बे समय से रिक्त पड़े निदेशक एवं अन्य अधिकारियों का पदस्थापन करने एवं चिकित्सकों की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक करवाकर पदोन्नतियां दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. राजकीय गणगौरी अस्पताल, जयपुर का नाम बजट के अनुरूप पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, जयपुर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

171. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के समस्त चिकित्सालयों में निम्बाहेड़ा के समस्त चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सा अधिकारियों व नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

172. राजकीय सामान्य चिकित्सालय निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ में नई सोनोग्राफी मशीन, डायलेसीस मशीन व आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण व मशीनें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

173. उपखण्ड मुख्यालय निम्बाहेड़ा में ट्रोमा सेंटर खोलने की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिनोता व कनेरा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरनोदा व केली को जननी एक्सप्रेस 104 एम्बुलेंस आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

175. जनाना अस्पताल, भरतपुर में जनरेटर लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

176. भरतपुर सम्भाग मुख्यालय के जनाना अस्पताल में वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं खाली पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

177. भरतपुर सम्भाग मुख्यालय पर रामकटोरी नेत्र चिकित्सालय में रिक्त पड़े नेत्र चिकित्सकों के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के उप स्वास्थ्य केन्द्र पीपला पंचायत मुख्यालय को क्रमोन्नत कर PHC करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

179. आर.बी.एम. अस्पताल, भरतपुर में खराब पड़ी सीटी, स्केन एवं अन्य मशीनों को चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

180. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहरोड़ में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के अस्पतालों में लेबोरेट्री, एक्स-रे मशीनें एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के रेफरल अस्पताल, CHC एवं PHC में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के अस्पताल में ट्रोमा सेंटर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

184. जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

185. प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में होने वाली गैर-जरूरी सिजेरियन डिलीवरी रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र बायतू में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र बायतू की चिकित्सा इकाइयों में उपयोगी सभी उपकरणों की व्यवस्था करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र बायतू के मलवा चारणान को PHC में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

189. NH-112 पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ट्रोमा सेन्टर की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

190. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानपुर में राजकीय राशि के गबन एवं वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

191. राजकीय हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर में सोनोग्राफी, एन्जीयोग्राफी सीटी, स्कैन, एम.आर.आई. कार्डियोग्राफी आदि की जांचें कराने हेतु सेन्टर खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

192. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में नेत्र रोगों की जांच एवं इलाज हेतु उपकरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

193. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में बर्न यूनिट खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर स्थित सभी उप स्वास्थ्य केन्द्र को विद्युत सुविधा से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

195. डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर नगर के मध्य स्थित टी.बी. हास्पीटल अन्यत्र स्थापित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

196. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

198. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनें लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त

पद भरने एवं महिला चिकित्सकों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

200. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला रोग विशेषज्ञ न होने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में चिकित्सकों एवं नर्सों के रिक्त पद न भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम मैंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र न खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम भारवटी, छाहुडाखुर्द में पी.एच.सी. न खुलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

204. पाछूडाला के चिकित्सक का मुख्यालय पर न रूकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

205. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम बुढीबावल, तिगांवा, भौकर, रातांखुर्द आदि में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीबीरानी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के चिकित्सालयों में सभी स्वीकृत पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (चित्तौड़गढ़) :

208. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के आक्या ग्राम पंचायत के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

209. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के भदेसर में आयुर्वेदिक चिकित्सक की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

211. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में भदेसर के कन्नोज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

212. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीवाड़ा एवं जसवन्तपुरा में एक्स-रे एवं लैब के लिए तकनिशियन की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुड़ा को सेवाड़ा में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीवाड़ा व जसवन्तपुरा में शिशुरोग एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

215. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

216. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के CHC समदड़ी में स्वीकृत 50 बैड चिकित्सालय में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

217. सिवाना, सिणधरी CHC को 50 बैड का चिकित्सालय सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. सिवाना क्षेत्र के डंडाली कुण्डल में नवीन PHC सृजित करने एवं पादरू (सिवाना) के CHC में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

219. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिणधरी उपखण्ड से गुजर रहे मेगा हाइवे पर होने वाली दुर्घटना को देखते हुए CHC सिणधरी पर आक्सीजन के बड़े सिलेण्डर एवं सामान्य सर्जरी की व्यवस्था न होने तथा उपकरण नकारा साबित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

220. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के CHC एवं PHC के सभी केन्द्रों पर पद रिक्त होने एवं महिला चिकित्सक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा) :

221. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारी एवं चिकित्सक लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

222. विधान सभा क्षेत्र आहौर में भाद्राजून PHC को CHC में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

223. प्रदेश में संविदा पर नर्स, मेलनर्स एवं कम्पाउण्डर आदि की भर्ती के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) :

224. बाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सी.टी. स्केन मशीन लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

226. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाड़ी को 200 बैड का किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद) :

227. विधान सभा क्षेत्र आसींद में 108 एम्बुलेंस लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र आसींद के सामान्य स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

229. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी मुख्यालय पर स्थित चिकित्सालय को 40 बैड का करने एवं रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम प्रतिभानगर, अजीतपुरा, धीरजपुरा, मामराज की ढाणी, बंधाभीतर, नानूवाली बावड़ी तथा भजनावाली मानोता में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

231. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसई, जसरापुर

एवं सिहोड़ को क्रमोन्नत कर सी.एच.सी. करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

232. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिहोड़ एवं स्वास्थ्य केन्द्र बबाई में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सी.एच.सी. बबाई को क्रमोन्नत कर 40 बैड का करने एवं रेफरेल अस्पताल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) :

234. विधान सभा क्षेत्र नागौर में राजकीय चिकित्सालय नागौर में चिकित्सकों के रिक्त पद पर चिकित्सक लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

235. किशनगढ़ एवं शाहबाद में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

236. चिकित्सा विभाग में ए.एन.एम., मेल नर्स, लिपिक, लेखाकार एवं सहायक कर्मचारियों की एन.आर.एच.एम. द्वारा की गई भर्ती के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

237. चिकित्सा विभाग में प्लेसमेंट एजेन्सियों द्वारा की गई भर्ती के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

238. बारां जिले में एम्बुलेंस (108) के ड्राइवरों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

239. विधान सभा क्षेत्र भादरा की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयुर्वेदिक अस्पताल खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

240. विधान सभा क्षेत्र भादरा की ग्राम पंचायत राजलाना एवं जोगिवाला में उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

241. प्रदेश में NRHM योजना के कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

242. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भादरा, जिला हनुमानगढ़ में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

243. विधान सभा क्षेत्र भादरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गान्धीबड़ी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

244. विधान सभा क्षेत्र नोहर के राजकीय प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर खाली पड़े चिकित्सकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

245. विधान सभा क्षेत्र नोहर के मुख्यालय पर एक नई CHC स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

246. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में हिरण मगरी सैटेलाइट हास्पीटल में रात्रि में चिकित्सकों के नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

247. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में सफाई व्यवस्था को ठेके पर देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

248. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

249. हिरण मगरी सैटेलाइट होस्पीटल में मरीजों की अनदेखी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

250. सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में ऐनेस्थीसिया चिकित्सक की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

251. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की जैतसर मण्डी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

252. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के वार्ड संख्या 3, 25, 26, 27, 29 व 30 में सफाई नहीं होने से फैल रही बीमारियों की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

253. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं स्टाफ की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

254. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

255. बीबीरानी पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने एवं आयुर्वेदिक औषधालय हरसौली को ''ए'' श्रेणी में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

256. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

257. रामगंजमण्डी सामुदायिक स्वास्थ्य भवन में बंद पड़ी ब्लड बैंक यूनिट एवं सोनोग्राफी मशीन को चालू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

258. प्रदेश में एन.आर.एच.एम. के माध्यम से लगे हुए सभी संविदा कर्मियों को नियमित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

259. कोटा शहर व रामगंजमण्डी में सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं होने के कारण फैल रही बीमारियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

260. दौसा जिला अस्पताल में न्यूरोलोजिस्ट एवं न्यूरोसर्जन के पदों के सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

261. जिला मुख्यालय दौसा पर जिला अस्पताल को 300 बैड में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

262. दौसा जिला अस्पताल में ट्रोमा यूनिट खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

263. विधान सभा क्षेत्र दौसा में नये CHC एवं PHC खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

264. जिला अस्पताल CHC एवं PHC में सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

265. पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा को आधुनिक बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

266. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चित्तरी को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

267. भीलूड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

268. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के सरोदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

269. पंडित दीनदयाल राजकीय सार्वजनिक चिकित्सालय सागवाड़ा में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

270. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेजरोली को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

271. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

272. शाहपुरा (जयपुर) कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को जिला स्तरीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

273. प्रदेश के सरकारी चिकित्सकों द्वारा सरकारी जांचों को प्राथमिकता देने, एक्स–रे एवं अन्य चिकित्सकीय जांच आदि बाहर से करवाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने तथा प्रदेश के सरकारी चिकित्सकों के प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक एवं नान प्रेक्टिस एलाउन्स के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

274. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के नाटास, बामलास, मैनपुरा, चवरा व हासलसर में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

275. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के भाटीवाड, छऊ, बजावा, सीथल, सराय, चक जोधपुरा व बाघोली में PHC तथा पंचलंगी, छापोली व केड में CHC खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

276. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के CHC गुढा गोडजी, उदयपुरवाटी व बड़ागांव में स्वीकृत शैय्याओं के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक लगाने

एवं पोंख में एम्बुलेंस 108 की सेवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

277. जिला मुख्यालय झुंझुनूं के राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल व जनाना अस्पताल की दशा सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर) :

278. विधान सभा क्षेत्र करणपुर में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

279. विधान सभा क्षेत्र करणपुर में चिकित्सा संस्थान क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

280. NRHM कर्मचारियों के स्थाईकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

281. राज्य में चिकित्सा संस्थानों का समय व्यवहारिक करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

282. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के चिड़ावा अस्पताल में ट्रोमा यूनिट खोलने एवं 100 बैड अस्पताल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

283. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गिलुण्ड को सामुदायिक केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

284. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम सथाना, पंचायत भाटोली एवं ग्राम जोधपुरा, पंचायत फियावाड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

285. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम राज्यावास में स्थापित उप स्वास्थ्य केन्द्र क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

286. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र नगरीय चिकित्सालय एवं जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं सह चिकित्सा कर्मियों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

287. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजनगर एवं कमला नेहरू चिकित्सालय, कांकरोली को उपनगरीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

288. विधान सभा क्षेत्र मारवाड जंक्शन के पिलोवनी सब सेन्टर को PHC में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

289. स्टेट हाइवे 62 पर बने PHC सिरियारी को CHC में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

290. रानी CHC में महिला चिकित्सक लगाने, रिक्त पदों को भरने एवं होम्योपैथी चिकित्सकों की भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा) :

291. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में उप स्वास्थ्य केन्द्र कोलिण्डा, सोनासर, रामपुरा, कमालसर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

292. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होमसर, बिरपी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

293. झुंझुनूं में राजकीय मेडिकल महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

294. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में चिकित्सकों एवं नर्सों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

295. जिला चिकित्सालय झुंझुनूं में विशेषज्ञ सेवाओं एवं सफाई व्यवस्था में सुधार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

296. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ नौगांवा, मुबारिकपुर एवं बडोदा मैन में CHC खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

297. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में लोक स्वास्थ्य एवं सफाई की विशेष व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

298. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जमवारामगढ़ को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

299. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजगढ़ शहर में सिटी डिस्पेन्सरी चालू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

300. अजमेर सम्भाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडीसिटी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

301. अजमेर के जे.एल.एन. अस्पताल में ट्रोमा विभाग में चिकित्सक लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

302. जे.एल.एन. चिकित्सालय, अजमेर के कार्डियोलोजी विभाग में बाइपास सर्जरी की सेवा प्रारम्भ कराने के लिए कम से कम 2 सर्जन की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

303. अजमेर के जे.एल.एन. चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

304. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के हरिभाउ उपाध्याय नगर क्षेत्र में एक सैटेलाइट हास्पिटल एवं कुन्दननगर क्षेत्र में एक सरकारी डिस्पेन्सरी खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

305. लूणकरणसर में ट्रोमा सेन्टर न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

306. लूणकरणसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

307. लूणकरणसर क्षेत्र में डाक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

308. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालू को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

309. कोटपूतली के बी.डी.एम. अस्पताल में फोगर मशीन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

310. कोटपूतली के बी.डी.एम. अस्पताल में डाक्टर व कर्मचारियों की कमी पूरी करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

311. कोटपूतली में जनाना अस्पताल में लेडी डाक्टर व स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

312. कोटपूतली के ग्राम पंचायत दांतिल व बनेठी में सी.एच.सी. खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

313. कोटपूतली के बी.डी.एम. अस्पताल को 300 बैड में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

314. बीकानेर के पी.बी.एम. अस्पताल में E.N.T., Dental Chair एवं एक Bio Technologist पद की भर्ती के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

315. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में ग्रामीण इलाकों एवं अन्दरूनी शहर में सफाई कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

316. बीकानेर के पी.बी.एम. अस्पताल में Computers Operators and Technician की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

317. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

318. बीकानेर के पी.बी.एम. अस्पताल में Radiology एवं ENT विभाग में लेक्चरर, Audiologist की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां) :

319. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी. अस्पतालों में चिकित्सकों के पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

320. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के उपखण्ड मुख्यालय ओसियां में सी.एच.सी. अस्पताल को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

321. प्रदेश में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर मशीन विद मैन की नियुक्ति प्लेसमेंट एजेन्सी से हटाकर सीधे राजस्थान मेडीकल रिलीफ सोसायटी से करते हुए उक्त संविदा कार्मिकों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा) :

322. विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

323. जिला मुख्यालय बांसवाड़ा पर स्थित एम.जी. हास्पीटल में आई.सी.यू. वार्ड का विस्तार एवं आई.सी.सी.यू. नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

324. जिला मुख्यालय बांसवाड़ा में "ए" श्रेणी का महात्मा गांधी चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

325. बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित एम.जी. हास्पीटल में मेडीकल, गायनिक, सर्जिकल व शिशुवार्ड के संदर्भ में चर्चा के लिये।

326. प्रदेश के चिकित्सालयों में सी.टी. स्केन मशीन, वेंटीलेटर मशीन, डायलेसिस एवं सोनोग्राफी मशीन के संचालन के लिये विशेषज्ञ मौजूद नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

327. विधान सभा क्षेत्र महुवा के महुवा चिकित्सालय को 100 बैड का करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

328. विधान सभा क्षेत्र महुवा के हुडला में पी.एच.सी. बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

329. विधान सभा क्षेत्र महुवा के लोटवाड़ा में पी.एच.सी. के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

330. ग्राम पाटोली तहसील महुवा में पी.एच.सी. बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

331. महुवा के चिकित्सालय में रिक्त चिकित्सकों के पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) :

332. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के विभिन्न अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

333. खैरवाड़ा व सेमारी अस्पताल में मुर्दाघर (मोर्चरी) नहीं होने से खुले में पोस्टमार्टम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

334. ऋषभदेव के रेफरल अस्पताल में एक्स-रे मशीन एवं आपरेशन थियेटर में सभी संसाधन काम में नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

335. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में छाणी अस्पताल को स्थानान्तरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

336. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के रावला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

337. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अस्पतालों में खाली पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) :

338. जिला दौसा के अस्पतालों में स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

339. जिला दौसा की पी.एच.सी. खोहरा मुल्ला को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

340. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक व तहसील मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलायत में ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत कर दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

341. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के झझू, सियाणा, भेलू, नगरासर, मण्डाल, चारणान व बीठनोक गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कर आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

342. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के कोलायत, बज्जू, गजनेर व देशनोक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

343. बीकानेर जिले के वर्ष 2013 में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्सिंग स्टाफ को लगाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

344. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव केलूरी, गौबरा, गाजीपुर, भौसिंगा एवं मैढ़ाचौली में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

345. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव भदीरा में संचालित नव क्रमोन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

346. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नदबई में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

347. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव बरौलीरान, कवई, झारकई, बधामदी में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

348. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा, सांभर एवं रेनवाल के चिकित्सालयों में आपरेशन थियेटर चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

349. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के मण्डा भीमसिंह एवं नरैना के चिकित्सालयों में 108 एम्बुलेंस सेवा चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

350. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में पी.एच.सी. व सी.एच.सी. एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों व चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

351. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के खरनाल बलाया देयपाल कटणु, दुसासर, पानुसर, भामोसर के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को पीएचसी में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

352. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के शेधवास व पाचौड़ी में पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

353. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के खींवसर एवं कुचेरा सी.एच.सी. में विशेषज्ञ डाक्टरों के पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

354. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के चिकित्सालयों में अत्याधुनिक जांच उपकरणों जैसे सोनोग्राफी, सी.टी. स्कैन सहित अन्य एक्स-रे मशीन लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

355. रायपुरियां गुढा ठाकुरजी में सब सेन्टर खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

356. खिवाड़ा पी.एच.सी. व वणदार एवं पिलावनी में रिक्त पदों पर ए.एन.एम. लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या-32 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-32 मुख्य शीर्षक नागरिक आपूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1. प्रदेश में नागरिकों को वितरित राशन कार्ड में त्रुटियों के शुद्धिकरण एवं शेष राशन कार्ड वितरित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

2. पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे राशन डीलरों को निलम्बित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ओटाराम (सिरोही) :

3. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में नागरिकों को राशन की दुकानों पर निर्धारित देय सामग्री का वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

4. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर व तखतगढ़ में नई व अतिरिक्त ईंधन गैस एजेन्सी स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

5. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में नये राशन डीलर्स सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. विधान सभा क्षेत्र चौरासी की तहसील चिखली में गेहूं के रख-रखाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में जिला डूंगरपुर वेयर हाउस द्वारा गेहूं की तुलाई कम किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वेयर हाउस स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
9. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पात्र/अपात्र लोगों के राशन कार्ड में अनियमितता करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

10. सम्पूर्ण प्रदेश में अनुदानित केरोसिन की काला बाजारी एवं डायवर्जन को रोकने के लिए अनुदानित केरोसिन की अनुदान राशि को उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे ही हस्तान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण की जा रही खाद्य एवं अन्य पी.डी.एस. सामग्री को लक्षित व्यक्ति अथवा समूह तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा डायवर्जन को रोकने बाबत छत्तीसगढ़ पेटर्न को अपनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. अजमेर शहर के राशन उपभोक्ताओं से विभाग को नये राशन कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त भी निश्चित समयावधि में नये राशनकार्ड उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

13. प्रदेश में नये कम्प्यूटराइज्ड एवं डिजीटलाइज्ड राशन कार्डों में त्रुटियों की भरमार होने से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पात्र परिवारों को हो रही भारी परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

14. प्रदेश में गैस एजेन्सियों द्वारा नये गैस कनैक्शन जारी करने पर निर्धारित प्रतिभूति राशि से अतिरिक्त कोई वस्तु जैसे हाटप्लेट, प्रेशर कूकर, चाय, चावल, चीनी, दाल, माचिस, साबुन, गैस चूल्हा इत्यादि लेने को मजबूर करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

15. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत ए पी एल परिवारों का पूर्ण कोटा वितरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में क्रय-विक्रय समिति सलूम्बर, लसाड़िया एवं सराड़ा को खाद्य लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नये राशन डीलर नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जिला रसद अधिकारी (ग्रामीण) कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के नागरिकों के राशन कार्ड में आ रही गलतियों को सही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश (सपोटरा) :

20. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के जिला रसद अधिकारी द्वारा अनियमित तरीके से कार्य करने एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

21. करौली जिले में अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 2013 में खाद्य सामग्री में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

22. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के ग्रामीण क्षेत्र में गैस कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

23. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों से पांच किलो गेहूं के बदले तीन किलो गेहूं देने एवं केरोसीन भी कम मात्रा में तथा चीनी की आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

24. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों को मनमाने ढंग से आबंटन करने एवं समानीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

25. प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की साम्रगी छत्तीसगढ़ पेटर्न पर उपभोक्ता के घरों तक वितरित करने हेतु खाद्य सामग्री वाहन से उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. प्रदेश में वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य सामग्री वितरण हेतु उचित मूल्य की दुकानों पर लगे डीलर्स का मानदेय न बढ़ाये जाने एवं उनकी दुकानों को खोलने के दिन बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

27. प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर डीलर्स द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच करने पर दोषी पाये जाने वाले डीलर्स के निष्कासन करने के बाद पुन: उनको ही दुकान आबंटन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

28. विधान सभा क्षेत्र सांचौर के राशन डीलरों को अनावश्यक रूप से परेशान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर) :

29. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में खाद्य वस्तुओं की सप्लाई में अनियमितता, भण्डारण, खरीद, वितरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

30. राशन डीलर की नियुक्ति प्रक्रिया में जी एस एस एवं अन्य प्राइवेट सोसायटी की भूमिका के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

31. विधान सभा क्षेत्र सोजत में उपभोक्ता सामग्री की दुकानें नोख, वासनी, कवियान, बागीपाडा, धुलकोट सालरमाला, रून्दिया, बुटेलाव में खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई) :

32. विधान सभा क्षेत्र निवाई में रसद व खाद्य निरीक्षकों की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

33. जोधपुर जिले में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा भाई भतीजावाद के आधार पर नियुक्त किये गये डीलरों की जांच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. जोधपुर जिले की समस्त राशन की दुकानों पर फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार राशन उपलब्ध कराने एवं वितरित करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र लूणी की समस्त ग्राम पंचायतों एवं गांवों में उपभोक्ता सेवा केन्द्र व राशन की दुकानें खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र लूणी की राशन की दुकानों के डीलरों के विरुद्ध विचाराधीन शिकायतों का तुरन्त निस्तारण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

37. प्रदेश में राशन की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

38. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में वितरित राशन कार्डों में हो रही गलतियों को सही कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

39. प्रदेश में खाद्य वितरण प्रणाली में सुधार एवं आपूर्ति का कोटा बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

40. प्रदेश में दूरगामी राशन दुकानों को मापदण्ड में छूट देकर नई दुकानें खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

41. प्रदेश की सभी राशन दुकानों को समय पर खोलने व सभी उपभोक्ताओं को समय पर राशन उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

42. राज्य में खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी व अवैध संग्रहण की प्रभावी रोकथाम नहीं किये जाने के कारण बढ़ रही महंगाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

43. राज्य में खाद्य पदार्थों में की जा रही मिलावट के कारण आम जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहौर) :

44. विधान सभा क्षेत्र आहौर में उचित मूल्य की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

45. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में गरीब लोगों के बी.पी.एल. कार्ड बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के राशन कार्डों की अशुद्धि पंचायत स्तर पर सुधार कर वितरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) :

47. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में राशन कार्ड में हुई गलतियों को तुरन्त सुधरवाकर वितरित करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में गरीब लोगों के बी.पी.एल. कार्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

49. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में उचित मूल्य की दुकानें बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

50. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में अत्यधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी वितरण योजना के तहत गैस वितरण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

51. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में नवीन राशन की दुकानें स्वीकृत करने एवं तहसील कोटड़ी के जी.एस.एस. विश्निया को राशन वितरण का अधिकार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा (चाकसू) :

52. प्रदेश के सभी पात्रों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभान्वित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

53. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप नई राशन की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
54. पी.डी.एस. दुकानों के खुलने का समय महीने में 15 दिनों से बढ़ाकर प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे से 1.00 बजे तक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
55. बढ़ती महंगाई के मद्देनजर राशन डीलरों की कमीशन राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
56. बढ़ती महंगाई के मद्देनजर पी.डी.एस. में सामग्रियों की संख्या बढ़ाकर अन्य महत्वपूर्ण दैनिक उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
57. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के मानकों के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बालूराम चौधरी (सहाड़ा) :

58. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में नये राशन डीलर्स की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
59. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में राशन डीलरों द्वारा सामग्री वितरण में बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
60. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में नवीन राशन कार्ड के वितरण में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के कोट गांव में रसद वितरण की व्यवस्था प्राइवेट डीलर की जगह जी.एस.एस. से कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

62. राशन डीलरों की जगह प्रत्येक ग्राम सहकारी समितियों को राशन वितरण का कार्य दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

63. पूर्व सरकार के समय में शुरू हुई केरोसिन पर कैश सब्सिडी योजना (डी.टी.सी.के.) के तहत पायलट परियोजना को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

64. विधान सभा क्षेत्र कपासन में गैस की काला बाजारी को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. खाद्य सामग्री की ब्लेक मार्केटिंग एवं मिलावट करने वाले व्यापारियों पर सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. राशन डीलरों द्वारा समय पर लोगों को सामग्री उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिए।

67. बी.पी.एल. परिवारों को समय पर उचित मूल्य की सामग्री उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

68. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में नई उचित मूल्य की दुकान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

69. जयपुर शहर में शेष रहे राशन कार्डों का शीघ्र वितरण कराने एवं त्रुटियों का शुद्धिकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

70. राज्य में राशन की दुकानों से माचिस, चावल एवं दालों का भी वितरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में राशन डीलर्स की नियमित चैकिंग करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

72. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के डूंगला उपखण्ड में गैस एजेन्सी खुलवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में नई राशन की दुकान खुलवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गेहूं की पूर्ण सप्लाई करवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में राशन कार्ड का वितरण पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

76. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में नई उचित मूल्य की दुकानें खुलवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

77. ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों पर राशन डीलर द्वारा की जा रही गड़बड़ियों को लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर कमेटी बनाकर वितरण व्यवस्था ठीक किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में खाद्य सुरक्षा को लेकर किए गए सर्वे की जांच करवाकर दुबारा सर्वे करते हुए अपेक्षित लोगों को खाद्य सुरक्षा में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

79. प्रदेश में खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए रिक्त पड़े प्रवर्तन अधिकारी के पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

80. विधान सभा क्षेत्र जायल जिला नागौर पंचायत समिति की तहसील जायल में ग्रामीणों से राशन कार्ड पर 100 रुपये शिक्षा शुल्क के नाम से वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

81. चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले में कम्प्यूटरीकृत राशन कार्ड पूरे नहीं बांटने से उत्पन्न समस्या के समाधान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

82. चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले में उचित मूल्य की रिक्त पड़ी दुकानों को आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों को प्रतिमाह खाद्यान्न वितरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वंचित परिवारों का चयन कर उन्हें लाभान्वित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

85. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में उचित मूल्य की दुकानों द्वारा अनियमितता करने के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

86. रसद विभाग भरतपुर में अधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार तथा घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

87. खाद्य सुरक्षा योजना में सभी पात्र परिवारों को प्रतिमाह खाद्यान्न नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

88. खाद्य सुरक्षा योजना में गत वर्ष हुए घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

89. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राशन सामग्री की काला बाजारी रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राशन की दुकानों से पूरा सामान उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नये राशन कार्ड बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राशन की नई दुकान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में दोषी राशन डीलरों पर कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

94. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में बने नये राशन कार्डों में भारी त्रुटियों का सुधार करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

95. बाड़मेर जिले में ए.पी.एल. और बी.पी.एल. को दिये जाने वाले राशन व केरोसिन की सप्लाई को सुचारू बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

96. ए.पी.एल. व बी.पी.एल. तथा सरकारी विद्यालयों में आपूर्ति किए जाने वाले गेहूं व चावल गुणवत्ता के साथ सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

97. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के खातोली कस्बे में वर्ष 2010 से 2014 तक अवैध रूप से संचालित किये जा रहे बी.पी.सी.एल. पैट्रोल पम्प के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

98. कोटा जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

99. सरकार घोषणानुरूप 5 किलो प्रति इकाई प्रतिमाह खाद्यान्न न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

100. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त राशन में दाल, खाने का तेल तथा अन्य आवश्यक सामानों की आपूर्ति सम्मिलित न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में राशन की दुकानों के डीलर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में आबादी अनुरूप तथा राशन कार्डों की संख्या अनुरूप दुकानें न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

103. खाद्य सुरक्षा के तहत परिवारों के चयन में हुई अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

कु. जगत सिंह (कामां) :

104. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुज्ञापत्र महिला बहुउद्देशीय ग्राम सहकारी सेवा समितियों को भरतपुर जिले में देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

105. माह अक्टूबर, 2013 एवं नवम्बर, 2013 में ए.पी.एल., बी.पी.एल.

परिवारों को आबंटित गेहूं तहसील पहाड़ी एवं कामां के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

106. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की सभी राशन की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा के अनुसार राशन आबंटित यूनिट से कम उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नवीन राशन कार्डों में अधिक त्रुटियों को समय पर ठीक नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की ग्राम पंचायतों में राशन की दुकानें आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उपखण्ड सिणधरी का राशन आबंटन सिणधरी में कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) :

110. प्रदेश के निलम्बित राशन डीलरों की जांच कराकर 90 दिन की समयावधि में ही कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद) :

111. विधान सभा क्षेत्र आसींद में उचित मूल्य की और दुकान आबंटित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

112. विधान सभा क्षेत्र भादरा के समस्त गांवों में राशन डिपो खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र भादरा के नागरिकों के कम्प्यूटरीकृत राशन कार्डों में गड़बड़ी को दुरुस्त करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

114. प्रदेश में राशन की दुकानें ज्यादा खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

115. प्रदेश में राशन की दुकानों का चयन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

116. प्रदेश में राशन की दुकानों के बाहर समय व सामग्री की सूची लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

117. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में उचित मूल्य की और दुकानें खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में राशन व केरोसीन का वितरण ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में खाद्य सुरक्षा गारन्टी योजना के अनुसार अनाज का वितरण प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के सभी डिपो धारकों को निर्देश देकर पूरा राशन एवं केरोसीन बटवाने की व्यवस्था करने के साथ ही जो डिपोधारक उपभोक्ता को पूरा राशन नहीं देता, शिकायत आने व दोषी पाये जाने पर तुरन्त डिपो निरस्त कर कानूनी कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामेहत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

121. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में गैस सिलेण्डरों की होम डिलिवरी में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

122. प्रदेश में प्रति यूनिट तयशुदा गेहूं, मिट्टी का तेल एवं अन्य खाद्य सामग्री की समय पर पूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में राशन की आबादी के अनुसार पुन: सर्वे करवाकर नई राशन की दुकान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

124. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के कोटा नगर व कोटा के ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों का समय पर नहीं खुलने वितरण व्यवस्था को सुचारू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

125. कोटा जिले में राशन कार्ड का वितरण नहीं होने की वजह से गरीब मजदूर को लाभ नहीं होने की वजह से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में खनन क्षेत्र होने की वजह से श्रमिकों को केरोसिन की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु कोटा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चिन्हित किये गये परिवारों की संख्या तय करने पर ग्राम पंचायतों द्वारा की गई गलती की वजह से गरीब परिवारों को शामिल करने हेतु पुन: कार्यक्रम चलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

128. कोटा जिले में पिछले पांच वर्षों से आबंटन की गई उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन में की गई धांधली के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

129. प्रदेश में राशन कार्ड बनाकर वितरण करने एवं राशन में हुई गलतियों को सही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र दौसा में केरोसिन वितरण में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

131. प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं का वितरण एफ.पी.एस. डीलरों के स्थान पर सहकारिता के माध्यम से कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

132. प्रदेश में एफ.पी.एस डीलरों के निलम्बन एवं बहाली की प्रक्रिया के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

133. प्रदेश में एफ.पी.एस डीलरों के चयन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर) :

134. श्रीगंगानगर जिले में विभाग द्वारा बनाये जा रहे डिजिटल राशन कार्ड में से 50 प्रतिशत त्रुटिपूर्ण हैं, उन्हें सही कराकर वितरित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र करणपुर के प्रत्येक ग्रामों में राशन डिपो खोले की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. प्रदेश के राशन डीलरों के प्रतिमाह न्यूनतम मानदेय निर्धारित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

137. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने वाले केरोसीन तेल का मापदण्ड से कम वितरण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में सार्वजनिक निर्माण प्रणाली के तहत संचालित दुकानों के समय पर नहीं खुलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

139. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में सुरक्षा योजना में गेहूं आबंटन कम होने के कारण सभी पात्र परिवारों को गेहूं उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में नये राशन कार्ड के वितरण में अत्यधिक विलम्ब होने एवं राशन कार्डों में अत्यधिक त्रुटियां होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम गिलुण्ड, कुरज, कुंआरिया, केलवा एवं पड़ासली में एल.पी.जी. वितरक की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार बनाने के लिये मिट्टी का तेल आबंटित कराना अथवा एल.पी.जी. गैस सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में उचित मूल्य की दुकानों का समय पर नियमित रूप से नहीं खुलने, गेहूं एवं मिट्टी के तेल के वितरण में भारी अनियमितताओं एवं उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

144. गुडामेतसिंह पिलावनी व रायपुरिया में राशन की दुकान खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में आटा वितरण नहीं होने के उपरान्त भी वितरित बताने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के बोरीमादा में राशन की नई दुकान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम राजोला, मुसालिया, कन्टालिया तथा झुझाडीं में राशन की नई दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा) :

148. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाने वाले केरोसिन की काला बाजारी होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

149. प्रदेश में कई राशन डीलर्स द्वारा राशन का सामान ब्लेक में बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

150. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राशन डीलरों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

151. राजस्थान में उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन में महिला समूह व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को निरन्तर नजर अंदाज करने व नियमों में उनका प्रतिशत तय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

152. प्रदेश में उचित मूल्य की दुकान आबंटन के पश्चात् उनके द्वारा वितरण की गई सामग्री में धांधली पर समुचित व त्वरित कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

153. उच्चतम न्यायालय के निर्णय पी.यू.सी.एल. बनाम यूनियन आफ इण्डिया में दिये गये निर्णय के पश्चात 27.4.2012 को जारी दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

154. प्रदेश में विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 के मुकाबले केरोसीन वितरण की मात्रा में की गई कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

155. विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत की जा रही वितरण व्यवस्था में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

156. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम पंचायत बनेठी के रामगढ़ गांव राशन डीलर नियुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

157. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में राशन कार्डों में अनियमितताएं एवं गड़बड़ी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां) :

158. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में वितरित राशन कार्डों में त्रुटियां होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

159. खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना में काला बाजारी, भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं को रोकने व योजना से वंचित रहे पात्र व्यक्तियों को शामिल करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों से वंचित राजस्व गांवों में नवीन उचित मूल्य की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

161. राशन डीलरों के समक्ष राशन वितरण में आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

162. विधान सभा क्षेत्र मावली के राशन डीलरों को पंचायत स्तर पर सामग्री उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा) :

163. विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में राशन एवं पोषाहार के गेहूं के परिवहन पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

164. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में सहरिया परिवारों को तेल, घी, चीनी, दालें एवं चावल के वितरण में हो रही अनियमितताओं की जांच व उचित वितरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

165. प्रदेश में खाद्य व राशन सामग्री के वितरण में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

166. क्रय-विक्रय समिति, मण्डावर में गेहूं की मात्रा उपभोक्ताओं के अनुसार बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

167. प्रदेश के राशन डीलरों द्वारा उपभोक्ताओं को राशन सामग्री नियमित रूप से वितरित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

168. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्थित राशन डिपो की दुकानों के खुलने की समय सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में अनूपगढ़ व घड़साना तहसील के बड़े वंचित गांवों में राशन डिपो की नयी दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. किरोडी लाल (लालसोट) :

170. दौसा जिले की उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

171. तहसील लालसोट में महिला सहकारी समितियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के जरिये वितरण व्यवस्था में भारी गबन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

172. पंचायत समिति महुवा की ग्राम पंचायत बाड़ाबुजुर्ग के उचित मूल्य की आधी दुकानों के डीलर अजसिंह को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

173. विभाग द्वारा दौसा, करौली, सवाई माधोपुर एवं अलवर जिलों में मीणा जाति की 60 में से 56 उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों के निलम्बन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

174. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बीकानेर जिले के पात्र परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

175. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से राशन डिपो का संचालन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. प्रदेश में नये ग्रामवार राशन डिपो स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

177. बीकानेर जिले में खाद्य सामग्री, केरोसिन एवं चीनी आदि के वितरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

178. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में राशन की दुकानों का राशन कोटा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

179. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में खाद्य उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में केरोसिन व अनाज के वितरण की सही व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181. जिला नागौर में बार-बार निलम्बित होने वाले उचित मूल्य के राशन डीलरों के लाइसेंस निरस्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

182. खींवसर में उचित मूल्य की अतिरिक्त दुकानें खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

183. उचित मूल्य के दुकानदारों के खिलाफ न्यायालय में चल रहे प्रकरणों की सही पैरवी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-5

लिखित वक्तव्य

(मांग संख्या 26 लोक स्वास्थ्य और सफाई व मांग संख्या 32 नागरिक आपूर्ति पर माननीय सदस्यगण द्वारा सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य, जो पढ़े हुए माने गये)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता चाहता हूं कि हमारा राजस्थान राज्य ही नहीं अपितु सम्पूर्ण हिन्दुस्तान ही कृषि प्रधान देश है और इस देश में आज यदि सबसे ज्यादा कोई दु:ख है तो किसान है। हमारा कानून आज भी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नीति के आधार पर चलता है, जैसे किसान के घर पर टूटी हुई खाट व फटे हुए बिस्तर ही उसकी सम्पत्ति हैं। उसके जानवरों को रखने वाले बाड़े में चारा, लकड़ी, कृषि उपकरण एवं छोटे-मोटे पशु भी होते हैं। वहां आगजनी हो जाने पर लाखों रुपयों का चारा जल जाता है, पशु सम्पदा एवं अचल सम्पत्ति भी नष्ट हो जाती है। तब सरकार द्वारा उसे जो सहायता राशि प्रदान की जाती है, वह ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ करती है। गत कुछ वर्षों में सामाजिक संगठनों एवं जन प्रतिनिधियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फण्ड (SDRF) एवं नेशनल डिजास्टर रेस्पोंस फण्ड (NDRF) में अग्नि पीड़ित किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि में कुछ वृद्धि हुई लेकिन वह भी पर्याप्त एवं समुचित नहीं है। गत वर्ष 24 अक्टूबर, 2013 से इनके अन्तर्गत आदमी की मृत्यु हो जाने पर 150000/- रु. हाथ, आंख व मुंह के जलने पर 40 से 80 प्रतिशत तक नुकसान पर 43500/- रु., 80 प्रतिशत से ज्यादा अपंगता होने पर 62000/- रु. एवं गंभीर बीमारी पर अस्पताल में एक सप्ताह से अधिक भर्ती होने पर 9300/- रु., एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर 3100/- रु. प्रति व्यक्ति मुआवजा दिया जाता है। वहीं कपडे एवं बिस्तर के जलने पर 1300/- रु., घर के बर्तन एवं अन्य सामान के जलने पर 1400/- रु., भारवाहक पशु ऊंट, घोडा के जल कर मरने पर 15000/- रु प्रति, खच्चर व गधा के जलने पर 10000/- रु. प्रति, वहीं दुधारू पालतू जानवर गाय, भैंस के जलने पर 16400/- रु प्रति, भेड़ व बकरी के जलने पर 1650/- रु. प्रति, इस प्रकार प्रति परिवार को अधिकतम एक बडा दुधारू जानवर एवं एक छोटा तथा एक बड़ा भारवाहक एवं दो छोटे भारवाहक जानवर के जलाने की ही सहायता ही दी जाती है चाहे कितने ही जानवर उसमें जल

कर मरे हों। दूसरी ओर पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर पक्के घरों के 70000/- रु. एवं कच्चे घरों के 17600/- रु. तथा गम्भीर रूप से क्षतिगस्त होने पर पक्के मकान पर 12600/- रु. एवं कच्चे मकान पर 3800/- रु. एवं आंशिक रूप से अर्थात् 15 प्रतिशत क्षतिग्रस्त होने पर पक्के मकान पर 3800/- रु. एवं कच्चे मान पर 2300/- रु. की सहायता दी जाती है। किसान की झोंपड़ी जलने पर 3000/- रु. एवं जानवरों का शेड जलने पर 1500/- रु. प्रति शेड की सहायता दी जाती है। किसान की सम्पूर्ण फसल के जलने पर, उसके बाडे में रखे सम्पूर्ण चारे के जलने पर तथा खेती करने के उपकरण यथा हल, बैलगाड़ी एवं ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि संयंत्र के जलने पर सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती है जो कि बडे हास्य का विषय है। अत: आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि नुकसान होने पर किसान को उचित मुआवजा मिलना चाहिये ताकि उसे आत्माहत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने नहीं पड़ें एवं सरकारी सहायता से वह पुन: अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना एवं अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके।

साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत यूपीए सरकार द्वारा सन् 2012-13 में प्रदेश में पहली बार कैरोसीन कैश सब्सिडी योजना का अलवर जिले की कोटकासिम तहसील में प्रायोगिक परीक्षण किया गया था। पूर्ववती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के तीन जिलों अलवर, अजमेर एवं उदयपुर में 01 जुलाई, 2013 से कैरोसीन पर कैश सब्सिडी (डायरेक्ट ट्रांसफर आफ कैश सब्सिडी आन पीडीएस) पायलेट परियोजना की क्रियान्विति की। इसके तहत अजमेर जिले की एकमात्र पंचायत समिति अराई में योजना को लागू किया गया जो कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सरकार के कुप्रबंधन का उदाहरण है कि इस परियोजना को लागू करने से पहले न तो उपभोक्ताओं के बैंक अकाउंट खुलवाये गए और न ही किसी प्रकार के आधारभूत ढांचे को विकसित किया गया। परिणाम यह कि राजस्थान में राशन की दुकानों पर कैरोसिन 17 रुपये प्रति लीटर मिलता है, वहीं अराई पंचायत समिति में इसके लिये 55 रुपये उपभोक्ताओं को देने पड़ रहे हैं और इसकी भी कोई सब्सिडी उपभोक्ताओं को प्राप्त नहीं हो रही है। बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय योजना के गरीब परिवारों को भी 55 रुपये प्रति लीटर की कीमत चुका कर ही कैरोसीन क्रय करना पड़ता है जो कि उनकी पहुंच से बाहर है। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप कैरोसीन की इस कैश सब्सिडी योजना को समाप्त कर पंचायत समिति अराई की जनता को राहत प्रदान करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 26 पर निवेदन करना चाहता हूं कि गत 15-20 वर्षों में राज्य में बड़े-छोटे सभी स्तर के चिकित्सा संस्थानों में वृद्धि हुई है। सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत गांव-गांव ढाणी-ढाणी में चिकित्सालयों की सुलभता आमजन को प्राप्त हुई है। लेकिन दूसरी ओर इनमें कार्य करने वाले चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बाय, वाहन चालकों सहित कई पदों का आबंटन योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ है। जिससे आज राज्य के कई प्रमुख सम्भाग स्तरीय, जिला स्तरीय, उपखण्ड स्तरीय अस्पतालों की दुर्दशा हो गई है। माननीय मंत्री महोदय, उदाहरण के रूप में मैं आपको अजमेर स्थित प्रमुख चिकित्सा संस्थान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा जहां नर्सिंग स्टाफ ग्रेड प्रथम के 142 पद में से 55 पद रिक्त हैं, नर्स ग्रेड द्वितीय के 495 पद में से 307 पद रिक्त हैं। वार्ड वाय/सहायक कर्मचारियों के 313 पद के विरुद्ध 151 पद रिक्त हैं। मजे की बात तो यह है कि गम्भीर दुर्घटना में रैफर करने की स्थिति में यहां स्थित वाहनों के चालकों के 4 पदों में से 3 पद रिक्त हैं। राजस्थान के सबसे बड़े उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय में नर्स ग्रेड प्रथम के 16 पदों में से 8 पद एवं नर्स द्वितीय के 35 पदों में से 23 पद लम्बे समय से रिक्त चले आ रहे हैं जिससे इन चिकित्सालयों की चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ा गई है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सम्भाग के इस प्रमुख चिकित्सा संस्थान में नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर कर आमजन को राहत प्रदान करें।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि गत 10-15 वर्षों में आमजन में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने के प्रति रूझान बढ़ता गया है जिससे इन औषधालयों में रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। आयुर्वेद में मुख्यतः पंचकर्म पद्धति से इलाज को ख्याति मिली है। किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित है जहां पर आस-पास भाम्बोलाव, कटसूरा, भोगादीत, कालानाड़ा, देवपूरी, आकोडिया, सांदोलिया, छोटा लाम्बा आदि 10-12 ग्राम पंचायतों के 35-40 गांवों की आम जनता अपना इलाज कराने हेतु आती है, लेकिन उन्हें उक्त औषधालय पर इनडोर सुविधा नहीं होने से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय कर किशनगढ़ आना पड़ता है। अतः मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि उक्त राजकीय आयुर्वेद औषधालय को ''अ'' श्रेणी में क्रमोन्नत कर 10 बैड की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में देने की कृपा करें।

इसके अलावा, माननीय अध्क्षक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि किशनगपढ़ उपखण्ड का एकमात्र प्रमुख चिकित्सा संस्थान राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय है जहां पर 200 बैड उपलब्ध हैं। किशनगढ़ के पास नागौर जिले के परबतसर जयपुर जिले के दूदू एवं टोंक जिले के मालपुरा उपखण्ड के कई गांवों की आबादी को भी यह चिकित्सालय गत कई वर्षों से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाता आ रहा है। यहां पर प्रतिदिन 1200-1300 ओ.पी.डी. एवं 70-75 इण्डोर रोगी उपचार हेतु आते हैं।

किशनगढ़ के चारों तरफ स्थापित राजमार्गों, राज्य मार्गों एवं ग्रामीण सड़कों पर गम्भीर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तथा मार्बल व पावरलूम एरिया में भी काफी दुर्घटना के केसेज इस चिकित्सालय में आते हैं। जिनके लिए 20 सी.टी स्कैन जांच की आवश्यकता प्रतिदिन होती है और इन मरीजों को मजबूरन अजमेर अथवा जयपुर रैफर करना पड़ता है।

अत:, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पुरजोर निवेदन है कि राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ में एक सी.टी. स्कैन मशीन की स्थापना की स्वीकृति जारी कराने की कृपा करें। सी.टी. स्कैन के लिये यहां पर रेडियोलोजिस्ट भी कार्यरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अजमेर स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय गत 100 वर्षो से भी अधिक समय से सम्पूर्ण सम्भाग के हर वर्ग को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता आ रहा है। सम्भाग के 24 विधान सभा क्षेत्रों में से लगभग 18 विधान सभा क्षेत्रों की जनता को अपनी छोटी-मोटी बीमारी या गम्भीर रोगों के उपचार हेतु एवं सड़क दुर्घटना ग्रसित मरीजों को भी इस चिकित्सालय में आना पड़ता है। वर्तमान में चिकित्सा क्षेत्र में नित्य नये अनुसंधान होने से असाध्य रोगों के उपचार में नये-नये संयंत्रों को काम में लिया जा रहा है जिसमें एम.आर.आई. मशीन प्रमुख है, इस मशीन के द्वारा सूक्ष्म स्तर पर गम्भीर रोगों का पता लगाकर समय पर उपयुक्त चिकित्सा प्रारम्भ की जा सकती है। गत 10 वर्षों से अजमेर सम्भाग के लोग एम.आर.आई. मशीन की मांग करते आ रहे हैं लेकिन गत सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता, शिथिलता एवं लापरवाही के चलते उक्त मशीन की स्थापना आज तक नहीं हुई है। अत: माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि अजमेर स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में शीघ्र ही एम.आर.आई. जांच की सुविधा अविलम्ब पी.पी.पी.

मोड पर या विभागीय स्तर पर उपलब्ध करावें ताकि गम्भीर रोग के इलाज हेतु निजी जांच केन्द्रों की महंगी जांच से निजात मिल सके।

अन्त में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत ढसुक, छोटालाम्बा, मनोहरपुरा, व पंचायत समिति अराई के 10-15 गांवों के ग्रामीण लोगों को छोटे-मोटे उपचार हेतु पंचायत मुख्यालय पर स्थित उप केन्द्रों पर सुविधा उपलब्ध हो जाती है लेकिन मौसमी एवं अत्यधिक गम्भीर रोगों एवं कृषि कार्यों में आये दिन छोटी-मोटी दुर्घटना होने पर इस क्षेत्र के लोगों को अराई स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आना पड़ता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मुख्यालय डबरेला, पं.स. भिनाय के आसपास के 6-7 गांवों के रोगियों को उपचार हेतु केकड़ी या सरवाड़ जाना पड़ता है, पंचायत समिति किशनगढ़ मुख्यालय सिलोरा स्थित उप केन्द्र में भी पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं होने से इसके आसपास के 7-8 गांवों के मरीजों को भी किशनगढ़ आना पड़ता है। अतः मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय ढसूक, छोटालाम्बा, मनोहरपुरा, पं.स. अराई, ग्राम पंचायत मुख्यालय डबरेला, पं.स. भिनाय एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय सिलोरा, पं.स. किशनगढ़ पर स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत कराने की कृपा करें।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 26-चिकित्सा के सम्बन्ध में मेरे विधान सभा क्षेत्र की निम्न समस्याएं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र के सोमपुर ग्राम पंचायत के कंचन नगर, बुबानी, सराधना, निटूटी, पिंगलोद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं। इसके अलावा मायापुर, सोमलपुर, गोवलिया, मसीना, जाजोता, खोरी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं। ग्राम करकेड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा तबीजी और नांद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कृपा करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में वर्तमान में जो भी चिकित्सा केन्द्र संचालित है उनमें विभिन्न श्रेणी के बहुत सारे पद रिक्त हैं जिन्हें शीघ्र भरकर जनता को सुविधा प्रदान की जाए।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में पुष्कर तथा रूपनगढ़ दोनों उप खण्ड मुख्यालयों पर ब्लाक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय स्थापित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के पुष्कर तथा रूपनगढ़ उपखण्ड में खाद्य विभाग के निरीक्षक का कार्यालय स्थापित किया जाए।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में राशन कार्डों में भारी त्रुटियां हैं इसलिए प्रत्येक ग्रामवार कैम्प लगाकर उन त्रुटियों को सुधारा जाए और नये राशन कार्ड बनाये जाएं।

बी.पी.एल. परिवारों को पूर्व में एक रुपये किलो में गेहूं दिये जाते थे पर अब दो रुपये किलो के हिसाब से दिये जा रहे हैं, अत: मेरी मांग है कि इसे पुन: एक रुपये प्रति किलो किया जाए ताकि गरीब जनता को राहत मिले।

इसी तरह बी.पी.एल. परिवारों को पूर्व में 25 किलो गेहूं प्रति माह प्रति परिवार वितरित किये जाते थे परन्तु अब परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुपात में वितरित किये जा रहे हैं अत: पूर्व की भांति परिवार के अनुसार रखा जाए।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवर्तित बजट 2014-15 की मांग संख्या 26 चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं सफाई पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं सफाई की मांग पर विचार रखे जा रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में डाक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य तकनीकी स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है जिससे अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल पाती है। गत कांग्रेस सरकार में रेजीडेन्ट डाक्टरों ने बार-बार हड़तालें कीं जिससे चिकित्सा सेवाएं चरमराईं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों पर काम का बहुत ज्यादा दबाव रहता है और उस दबाव की वजह से कभी-कभार चिकित्सक पेशेंट या उसके अटेंडेंट के साथ गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कर देते हैं। ऐसी स्थिति में पेशेंट के अटेंडेंट को भी संयम रखना चाहिए और चिकित्सक से शांति से बात करनी चाहिए। और कुछ खयाल चिकित्सक को भी रखना चाहिए कि वो मरीजों से संयमित भाषा में बात करें और बात-बात में हडताल नहीं करें। अगर उन्हें कोई समस्या है तो सरकार को बताएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में लोग डाक्टर को भगवान के

बराबर मानते हैं। इसलिए मैं प्रदेश के सभी डाक्टर्स से आग्रह करता हूं कि वे भविष्य में कभी हडताल नहीं करें और यदि बहुत ही आवश्यक हो तो सांकेतिक हड़ताल अथवा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता अपनाएं न कि सेवा के इस पुण्य कार्य को हड़ताल कर-करके बदनाम करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में चिकित्सकों की भारी कमी को देखते हुए आमजन को बेहतर एवं सुविधाजनक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारे प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय वसुन्धराजी ने वर्ष 2014-15 के अपने बजट भाषण में प्रदेश में सात नये मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की है, इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सीकर के जिला मुख्यालय पर स्थित श्री कल्याण अस्पताल में भी जो जिले का एकमात्र सबसे बड़ा अस्पताल है, चिकित्सकों के पद खाली चल रहे हैं जिससे सीकर में चिकित्सा सुविधा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। श्री कल्याण अस्पताल में वर्तमान में ट्रोमा सेंटर बना हुआ है लेकिन व्यवस्था न के बराबर है। इस हास्पिटल में वेंटिलेटर एवं अन्य सभी आवश्यक उपकरण आदि उपलब्ध हैं परन्तु उन्हें काम में लेने वाले चिकित्सक एवं स्टाफ नहीं है। चिकित्सकों के अभाव में कल्याण हास्पिटल का ट्रोमा सेंटर एक दिखावे की चीज बनकर रह गया है। इस हास्पिटल में एक सर्जिकल आपरेशन थियेटर भी है परन्तु चिकित्सकों की कमी की वजह से वहां छोटी-मोटी सर्जरी की भी कोई व्यवस्था नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र सीकर एक जिला मुख्यालय भी है और जयपुर-बीकानेर हाइवे पर स्थित है, इस हाइवे पर आये-दिन काफी बड़े-बड़े एक्सीडेंट होते रहते हैं। इन एक्सीडेंटों में दुर्घटनाग्रस्त गम्भीर सर्जरी वाले मरीजों को सीकर अस्पताल में कोई तात्कालिक मेडिकल सहायता नहीं मिल पाती और उन्हें जयपुर रैफर कर दिया जाता है। इस दौरान भले ही वह मरीज दम ही क्यों ना तोड़ दे। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि श्री कल्याण अस्पताल में रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन करके चिकित्सा सुविधा सुधारने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2013 में

श्री कल्याण अस्पताल के क्रमोन्नयन मरम्मत एवं आधुनीकरण के लिए रीको ने अपने पत्रांक IDD(M)2012/135/385 दिनांक 17/06/2013 द्वारा 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे। जिसमें से 1 करोड़ 25 लाख रुपये की पहली किश्त दिनांक 6/9/2013 को कल्याण अस्पताल प्रशासन को प्राप्त हो गयी थी जिसका काम भी शुरू कर दिया गया था। परन्तु बाकी के 3 करोड़ 75 लाख रुपये आज तक जारी नहीं किये गये जिससे अस्पताल का काम अटक गया है। इसलिए मैं आरणीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करके श्री कल्याण अस्पताल, सीकर को 3 करोड़ 75 लाख रुपये देने के लिए रीको को आदेश जारी करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार में राज्य सरकार ने इसी जिला चिकित्सालय कल्याण अस्पताल सीकर में सुविधाओं का विकास एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन के लिए शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग के पत्रांक पं.0/25(1)/चिस्वा/2/175/2013 दिनांक 09/09/2013 द्वारा 6 करोड़ 44 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की थी जिसमें से दिनांक 13/02/2014 को 5 करोड़ रुपये जारी भी कर दिये गये। परन्तु 1.44 करोड़ रुपये दिया जाना बाकी है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि कल्याण अस्पताल सीकर को बाकी के रुपये देने हेतु चिकित्सा विभाग को आदेश देवें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्रामीण क्षेत्र पर रोशनी डालना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के ग्राम बाजोर में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का अभी तक भवन नहीं बना है। भवन के अभाव में अस्पताल का संचालन ठीक तरह से नहीं हो रहा है। इसलिए पी.एच.सी. बाजोर के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की जाए। ग्राम भादवासी, गुढाखुर्द एवं नाडा का ढाणी में नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं। इसके साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम पुरोहित का बास में आयुर्वेदिक औषधालय खोला जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्रामीण एरिया में लोगों को समुचित चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए ये अस्पताल खोलने बहुत आवश्यक हैं इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से इन स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति जारी करने की मांग करता हूं।